प्रकीर्णक-पुस्तकमाला, नं० ११

व्यापार-शिक्षा

लेखक—

पण्डित गिरिधर शर्मा

प्रकाशक—

हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई

कार्तिक १९८८ वि०

नवम्बर, १९३१

[मूल्य नौ आने

चौथा संस्करण]

प्रकाशक
नाथूराम प्रेमी,
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, गिरगाँव-बम्बई

मुद्रक,
रघुनाथ दिपाजी देसाई,
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस,
खटेवाडी, बम्बई नं. ४

निवेदन

व्यापार शिक्षाके प्रकाशित करते समय आशा की गई थी कि इससे इस विषयके विद्यार्थियोंको लाभ पहुँचेगा। यद्यपि इसका जितना प्रचार होना चाहिए उतना नहीं हुआ फिर भी पूर्वोक्त आशा व्यर्थ नहीं गई और सन्तोषकी बात है कि अबतक इसके तीन संस्करण हो चुके और आज यह चौथा संस्करण जनताके सम्मुख उपस्थित है।

इच्छा थी कि यह संस्करण बहुत कुछ परिवर्तन संशोधनके साथ प्रकाशित किया जाय परन्तु इस समय व्यापारकी हालत बड़ी ही डावाडोल है, ब्रिटिश-साम्राज्य आर्थिक संकटमें छटपटा रहा है और कोई भी बात स्थिर नजर नहीं आती ऐसी दशामें उक्त विचार कार्यमें परिणत न किया जा सका। फिर भी प्रेमीजीने मेरी अनुमति लेकर पुस्तकके अंकोंमें यथासम्भव सुधार कर दिये हैं और भाषा भी पहलेकी अपेक्षा अधिक सरल और मार्जित कर दी है, जिससे विद्यार्थियोंका बहुत उपकार होगा। संसारकी व्यापारिक और आर्थिक परिस्थितियोंके स्थिर होनेपर यदि पुस्तक फिरसे प्रकाशित हुई, तो पाठक उसमें यथेष्ट संशोधन परिवर्तन और परिवर्द्धन पावेंगे।

नवरत्न-सरस्वतीभवन
झालरापाटन
कार्तिक कृष्ण ७, सं० १९८८

—गिरिधर शर्मा

विषय-सूची

व्यापारका महत्त्व

खरीदने और बेचनेके धन्धेको व्यापार कहते हैं। सस्ती हो तब खरीदना और मँहगी हो तब बेचना, व्यापारीका मुख्य काम है। व्यापार शब्दका अर्थ बहुत ही सरल और अत्यन्त तुच्छ जान पड़ता है, परन्तु यह बड़ा ही व्यापक, अत्यन्त गहन और महत्त्वसे परिपूर्ण है। राजकीय बातोंमें जिस प्रकार सार्वभौम सत्ताका महत्त्व है, उसी प्रकार धर्मोंमें व्यापारका महत्त्व है। सार्वभौम-सत्ताकी भाँति व्यापार भी सर्वव्यापक है। सार्वभौम सत्ताके चलानेमें जैसे राजकार्यकी निपुणता, गणन-कौशल (हिसाबी चतुराई), लोकव्यवहारज्ञता, तीक्ष्णबुद्धि, दूरदर्शिता, आदि गुणोंकी आवश्यकता है, वैसे ही व्यापारमें भी है। व्यापारमें इनका पद पद्पर काम पड़ता है। ये सारे गुण एक व्यक्तिमें न हों, तो भी राजकार्य चल सकता है। अर्थात् न्यारे न्यारे कामोंके लिए उस उस कामके जाननेवाले मुख्य पुरुष रखकर राज-काय चलाया जा सकता है। परन्तु व्यापारमें यह बात नहीं है। व्यापारीमें इन सब गुणोंका संग्रह होना ही चाहिए। कितनी ही बातोंमें सार्वभौम-सत्तासे भी व्यापारकी व्यापकता विशेष माननी ही पड़ती है। व्यापारीको लोगोंकी रुचि कैसी है, देशमें मालकी ज्यादा खपत कैसे होती है, देश-विदेशका किस प्रकारका माल किस जगहपर खप जायगा, इत्यादि समस्त बातोंकी पूरी पूरी जानकारी (वाकफियत) होनी चाहिए। इस जानकारीके अनुसार अपना काम ठीक नियमानुकूल चलाना व्यापारीका मुख्य कर्तव्य है। इस कर्तव्यसे न चूकना राज-काय चलानेकी अपेक्षा कठिन काम है। व्यापारीमें इस बातको जान लेनेकी पूरी शक्ति होनी चाहिए कि लोगोंको

कहाँपर, किस वस्तुकी, कितनी और कब जरूरत होगी। कौनसी वस्तु कहाँपर, कितनी पैदा होती है, यह जानना भी व्यापारीका काम है। पूरा संग्रह और काफी खपतका नियमन कर देना व्यापारीके हाथकी बात है। संग्रह और खपतपर सत्ता रखना व्यापारीका मुख्य काम है और इस सत्ताको काममें लानेका सम्मान भी व्यापारीको ही है। इस बातको परख लेनेका काम भी व्यापारीका है कि किस-किसके पास, कहाँ-कहाँपर, कितनी कितनी, सम्पत्ति है और देश कितना धनवान् है। लोगोंके पासकी सम्पत्तिका किस प्रकार उपयोग किया जाय, न्याय-अन्यायसे उसे किस प्रकार बढ़ाया जाय, आदि बातें सोच-समझकर उनको अमलमें लानेका कठिनतर काम व्यापारीका ही है। यह ऐसा काम है कि इसमें औरोंका चंचु-प्रवेश भी नहीं हो सकता। जैसे मदारी बीन बजाकर सर्पको अपनी ओर खींच लेता है और उसे मनमाने तौरपर नचाता है, वैसे ही व्यापारीको ऐसी बाँसुरी बजाना याद होना चाहिए कि दुनियाका प्राणोंसे भी प्यारा धन खजानोंसे निकल-निकलकर उसके पास आ जाय और वह उसे इधर उधर नचाते हुए काममें ला सके। संसारके लोगोंके खाने-पीनेकी, ऐशो-आरामकी, मय-मकानकी और सब प्रकारके व्यावहारिक कामोंकी चिन्ता रखनेवाला यदि कोई है, तो व्यापारी ही है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि व्यापार संसारका बड़ेसे बड़ा व्यवहार है और राज्यके कारबारसे व्यापारका कारबार गहन है। व्यापारकी व्यापकता सार्वभौम सत्ताके समान ही है। इसीसे व्यापार एक स्वतन्त्र और अत्यन्त गहन शास्त्र है। व्यापार एक उत्तमसे उत्तम कला है। व्यापार अनेक दुर्घट और गहन शास्त्रोंका एकीकरण है। व्यापारी मानव-स्वभाव और सृष्टिपरकी सत्ताको अपने हाथमें रखता है। व्यापारी मनुष्य-स्वभावको खूब पहचानता है। व्यापारीका काम मनुष्यकी आवश्यकतायें और इच्छायें पूर्ण करनेका है। व्यापारीको—एकमात्र व्यापारीको ही—इस बातका अधिकार, इस बातका मान है कि, वह लोगोंकी सम्पत्तिका, लोगोंके आविष्कारोंका, लोगोंके कौशलका यथायोग्य उपयोग करे और अर्थशास्त्रमें वर्णन किये हुए श्रम-विभागकी ठीक

ठीक व्यवस्था करे। सार्वभौम-सत्तासे जिस कामका होना कठिन है, उसी कामको व्यापारी बातकी बातमें कर डालता है। अतुल सत्ता, अतुल सैन्य और बड़ी भारी शक्तिके बलसे भी जिस कामको सार्वभौम राजा नहीं कर सकता, उस कामको एक व्यापारी अपनी हिम्मत, कल्पनाशक्ति और योजनाकी सहायतासे फौरन कर डालता है।

कोई शास्त्र, व्यापार शास्त्रके समान उपयोगी नहीं है और न कोई कला ही व्यापार-कलाके समान महत्त्वकी है।

धन्धा

मनुष्य अपना समय, द्रव्य, लक्ष्य और श्रम जिस काममें लगाता है, उसे धन्धा कहते हैं। मनुष्यमात्र जिस उद्योगको—जिस कामको—अपने पेटके लिए करते हैं, उसका नाम धन्धा है। पेट भरनेके लिए चलाये हुए उद्योगको या टका कमानेके साधनको धन्धा कहते हैं। क्रय-विक्रय करनेमें, श्रमका ठीक तौरपर विभाग करनेमें, कल्पनाकी सामग्री इकट्ठी करनेमें, कुशलताके पदार्थ संग्रह करनेमें, श्रमका फल पानेमें और इनके द्वारा लाभ उठानेमें मनुष्यको जो उद्योग करना पड़े, जो परिश्रम उठाना पड़े, जो युक्तियाँ लड़ानी पड़ें, जो चतुराई भिड़ानी पड़े, जो धन खर्चना पड़े और जो जो करना पड़े, उन सारे व्यवहारोंको धन्धा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य धन्धार्थी है। यह बात दूसरी है कि धन्धा भाँति भाँतिका होता है, परन्तु सबको किसी न किसी प्रकारका धन्धा अवश्य करना पड़ता है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं, जिसे धन्धा न करना पड़ता हो। सबके साथ धन्धा लगा हुआ है। अतः प्रत्येक मनुष्यको धन्धेका ज्ञान सम्पादन करना जरूरी है। यह शिक्षा प्रारम्भसे ही—धन्धा प्रारम्भ करनेके पहलेहीसे होनी चाहिए। धन्धा एक सामान्य शब्द है। उसके कई प्रकार हैं—१ व्यापार-उद्योग, २ कल-कारखाने, ३ कला-कौशल, ४ खेती-बारी, ५ विद्यावृत्ति और ६ अन्यान्य फुटकर काम। इस तरह हमें धन्धेके मुख्य छः भेद देख पड़ते हैं।

व्यापार, देशोन्नतिकी सूचना देनेवाला एक मुख्य लक्षण है। शान्तिके साम्राज्यमें सुख और विलासका फैलाना व्यापारका काम है। नवीन देशों या जङ्गलोंमें भी प्रवेश कर अमन-चैन फैलाना व्यापारका काम है। देशको अधीन कर लेनेके बाद जब शूर-वीर सिपाहियोंके अस्त्र-शस्त्र ठिकाने रखा दिये जाते हैं और जब व्यापार खूब चलने लगता है, तब कहा जाता है कि अब सुख-शान्तिका समय आया। नगरोंकी पूर्ण उन्नति, परगनोंके वैभव, देशकी समृद्धि, प्रजाका आनन्दविलास, गरीबोंकी रोज़ी और सब प्रकारके उद्योग व्यापारसे ही उत्पन्न होते हैं। लोगोंको उद्योग बतला देना, गरीबोंकी रोज़ी लगा देना और उन्हें श्रमका योग्य बदला देना व्यापारके हाथमें है। लोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना और रसिकोंके मनोरथ सिद्ध होनेकी व्यवस्था करना भी व्यापारका ही काम है। सार्वभौम-सत्ता, व्यापारीके काम और धर्मके अधिकार इन तीनोंकी सत्ता जगत्‌में समपर चलती हुई स्पष्ट देख पड़ती है।

व्यापारकी भींत सत्य और सारासार-विचारकी नींवपर खड़ी होती है। व्यापारसे मतलब सच्चे व्यापारसे है, झूठेसे—सट्टे फाटके—से—नहीं। व्यापारके दो भेद हैं—जूआ और सच्चा। जूएमें सौदा-सट्टा, फाटका, थोक-मूठ, वगैरह शामिल हैं। जब सच्चा व्यापार—शुद्ध व्यापार करना नहीं आता, तब ऐसे जूएके व्यापारकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है। जिस धन्धेकी नींव सचाई, सारासारके विवेक और शुद्धतापर नहीं है, वह धन्धा कैसा भी क्यों न हो—आज नहीं तो कल, थोड़े ही दिनोंमें, अवश्य गिर जायगा और उसका गिर जाना ठीक भी है। बहुतसे मनुष्योंकी—और मुख्यकर जो व्यापारी नहीं हैं उनकी—ऐसी समझ हो गई है कि व्यापार बिना झूठके चल ही नहीं सकता। उनकी समझमें व्यापारमें दो तीन बोलियाँ होनी ही चाहियें—व्यापारी दो तीन बोलियाँ कहे, इसमें कुछ बुराई नहीं। परन्तु यह भूल है। यद्यपि कानून 'व्यापारी झूठ' को अन्याय मानकर दण्ड नहीं देता है, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह झूठ

नहीं है। व्यापारका प्रत्येक व्यवहार—देना लेना—बिलकुल सत्य होना चाहिए। जो साहूकार लेन-देनमें सचाई न रखता हो, अप्रामाणिक व्यवहार रखता हो, वह कभी स्थायी उन्नति नहीं कर सकता। प्रामाणिकता केवल नीतिकी—चरित्रकी—दृष्टिसे ही आवश्यक नहीं है, परन्तु व्यापारकी दृष्टिसे भी उत्तम-सर्वोत्तम पद्धति है। सच्ची बरकतका, उन्नतिका, अभिवृद्धिका, यशका और सफलताका एक मात्र बीज प्रामाणिकता ही है। प्रामाणिकताके साथ 'शाहजोगपन' भी होना चाहिए। शाहजोगपन (आबरूदारी) और प्रामाणिकता जुदी जुदी बातें हैं। कोई व्यापारी प्रामाणिक न होकर शाहजोग हो सकता है और इसी तरह कोई आबरूदार न होने पर भी बड़ा भारी प्रामाणिक हो सकता है। प्रामाणिकपनेका सम्बन्ध लेन-देनके साथ है और आबरूदारीका सम्बन्ध हृदयके गुणोंके साथ है। समयपर लोगोंके लेने-देनेको साफ कर देना, किसीको फँसानेकी इच्छा न रखना, प्रामाणिकतामें दाखिल है। इस प्रामाणिकताके होने पर भी मनुष्य आबरूदार नहीं हो सकता। अपने पड़ोसियोंकी, अपने सहयोगियोंकी औरोंके सामने अकारण निन्दा करना आबरूदारोंका काम नहीं। अपने बाजारमें अपने वर्ग वरके व्यापारियोंको बदनाम करना भलमनसाहत नहीं। बाजारमें पड़ोसी व्यापारियोंके ग्राहकोंको तोड़ लेनेके लिए घाटा खाकर भी माल सस्ता बेच देना भलमनसाहत नहीं। वास्तवमें जिस मालकी जरूरत नहीं है, उसका इस उद्देश्यसे कि उसे कोई दूसरा व्यापारी खरीद न सके, भाव बढ़ा देना भी इज्जतदारी नहीं है। कहनेका तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार अपने अन्तःकरणको बुरा जान पड़ता है, वह केवल नीति और चरित्रकी दृष्टिसे ही हीन नहीं समझ पड़ता है, वरन् वह व्यापारमें भी बेबरकती पैदा करनेवाला है।

बहुतोंका ख्याल है कि धन्धेकी खूबियाँ—फिर वे कैसी भी क्यों न हों—लाभकी साधिका हैं, परन्तु उन्हें जानना चाहिए कि ये खूबियाँ अपने ऊपर मनुष्योंके विश्वासको कम करनेका कारण

होकर लाभकी जगह हानि पहुँचाये बिना नहीं रहतीं। अच्छे व्यापारीको चाहिए कि वह उन व्यापारी युक्तियोंका अवलम्बन कभी न करे, जिससे उसकी प्रामाणिकता और साहूकारीमें बट्टा लगता हो। यह रीति बिलकुल ठीक नहीं है। व्यापारीको हमेशा प्रामाणिकतापर ही दृढ़ रहना चाहिए। प्रामाणिक व्यापारमें एक प्रकारका आनन्द है। यह एक अभ्रान्त सत्य है कि प्रामाणिकता शुद्ध आनन्दकी नदी है। जहाँ प्रामाणिकता है—जहाँ साहूकारी है, वहाँपर आनन्द ही आनन्द है।

अब न्यारे न्यारे धन्धोंके मुख्य मुख्य विभागोंके सम्बन्धमें एक दो मुख्य बातें कहकर हम इस अध्यायको पूरा करेंगे। धन्धेका पहला और मुख्य विभाग 'व्यापार-उद्यम' है। इस धन्धेका मुख्य तत्त्व यह है कि सस्तार्इमें खरीदना और मँहगाईमें बेचना। जो मनुष्य इस बातको अच्छी तरह समझ लेता है कि सस्ताईमें खरीदना और मँहगाईमें बेचना चाहिए, उसके विषयमें फिर यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि वह व्यापारी है या नहीं। अलग अलग मालके क्रय-विक्रयसे या खरीद-बिक्रीसे व्यापारियोंके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे—कपड़ेके व्यापारी 'बजाज', जवाहरातके व्यापारी 'जौहरी', चाँदी-सोनेके भूषण आदिके व्यापारी 'सर्राफ', जड़ी-बूटी आदिके व्यापारी 'पसारी', इत्रके व्यापारी 'गंधी' इत्यादि। इस तरह अलग अलग मालके नामसे व्यापारियोंके जुदे जुदे नाम हैं, परन्तु उन सबका धंधा एक ही तत्त्वपर ठहरा हुआ है और उस तत्त्वका नाम है—'व्यापार'।

कल-कारखानेवाले

कच्चा माल खरीदकर उसे कल्पना, कौशल और परिश्रमके द्वारा व्यवहारोपयोगी बनाना और बेचना कारखानेवालोंका धन्धा है। कल-कारखानेवालोंका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे बेचनेके लिए पक्का माल तैयार करें। अर्थात् कारखानेवाले कच्चे मालको खरीदें और उसे पक्का बनानेमें जो श्रम और चतुराई लगती है, उसे लगाकर पक्के—तैयार मालको—बेचें। अतएव कारखानेवाले भी क्रय-विक्रयकारी व्यापारी ही कहे जा सकते हैं। लकड़ी, ताँबा,

लोहा, पीतल, वगैरह धातु और कपास, रेशम आदि पदार्थोंकी भिन्नतासे कारखानेवाले भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं।

कला-कौशल (कारीगरी)

कारखानेवाले और कारीगर दोनोंके धन्धोंका परस्पर निकटका सम्बन्ध है। कारीगरोंके कला-कौशलको खरीदना कारखाने वालोंका काम है। सुनार, लुहार, कसेरे, सोनी, जुलाहे, सिलावट, कुम्हार, मोची, इंजीनियर वगैरह कारीगर हैं। उन्होंने समय और धन खर्च करके कारीगरी सीखी है—खरीदी है। वे जिस धन्धेको करते हैं, वह कारीगरी कहलाता है। वे अपने कला-कौशल या कारीगरीको रोजाना मजदूरीसे, ठेकेसे, या मासिक वेतनसे कारखानेवालोंको बेचते हैं। अतएव व्यापारियोंमें उनका भी समावेश हो सकता है। कारखानेवाले उनकी मेहनत, कल्पना और कौशलको मोल लेकर लाभ उठाते हैं।

खेती-बारी

कारखानेका, व्यापारका और देशका हर एक धन्धेका आधार खेती-बारी है। खेती-बारीके धन्धेमें जितना लाभ कर्मतत्परता, श्रेष्ठता और आनन्द है, उतना अन्य किसी धन्धेमें होना असम्भव है। खेतीकी उन्नति हो, तो सारे धन्धोंकी उन्नति होगी ही—यह एक सत्य सिद्धान्त है। किसान भी एक प्रकारका व्यापारी ही है। जमीन, पानी, बीज, खाद आदिको खरीदना और परिश्रमके द्वारा अनाज पैदा करना किसानका काम है। उस पैदा किये हुए अनाजको किसानसे खरीदकर हर एक बाजारमें पहुँचाना, अर्थात् उसका क्रय-विक्रय करना व्यापारीका काम है। किसान उसके पैदा करनेवाले हैं।

विद्यावृत्ति

आचार्य, अध्यापक, व्याख्याता, ग्रन्थकार, पत्रसम्पादक, वकील वैद्य, लेखक आदि विद्याका धन्धा करनेवाले हैं। ये अपनी बुद्धि, होशियारी, चतुराई आदिको वेतन, फीस, कीमत आदिके बदलेमें बेचते हैं और धर्मगुरुको दक्षिणाके रूपमें उसके उपदेशकी कीमत

ही आती है। विद्याकृतिके ये धन्धे विशेष सम्मानके माने जाते हैं, परन्तु इनमें जैसा चाहिए वैसा लाभ नहीं होता। न हो,परन्तु इनकी आवश्यकता बड़ी भारी है। ये लोग उन सब विद्याओंको बड़े परिश्रम और खर्चसे खरीदते हैं।

फुटकर काम

दलाली, आढ़त वगैरह छोटे बड़े अनेक फुटकर काम-धन्धे हैं। उनका महत्त्व कुछ कम नहीं है, परन्तु इस छोटीसी पुस्तकमें सभी धन्धोंका वर्णन करनेकी जगह नहीं है।

पूँजी

व्यापार करने अर्थात् माल खरीदने, उसे बेचनेकी व्यवस्था करने, दूकान, गुमाश्ता, नौकर-चाकर आदि रखनेके लिए जिस रकमकी आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम पूँजी है। धन्धा चलानेके लिए जिस रकमकी अत्यन्त आवश्यकता होती है, या जिस आवश्यक साधनके बिना धन्धा चल ही नहीं सकता, उसका नाम पूँजी है। पूँजीके बिना धन्धेका प्रारम्भ ही नहीं हो सकता। यह बात स्पष्ट है कि खर्चेके लिए रकम पास न हो, तो खर्च किया ही कैसे जा सकता है। खरीदना व्यापारका प्रारम्भिक काम है—मूल तत्त्व है। व्यापारमें खरीदके बाद इतना ही मुख्य काम बाकी रह जाता है कि उस वस्तुको बेचकर उससे सारा खर्च और अमुक दर्जेका लाभ उठाया जाय। मालके खरीदनेके बाद उसपर जो जो इखराजात (खर्च) पड़ते हैं, उनमें पूँजीका ब्याज, भाण्डार और दूकानका किराया, गुमाश्तों और नौकर चाकरोंका वेतन, बिक्रीके लिए दिये हुए विज्ञापनोंका व्यय, बेचनेके लिए की हुई चतुराई और युक्तियोंका बदला मुख्य है। मालकी बिक्री होकर जब तक रकम हाथमें नहीं आ जाती, तब तक जो सब खर्च घरकी रकममेंसे या बाहरसे कर्ज लेकर किया जाता है, उसका नाम पूँजी है। या यों कहिए कि व्यापारमें लाभ होनेकी आशासे जो रकम लगाई जाती है, उसे पूँजी कहते हैं।

व्यापारमें पूँजी अत्यन्त आवश्यक है। जैसे शरीरमें प्राणकी आवश्यकता है, वैसे ही व्यापारमें पूँजीकी। पूँजी बिना कोई धंधा नहीं हो सकता। प्राणरहित शरीर किस कामका? पूँजी प्राप्त होनेके अनेक साधन हैं, परन्तु हमारे ख्यालमें नीचे लिखे हुए मुख्य हैं—

१ बड़े-बूढ़ोंकी कमाई या स्वयं कमाई हुई धन-सम्पत्ति।

२ पूँजी देनेवाली दूकानें, बैंक, बहोरगत वगैरह।

३ हिस्सेदारी।

४ उधार—अपनी साखपर पूँजी उधार लाना।

पूँजी इकट्ठा करनेके ये चार साधन ही मुख्य हैं। इनमें जिसको जिसका सुभीता होता है, वह उसीको अमलमें लाता है।

पूँजी बिना व्यापार-धन्धा हो ही नहीं सकता। पूँजीके बिना धन्धा कर बैठना केवल मूर्खता ही नहीं, वरन् एक प्रकारका लुच्चपन और दूसरोंको फँसानेका प्रयत्न है।

जिसके पास पूँजी न हो, उसे चाहिए कि वह व्यापारमें न पड़े। क्योंकि उससे व्यापार नहीं चल सकता। व्यापारमें जो चिन्ता-फिक्र, त्रास आदि होते हैं, वे सब खासकर पूँजी-सम्बन्धी ही होते हैं। अर्थात् व्यापारके सारे सुखोंका आधार पूँजी ही है। सौमेंसे लगभग अस्सी व्यापारी ऐसे होते हैं, जो उधारकी पूँजीसे ही व्यापार करते हैं। व्यापारमें अपनी घरू पूँजी ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, पूँजी होनी चाहिए। अन्ध-पङ्गु-न्यायसे व्यापार-कुशल और पूँजीवाले मनुष्योंको आपसमें मिलकर काम करना चाहिए। इन्हें ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिसमें दोनोंको लाभ हो। साख ठीक हो, तो ऐसा मान लेना बुरा नहीं है कि सारे संसारकी पूँजी मेरी ही है। 'साख' व्यापारमें बड़ी भारी पूँजी समझी जाती है। यदि हम पूँजीमें व्यापारी ज्ञान, व्यापारी चातुर्य, व्यापारी कला, साख, ग्राहकोंका रुख परखनेकी कला और विश्वासपात्रताका भी समावेश कर दें, तो अनुचित न होगा।

व्यापारमें मिलनेवाले मानका महत्त्व पूँजीपर ही निर्भर है। दिवालियेका कोई सम्मान नहीं करता। पूँजीवालोंको कितनी ही

सुविधायें होती हैं। स्पर्धा और खींचातानी पूँजीवालेको विशेष दुःखदायी नहीं हो सकतीं। सारांश यह है कि सब नहीं, तो भी बहुतसी व्यापारिक शक्तियोंका आधार पूँजी ही है। व्यापारका बल पासकी पूँजीपर ही है। व्यापारमें पूँजीकी बड़ी महिमा है।

सिक्का

मनुष्यकी सम्मतिसे, सारी चीजोंका मोल ठहरानेके लिए, लेन-देनके काममें सुभीता होनेके निमित्त, जिस चीजको प्रमाणके रूपमें मान लिया हो, उसका नाम सिक्का है। आजकल हमारे देशमें रुपया और करेन्सी नोट चलते हैं। गिन्नी भी चलती है, परन्तु इसका व्यवहार कम है। गिन्नीकी कीमत पहले पन्द्रह रुपया ठहराई गई थी, पर अब १३॥-)॥ कर दी गई है। प्राचीन समयमें अशर्फी मुहर आदि सोनेके सिक्के चलते थे। अँगरेजी राज्यमें चाँदीका सिक्का चला और अब करेन्सी नोट विशेष रूपसे प्रचलित हैं। इस समय सोनेका सिक्का गिन्नी और चाँदीका सिक्का रुपया है। करेन्सी नोटको अँगरेजीमें 'पेपर मनी' (कागज़ी मुद्रा) कहते हैं। अठन्नी, चौअन्नी, दुअन्नी, एकन्नी ये फुटकर सिक्के हैं। इन्हें अँगरेजीमें 'टोकन मनी' कहते हैं। पैसा ताँबेका होता है। पैसेका तीसरा भाग पाई होती है। चार पैसेका एक आना और सोलह आनेका एक रुपया होता है। एकन्नी चाँदीकी नहीं होती और न ताँबेकी ही होती है, वह काँसे और मिश्र धातुकी होती है। अभी कुछ समयसे इसी मिश्र धातुकी दोअन्नी और चौअन्नी भी चल गई है। दोअन्नी, चौअन्नी और अठन्नी चाँदीकी भी होती है। कहीं कहींपर छोटे सिक्केके एवज़में कौड़ियाँ और बादामें भी काममें लाई जाती हैं। महाराष्ट्र प्रान्त, मध्यप्रदेश और राजपूतानेमें कौड़ियाँ चलती हैं। पहले बड़ोदेमें बदामें चलती थीं, पर अब उनका चलन बन्द हो गया है। राजपूतानेमें पहले अलग अलग राज्योंके अलग अलग सिक्के चला करते थे। अब भी कहीं कहीं चलते हैं। ये सिक्के चाँदी, सोने और ताँबेके थे। हमारे यहाँ

झालावाड़में ही मदनशाही चलनी, अठन्नी, चौअन्नी, दुअन्नी आदि चाँदीके और पैसा आदि ताँबेके सिक्के थे, परन्तु अब कलदार रुपया चलता है और पैसे भी अँगरेजी। अँगरेजी सिक्कोंका सर्वत्र प्रचार है।

सिक्केकी आवश्यकता

बहुतसे मनुष्योंके हृदयमें यह प्रश्न सहजमें ही उठ खड़ा होता है कि सिक्केकी आवश्यकता क्यों खड़ी हुई? व्यापार प्रारम्भ करते ही सिक्केकी आवश्यकता आन पड़ती है। अदला-बदली (विनिमय) करना व्यापारकी पहली सीढ़ी है। एक मनुष्यके पासकी वस्तुकी दूसरेको आवश्यकता होती है और दूसरेके पासकी वस्तुकी तीसरेको। एक दूसरेकी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी रीतिका ही नाम अदला-बदली (विनिमय) है। कल्पना कीजिए कि खोती-मानिकपुरेका अमरा चमार जूतियाँ बनाता है और उसे ज्वारकी आवश्यकता है। और खोतीके ओंकार मालीके यहाँ ज्वार है और उसे जूतेकी आवश्यकता है। ऐसी सूरतमें अमरा और ओंकार आपसमें जूते और ज्वारसे अदला-बदली कर लेंगे। परन्तु यदि इन दोनोंको उन वस्तुओंकी आवश्यकता न हुई, तो उन्हें अपनी इष्ट वस्तु पानेके लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा और इस काममें उनका बहुत समय व्यर्थ चला जायगा। इन सब अड़चनोंको मिटानेके लिए सिक्केकी आवश्यकता है। सिक्केके एवजमें चमार जूता बेच देगा और अपनी इष्ट वस्तु जहाँ मिलेगी वहाँसे खरीद लेगा।

सोना चाँदी पसन्द किये जानेका कारण

व्यापारमें विनिमयकी बड़ी आवश्यकता होती है। विनिमय जैसे व्यापारमें प्रथम सोपान है, वैसे ही सिक्केकी उत्पत्तिका भी कारण है। व्यवस्थापूर्वक, शीघ्रता और आसानीके साथ विनिमय हो जानेके लिए जो साधन खोज निकाला गया है, उसीका नाम सिक्का है। सिक्केके लिए जो चीज़ ठहराई जाय, वह नियमित और लेन-देनमें सुभीतेकी होनी चाहिए।

सारे सुधरे हुए देशोंमें चाँदी और सोना ही सिक्केके तौर पर काममें लाये जाते हैं। ऐसी सूरतमें यह प्रश्न सहजमें ही पैदा होता है कि इस कामके लिए ये दोनों धातुयें ही क्यों विशेष तथा पसन्द की जाती हैं। इस बातका हम यहाँपर संक्षेपमें विचार करेंगे। *

जो वस्तु सबको प्यारी हो, जिसके मूल्यके समान विभाग हो सकते हों और जो शीघ्र नष्ट न हो जाती हो, वही वस्तु क्रय-विक्रयका साधन होनेके लिए उपयुक्त समझी जाती है। ऐसी चीजें थोड़ी ही हैं। ये तीनों गुण धातुओंमें हैं। इसी कारण प्राचीन कालसे विविध देशोंमें लोहा, ताँबा, चाँदी और सोना सिक्केके व्यवहारमें लाया गया है। इस तरह धातुओंका व्यवहार सिक्केके लिए हुआ है, परन्तु धातु-धातुमें भी भेद है। कोई धातु पृथ्वीपर बहुत मिलती है और कोई कम। जो बहुत मिलती है, उसका विशेष मोल नहीं होता। सिक्केके तौरपर उसका उपयोग किया जाय, तो यह अधिक परिमाणमें बार बार देना-लेना पड़े, संग्रह करना हो, तो उससे बहुतसी जगह रुके, और लूट-खसोटके समय छिपाने या देशान्तरको पहुँचानेकी आवश्यकता हो, तो कठिनाई पड़ जाय। चाँदी सोनेका सिक्का होनेमें ये बातें नहीं होतीं। सिक्का बननेकी इनमें योग्यता है। बहुत ही प्राचीन समयसे ये मनुष्योंको प्यारे लगते हैं, अतएव इनके बदले चाहे जब माल मिल सकता है। इनके मोलसे समान सूक्ष्म विभाग हो सकते हैं। बहुत समय तक इनका नाश नहीं होता। इन्हें संग्रह करनेमें बहुत जगह नहीं रुकती। इन्हें छिपानेमें आसानी पड़ती है। इनसे लेन-देनमें भी आसानी होती है और इनमें दो एक गुण और भी हैं। अन्यान्य पदार्थोंमें अलग अलग जातियाँ होती हैं। गेहूँ आठ दस तरहके होते हैं, घोड़े वगैरह पशु विविध जातिके होते हैं, अतएव उनके मोलमें फर्क होता है। परन्तु चाँदी सोनेमें यह बात नहीं है अन्य वस्तुओंके मोलमें बहुत फेर-फार हो जाता है। कल्पना करो

---

* विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवालोंको हमारा 'अर्थशास्त्र' या पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदीकृत 'सम्पत्तिशास्त्र' देखना चाहिए।

कि बलरामने हजारं मन गेहूं इकट्ठे कर रक्खे हैं और फसल अच्छी पैदा होनेसे गेहूंका आधा भाव हो गया, ऐसी सूरतमें बलरामको एकाएक आधा नुकसान हो जायगा, और अगर फसल अच्छी पैदा न हुई, तो वह एकाएक मालामाल हो जायगा। यह बात चाँदी सोनेकी नहीं है। हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि चाँदी सोनेकी कीमत कम-ज्यादा होती ही नहीं है। होती है, परन्तु और सब वस्तुओंकी अपेक्षा बहुत कम और वह भी बहुत समयके बाद। अमेरिकाकी खानें निकलने पर जो सोने चाँदिके भावमें फेर-फार हुआ था, उसके बाद अब यूरोपके महायुद्धसे उत्पन्न हुई परिस्थितियोंके कारण ही कुछ फेर-फार हुआ है। खानोंके निकलनेके समय और युद्धके समयके बीचमें कोई फेर-फार नहीं हुआ। इस प्रकार यदि कोई विशेष आर्थिक आपत्ति अथवा प्राप्ति (जैसे खान आदिका मालूम होना) न हो, तो शताब्दियाँ बीत जाती हैं और चाँदी सोनेका भाव जैसेका तैसा बना रहता है। इससे मुद्दती लेन-देन करना हो, तो सोने-चाँदीसे करना ठीक है। क्योंकि चाँदी सोनेका जितना संग्रह संसारमें है, उसमें साधारण कमीबेशी होने पर भी उनके मोलमें विशेष फेरफार नहीं हो सकता। इस प्रकार चाँदी सोनेमें स्थिर रहनेका, सूक्ष्म विभाग हो सकनेका, और समान कीमत निभा सकनेका गुण है। अतएव ये धातुयें सिक्केकी योग्यता रखती हैं।

हमारा रुपया

इस समय हमारा रुपया चाँदीका है। इसका वज़न १८० ग्रेन है। ग्रेन अँगरेज़ी वज़न है। १५ ग्रेनका एक माशा और १२ माशेका एक तोला होता है। १८० ग्रेनमें १६५ ग्रेन चाँदी होती है और १५ ग्रेन हलकी धातु होती है। इस हलकी धातुके मिलानेसे रुपयेमें कड़ाई और झनकार होनेका गुण आ जाता है। पहले सरकारी टकसालमें चाँदीके वज़नके बराबर रुपये बना दिये जाते थे। सरकारी टकसालकी मज़दूरी १५ ग्रेन हलकी धातुके मिलानेसे निकल आती थी। १५ ग्रेन हलकी धातुके मिलानेका ~

इस कारण पड़ा कि टकसालका भ्रम निकल जावे, सिक्का कम आय और बजने लगे।

चाँदी-सोनेकी कीमत

३०-४० वर्ष पहले हमारे देशमें १०० तोले चाँदीके लगभग ११५ रुपये होते थे और एक तोला सोना १७-१८ रुपयेमें मिलता था। अब १०० तोले चाँदीके ५५-५६ रुपये होते हैं*। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। खपतकी अपेक्षा पदार्थका संग्रह विशेष हो जायगा, तो पदार्थकी कीमत कम हो ही जायगी। सोनेकी पैदाइश ज्यादा होने पर भी अनेक कृत्रिम सिक्कोंका चलन जारी करके उसकी कीमत बढ़ाई गई है और इस तरह विलायती साहूकार अपनी व्यवहार-चतुरतासे सफलता पा गये हैं, परन्तु चाँदीके सम्बन्धमें उन्हें सफलता नहीं मिली। चाँदीकी पैदाइश बढ़ती गई, परन्तु उसकी खपत न बढ़ी। चाँदीका भाव गिरता ही गया, यहाँ तक कि १०० भर चाँदी ५५-५६ रुपयेकी ही रह गई। ज्यादा सस्ती न हो, इसके लिए गवर्नमेंटने अनेक तरकीबें सोचीं, परन्तु न चलीं। अभी हालमें गवर्नमेंटने चाँदीकी आमदनीपर ६) रुपये सैकड़ेकी जगह १७॥) सैकड़ा समुद्री महसूल लगाया है।

टकसाल बन्द

१८९३ ईस्वीतक टकसालमें १०० रुपये-भर चाँदी देनेसे १०० रुपये बना दिये जाते थे, परन्तु अब यह बन्द है। अब किसीको रुपये बनवाना हो, तो एक रुपयेकी १८ पेनीके हिसाबसे चाँदीकी ठहराई हुई कीमतका सोना देना पड़ता है। इस सोनेके बदलेमें रुपये बना देनेका गवर्नमेंटने रिवाज जारी रक्खा है। भारतमें दो जगह अँगरेजी टकसालें हैं। एक कलकत्तेमें और दूसरी बम्बईमें। आज २५-३० वर्षसे सर्वसाधारणके लिए टकसालें बन्द हैं। लोग इन टकसालोंसे प्रतिवर्ष ९ करोड़ रुपये बनवाते थे। सरकारने

---

* महायुद्धके समय चाँदीका भाव १२०-१५ रुपये तक चढ़ गया था। इसी प्रकार सोना भी ३२-३३ रुपये तोले तक हो गया था। अन्तमें चाँदीका भाव ४०-४१ रुपये और सोनेका २०-२१ रु० हो गया था, जो अभी फिर बढ़ गया है।

शायद यह सोचकर कि टकसालें बन्द करनेसे रुपया कम होनेके कारण गड़े हुए रुपये निकल आयेंगे और सहजमें हा चाँदीका भाव बढ़ आयगा, टकसालें बन्द कर दीं। हिसाब लगाया गया है कि सरकारी टकसालोंमें कुल २५०–३०० करोड़ रुपये बनाये गये हैं। कितने ही मनुष्योंका यह भी अनुमान है कि एक दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष टूटकर गलामेंमें चले जाते होंगे।

रुपयेकी कृत्रिम कीमत

आजकल हम जिस रुपयेको काममें लाते हैं, वह कलदार रुपया कहलाता है। यह रुपया कृत्रिम सिक्का है। जब असली कीमतकी जगह ठहराई हुई कीमत कुछ और ही होती है, तब कृत्रिम नाम रक्खा जाता है। जो सच्चा नहीं है, वही कृत्रिम है। अच्छा सोचिए कि रामकुमारने ५५–५६ रुपयेकी चाँदी ली। उसे १०० भर चाँदी मिल गई। फिर इस १०० भर चाँदीके पूरे सौ रुपये बन गये। काँसेके मिश्रणसे सरकारी मजदूरी निकल आई। ऐसी सूरतमें ५५–५६ के १०० रुपये हो गये। लोगोंके लिए टकसाल बन्द है, परन्तु सरकार ऐसा ही करती है। ५५–५६ से भी कमके मालकी कीमत १०० रु० लेती है। अतएव हमारा रुपया असली नहीं, बनावटी है।

भारतवर्षका व्यापार यूरोप, अमेरिका, आदि देशोंके साथ चल रहा है। इन देशोंके साथ लेन-देनका प्रसङ्ग आना साधारण बात है। इंग्लैंडमें पौंड, शिलिंग, पेंस नामके सिक्के चलते हैं। अमेरिका और मेक्सिकोमें डालर, सेंट, फ्रांसमें फ्रैंक, जर्मनीमें रेशमार्क, चीनमें टेल, जापानमें येन, मिसरमें पौण्ड, डेन्मार्क नार्वे और स्वीडनमें क्रोन, रूसमें रूबल हैं। प्रत्येक व्यापारीको न्यारे न्यारे देशोंके सिक्कोंका ज्ञान रखना चाहिए। इस बातका जानना व्यापारीके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे सिक्कोंका उन उन देशोंके सिक्कोंके साथ क्या सम्बन्ध है, जिन जिन देशोंके साथ हम व्यापार करते

साख

'साख' शब्दका उच्चारण होते ही उसका मतलब ध्यानमें आ जाता है, परन्तु उसका लिखना और समझाना कठिन है। दिये हुए मालकी कीमत चुका देनेकी खातिरीको साख कहते हैं। कहे हुए वचन पालनेकी खातिरी, लिये हुए माल या रकमको पीछे लौटा देनेका भरोसा, उसमें गड़बड़ न कर देनेका एतबार, इन सबका कारण मनुष्यकी साख है। मनुष्योंको यदि इस प्रकारका विश्वास हो जाय कि अमुक मनुष्यको दिया हुआ धन या माल कभी डूब नहीं सकता, तो उस विश्वासको उत्पन्न करानेका काम ही साख कायम करना है।

साख और उसका महत्त्व

जगतमें जितने व्यापार होते हैं, उन सबका आधार साख है। साख न हो, तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारमें साख एक मुख्य चीज है और वही भारी पूँजी है। पैसे-टकेका कितना महत्त्व है, इस बातको दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। पैसा एक बड़ी भारी शक्ति है—सारे जगत्के व्यवहारका साधन है। पैसा कितनी बड़ी चीज है, इसका ज्ञान प्रायः सभीको होता है। 'बिन टका टकटकायते' 'कौड़ी बिन मनुष्य कौड़ी कामका भी नहीं' इत्यादि उक्तियाँ छोटे छोटे गाँवोंमें भी सुनाई पड़ती हैं। परन्तु साखका महत्त्व पैसेसे भी विशेष है। अकेले पैसेसे जो काम नहीं हो सकता, वह काम साखवालोंकी जबान हिलनेसे ही हो जाता है। पैसेका माप होता है, परन्तु साखका कोई माप नहीं। यदि कोई पूछे कि पैसेकी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है, तो इसका उत्तर केवल यही है कि साख बढ़ानेके लिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके पास पैसा हो, उसकी साख भी होनी ही चाहिए। पैसेवाले होनेपर भी बहुतसे लोग साखसे फारिग देखे जाते हैं। साखवाले मनुष्यको पैसेकी कमी और कभी अड़चन नहीं पड़ती। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि पैसेकी अपेक्षा साखकी कीमत अधिक है। यहाँपर हम एक

मैसे लोमको नहीं रोक सकते। यह आख्यायिका हमने बचपनमें अपनी पूज्यतम दादीकी गोदमें बैठकर सुनी थी। कहानी यों है—

कोई १००० वर्ष पहले झालरापाटनमें—जिसका कि पुराना नाम चन्द्रावती है—एक साहूकार रहते थे। उनका बैंक या उपपद था 'भैंसा'। सुनते हैं कि उन्हींके नामसे 'भैंसा-पाड़ा' मुहल्ला बसा है। वे एक बार एक बड़ा संघ लेकर गिरनारकी यात्राको निकले। उन दिनों चोर डाकुओंका बड़ा भय था। अक्सर लोग लूट लिये जाते थे। इनका भी संघ लुट गया, पास कुछ न रहा। तब उन्होंने सिद्धपुर पाटणके एक सेठके यहाँ पहुँचकर कुछ रकमकी हुँडी लिख दी। इसपर सेठने कुछ गिरवी रखनेको कहा। परन्तु इनके पास तो कुछ था नहीं, जो कुछ था, सब लूटमें चला गया था। इन्होंने तुरन्त अपनी मूँछका एक बाल उखाड़कर रख दिया। सेठजीको भरोसा हो गया। परन्तु हँसीमें उनके लड़केने कह डाला कि 'बाल तो है, परन्तु बाँका है।" भैंसा शाहने कहा कि "बाँका है, परन्तु बाँके मर्दोंका है।" पिताने लड़केको दबाया और भैंसा शाहकी हुँडी उसी दम फाड़कर कहा कि "यह घर आपका है, जितना चाहे उतना द्रव्य ले जाइए।" इस तरह एक अनजाने व्यक्तिको साखके बलपर विदेशमें रुपया मिल गया। इस रुपयेको भैंसा शाहने व्याजसहित बड़े हर्षके साथ कुछ समयमें भेजकर अपनी मूँछका बाल मँगवा लिया। जिसकी साख नहीं, उसका कुछ नहीं। भैंसा शाहकी तरह हर एकको अपनी साख रखनी चाहिए।

साखका जन्मस्थान।

साख जब इतने महत्त्वकी चीज़ है, तब यह कहाँ पैदा होती है और कैसे बढ़ती है, इत्यादि प्रश्न अपने आप खड़े हो जाते हैं। देखा जाय, तो साखके उत्पन्न होनेका स्थान नैतिक व्यवहार और सदाचरण है। साख बँध जानेके मुख्य साधन कहनेके अनुकूल चलने, लिये हुएको ठीक समयपर देनेका भरोसा जमा देने और परिस्थितिकी अनुकूलतायें हैं। घर-बार, माल मिलकियत, जान-पहचान,

स्नेह-सम्बन्ध, रसाई और शेयर वगैरहपर भी साखका आधार है। आजकल देखा जाता है कि जो लोग साखके योग्य हैं, जो सदा चारी, सत्यवादी और सक्षम हैं, उनपर तो एतबार नहीं किया जाता है और जो केवल धनवान् या व्यापारी होनेपर भी उक्त सद्गुणोंसे हीन हैं, उनपर विश्वास किया जाता है। यह बड़े आश्चर्य और दुःखकी बात है।

अव्यवस्थित साख

अँगरेजीमें जिसे Disorganised Credit System कहते हैं, उसका नाम हमारे यहाँ अव्यवस्थित साख है। साख व्यापारका प्राण है। साख सारे व्यवहारका आदि कारण है। साख न हो, तो व्यापार, व्यवहार, धन्धा, रोजगार वगैरह कुछ नहीं चल सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि साख शुद्ध रक्खी जाय—उसमें मलिनता न आने पावे। आजकल हमारे देशके प्राचीन उद्योग-धन्धे तो डूब रहे हैं और नवीन धन्धे हाथ आते नहीं हैं। नये धन्धे पैदा करना तो दूरकी बात है, हमें अपने प्राचीन उद्योगोंकी रक्षा करना ही नहीं आता। परन्तु इस बातका विचार करना आवश्यक है कि यह अनहोनी भी क्यों हो रही है। इस सारे अनर्थकी जड़ अव्यवस्थित साख है। और और देशोंमें २—३ रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याजसे रुपया देनेवाले सैकड़ों धनी हैं, पर हमारे देशमें ८—९ रुपये सैकड़ेपर भी थोड़ी बहुत रकम देनेवाले कठिनतासे मिलते हैं, सो भी दूना-तिगुना चाँदी सोनेका माल गिरो रखनेपर। ऐसी स्थिति होनेका कारण क्या है? इसका उत्तर देना कुछ कठिन नहीं है। यदि कोई इसका कारण 'पूँजीकी कमी' कहे, तो ठीक नहीं है। क्योंकि सेविंग बैंकोंमें, सरकारी प्रामिसरी नोटोंमें, म्युनिसिपालिटियोंमें, पोर्टट्रस्ट वगैरह अर्ध-सरकारी और सरकारी संस्थाओंके खातोंमें ३-३॥ रुपया सैकड़ेके ब्याजसे ५०—६० करोड़ रुपया फँसा हुआ है और इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति होनेका कारण अव्यवस्थित साखके सिवा और क्या हो सकता है?

हमारे देशके अनेक धनवानोंके व्यवहार भयंकर लुटेरों जैसे देख पड़ते हैं। वे बड़ा ही भयकर ब्याज लेते हैं, हिसाब किताबकी कुटिलता रखते हैं और कर्ज लेनेवालोंके साथ उनका गुलामोंके ऐसा व्यवहार होता है। परन्तु इसका कारण ढूँढ़ें, तो अव्यवस्थित साखके सिवा और कुछ नहीं है।

पूँजीवाले और पूँजीके अभावसे पैर घिसनेवाले आदमियोंका मेल जोल हो जानेमें अभी बहुतसी बाधायें दृष्टिगोचर होती हैं। 'क्या करें, पूँजी नहीं है' 'किसे देवें, पूँजी फँस जानेका डर है' इत्यादि एक दूसरेके विरुद्ध शिकायतें सुन पड़ती हैं। इसका कारण यही अव्यवस्थित साख है। हमारे कितने ही धन्धे अनियन्त्रित व्यापार-पद्धतिके कारण पटापट नष्ट होते हुए चले जा रहे हैं। इनके सिवा अन्य कई व्यापारिक चालकियोंके कारण भी व्यापार चौपट हो रहा है। इस राष्ट्रघातकी परिस्थितिका कारण क्या है? यही अव्यवस्थित साख। 'साख नहीं है—साख नहीं है' इस तरहकी पुकार सर्वत्र सुन पड़ती है और साखका घोर अकाल पड़ा हुआ है। जो साख है भी, सो अत्यन्त अव्यवस्थित है। इसीके कारण हम अनेक अनर्थकारी प्रायश्चित्त भोग रहे हैं और इसमें तिलभर भी सन्देह नहीं कि यदि ऐसी ही अवस्था रही, तो आगे भी भोगते ही रहेंगे।

साख अर्थशास्त्रके धन-विभागके अत्यन्त गहन और महत्त्वपूर्ण विचारका विभाग है। इस विभागमें इस बातका स्वतन्त्र और विस्तृत वर्णन होता है कि साख कैसे पैदा की जाती है कैसे बढ़ाई जाती है, उसके न होनेसे राष्ट्रको और व्यक्तिको कितने, कैसे और किस तरहके नुकसान उठाने पड़ते हैं और उसका राजकीय तथा सामाजिक स्थितिपर क्या प्रभाव पड़ता है। अँगरेजी भाषामें एक बड़ी ही कीमती पुस्तक है, जिसका नाम 'गॉसपेल ऑफ क्रेडिट' Gospel of credit—'साखकी गीता' है। इसमें साखपर अच्छी तरह विचार किया गया है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दीमें अभी तक साखके विवेचनकी कोई अलग पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई है।

सामाजिक परिस्थितिका प्रभाव

अव्यवस्थित-सास होनेके कारणोंमें हमारी सामाजिक पद्धति भी एक कारण है। हमारे व्यापारियोंमें जाति-पाँतिका खयाल बहुत देखनेमें आता है। असलमें व्यापारके कामोंमें जाति-पाँतिक सम्बन्धका विचार उठना ही न चाहिए। जाति-पाँतिका सम्बन्ध गौण है, मुख्य नहीं। व्यापारमें मुख्य दृष्टि लाभकी ओर होती है—उसमें अन्य किसी मार्गकी ओर दृष्टि आ ही नहीं सकती। सच्चे व्यापारके व्यवहारमें जाति-पाँति, धर्म-पन्थ वगैरह अपने आप दब जाते हैं। साख न जँचनेका एक कारण यह भी है कि इस देशमें मारवाड़ियोंके यहाँ मारवाड़ी, क्षत्रियोंके यहाँ क्षत्रिय, भाटियाओंके यहाँ भाटिये, पारसियोंके यहाँ पारसी, वोहरोंके यहाँ वोहरे, इस प्रकार जाति-पाँतिके विचारसे रक्खे हुए कारिंदे होते हैं। इस सामाजिक रीतिका साखपर क्या परिणाम होता है, सो किसी सूक्ष्मदर्शीसे छिपा नहीं है। किसी जाति और किसी मतमें खास तौरसे अधिक धनवान् होते हैं। इन धनवानोंसे जैसा चाहिए वैसा लाभ उस जाति या मतके मनुष्योंके सिवा और लोग नहीं उठा सकते।

अन्यान्य कारण

धनवान् लोग ज्ञानकी कदर नहीं करते। यह भी अव्यवस्थित साखका एक कारण है। हमारी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि उसमें एक नियमसा जान पड़ता है कि धनवान् लोग बहुधा ज्ञानके शत्रु होते हैं। इस देशके लिए यह कहावत पूरे तौरसे लागू होती है कि 'लक्ष्मी और सरस्वतीका सदा वैर रहता है।' सारे संसारके कवियोंके शिरोमणि महाकवि कालिदासने भी अपने सुप्रसिद्ध रघुवंश महाकाव्यमें इन्दुमतीके स्वयंवरके समय एक विशिष्ट राजाकी प्रशंसामें सुनन्दाके मुखसे कहलाया है कि—'निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्वयं श्रीश्च सरस्वती च।' अर्थात् स्वभावसे ही अलग रहनेवाली लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उस राजामें एकत्र होगई थीं। व्यापारी, ज्ञानकी कीमत समझनेवाले विद्वान् होने चाहिए। यदि वैसे न भी हों, तो साधारण रीतिसे

समके हितैषी तो होने ही चाहियें। एक बात और भी है और वह यह है कि धनवानोंका ध्यान, जितना चाहिए उतना, इस बातकी ओर नहीं होता कि वे इस ओर देखें कि अमुक व्यक्तिमें, नीतिका और सद्गुणोंका निवास है या नहीं। इसके सिवा वे नीतिकी कल्पना भी विलक्षण रीतिसे करते हैं। बहुतेरोंके विचारमें तो छापा मारनेवाले—दूसरोंके पैसे डुबानेवाले और झूठे बातूनी व्यापारी खूब कमाई कर सकते हैं। वास्तवमें यह विचार बहुत ही भयङ्कर है। ऐसे भी बहुतसे धनवान् देखनेमें आते हैं कि जो अपने मालिकके साथ लुच्चपन करनेवाले, विश्वासघात करनेवाले और खुल्लमखुल्ला अप्रामाणिक रहनेवाले पुरुषोंको भी अपने हिस्सेदार, अपने मुनीम या गुमाश्ते मुकर्रर करके खूब धड़ाकेसे धन्धा चलाते हैं। ऐसी दशाके होनेका कारण व्यवस्थित साखका न होना ही है।

उपाय

अब यह विचार करना आवश्यक है कि इस अव्यवस्थित साखको व्यवस्थित करनेका भी कोई उपाय है या नहीं। इस प्रश्नके उत्तरमें सबसे पहले जो बात सूझ पड़ती है वह यह है कि उधारका व्यापार सबसे पहले बन्द किया जाय। दूसरा उपाय यह है कि सम्भूय-समुत्थानकी—हिस्सेदारीकी—पद्धतिसे व्यापार चलाया जाय और इसमें सरकारी सहायता भी रहे। इसके सिवा धनवानोंमें ज्ञान और नीतिका पूरा पूरा प्रचार भी किया जाना चाहिए। इतना हो जानेपर हमारा विश्वास है कि अव्यवस्थित साख नहींके बराबर हो जायगी और व्यवस्थित साख फैल जायगी।

साहूकारी दूकानें या बैंक

जैसे घी, गुड़, अन्न, वस्त्र आदिका व्यापार होता है, वैसे ही सिक्केका—नक्द रुपयेका भी व्यापार होता है। नक्द रुपयेका व्यापार करनेवाली दूकानको महाजनी दूकान—या साहूकारी दूकान कहते हैं। अँगरेजीमें इसे बैंक कहते हैं। नक्द रुपयेके

व्यापारी, सेठ, महाजन, बैंकर आदि बहुमानसूचक नामोंसे विभूषित किये जाते हैं।

व्यापारका शिखर, सारे धन्धोंका सरताज, महाजनी धंधा है। व्यापारकी ऊँचीसे ऊँची सीढ़ी महाजनी-बैंक है। इससे अच्छा, इससे महत्त्ववाला, इससे व्यापक, इससे कठिन और इससे विशेष सम्मानवाला दूसरा कोई धन्धा, कोई रोजगार और कोई व्यापार नहीं है। जब साख, नक्द रुपया और व्यापारका पूरा पूरा ज्ञान हो, तभी महाजनी या बैंकिंग अच्छी तरह चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। बाजारमें 'बीस बिसवा' साख हो, तभी महाजनी रोजगार चल सकता है। इसके सिवा साहूकारी धन्धा करनेवालोंको सब प्रकारके धन्धे-रोजगारोंकी पूरी-पूरी वाकफियत (जानकारी) होनी चाहिए। इस जानकारीके बिना यह नहीं मालूम हो सकता है कि किस धन्धेमें कितना लाभ है और कब और कितना रुपया लगाया जा सकता है। अतएव बैंकके मैनेजर और एजेंटको—महाजनी दूकानके सेठ, मुनीम और गुमाश्तोंको—सभी काम धन्धोंकी पूरी पूरी वाकफियत रहनी चाहिए।

जैसे शरीरमें हृदयका स्थान मुख्य है, वैसे ही व्यापार-धन्धेमें महाजनी दूकान मुख्य है। महाजनी दूकान या बैंक चलानेवालोंका इन बातोंके सबसे जानकी बड़ी ही आवश्यकता है कि किसकी साख कितनी और कैसी है, द्रव्यशक्ति कितनी है और कौन किस लियाकतका है—इत्यादि। इस ज्ञानके बिना नक्द रुपयेका लेन देन हो ही नहीं सकता। इसके सिवा यह भी जानना चाहिए कि किसकी सम्पत्ति कितनी और किस प्रकारकी है। सिक्केकी ज्यादती कब होगी और कमी कब—समझ कब बढ़ेगा और घटेगा कब, इत्यादि। सिक्के-सम्बन्धी सारा ज्ञान भी महाजनी धंधा करनेवालेको होना चाहिए। बैंकरमें ऐसी कला होनी चाहिए कि अपनी साखपर लोगोंसे बातकी-बातमें पैसा इकट्ठा करके अपने बैंकमें जमा कर ले। सारे रोजगारोंका जीवन, सारे व्यापारोंका आधार इसी महाजनीपर है। महाजनीका काम है कि वे हर रोज व्यापारोंकी नाड़ी देखकर उनकी चिकित्सा करें। जिनका

निश्चितकर पौष्टिक औषधि और पथ्यकी व्यवस्था करें। इसी कामके लिए महाजनी-बैंकिंगकी उत्पत्ति हुई है। हमारे देशमें महाजनीका व्यापार बहुत प्राचीन समयसे चला आता है—अब भी चल रहा है। परन्तु बैंक थोड़े ही समयसे चले हैं। बैंकोंकी अभी बाल्यावस्था है, अंगरेजी राज्य होनेके बाद इनकी सृष्टि हुई है।* उपयोगी समझकर यहाँ हम 'देशी व्यापारी मंडल' की दूसरी जिल्दके पृष्ठ ३९५–९६ का अभिप्राय उद्धृत करते हैं।

"सच पूछो तो बैंकर क्रेडिटका या साखका व्यापारी है। यह दुनियाके पाससे अपनी साखके बलसे थोड़े ब्याजपर द्रव्य उधार लेता है और लोगोंको अधिक ब्याजपर देता है। वह लोगोंको इतने ब्याजपर उधार देता है कि उसमेंसे मेहनत, मकानका किराया वगैरह निकालकर स्वयं कुछ लाभ उठा सके। बैंकरका ध्यान खासकर दो बातोंपर अवश्य होना चाहिए। एक तो डिपाजिट रकमको सही-सलामत रखना और दूसरे शेअर-होल्डरोंको काफी मुनाफा पहुँचाना। इस कामके लिए उसे विचार रखना चाहिए कि कुछ रुपया ऐसे निर्भय स्थानोंमें रक्खा जाये कि जहाँसे तुरन्त प्राप्त हो सके। जैसे गवर्नमेंट सिक्युरिटी, डिसकाउंटस लोन वगैरह। बैंककी सफलताके लिए मूल आवश्यक बात यही है कि मूलधन बहुत ज्यादा होना चाहिए। इतना ज्यादा कि प्रजाका उसपर विश्वास जम जाय और बहुतसा रुपया जमा हो सके। बैंकका एक अत्यन्त आवश्यक कार्य यह है कि वह लोगोंका खूब रुपया जमा करे। इस समयमें औद्योगिक हलचल और साहसिक व्यापार इतने ऊँचे पायपर किये जाते हैं कि खानगी दूकानदार और थोड़ी पूँजीके बैंकोंको सफलता मिलनेका बहुत ही कम मौका मिलता है। इंग्लैंडमें बहुतसे बैंक हैं—इसका भी यही कारण है।"

बहुतसे लोग आश्चर्य करते हैं कि एक बैंक जब २०) रुपये सैकड़ा ब्याज दे सकता है, तब दूसरा १५) रुपये सैकड़ा भी नहीं

* इस विषयका विशेष ज्ञान संपादन करनेके लिए पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदीके बनाये हुए सम्पत्तिशास्त्रका 'बैंकिंग' नामक प्रकरण पढ़ना चाहिए।

दे सकता, इसका कारण क्या है? इसका कारण बैंकके मूलधन और जमा हुई रकमकी कमी-बेशी है। कल्पना कीजिए कि भवानीगंजमें एक बैंक खोला गया। उसका मूलधन है ४ करोड़ और जमा हुआ रुपया है तीस करोड़। इसी तरह दूसरा बैंक श्यामपुरमें है, जिसका मूलधन आठ करोड़ और जमा तीस करोड़ रुपया है। ऐसी सूरतमें पहला बैंक दूसरे बैंकसे दूना ब्याज दे सकेगा।

२३ अक्टूबर १९०० के 'इकनामिस्टसे' जाना जाता है कि ग्रेटब्रिटनके ज्वाइन्ट स्टाक बैंकोंमें ९५ करोड़ ७० लाख पौंड जमा हुई रकममें थे*। पहले दस सालमें इस रकममें १७ करोड़ पौंडकी रकम ज्यादा जमा हुई थी। देशके व्यापारकी वृद्धिके लिए इतना धन प्रजाकी ओरसे दिया गया। यदि इस रुपयेसे बैंककी सहायता न की जाती, तो यह रुपया व्यर्थ पड़ा रहता। बैंक अपनी शाखाओंके द्वारा देशके कोने कोनेसे रुपया इकट्ठा करता है और उद्योग धंधोंमें लगाता है।

इतनी बड़ी रकम जो देशके उद्योग-धंधोंको सहायता देनेमें लगाई जा सकी, इसका सारा श्रेय बैंकको ही है। अमुक मूलधन बारबार उद्योग-धंधोंकी वृद्धिके लिए लगाया जाता है, यह भी बैंकका ही मुफल है। संक्षेपमें कहा जाय, तो बैंकोंके द्वारा सोनेके सिक्केकी भाँति एक सिक्का और निकला है और साखके आधारपर उसका चलन हो गया है। इसीसे व्यापारी जगत्में बैंकोंके मैनेजरका पद बड़े ही महत्त्वका समझा जाता है। उसका प्रभाव बहुतसे व्यापारों और उद्योग-धंधोंपर पड़ता है। कई बार तो प्रजाके बहुत बड़े विभागकी भलाईका आधार बैंकके मैनेजरोंपर होता है। बैंकका मैनेजर एक अच्छा व्यापारी ही नहीं, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। पैसेके लेन-देनका जो काम उसके हाथमें है, वह बड़ी ही सावधानीसे किया जाना चाहिए। नुकसान न होने देकर फायदा ही फायदा उठानेके लिए बड़े ही अनुभव, अध्यवसाय और निपुणताकी आवश्यकता है। मैनेजरमें ये सब गुण होने चाहिए।

बैंकके धंधेके विषयमें सर फिलीप्स हुस्टरने नीचे लिखी हुई

* नये अंक नहीं मिल सके।

बात कही है—"उत्तम और निपुण बैंकिंगपर हमारे सारे संसारमें फैले हुए व्यापारका आधार है। इतना ही नहीं, यह प्रजाके विश्वासका भी मूल आधार है। बैंकरको एक ही धंधा न जानना चाहिए, किन्तु देशके सारे काम-धंधोंका अनुभव होना चाहिए। इतना ही क्यों, उसे देश विदेशके सारे व्यापारी आन्दोलनोंसे वाकफियत, राजकीय विषयोंका ज्ञान, नये नये आविष्कारोंकी खबर और कानूनका ज्ञान होना चाहिए। नये कानूनोंका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी उसके लक्ष्यसे बाहर न होना चाहिए। इसके सिवा संसारकी हलचल तथा मनुष्य-स्वभावकी बारीकियोंका जाननेमें भी उसे कुशल होना चाहिए।"

महाजनी या बैंकिंगमें हुंडी-पुरजेका खास तौरपर काम पड़ता है। व्यापारियोंको एक जगहसे दूसरी जगहपर सुरक्षित रीतिसे सिक्का या नोट भेजनेका काम पड़ता है। इस व्यवहारमें सुगमता होनेके लिए हुंडी-पुरजेकी आवश्यकता होती है। उदाहरणके तौर पर देखिए कि इन्दौरके व्यापारियोंने बम्बईसे और बम्बईके व्यापारियोंने इन्दौरसे पाँच लाखका माल खरीदा। इन्दौरवालोंको बम्बईमें रुपये देने हैं और बम्बईवालोंको इन्दौरमें। ऐसी सूरतमें कोई किसीको नकद रुपया न भेजेगा। बम्बईके व्यापारी बम्बईमें बिनोदीराम बालचन्दजीके यहाँ रुपया जमा कराके इन्दौरकी हुंडी करायेंगे और उस हुंडीके द्वारा इन्दौरकी बिनोदीराम बाल चन्दजीकी दूकानसे मालवालोंको दाम मिल जायेंगे। इसी तरह इन्दौरके व्यापारी नकद रुपया बम्बई न भेजकर इन्दौरके सेठ स्वरूपचन्द हुकुमचन्दकी हुंडीके द्वारा बम्बईके मालदारोंका दाम चुकाया देंगे। इस तरह जो कोई साहूकारीका धंधा करता है, जिसकी जगह जगह दूकानें हैं, उसकी हुंडियोंके द्वारा देन-लेनकी भुगतान की जा सकती है। ऐसे हुंडी-पुरजोंको अँगरेजीमें 'चेक' या 'ड्राफ्ट' कहते हैं। जिस पत्र या चिट्ठीके द्वारा रुपया मिलता है, उसे हुंडी कहते हैं।

हुंडी दो प्रकारकी होती है—एक नाम जोग और दूसरी शाह-जोग। नाम जोग हुंडीके रुपये उसे ही मिलते हैं, जिसका

नाम उसमें लिखा होता है। हुंडी लिखनेवाला जिसपर हुंडी लिखता है, उसके नाम एक पत्र भरोसावाला भी भेजता है। उस पत्रमें जिसके नामकी हुंडी सकारनी होती है—जिसे हुंडीके रुपये देनेकी लिखी होती है, उसकी निशानी वगैरह लिखी होती है। उसे देखकर, उस मनुष्यकी पहचानकर हुंडी सकारनेवाला उसे रुपया दे देता है। इस तरहकी हुंडी अब इस तरह सकारी जाने लगी है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिकी साक्षीसे यह निश्चय कर लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति वही है, जिसके नामसे हुंडी सकारनेको लिखा है। दूसरी शाहजोग हुंडी है—इसके रुपये किसी प्रतिष्ठित मनुष्यकी साक्षीसे मिल जाते हैं। शाह-जोग हुंडी बाजार भावसे बेच दी जा सकती है, फिर वह कहींकी भी हो और किसीके भी नामकी हो। इससे व्यापारी कारोबारमें बड़ा सुभीता पड़ता है।

हुंडीके रुपये किस समय दिये जावें, इसका लेख हुंडीमें ही लिखा हुआ होता है। इस विचारसे हुंडी दो प्रकारकी होती है—एक दर्शनी और दूसरी मुद्दती। दर्शनी हुंडीमें लिखा होता है कि हुंडी देखते ही उसी दिन रुपये देना और मुद्दतीमें कार्तिक सुदी १५ से रोज २१, इत्यादि रूपसे ४-६-८-१५-३० दिन आदिकी मुद्दत लिखी हुई होती है।

हुंडी एक महत्वका दस्तावेज होनेसे उसके लिखनेमें बड़ी सावधानी रक्खी जाती है। रुपयेका केवल अंक ही लिखा हो, तो वह आसानीसे पलटा जा सकता है, अतएव सारे आवश्यक कागजोंमें अंकोंसे लिखकर अक्षरोंमें भी रुपये लिखे जाते हैं। हुंडीमें उस रकमकी आधी संख्या लिखकर उसके दूने पूरे रुपये लिखनेकी रीति है। इसके सिवा हुंडीके अन्तमें या उसकी पीठपर दोहरी लकीरोंका चौखूटा कोष्टक बनाकर उसमें रकमका अंक और उसकी बगलमें अक्षरोंसे 'इतनेके दूने पूरे रुपये इतने' लिखनेकी भी परिपाटी है। कहींपर 'इतनेके चौगुने पूरे रुपये इतने' लिखनेकी भी रीति है। नाम जोग हुंडीमें जिसके रुपये रक्खे हों उसका, और जिसे रुपये लिखवाने हों उसका भी, नाम लिखा जाता है

और शाह-जोग हुंडीमें 'शाह-जोग' या 'शाह व्यापारी जोग' लिखा जाता है। हुंडीके रुपये और कोई न ले जा सके, रुपयेकी जोखिम माथे न आ पड़े, इसलिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिकी जामिन लेकर कि यह वही व्यक्ति है, हुंडीके रुपये सकारे जाते हैं। इसी हेतुसे हुंडीमें लिखा जाता है कि 'नाम धामकी चौकसी करके रुपया देना।' अमुक हुंडी लिखी गई है, इस बातका विश्वास होनेके लिए जिसपर हुंडी लिखी होती है, उसे हुंडी लिखनेवाला पत्र भेजता है।

जिस पत्रमें 'नाम-जोग' हुंडी लिखी हो, उसमें रुपये लेनेवालेके निशान आदि लिखे होते हैं और 'शाह-जोग' हो, तो किसकी औरकी, आदि लिखा जाता है। हुंडीमें इस बातका उल्लेख करनेके लिए, 'निशानी पत्रमें लिखेंगे' आदि लिखा जाता है। गुमाश्तेकी हुंडी लिखी होती है, तो अन्तमें उसके हस्ताक्षर रहते हैं और सेठ हुंडीके सिरेपर या बगलमें अपनी सही कर लिखते हैं कि 'इस हुंडीको सकार कर रुपये देना।' इससे हुंडी सकारनेवालेकी खातरी हो जाती है।

हुंडी खो जाय, या फट-फटा जाय, तो उसके रुपये मिलनेके लिए हुंडी लिख देनेवाला धनी 'पैंठ' लिख देता है, पैंठके खराब होनेपर 'पर-पैंठ' और पर-पैंठके गुम हो जानेपर 'चिट्ठी'। प्रत्ये कमें पिछले लेखोंका उल्लेख रहता है कि अच्छी तरह चौकसी-खातिरी कर रुपये देना। इसका मतलब यह होता है कि कहीं कोई एकसे ज्यादा बार रुपया न ले जाय। सकोच या प्रेमके कारण कोई कोई अपने अढ़तियाको यह भी लिख देते हैं कि अमुक व्यक्तिको अमुक रकम तक हुंडियावन लिए बिना रुपये देना। इस तरहके लेखको सिफारिश कहते हैं।

हुंडीके व्यवहारमें आनेवाले कितने ही पारिभाषिक शब्दोंका यहाँपर खुलासा करना आवश्यक है।

दिखाई—जिसपर हुंडी की गई हो, उसे हुंडी दिखलाना—उसे रुपए देनेकी सूचना करना 'दिखाई' है।

हुंडियावन—हुंडी देने या लेनेके महसूतानेको हुंडियावन या हुंडावन कहते हैं। हुंडियावनके भावका आधार बाजारमें सिक्केकी

कमी-बेशीपर है। बाजारमें रुपयेकी अधिकता हो, तो हुंडीका भाव तेज होता है और कमी हो तो मन्दा। ९९॥।=)॥ में भी १००) की हुंडी मिले तो मन्दी कही जाती है और १००) से १०१) तक १००) की हुंडी मिले, तो तेजी। यदि १००) में १००) की हुंडी मिले तो बराबरीका भाव कहा जायगा। नोट लेने और उन्हें बीमा कराकर भेजनेका खर्च या मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजनेका खर्च एक रुपया सैकड़े तक होता है और इस तरह रुपया भेजनेमें सुभीता भी है। अतएव हुंडियावनका खर्च रुपया सैकड़े तक हो सकता है, विशेष नहीं। इस हुंडियावनके भावकी मन्दी तेजी और बराबरीको अँगरेजीमें *डिस्काउंट, प्रीमियम और पार कहते हैं।*

सकारना—यह शब्द स्वीकरणसे निकला है। इसका मतलब यह है कि जिसपर यह हुंडी हुई है, उसने उसे मान्य कर लिया और उसके रुपये दे दिये।

कच्ची रहना—जबतक हुंडी सकारनेकी मुद्दत पूरी नहीं होती, तबतक उसे कच्ची हुंडी कहते हैं।

पकना—रुपये देनेकी मुद्दत पूरी हो जानेपर कहा जाता है कि हुंडी पक गई।

खड़ी रहना—हुंडी दिखाने पर किसी कारणसे जब वह सकारी नहीं जाती तो उसके लिए कहा जाता है 'हुंडी खड़ी है।' हुंडी खड़ी होती है, उस समय सिकारनेकी 'नाहीं' नहीं की जाती, 'जवाब नहीं आया है'—'खुलासा आनेसे सकारेंगे,' इत्यादि बातें कही जाती हैं। बम्बईमें इस तरह खड़ी हुंडी तीन दिन तक रक्खी जा सकती है। इससे ज्यादा खड़ी रक्खी जावे, तो बाजारकी दरसे हुंडी सकारनेवालेको उतने दिनका ब्याज देना पड़ता है। बैंकोंके चैक, ड्राफ्ट वगैरह इस तरह खड़े नहीं रह सकते, दिखाते ही उनके रुपये देने पड़ते हैं।

रखनेवाला—जिसके पाससे रुपया जमा कर हुंडी लिखी गई हो, उस धनीको रखनेवाला कहते हैं।

खोखा—सकार कर भरपाई किये हुए हुंडीके कागजको खोखा कहते हैं।

नकरामन-सकरामन—जिस आसामीपर हुंडी लिखी गइ है, यदि वह आसामी हुंडीको न सकारे और वापस लौटा दे, तो उस हुंडीके लिखनेवाले आसामीको व्याजसहित उस हुंडीके रुपये पहुँचाने पड़ते हैं। इन रुपयोंके पहुँचानेमें उस जो खर्च देना पड़ता है, उसीका नाम 'नकरामन-सिकरामन' या यों कहिए हुंडी पीछी फेरनेका दण्ड है। नकरामन-सिकरामनका खर्च एक रुपया सैकड़ेसे सात रुपया सैकड़े तक होता है। इसका सर्वत्र समान नियम नहीं होता, भिन्न भिन्न स्थानोंपर अलग अलग होता है।

नामा—वही खाता

अपने आय-व्यय—जमाखर्चके हिसावको लिखा हुआ रखना 'नामा' कहलाता है। हमने किसको, कितनी रकम, कब और क्यों दी; हम कब, किसके यहाँसे, कितनी रकम क्यों लाये, इस बातकी यादवादत रखनेके लिए व्यापारीको लिख रखना पड़ता है। इस लिख रखनेकी पद्धतिको ही 'नामा' कहते हैं। हमारी आमदनी कितनी है, खर्च कितना है और हमारे पास पूँजी कितनी है, या यों कहिए कि आया क्या, उठा क्या और रोकड़ बाकी कितनी है, इस बातके ज्ञानका साधन नामा है। व्यापारमें नामा अर्थात् जमा-खर्चका हिसाब रखना बहुत आवश्यक और उपयोगी है। जिस व्यापारीका नामा ठीक नहीं है, उसके व्यापार व्यवहारमें गड़बड़ अवश्य ही होगी। व्यापारमें जो व्यापारी नुकसान उठाते हैं, उनमें सौमेंसे अस्सी ऐसे होते हैं कि जिनका नामा अपूर्ण और गड़बड़ होता है। जिसका नामा साफ नहीं होता, उसके व्यापारमें घोटाला ही होता है। जो नामेका साफ और स्वच्छ नहीं रख सकता, उसे व्यापार करनेकी तमीज नहीं है। जो हिसाब-किताब रखना नहीं जानता, उसमें व्यापार करनेक 'इस्थन' ही नहीं। नामेकी पूरी पूरी जानकारी विना व्यापारका आरम्भ ही करना ठीक नहीं है। इतना लिखकर भी हम नामेके उस महत्त्वको अच्छी तरह नहीं बतला सके, जो वास्तवमें है।

नामा एक स्वतन्त्र शास्त्र है। नामेकी उत्तम जानकारी एक विद्या है और प्रत्येक व्यवसायीको उसकी आवश्यकता है। इसके बिना किसीका व्यापार-व्यवसाय चल नहीं सकता। नामेके लिए जो बहियें रखनी पड़ती हैं, उनमें नित्य-बही और खाता मुख्य हैं। अपने यहाँ आई हुई अर्थात् जमा की हुई रकम धनीके नामसे बाईं ओर जमा की जाती है। इसी तरह दी हुई रकम दाहिनी ओर लिखी जाती है। प्रति दिनका नगद या उधारसे किया हुआ लेन-देन नित्य-बहीमें लिखा जाता है। सायंकालको जब लेन-देन बन्द कर दिया जाता है, तब जमा-खर्चका जोड़ लगा और रोकड़ बाकी निकालकर मिती बन्द कर दी जाती है। चतुर व्यापारी प्रतिदिन रोकड़ (बचत) मिलाये बिना नहीं रहता।

नित्य-बहीकी रकम नाम-वार और जिनस-वार एक ही जगह मिल जाये, इसके लिए एक दूसरी बही रक्खी जाती है। इसमें धनी-वार खाते होते हैं। इसमें नित्य-रोकड़-बहीका पन्ना नम्बर और मिती लिखकर धनीवार लेन-देनकी विगत एक ही जगह लिखी रहती है। इसे खाता कहते हैं। जमा-खर्चका मुख्य कायदा नित्य-बही—रोकड़ है और उसका वर्गीकरण (इकट्ठा किया हुआ) तथा वर्गीकरणकी अनुक्रमणिका खाता-बही है। खाता-बहीके देखनेसे तुरन्त इस बातका पता लगाया जा सकता है कि सारा लेन-देन कितना है और हानि-लाभ क्या है, इत्यादि। चतुर व्यापारी जैसे रोज रोकड़ मिला लेते हैं, वैसे ही प्रतिवर्ष अपने हानि-लाभका भी हिसाब कर लिया करते हैं। बरसोंतक हिसाब किताब न देखनेवाले व्यापारीको अन्तमें दिवाला निकालने या दूकान बन्द करनेके लिए लाचार होना पड़ता है।

नित्य-बही और खातेके सिवा बड़े बड़े व्यापारियोंके यहाँ, नकल-बही, नोंध-बही, अङ्क-बही, ब्याज-बही आदि अनेक बहियाँ होती हैं। परन्तु ये सब इन दो मुख्य बहियोंके ही अङ्ग हैं। इस बातका विशेष विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ संक्षेपमें इतना ही कहना है कि व्यापार करनेवालोंको नामेके ज्ञानकी,

उसकी पद्धतिकी और उससे होनेवाले परिणामकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। नामा एक स्वतन्त्र शास्त्र है और इसका स्वतन्त्र रीतिसे अभ्यास करना चाहिए। इस शास्त्रके सिखानेका सरल और सीधा एक ही मार्ग है कि नामा स्वयं लिखे।

ग्राहक और खरीददार

पाठशालामें जैसे अध्यापकके लिए विद्यार्थी होते हैं, रणभूमिमें सेनापतिके लिए जैसे सिपाही होते हैं और साम्राज्यमें चक्रवर्तीके लिए जैसे प्रजाजन होते हैं, वैसे ही व्यापारमें व्यापारीके लिए ग्राहक होते हैं। व्यापारी स्वयं भी एक प्रकारका ग्राहक होता है, और उसे ग्राहकोंकी भी आवश्यकता होती है। पहले हम बतला चुके हैं कि सस्तीमें खरीदना और मँहगीमें बेचना व्यापारीका काम है। व्यापारीको जैसे खरीदनेकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही बेचनेकी भी। जो सास एक समय बहू रहती है, वही फिर सास बन जाती है। सांसारिक व्यवहारका यह नियम व्यापारीके लिए भी लागू होता है। सामान्य रीतिसे माल खरीदनेवालेको ग्राहक कहते हैं, परन्तु यहाँपर हम ग्राहक शब्दका कुछ विश्लेषण किया चाहते हैं। ग्राहक वह है, जो अपने उपयोगके लिए माल खरीदे और व्यवसायी वह है जो अपने उपयोगके लिए नहीं, बेचकर लाभ उठानेके लिए माल खरीदे।

ग्राहक-व्यवसायी और दूकानदार आढ़तियोंका परस्परमें बहुत निकटका सम्बन्ध है। पहले ग्राहक बाँधना और फिर उन्हें कायम रखना व्यापारका मुख्य काम है। इस कामके लिए आपसमें विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। विश्वास बँधनेका सम्पूर्ण आधार परस्परके बर्ताव और शुद्ध व्यवहारपर निर्भर है। व्यापारीको चाहिए कि वह ग्राहकोंके साथ अपना व्यवहार सदा विश्वासपूर्ण रक्खे। नामा साफ और शुद्ध रक्खे। दूकानदार या आढ़तियेके लिए इतना ही काफी नहीं है कि वह नामेको ही ठीक रक्खे,

किन्तु, उसके लिए यह भी अवश्य है कि वह व्यवसायीका धर्म्मसे अच्छा माल सस्ते भावसे खरीद देनेकी सावधानी रक्खे। ग्राहकको किसी तरहका नुकसान न होने पावे, इस बातकी खबरदारी रखना एक आवश्यक कर्त्तव्य है। नामा ठीक रखना, ग्राहकको सस्ता और अच्छा माल मिले, उसे हानि न हो और लाभ रहे, इत्यादि बातोंकी व्यवस्था रखना और इसी तरहकी इच्छा रखना व्यापारीका काम है। व्यापारीको सफाई, नियमितता, स्वच्छ व्यवहार, स्पष्टवादिता और सरलता आदिपर खास तौरसे ध्यान रखना चाहिए।

व्यापारमें आढ़तके धन्धेके सिवा एक दलालीका धन्धा भी है। खरीदनेवाले और बेचनेवालोंके सौदेको करा देनेवाला दलाल कहलाता है। आढ़त भी एक प्रकारकी दलाली है, परन्तु है यह दलालीकी अपेक्षा मानपूर्ण। आढ़तके धन्धेवालोंको दूकान भी रखनी पड़ती है और कामके प्रमाणमें पूँजी रोकनी पड़ती है। दलालीमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दलाल बिना पूँजीके चल-फिरकर अपना धन्धा करता है। आढ़तका धन्धा मुनीम गुमाश्ता आदि रखकर भी चलाया जाता है। परन्तु दलाल तो स्वयं गुमाश्ता और स्वयं ही सेठ होता है। आढ़तमें और दलालीमें यही भेद है।

व्यापारीका काम हम ऊपर बता चुके हैं कि वह सब तरहसे ग्राहकका विश्वासपात्र बना रहे। इस कामके लिए ऐसे नियम जो साधारणतः सबको लागू हों—बतलाना कठिन है और बतलाने भी बैठें, तो वे पूरे न होंगे। एक ग्राहक होकर कितने समय तक वह कायम रहता है, इसीपर दूकानदारकी कीमत होती है—इसीपर उसकी उत्तमता, उसकी सच्चाई जानी जाती है। एक समय बँधी हुई ग्राहकी कायम बनी रहे, इसीमें दूकानदार और ग्राहक दोनोंकी भलाई तथा शोभा है। जैसे नौकरोंके स्थिर न रहनेमें मालिकका और घरके मजबूत न बैठनेमें कारीगरका दोष समझा जाता है, वैसे ही ग्राहकके कायम न रहनेमें दूकानदार या आढ़तियोंका दोष [illegible] जाता है। क्योंकि यह नियम [illegible] व्यवसायी, कोई

ग्राहक अपने पुराने ठिकानेको छोड़कर उस समयतक दूसरे आढ़तिये या दूकानदारके यहाँ नहीं जाता, जबतक उसके लाभमें हानि नहीं पहुँचती। अतएव दूकानदार या आढ़तियेको सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पुराने ग्राहकोंको न टूटन दे। दूकानदार या आढ़तियेकी इज्जत इसीमें है कि उसके यहाँ पुरानेसे पुराने ग्राहकोंका लेन-देन बना रहे। इतना ही नहीं, वरन् उसमें वृद्धि भी होती जावे। ऐसा ही व्यवहार व्यवसायी और ग्राहकका होना चाहिए। गरज यह है कि व्यापारके छोटे-बड़े सभी धन्धोंमें इस नियमका पालन होना चाहिए।

विज्ञापन

व्यापारकी जितनी प्रसिद्धि होगी उतना ही उसे लाभ होगा। हमारे यहाँ अमुक अमुक माल मिलता है और हमारी दूकान अमुक स्थानपर है, आदि बातोंकी जितनी अधिक प्रसिद्धि होगी, उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रसिद्धिपर ही ग्राहकोंकी बढ़ती और मालकी खपत होती है। इस बातमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है कि व्यापारकी जितनी अधिक प्रसिद्धि की जावेगी, उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रसिद्धि करना व्यापारमें पहला और आवश्यक काम है। व्यापारीको इस बातका ज्ञान होना चाहिए कि वह अपनी प्रसिद्धिकी अच्छीसे अच्छी तरकीबें सोचकर काममें ला सके। सुखसंचारक कम्पनी मथुराका बना सुधासिन्धु, डा० एस० के० बर्मनका अर्क कपूर, बॉगरेका बालामृत, ठाकुरदत्त शर्मा लाहोरकी अमृतधारा, मणिग्राउर गोविन्दजीकी आतङ्कनिग्रह गोलियाँ और इसी तरह अन्यान्य व्यापारियोंकी खूब बिक्री होनेका कारण क्या है? यही कि उन्होंने विज्ञापनोंकी धूम मचा रक्खी है—अपनी प्रसिद्धि खूब की है। अपनी, अपने मालकी और अपनी दूकानकी योग्य प्रसिद्धि करना एक प्रकारकी कला है। अपनी ओर लोगोंके चित्तका आकर्षण करना, उन्हें अपना ग्राहक बनाना और उनपर

अपनी साख बिठलाना य तीनों काम विज्ञापनोंके द्वारा सिद्ध करने पड़ते हैं। इसलिए व्यापारीको विज्ञापन-कलाका ज्ञान होना चाहिए। जो व्यापारी प्रसिद्ध न हुआ हो, जिस व्यापारीके मालकी बहुतेर मनुष्योंको खबर न हो और जिस व्यापारीकी दूकानके पतेकी भी खबर न हो, उस व्यापारीको विशेष लाभ नहीं हो सकता। इस वास्ते समझदार व्यापारीका ध्यान सबसे पहले इस बातकी ओर झुकता है कि वह अपने माल और दूकानको खूब प्रसिद्धिमें लाय। विज्ञापन व्यापारमें मुख्य नहीं, परन्तु प्रथम कर्तव्य अवश्य है। माकूल, उद्योग और व्यापार-धन्धेके प्रारम्भ करनेके साथ ही उसे प्रसिद्ध करनेकी आवश्यकता है। दूकान खोल दी, माल भर लिया, नौकर-चाकर, मुनीम-गुमाश्ते सब रख लिये परन्तु जबतक लोगोंमें प्रसिद्धि न होगी, तबतक ग्राहक आवेंगे किस तरह? अतएव व्यापारीको प्रसिद्धिके लिए तन-मन धनसे प्रयत्नशील रहना चाहिए।

अपने नामकी, दूकानकी और मालकी प्रसिद्धि करनेकी रीतियाँ अलग अलग देशोंमें अलग अलग हैं। दूकान खोलते समय पान सुपारीके लिए बड़े बड़े आदमियोंको बुलानेकी रीति हम लोगोंमें प्रचलित है। पश्चिमीय लोगोंके संसर्गसे अब यह रीति भी चल पड़ी है कि किसी प्रसिद्ध पुरुषके हाथसे कल-कारखाने, दूकानें आदि खुलवाई जाती हैं और इस उत्सवके प्रसङ्गमें बहुतसे मनुष्य निमन्त्रित किये जाते हैं। यह परिपाटी यद्यपि धूमधामवाली है, परन्तु व्यापारकी प्रसिद्धिके लिए है बड़े ही महत्वकी। क्योंकि ऐसे उत्सवोंमें व्याख्यान आदि होते हैं और उनसे व्यापारकी चर्चा और दूकानकी प्रसिद्धि हो जाती है। हमारे व्यापारी अपनी जान पहचानवालोंको चिट्ठी-पत्री भेजकर दूकानदारीकी खबर देते हैं और यूरोपमें इससे कुछ विशेष भी किया जाता है। पढ़नेवालोंका ध्यान आकृष्ट हो, इसलिए समाचारपत्रोंमें विज्ञापन देते हैं और कार्ड-पत्र या हैंड-बिल बाँटते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ भी इन रीतियोंका प्रचार हो चला है। परन्तु पश्चिमकी तुलनामें यह न-कुछके बराबर है। जब हम पियर्स सोप

आदि पश्चिमीय विज्ञापनोंकी व्यापकता और अपने यहाँके विज्ञापनोंकी अल्पताका विचार करते हैं, तब उक्त बात ही कहनी पड़ती है। हमारे व्यापारी अभी तक पोस्ट, प्रेस और समाचार पत्रोंसे जैसा चाहिए वैसा लाभ नहीं उठा सके हैं। कई लोगोंका विचार यह भी है कि इस तरह प्रसिद्धि पानेकी अपेक्षा स्वाभाविक रीतिसे प्रसिद्ध होना ठीक है। सारे संसारके साथ व्यापार करनेका सुभीता होनेपर भी हमारे व्यापारी इस प्रसिद्धिके कार्यमें शिथिल रहें, यह बात इस समयमें आश्चर्यसे खाली नहीं हो सकती। जगतके सारे व्यापारियोंमें यूरोपियन व्यापारी बहुत बड़े चढ़े हैं और उनकी व्यापार-पद्धति भी बहुतसे अंशोंमें पूर्णताको पहुँच गई है। उनकी व्यापार-पद्धतिका हमें अनुकरण करना चाहिए। हमारे देशी व्यापारियोंको सम्भव है इस बातका विश्वास भी न हो कि यूरोपका एक एक व्यापारी केवल विज्ञापन-बाजीमें ही करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देता है। लाख लाख रुपया प्रतिवर्ष विज्ञापन देनेमें खर्च करनेवाले तो वहाँ सैकड़ों हैं। अमेरिकाके सारे व्यापारी सालभरमें आठ नौ करोड़ रुपये विज्ञापनोंमें खर्च करते हैं!

समाचारपत्रोंमें विज्ञापन देना तो अब सीधा मार्ग समझा जाने लगा है। अँगरेज व्यापारी अँगरेजी पत्रोंमें सदाके लिए विज्ञापन देते हैं। व्यापारियोंके विज्ञापनोंके आधार पर ही बड़े बड़े दैनिक पत्र चलते हैं। विज्ञापन देनेसे व्यापारीको प्रसिद्धिका लाभ तो होता ही है, परन्तु उसके साथ ही लोकमतको उच्च करने और विद्या-प्रसार करनेका भी कुछ अंशोंमें पुण्य हुए बिना नहीं रहता। हमारे देशके समाचारपत्रोंकी अभी बाल्यावस्था है। उन्हें सहायता देना और उनके द्वारा लाभ उठाना व्यापारियोंका काम है। कितने ही पुराने और पुरानेपनके ही कारण अपनेको उत्तम समझनेवाले व्यापारी प्रसिद्धिकी इस रीतिको ठीक नहीं समझते। उनका कहना है कि इस रीतिसे अपनी प्रशंसाकी बिगुल अपने आप बजानी होती है और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई अच्छी बात नहीं है। उनका यह विचार बिलकुल झूठा नहीं है,

परन्तु इस बातको भूल न जाना चाहिए कि समयका परिवर्तन हो गया है—स्पर्धाका ज़माना चल रहा है। इस ज़मानेमें ऐसे उपायोंका अवलम्बन किये बिना देश-देशान्तरके व्यापारियोंकी प्रतियोगितामें खड़ रहना असम्भव है।

हमारे देशमें ऐसे अनेक साप्ताहिक दैनिक पत्र हैं, जिनकी दस दस पन्द्रह पन्द्रह हजार प्रतियाँ छपती हैं और एक एक प्रतिको पाँच पाँच सात सात आदमी पढ़ते हैं, अतः इनके द्वारा लाखों मनुष्योंको अपनी दूकान और चीज़-वस्तुसे परिचित किया जा सकता है। यद्यपि इस बातका प्रत्यक्ष फल तुरन्त ही नहीं देख पड़ता, परन्तु अन्तमें इसका सुपरिणाम हुए बिना नहीं रह सकता। इसमें सन्देह नहीं कि समाचारपत्रादिमें विज्ञापन देनेका काम खर्चका ही है और इसमें यह बात विचार करनेकी है कि खर्चका प्रयत्न निष्फल जानेकी सूरत है या नहीं। परन्तु यह बात भी ध्यानसे बाहर नहीं जानी चाहिए कि पूँजीका व्याज, मका नका किराया, नौकर-चाकरोंका खर्च जैसे मालपर लगाया जाता है, वैसे ही विज्ञापनका खर्च भी मालपर ही लगाया जा सकता है।

प्रसिद्धिका एक और मार्ग यह है कि अपनी दूकानके मालकी नामावली मूल्य सहित छापी जाय और मुफ्त बाँटी जाय। अर्थात् सूचीपत्र छाप-छापकर जहाँ तहाँ भेजे जायँ। इस मार्गका अवलम्बन आजकलके बहुतसे नये व्यापारी करने लगे हैं। अपनी दूकानसे बिकनेवाले मालपर अपनी मुहर लगा देना भी प्रसिद्धिका एक मार्ग है। अपने नामकी मुहर या लेबिल चिह्न लगा देनेसे प्रसिद्धिका काम तो होता ही है, परन्तु उसके साथ ही उस मालपर ग्राहकोंका विश्वास भी जम जाता है। कोई व्यापारी हलके मालपर अपनी मुहर नहीं लगायेगा। जो ऐसी मूर्खता करेगा, वह अपनी बदनामी कर बैठेगा। इसीसे ग्राहक जहाँतक होता है, प्रसिद्ध व्यापारीकी मुहरवाला माल लेना पसन्द करते हैं। यह बात अनुभवसिद्ध है कि लोग भरोसेके मालको लेना ही विशेष पसन्द करते हैं। प्रसिद्धि करनेका यह भी एक साधन है कि जो

पत्र हम लिखते हों, उनके कागजोंके आसपास बड़ी सफाईके साथ अपनी दूकानका ठिकाना और उसमें मिलनेवाली कुछ वस्तुओंके नाम-कीमत आदि छपवाकर रक्खें। इस तरहका पत्र-व्यवहार, वर्तमानपत्रोंके विज्ञापन, मालपर मुहर लगाना, केलेण्डर आदि छपवाना, आदि सारे साधन प्रसिद्धि पानेके हैं। इन साधनोंका जितना हो सके, उतना उपयोग करना चाहिए। नवीनताके कारण भले ही ये उपाय आश्चर्यकारी और खर्चीले जान पड़ें, परन्तु धीरे धीरे आदत पड़ जानेसे सबको पसन्द आ जायँगे और लाभकारक सिद्ध होंगे। ऐसा किये बिना अब गति नहीं है।

साझेका व्यापार

यदि किसीके पास पूँजी न हो, और यदि हो तो पूरी न हो, या वह अकेले काम न चला सकता हो, तो ऐसी सूरतमें किसी दूसरकी पूँजी या मेहनत मुनाफेका कुछ विभाग (हिस्सा) देनेकी शर्तपर व्यापारमें लगाई जाती है और तब उस व्यापारको साझेका व्यापार कहते हैं। साझेसे व्यापार करनेकी पद्धति ठीक है या नहीं, इस विषयमें हमारे देशमें बड़ा ही मतभेद है। हम लोगोंमें अब भी कितने ही मनुष्य ऐसी सलाह देनेवाले मौजूद हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी हो जाय साझेका व्यापार नहीं करना चाहिए। परन्तु यह बात समझ रखना अत्यन्त आवश्यक है कि थोड़ी थोड़ी पूँजी और श्रमसे अलग अलग व्यापार करनेकी अपेक्षा साझेका (सम्मिलित) व्यापार करना बहुत अच्छा है। व्यापार सीखनेवालेके लिए तो साझेका व्यापार बहुत ही आवश्यक है। इस बातमें किसीका मतभेद नहीं हो सकता। साझेके व्यापारियोंको हममें कमी नहीं है। ज्यादा साझीदार मिलकर जब किसी व्यापारको करते हैं तब उस व्यापारकी परिपाटीको सम्भूय-समुत्थान कहते हैं। अंगरेजीमें 'ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी' इसीका नाम है। आजकलके कानूनके

अनुसार ऐसी कंपनीकी सरकारमें रजिस्ट्री कराई जाती है। इस पद्धतिसे हमारे देशमें बड़े बड़े कारखाने, बैंक, दूकानें वगैरह चल रही हैं। ऐसी सम्भूय-समुत्थानकी कम्पनियोंको रजिस्टर्ड करने और उनपर देख-रेख रखनेके लिए सरकारने एक स्वतन्त्र महकमा ही कायम कर रक्खा है।

हमारे देशकी अविभक्त-कुटुम्ब-पद्धतिके कारण खानगी रीतिसे—सरकारमें रजिस्टर्ड कराये बिना—सम्भूय-समुत्थान पद्धतिसे व्यापार करनेमें कितनी ही जोखिम है। क्योंकि अविभक्त कुटुम्बके मनुष्योंकी सारी जिम्मेदारीका भार कानूनके अनुसार हिस्सेदारपर आ पड़ता है और उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अतएव ऐसे पुरुषको हिस्सेदार करनेके पहले और और बातोंके साथ कुटुम्ब-सम्बन्धी जबाबदारियोंका भी विचार कर लेना चाहिए।

हिस्सेदारोंके साथ हिल-मिलकर काम करनेवाला और समय पर निभा लेनेवाला मनुष्य बड़ा उपयोगी होता है। अभिमानी और थोड़ी सी बातको भी भयंकर रूप देनेवाला मनुष्य हिस्सेदार हो जाय, तो वह बड़ा त्रासदायक हो जाता है। किसी बातमें मतभेद हो, तो उसे परस्पर स्नेहके साथ ठीक कर लेना चाहिए—बातको न बढ़ने देना चाहिए। हिस्सेदारोंमें ऐसे स्वभावका होना आवश्यक है। साझेके व्यापारमें किसी हिस्सेदारको, बिना मेहनत किये लाभ उठानेकी आकांक्षा न रखनी चाहिए। साझेके व्यापारमें हलकापन, तुच्छता, वृथा अभिमान, चिड़चिड़ापन, हठ और झगड़ालूपन, बिल्कुल ठीक नहीं है। धन्धा और उसके सम्बन्धकी बातें बालकोंके साथ स्त्रियोंके साथ और अन्यान्य सम्बन्धियोंके साथ करनेकी आवश्यकता नहीं है। हिस्सेदारोंमें प्रायः आचार-विचार, रहन-सहन, चाल-चलन, विद्या-विवेक आदि जहाँ तक हो सके, समान होने चाहिए। विद्यामें, ज्ञानमें और योग्यतामें साझीदार समान न हों, तो साझा बहुत समय तक नहीं चलता। ऊँच-नीच, उत्तम-अधम, समझदार-मूर्ख,

उद्योगी-आलसी, धनवान-गरीब, इस प्रकारका भेद हिस्सेदारीमें न रहना चाहिए। हिस्सेदारोंका स्वभाव आपसमें समानता रख नेका होना चाहिए। साझेमें सामाजिक और साम्पत्तिक साम्य रहना चाहिए और हिस्सेदारोंमें परस्पर आदर तथा विश्वास होना चाहिए। ऊपर कही हुई बातोंमेंसे किसी प्रकारकी असमानता हो, तो साझा करनेके पहले ही उसका विचार कर लेना चाहिए। कल्पना कीजिए कि रामकुमार धनवान् है और कृष्ण दास व्यापारतत्त्वका जाननेवाला है। दोनों साझेमें व्यापार करने लगे। एकके पास पैसा है और दूसरेके पास बुद्धि-बल; दोनोंको आपसमें साम्यभाव रखकर काम करना चाहिए। दोनोंको चाहिए कि एक दूसरेको अपनेसे हीन न समझें। साझियोंकी योग्यताका निर्णय पहलेसे ही कर लेनेसे असाम्य-भावका कभी उदय नहीं होता। परन्तु यह काम सहज नहीं है; क्योंकि साझीदार जुदा जुदा प्रकृति और जुदा जुदा ढँगके होते हैं।

सम्भूय-समुत्थानकी पद्धतिसे होनेवाले व्यापारके नियम सर कारने बना रक्खे हैं। इस पद्धतिसे व्यापार करनेका प्रचार हमारे देशमें दिन दिनों बढ़ता जाता है। ऐसा होना इष्ट और देशके लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन परिपाटीसे व्यापार करनेवालोंको इस पद्धतिसे व्यापार करनेमें झुँझलाहट मालूम होती है और उन्हें बहुत करके इस प्रणालीपर विश्वास भी नहीं है। केवल यही बात नहीं है कि बहुतसे मनुष्योंको यह प्रायः नई बात अच्छी नहीं जान पड़ती है, किन्तु इस प्रणालीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि अपनी चली आई हुई प्रणालीको बदलकर दूसरी क्यों चलाना चाहिए? एक बात और है। हमारे व्यापारियोंको यह बात पसन्द नहीं कि उनके कारोबारपर सरकारी देख रेख रहे, हर एक पूछ-ताछ करनेवाला हो, दूसरोंपर आधार रखना पड़े, दस-बीस मनुष्योंकी मालिकी हो और कानून-कायदेमें बँधे रहना पड़े। मालूम होता है, हमारे व्यापारियोंको यह अच्छा नहीं जान पड़ता कि उनका एकाधिपत्य न चले, या उनकी कार्यवा

ईसको कोई सरकार देख । सब मिलकर बड़े बड़े उद्योग-धंधे न कर हमारे व्यापारी छोटे छोटे धंधे करते हैं—अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते हैं। परन्तु यह बात याद रखना चाहिए कि यह पुरानी चाल आजकलके जमानेमें लाभदायक नहीं हो सकती। यह कौन नहीं जानता कि व्यापारमें बढ़े हुए दशोंके व्यापारियोंने हमें बिलकुल दबा दिया है! हमारे खाने-पीने पहनने और व्यवहारमें आनेकी प्रायः सभी वस्तुएँ हमें विदेशसे लेनी पड़ती हैं। हमारे बाजार विदेशी मालोंसे भरे पड़े हैं। हम एक तरहसे स्वतन्त्रतामिय ब्रिटिश-साम्राज्यके स्वतन्त्र नागरिक होने पर भी विदेशी व्यापारियोंके गुलाम हो गये हैं—परमुखापेक्षी हो गये हैं। विदेशी व्यापारियोंकी इस शस्त्रहीन विजयके कारणोंमें एक अन्यतम कारण सम्भूय-समुत्थान पद्धतिसे बड़ी बड़ी कोपयलवाली कम्पनियोंका स्थापित होना भी है। इस गुलामीसे छूटनेका—स्वतन्त्र होनेका—संसारमें अपने आपको आत्मावलम्बी सिद्ध कर दिखलानेका एकमात्र उपाय यही है कि सम्भूय समुत्थानकी पद्धतिसे हमारे व्यापारी खूब मूल-धन इकट्ठा कर कल-कारखानोंको चलावें और सफलता पाते हुए देशके मानकी रक्षा करें। हर्षकी बात है कि अभी अभी हमारे देशमें इस पद्धतिसे बहुतसे जीन, मिल, पुतलीघर, बैंक वगैरह खुल गये हैं, परन्तु इस पद्धतिको हमें बड़े उत्साहके साथ इस दर्जे तक बढ़ाना चाहिए कि हम विदेशियोंके आक्रमणसे अपने आपको बचा सकें और प्रतियोगितामें दृढ़ भावसे स्थिर रह सकें। इतना ही क्यों, हो सके तो उनपर अपनी प्रभुता चलावें। ऐसा भारी काम बिना सम्भूय समुत्थानपद्धतिके अकेले हाथ रोजगार धन्धा करनेसे नहीं हो सकता। ऐसे महत्त्वके काम करनेके लिए सम्भूय-समुत्थान पद्धतिका जितना विस्तार और जितना जल्दी हमारे देशमें प्रसार हो, करना चाहिए। इसपर हमारा जीवन-मरण निर्भर है। समय न खोकर हमें इस पद्धतिका सफल करनेका पूर्ण यत्न करना चाहिए।

व्यापारीके गुण-स्वभाव ।

व्यापारमें कितने ही गुण होने चाहियें। उन गुणोंमेंसे हम १ उद्योग, २ उत्साह, ३ पुख्त विचार, ४ कार्य तत्परता, ५ धन्धेका ज्ञान, ६ मनुष्यकी परख ७ पूरी जानकारी, ८ बोलनेकी चतुराई, ९ सभ्यता और १० स्वावलम्बन, इन दस मुख्य गुणोंका थोड़ा थोड़ा विवेचन इस अध्यायमें करेंगे। इससे समझमें आ जायगा कि धन्धेवालेको किन किन गुणोंकी आवश्यकता है।

१—उद्योग

किसी भी काम धन्धेमें सफलता पाना हो, तो मनुष्यको चाहिए कि वह उस काम धन्धेमें सदा उद्योगशील रहे, आलस्य और लापरवाही न करे। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं कि थोड़ी देरतक तो बिजलीकी भाँति काम करते हैं और फिर सुस्त होकर पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्योंके हाथसे बहुत करके कोइ भी काम पूरा नहीं हो पाता। निरन्तर श्रम करनेवालोंको ही सफलता प्राप्त होती है। धन्धेवाले मनुष्योंको, ऐश-आराम, अमन-चैन, मौज-शौक, वार-त्योहार और छुट्टी वगैरहका विचार भी नहीं लाना चाहिए। सतत उद्योग, काम और प्रयत्न करना ही सम्पत्ति पानेका साधन है—बड़े होनेका पाया है। आजकलका समय उद्योगका है और उद्योगके लिए है। जिसे काम न करना हो—जो शरीर, इन्द्रियों और बुद्धिका उपयोग करना न चाहता हो, उसे चाहिए कि वह संसारको छोड़ कर एकान्तमें जा बैठे और जो लोग धन तथा मान पानेके लिए प्रयत्न करते हैं, उनकी ओर चुपचाप देखता रहे। धन्धेमें लगनेवाले मनुष्योंको सदा उद्योगी रहना चाहिए। यही उनके लिए पहली शिक्षा है। उद्योगसे और सारी बातें सिद्ध की जा सकती हैं। उद्योगी पुरुषका ही प्रभाव काम धन्धवालोंपर पड़ सकता है, निकम्मे अनुद्योगियोंका नहीं। अतएव आवश्यक है कि वह सबसे पहले उद्योगी बनना सीखें।

२—उत्साह

जिस काम-धन्धेको मनुष्य करता है, उसमें खूब मन लग-नेको—उस कामकी धुन लग आनेको—उत्साह कहते हैं। मनुष्यमें एक प्रकारका बल होना चाहिए, एक प्रकारकी शक्ति होनी चाहिए जिससे कि वह काम कर सके। इस काम करनेवाली शक्तिको अँगरेज़ीमें 'एनर्जी' कहते हैं। उत्साह और कार्यशक्ति इन दो शब्दोंसे एनर्जीका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्यमें कार्यशक्ति और उत्साह इन दोनों बातोंकी आवश्यकता है। केवल उद्योगीपनेसे ही काम नहीं चलता, कार्यशक्ति और उत्साह भी होना चाहिए। इन तीनोंके योगसे काम सिद्ध होता है, कारोबार बढ़ता है। यह बढ़ती सबके ध्यानको अपनी ओर खींच लेती है। इससे यह आवश्यक है कि धन्धेवाले मनुष्यमें कार्यशक्ति, उत्साह और अपने धन्धेको बढ़ानेकी पूरी पूरी आकांक्षा हो।

३—पुख्त विचार

उत्साहसे चलाये हुए उद्योगको पुख्त विचारकी सहायताकी आवश्यकता है। कैसे ही बड़े उत्साहके साथ काम प्रारम्भ क्यों न किये जायँ, पर यदि पुख्त विचार—दृढ़ निश्चय—की कमी हो, तो उन कामोंमें कदापि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। विचारकी दृढ़ता सिद्धि पानेका या सफलता लाभ करनेका एक मुख्य साधन है। विचारकी परिपक्वता और ठीक ठीक निर्णय करनेके ज्ञानके बिना उद्योग और उत्साह भी कार्यकारी नहीं हो सकते। गोली बारूद तैयार हो, बन्दूक भरी हुई हो, परन्तु निशानेबाज़ी याद न हो, तो सिपाही किस तरह सफलता पा सकता है? बहुतसे मनुष्य बड़े उद्योग और उत्साहके साथ धन्धा करते हैं, परन्तु उन्हें यश नहीं मिलता। क्यों? इसी लिए कि उन्हें पुख्त विचार करना नहीं आता। पुख्त विचार अनुभवसे प्राप्त होता है। किसी किसी मनुष्यमें यह गुण जन्मसे ही होता है, बचपनसे ही देख पड़ता है। इसे पूर्वोपार्जित पुण्यका फल अथवा बचपनसे ही अनुभवियोंकी सुसंगति मिलनेका परिणाम मानना चाहिए।

'पुख्त विचार' शब्द प्रायः इसी काममें लाया जाता है। हमें इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। व्यापारसम्बन्धी चतुराईको 'पुख्त विचार' नाम दे सकते हैं। पुख्त विचार मनसे किसी विषयके निर्णय करनेका परिणाम है। देश-कालका विचार करके योग्य रीतिसे वाणी और कर्तव्यके उपयोग करनेको पुख्त विचार कहते हैं। कितने ही मनुष्योंमें इस प्रकारकी शक्ति आन पड़ती है कि वे हानिकारक और दुःखदायक संयोगोंमेंसे भी पार पड़ जाते हैं। इसका कारण विचारोंकी परिपक्वता ही है। मनुष्यके हृदयमें नाना प्रकारकी बातें उठा करती हैं, उन्हें किसीको न जताना चाहिए। यही क्यों, यहाँ तक सावधानी रखनी चाहिए कि उन सब बातोंका दूसरा कोई अनुमान भी न कर सके। इस तरहका व्यवहार कर सकना पुख्त विचारका परिणाम है। अपने मनमें क्या है, इसकी गन्ध भी दूसरोंको न आने पाये, इसीका नाम पुख्त विचार है। पराये मनुष्यपर और बेजाने-बूझे आदमीपर विश्वास न करना भी पुख्त विचारका परिणाम है। यद्यपि पुख्त विचारका अस्तित्व मनुष्य-बुद्धिमें स्वाभाविक रीतिसे होता है; परन्तु प्रयत्न करनेसे उसका खूब विकास हो सकता है। अतएव उसकी प्राप्तिके लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए।

४—कार्यतत्परता

हाथमें लिए हुए कामको पूरा करनेके लिए दृढ़तापूर्वक निरन्तर उसके पीछे लगे रहना यह एक आवश्यक गुण है। व्यापारीमें इसके होनेकी बड़ी आवश्यकता है। उद्योग, उत्साह और परिपक्व विचारके साथ कार्यतत्परता हो, तो सम्भव नहीं है कि सफलता न हो। बहुत जगह सफलता नहीं देखनेमें आती, इसका कारण कार्यतत्परताका अभाव होता है—दृढ़तासे काममें लगे रहनेकी कमी होती है। उद्योग प्रारम्भ करे, तन-मनसे उत्साहके साथ उसे चलावे, दृढ़ताके साथ उसमें लगा रहे, रात दिन उसपर विचार करे, ठीक ठीक व्यवस्था रक्खे और दृढ़ विचार तथा अनुभवके साथ काम करे, तो सफलता दूर न भाग जायगी। बहुतसे मनुष्य ऐसे देखनेमें आते हैं कि वे किसी बातका निर्णय करनेमें

बड़ी जल्दी करते हैं। इसी लिए उनके विचार पुख्त नहीं होत कच्चे रहते हैं। कच्चे विचारोंका परिणाम सम्पत्तिकी हानि है लक्ष्मी आती है देरसे, परन्तु उसके जानेमें देर नहीं लगती। इस मतलब यही है कि पैसा पैदा होता है धीरे धीरे, बड़े परि और बड़े श्रमसे, परन्तु उसके उड़ा देनेमें देर नहीं लगती। बहु मनुष्योंकी आदत होती है कि वे बहुत जल्दी बहुत पैसा पै लेना चाहते हैं। जब उन्हें यह मालूम होता है कि हमें इतना पै नहीं मिलता, तब उस धन्धेको छोड़ देते हैं—सारे सामान व सबको बेच-बाचकर दूसरे धन्धेमें पड़ते हैं। परन्तु उसकी भी य दशा करते हैं। इस तरह बार बार धन्धा पलटते रहते हैं और सफलता नहीं पाते। इसका कारण यही है कि इन लोगोंमें का तत्परता—धन्धेमें लगे रहनेका गुण नहीं होता।

द्विविधामें पड़ा हुआ मनुष्य कुछ काम नहीं कर सकता। जि मनुष्यके हृदयमें—'यह करूँ या वह करूँ'—इस प्रकार आन्दोलन चलता रहता है—कोई एक निर्णय नहीं होता है—व काम कर ही कैसे सकता है? जो मनुष्य कुछ निश्चय क भी, परन्तु उसे स्थिर न रक्खे, तो वह क्या कर सकेगा किसीकी सम्मतिसे कुछ निश्चय हो भी, परन्तु वह डगमग कर दूर हो जाय, तो उस निश्चयसे भी क्या लाभ? दूसरोंके फूँक फयसफ टहर सकती है? मनुष्यको चाहिए कि वह समा चारों और दूरदर्शियोंकी सलाह ले, फिर दृढ़ निश्चय करे और उसके अनुसार काममें लग जाय। कामको हाथमें लेनेके बा विघ्न-बाधाओंसे न डरकर धीरजके साथ कार्य-तत्पर रहे, हिम्मत न छोड़े। ऐसा होनेसे ही आशा की जा सकती है कि सफलता होगी, अन्यथा नहीं। यह बात बिल्कुल झूठ है कि धन्धेको अच्छी तरह चलाया जाय और उसमें सफलता न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमुक मनुष्यने प्रयत्नपूर्वक साथ दस बरसतक किसी धन्धेको चलाकर पैसे न कमाये हों। अतएव पहले पुख्त विचार करके फिर सफलता प्राप्त होनेतक धन्धेके पीछे लगे ही रहना चाहिए। यदि विचार करनेके बाद यह जान पड़े कि हमारा

स्वीकार किया हुआ धन्धा ठीक नहीं है, तो उस समयकी बात दूसरी है।

विचारकर हाथमें लिये हुए कामके पीछे लगे रहना, उसे पूरा करके ही छोड़ना, सफलताका मुख्य साधन है। कार्यतत्परता सफलताकी कुंजी है।

५—धन्धेका ज्ञान

'धन्धा एक शास्त्रीय विषय है—कठिन कला है। उसका ज्ञान सम्पादन किये बिना काम नहीं चल सकता। विचार, कल्पना और चतुराई दूसरी बात है और प्रत्यक्ष अनुभव दूसरी बात। बहुतसे मनुष्य ऐसे देखनेमें आते हैं कि जिन्हें धन्धेका न कुछ ज्ञान होता है और न कुछ अनुभव। उनका खयाल होता है कि हरएक मनुष्य, अब चाहे सब, चाहे जिस धन्धेको कर सकता है, उसे किसी प्रकारकी शिक्षाकी कोई आवश्यकता नहीं है। बेचा-खोंची करनेमें भला पढ़ने लिखनेकी—शिक्षा पानेकी आवश्यकता ही क्या है? क्रय-विक्रय करनेमें कोई वेद तो पढ़ने ही नहीं पढ़ते, शास्त्र-चर्चा तो करनी ही नहीं पड़ती। व्यापार कोई शास्त्र तो है ही नहीं! इत्यादि। भला, इस अज्ञानका कोई ठिकाना है' यही अज्ञान हमारे व्यापारी-मण्डलके बहुत बड़े समुदायमें भरा पड़ा है। इस लेखकने ऐसे अनेक व्यापारी बालकोंको देखा है कि जिन्हें उनके माँ-बापने बहुत ही कम शिक्षा दी है। व्यापार-शिक्षा बड़े खर्चसे आती है। उसका अनुभव प्राप्त करनेमें बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। व्यापार एक व्यावहारिक विद्यालय (प्राक्टिकल कालेज) है। इस विद्यालयमें जो अनुभव होता है, वही प्रतिष्ठापत्र है और जो नुकसान उठाना पड़ता है, वह फीस है। सब प्रकारके विचार, अनुभव और अनुभवियोंसे ज्ञान सम्पादन करते हुए धधा करना चाहिए। हमारी सलाह तो यही है कि कुछ समयतक उम्मीदवारी करके फिर काम प्रारम्भ करना चतुराईका काम है। धधेके लिए जो जो बातें आवश्यक हैं, उन सब बातोंका ज्ञान लेना ही व्यापारी शिक्षा या व्यापारी ज्ञानका पा लेना है। अलग अलग व्यवसायमें अलग अलग गुण-स्वभावोंकी आवश्यकता होती है, इसलिए उन उन गुण-

स्वभावोंका सम्पादन कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना सफलता नहीं हो सकती। अतएव धंधेसम्बन्धी शिक्षा और अनुभव प्राप्त करनेके प्रयत्नमें व्यापारियोंको लापरवाही न करनी चाहिए।

६—मनुष्यकी परख

यह आवश्यक है कि व्यापारीको मनुष्योंके स्वभावकी परख हो। कितनोंहीमें यह गुण स्वाभाविक होता है और कितनोंहीमें अनुभवसे आता है। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जो मुँह देखकर आदमीकी परीक्षा कर लेते हैं। मनुष्यकी परख उसकी मौखिक बातोंसे नहीं, उसके बर्तावसे की जानी चाहिए। मनुष्यके मुखसे उसके आन्तरिक भावोंका ज्ञान लेना बड़ी निपुणताका काम है। मनुष्यके स्वभावकी परख करनेमें मन-ही-मन बहुतसे विचार करने पड़ते हैं। मानवी स्वभावके पृथक्करणकी कला व्यापारीको अवश्य आनी चाहिए। उसे मनुष्यके चेहरे, बर्ताव आदिको देखकर उसकी परख कर लेनी चाहिए। स्नेहियोंकी ओरसे मनुष्यकी प्रशंसा होती है और विरोधियोंकी ओरसे निन्दा। इन दोनों पक्षोंमें अतिशयोक्ति, हेतु, स्वार्थ और सिद्ध-साधकता आदि बातें हो सकती हैं। इनमेंसे सचाई जान लेनेकी योग्यता व्यापारीमें होनी चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि मनुष्य-स्वभावको न परख सकनेके कारण बहुतसे मनुष्य ठगे जाते हैं। मनुष्य-स्वभावको न परखकर व्यवहार करनेसे कभी-कभी भयंकर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। इस गुणके न होनेके परिणाममें बहुतोंके अन्तःकरण धन और जीवनतकका नाश हो गया है। अतएव प्रत्येक धंधेवालेको मनुष्य-स्वभावका परीक्षक होना आवश्यक है।

७—पूरी जानकारी

व्यापारीके लिए यह आवश्यक है कि उसे पूरी जानकारी हो। जो पुरुष यह नहीं जानता कि संसारमें क्या उथल-पुथल हो रही है, क्या घटा-बढ़ी हो रही है, वह व्यापार कर नहीं सकता—उससे व्यापार होगा ही नहीं। सब प्रकारकी जानकारी एक प्रकारकी

पूँजी है। हमें यह कभी न सोचना चाहिए कि हम जिस प्रकारका धंधा करते हैं, उसका ज्ञान हो गया कि बस। हमें लोकाचार, लोकरूढ़ि, धार्मिक विचार, समाज-पद्धति, रीति-रवाज, वार त्योहार, मेले-ठेले, लोकरुचि और लोकव्यवहार आदि सब विषयोंकी जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारीसे कभी न कभी लाभ उठाया ही जा सकता है। राज-दरबारके कायदे और कानून, चुंगी और कर, मार्ग और सड़क, तालाब और कूँए, नदी और नाले, रेल्वे स्टेशन और जंकशन, पोस्ट आफिस और तार घर, तथा कौन वस्तु कहाँपर, कितनी, कैसी और किस मोलकी पैदा होती या बिकती हैं, इत्यादि विषयोंका ज्ञान व्यापारीको लाभ दायक हुए बिना नहीं रह सकता। व्यापारीके लिए यह आवश्यक है कि वह भाँति भाँतिकी पुस्तकें और समाचारपत्र पढ़ा करे, जिससे उसे उथल-पथल, चर्चा और दूसरी सामाजिक हलचलोंका ज्ञान होता रहे। इस जानकारीके न होनेसे व्यापारीको नुकसान होता है। मनुष्य-स्वभावकी लहरें किस तरहकी उठ रही हैं, इस बातको जाने बिना व्यापारीका काम नहीं चल सकता। भाँति भाँतिके उद्योग धन्धे, काम-काज, कल-कारखाने और आविष्कार वगैरहकी जान कारी व्यापारीको होनी चाहिए। व्यापारीका यह कह देनेसे काम न चलेगा कि संसारकी हलचलोंके जाननेसे मुझे क्या मतलब है। उसे लड़ाई, सन्धिपत्र, इकरारनामे, वर्षा, अग्निकोप, जहाजोंका डूबना आदि विषयोंकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जिस व्यापारीके ऐसे विचार हों कि मुझे अपनी दूकान और घरके सिवा और और बातोंसे कुछ मतलब नहीं है, वह व्यापारी ही नहीं है—वह कूँएका मैंढ़क है। अतएव आवश्यक है कि व्यापा रीकी जानकारी बढ़ी हुई हो—पूरी हो।

८—बोलनेकी चतुराई।

व्यापारीमें बोलनेकी ऐसी चतुराई होनी चाहिए कि वह ग्राहकोंपर अपना सिक्का जमा सके। व्यापारीको ऐसा बोलना आना चाहिए जिससे सुननेवालेको विश्वास हो जाय कि उसे पूरी जानकारी है, वह प्रतिष्ठित और विद्वान्

है। यद्यपि बोलनेकी चतुराई बहुत करके स्वाभाविक होती है, फिर भी श्रमसाध्य भी है। यह एक साधारण कहावत है कि 'बोलनेवालीके बेर भी बिक जाते हैं।' एक बोलने या अच्छी तरहसे बातचीत करनेकी कलाके बिना और सब बातें मिट्टी हो जाती हैं। पूँजी, जानकारी, कार्य-तत्परता और बोलनेकी चतुराई इस चतुरंगी सेनासे ही व्यापार-क्षेत्र स्वाधीन किया जा सकता है। इन सबका एक समान महत्त्व है।

अपने लुच्चपनको छिपा देने या किसीको धोखा देकर ठग लेनेको चतुराई नहीं कहते। बोलनेमें शुद्धता और प्रामाणिकता होनी चाहिए। वस्तुस्थितिको—असलियतको अच्छी तरह समझा देनेकी कलाका नाम ही बोलनेकी चतुराई है। शुद्ध वक्तृत्व विद्वानोंकी एक कला है। वे श्रोताओंके अन्तःकरणोंको खींच लेते हैं। इसी तरह बोलनेकी प्रामाणिकता और चतुराईसे व्यापारीको अपने ग्राहकोंका दिल मुट्ठीमें कर लेना चाहिए। जैसे व्याख्यान देना एक कठिन कला है, वैसे ही बोलनेकी चतुराई भी।

९—सभ्यता

सभ्यतापूर्ण व्यवहार सम्पत्ति प्राप्त करनेका एक उत्तम मार्ग है। जिसे सभ्यताकी आवश्यकता न जान पड़ती हो, जो अपनी सभ्यताका प्रभाव लोगोंपर न डाल सकता हो और जो स्वयं सभ्य न हो, उसके लिए यही अच्छा है कि वह व्यापार-धंधेसे दूर रहे। मनुष्यको चाहिए कि वह, अपने पास आनेवालेके साथ सभ्यतासे बातें करे और सभ्योंके जैसा बर्ताव करे। सच्चा व्यापारी असभ्यतासे कभी किसीके मनको न दुखायेगा। यदि उसे किसी कामके लिए 'नहीं' करनी होगी, तो बड़ी सभ्यतासे करेगा। स्वाभिमान या अपने महत्त्वका अर्थ यह नहीं है कि तुच्छ कार्य किया जाय। व्यापारीका बड़प्पन—व्यापारीकी श्रेष्ठता—का आधार उसके सभ्यतापूर्ण व्यवहारपर ही है। हम लोगोंमें बहुतोंकी यह धारणा सत्य है कि सभ्यताके बिना बड़प्पन हो ही नहीं सकता।

१०—स्वावलम्बन

अपने पैरोंपर खड़े होनेका नाम स्वावलम्बन है। यह गुण प्रत्येक व्यापारीमें कूट-कूटकर भरा होना चाहिए। हर एक आदमीको अपना आधार अपनेपर ही रखनेका प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं खूब सोच विचार कर कार्य-निर्णय करना और अपने ही कौशलसे उसमें सफलता सम्पादन करना, इसीका नाम स्वावलम्बन है। जिसमें स्वावलम्बनकी शक्ति न हो, उसे व्यापार धन्धेमें कभी न लगाना चाहिए। उसके लिए यही बेहतर है कि वह नौकरी-चाकरी, क्लर्की, गुलामी वगैरहमें पड़कर पेट भरता रहे।*

कौनसा काम, कब और किस तरह करना चाहिए, इस बातका जिसे ज्ञान न हो, उसे व्यापारमें सफलता नहीं हो सकती। मैं अपनी ही चतुराईसे सिद्ध हो जाऊँगा, इस प्रकारकी जिसमें हिम्मत न हो, उसमें स्वावलम्बनका बल आवेगा ही नहीं। ऐसे मनुष्योंको चाहिए कि वे व्यापारमें या किसी भी स्वतन्त्र धन्धे-रोजगारमें न पड़ें। जो स्वावलम्बी नहीं है, वह सेठ होने योग्य नहीं है—गुलाम होने योग्य है—नौकर-चाकर होने योग्य है। उसके लिए क्लर्की, मुनीमी, मुहर्रिरी आदि कार्य हैं, स्वतन्त्र व्यापार नहीं।

सफलता प्राप्त करनेके साधन

जिसकी इच्छा हो कि मेरे व्यापारमें बरकत हो, हाथमें लिया हुआ रोजगार सफल हो, उस मनुष्यके लिए नीचे लिखी हुई कुछ बातोंकी अनुकूलता अवश्य होनी चाहिए—

१—धन्धेकी पसन्दगी

सब अनुकूलताओंमें धन्धेको ठीक तरहसे पसन्द करना पहली बात है। अपने ज्ञान, स्वभाव और रहन-सहनके अनुकूल धन्धेको

* स्वावलम्बनके विषयमें बहुत विस्तारके साथ विवेचन करनेवाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'स्वावलम्बन' हमारे यहाँसे प्रकाशित हुआ है। व्यापारियों और विद्यार्थियोंको उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। —प्रकाशक।

खूब पुख्ता विचार कर पसन्द करना व्यापारीका पहला काम है। धन्धेको पसन्द करते समय अपनी शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रवृत्तिका विचार करना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें अपना मन न लगता हो, जो अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल हो, उस धन्धेमें न पड़ना ही चतुराईका काम है। जो अपनेको पसन्द नहीं, जिसमें अपना मन न लगता हो और जिस धन्धेके योग्य गुण न हों, ऐसे धन्धेमें पड़नेसे हानि हुए बिना नहीं रहती। बहुतसे मनुष्योंने इसी प्रकार नुकसान उठाया है।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः

यह वाक्य स्मरण रखने योग्य है। किसी किसीका स्वभाव ऐसा होता है कि वह चाहे जिस धन्धेमें लग सकता है, और किसीको धन्धा करना बिलकुल नहीं सुहाता। बहुतसे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बिना कुछ परिश्रम किये निठल्ले बैठे खाना अच्छा लगता है। बहुतसे मूर्खोंका मत है कि जिन्हें बिना श्रम किये खाने-पीने, पहनने ओढ़ने और रहने-सहनेके लिए सब कुछ तैयार मिल जाता है, वे बड़े भाग्यवान् हैं। परन्तु यह मत बड़ा ही घातक है—इसमें बड़ी मूढ़ता है। श्रमकी योग्यताको, परिश्रमके आनन्दको, श्रममें समाई हुई सम्पत्तिको, काम करनेके बड़प्पनको हमारे बहुतसे भारतीय बन्धु बिलकुल नहीं सोचते, यह उनका और सारे देशका दुर्भाग्य है।

२—अपनी योग्यता

इसके सिवा धन्धा करनेवालोंको देखना चाहिए कि मेरी स्वतःकी योग्यता कैसी है। हमको कौनसा धन्धा प्यारा है, हम किस धन्धेके योग्य हैं, किस धन्धेको अच्छी तरह कर सकेंगे, इस बातका निर्णय प्रत्येक मनुष्यको अपने आप करना चाहिए। दिमागमें तरङ्ग उठी कि निर्णय हो गया, यह ठीक नहीं। ऐसे निर्णय चिरस्थायी नहीं होते। निर्णय ऐसा होना चाहिए कि वह चिरस्थायी हो, शीघ्र ही बिछ न जाय। धन्धेवालोंके मुख्य गुण, शक्ति, खोज, साहस और बोलनेकी चतुराई हैं। यद्यपि इन सब गुणोंकी हर एक धन्धेमें समान रूपसे आवश्यकता नहीं होती

परन्तु किसी न किसी अशमें होती ही है। धन्धेमें लगनेके पहले प्रत्येक मनुष्यको इतना अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि मैं किस धन्धेके उपयुक्त हूँ।

३—धन्धेका ज्ञान

व्यापारीको जिस धन्धेका बखूबी ज्ञान होता है, उसकी सफलतामें विशेष बाधा नहीं पड़ती। यद्यपि यह ज्ञान और बुद्धिका काम मुनीम-गुमाश्तोंसे भी लिया जा सकता है, परन्तु स्वयं ज्ञान न हो, तो सफलता प्रायः असम्भव हो जाती है। इस लिए यह आवश्यक है कि अपने धन्धेके सम्बन्धमें पूरी-पूरी प्रवीणता सम्पादन की जाय।

४—पूरी पूँजी

किसी धन्धेके प्रारम्भ करनेके पहले उसमें बरकत मिलनेके लिए यह आवश्यक है कि पूरी पूँजी इकट्ठी कर रक्खी जाय। पूँजीकी कमीसे अनेक लाभदायक धन्धे डूब जाते हैं। तेजी मन्दी का लाभ उठानेके लिए पूरी पूरी पूँजीकी आवश्यकता है। यदि उसकी व्यवस्था न की गई हो, तो धन्धेमें सफलता नहीं हो सकती।

५—योग्य व्यवस्था

योग्य व्यवस्था न की गई हो, तो धन्धेमें बरकत होना सम्भव नहीं है। क्रय-विक्रय, पत्र-व्यवहार, मालें वगैरहकी अच्छी व्यवस्था रखना अत्यन्त आवश्यक है।

६—हिम्मत और दृढ़ता

व्यापारीमें ये दोनों गुण अवश्य होने चाहियें। और और सारी बातें होनेपर भी इनके बिना यह नहीं कहा जा सकता कि सफलता अवश्य ही होगी। सफलता ऐसी चीज तो है नहीं जो एक दिनमें, एक सप्ताहमें एक महीनेमें, या एक वर्षमें ही प्राप्त हो जाय। यह तो बहुत समयमें और बड़े कष्टसे मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि व्यापारी हिम्मत रक्खे—निराश न हो। निराश होना सफलताको खोना है। हिम्मत और दृढ़ता सफलताके साधन हैं।

७—बचत करना

सफलताका यह भी एक मुख्य साधन है। मनुष्य पैसा प्राप्त करनेसे—धन कमा लेनेसे कभी धनवान् नहीं होता, परन्तु कमाये हुए धनको समह कर रखनेसे धनवान् होता है। वह कितना कमाता है, इसकी अपेक्षा यह देखना चाहिए कि बचाता कितना है। बचत करनेसे यह मतलब नहीं है कि मनुष्य कजूस-मक्खीचूस हो जाय—'चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय' का दृष्टान्त बन जाय। आवश्यक व्यय तो करना ही चाहिए, परन्तु फिजूलखर्च होना ठीक नहीं। मितव्ययी होकर धन-समह करना सफल होनेका मुख्य साधन है।

हम व्यापारमें सफलता पानेके मुख्य साधनोंका सक्षेपमें विवेचन कर चुके। ये साधन पास हों, तो प्रसन्नतासे मान लेना चाहिए कि सम्पत्तिके भण्डारकी कुजी अपने हाथमें ही है। इस कुंजीसे हम लक्ष्मीके भण्डारको खोलकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सच है कि सारी सम्पत्ति हमारे ही हाथ न पड़ेगी—बहती हुई नदीसे सब कोई पानी पीयेगा। श्रमविभागके अनुसार अन्यान्य मनुष्योंका भी उस सम्पत्तिमें अधिकार है। लक्ष्मी पानेवालेका काम है कि वह उसे यथायोग्य औरोंको भी बाँटे।

हानि पहुँचनेके कारण

कई बार ऐसा देखनेमें आता है कि मनुष्य धन्धा तो करता है फायदेके लिए, पर उठा बैठता है नुकसान। इसके अनेक कारण हैं। उन सब कारणोंसे धन्धा करनेके पहले ही वाकिफ हो जाना आवश्यक है। यहाँपर हम उनका विचार करते हैं।

१—अयोग्य पसन्दगी

जो धन्धा अपने करने योग्य नहीं है, उसे पसन्द करना नुकसान उठानेका पहला कारण है। जिस धन्धेकी ओर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, उसमें मन लगेगा ही नहीं। और जिस धन्धेमें

मन नहीं लगता वह चलाया भी नहीं जा सकता। तब जो धन्धा चलाया न जा सके, उसे पसन्द करना नुकसान करना ही है।

२—अज्ञानता

जिस धन्धेको हमने पसन्द किया हो, उसके सम्बन्धकी सारी जानकारी हममें होनी चाहिए। उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातोंको—खूबियोंको हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। यदि जानकारी नहीं होगी, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस धन्धेकी जानकारी न हो, उस धन्धेमें सफलता मिलना बहुत ही कठिन है। यदि अपने हाथके नीचे कुशल और चतुर मनुष्य हों, तो उनके द्वारा उत्तम रीतिसे काम चलाया जा सकता है; परन्तु इस काम लेनेमें भी चतुराईकी आवश्यकता होती है। अपने हाथके नीचेके नौकर चाकरोंकी चतुराईसे पूरा-पूरा लाभ उठा सकना भी एक प्रकारकी उपयोगी कला है। नौकरोंको यह न मालूम होना चाहिए कि मालिक तो हमारे हाथकी गुड़िया है। इस लिए आवश्यक है कि व्यापारीको अपने धन्धेका अच्छा ज्ञान हो। यदि नौकरोंको यह मालूम हो जायगा कि मालिक कुछ नहीं समझता, तो वे मालिकके लाभमेंसे अनुचित रीतिसे अपना भाग लेने लग जायँगे और उनके अप्रामाणिक हो जानेसे धन्धेमें लाभकी कोई आशा नहीं की जा सकती। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि किसी भी धन्धेको प्रारम्भ करनेके पहले उसके विषयका ज्ञान सम्पादन कर लेना चाहिए। ज्ञान सम्पादन किये बिना धन्धेमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे भारतमें इस प्रकारके उदाहरणोंकी कमी नहीं है कि बहुतसे धंधे मुनीमोंकी चतुराई, गुमाश्तोंकी बुद्धि और नौकर-चाकरोंकी समझदारीपर चलते हैं। परन्तु ऐसे धंधोंमें प्रायः नुकसान होते भी देर नहीं लगती। बहुत कम ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें नुकसान न हुआ हो। कहनेका तात्पर्य यह है कि धंधेकी जानकारीका न होना नुकसान होनेका दूसरा एक कारण है। एक समयका जिक्र है कि एक मनुष्यने एक धनवान्‌से पूछा कि "आपने इतना धन कैसे कमाया?" इसके उत्तरमें उसने कहा—"जिस धंधेकी मुझे पूरी जानकारी थी,

बड़प्पन, लापरवाही, घमंड, कुलेक्ष्य आदि दोष व्यापारका नाश करनेवाले हैं। इन दोषोंसे चाहे और और बातोंमें भारी हानि न भी पहुँचे, परन्तु व्यापारमें तो पहुँचती ही है। हमें धंधेके अनुकूल अपनी आदत बना लेनी चाहिए और उसीके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए।

इनके सिवा धंधेमें हानि होनेके कुछ नैसर्गिक कारण भी होते हैं। जैसे अकाल, जल-प्रलय, अग्नि-प्रकोप, रोग, तूफान, भूकम्प आदि। बीमा करानेकी पद्धति एक ऐसी योजना है, जिससे आग, तूफान आदि अनर्थोंसे व्यापारको हानि नहीं पहुँचती। परन्तु रोग, अकाल, भूकम्प आदिका निवारण कोई नहीं कर सकता। चोरी डकैतीसे राज्य रक्षा करता है। ऊपर हमने धंधेमें नुकसान होनेके जिन कारणोंका दिग्दर्शन किया है, जहाँतक बन पड़े, व्यापारियोंको उनसे बचना चाहिए। होनहार और समझदार व्यापारीका यही कर्तव्य है।

उधारके व्यापारसे हानि

हम माल ले आयें और उसके दाम कुछ दिनोंके पश्चात् दें, इस प्रकारके व्यवहारको उधार व्यवहार कहते हैं। यह भी व्यापारकी एक परिपाटी है। परन्तु इस रीतिसे व्यापारी और ग्राहक दोनोंका नुकसान होता है, सो किसीसे छिपा नहीं है। उधार लानेका मूल कारण मनुष्यके हाथमें रुपयेकी तंगी होता है। उधारके व्यवहारसे बरकतमें बाधा पड़ती है। उधार व्यापारका एक संकट है—घुन है। उधार व्यापारकी बीमारी है। इस बातको समझानेकी विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि उधार व्यापारका संकट किस तरह है।

क्रय विक्रयके धंधेको व्यापार कहते हैं। माल बेचनेवालेको किसीसे माल खरीदना ही पड़ता है। स्वयं नकद रुपया देकर माल लाना और ग्राहकोंको उधार देना, मानों अपने पासकी जुटी हुई रकमको दूसरोंके सुपुर्द कर देना है। व्यापारमें रुपयेकी खूब

फिरते रहना चाहिए। इसीसे धंधे–रोजगारकी बढ़ती होती है। उधार रुपया चक्कर नहीं लगाता, एक जगह रुक जाता है। इससे रोजगार चमकनेमें बाधा पड़ती है। नक्दके लेन-देनसे नये मालकी खरीदी शीघ्र होती है और व्यापार खूब बढ़ता है। उधारके व्यापारमें रकम रुँध जाती है और नया माल खरीदनेके काम नहीं आती। यह माना कि उधारके व्यापारमें विशेष नफा मिलता है, परन्तु यह बात भी भूलने योग्य नहीं है कि भारी ब्याज और बहुत ज्यादा उगाही ये दोनों बातें खास तौरपर दगा देनेवाली चीजें हैं। व्यापार-कुशल पुरुषोंको नक्द और उधार व्यवहारके लाभालाभ—फायदा और नुकसान—समझानेकी आवश्यकता नहीं। जिसके पास नक्द रुपया देनेको नहीं होता, वही उधार लेता है। उधार लेनेमें नुकसान है, ऐसा जानते हुए भी उधार माल लिया जाता है। खुले हाथ उधारका व्यवहार करनेसे सैकड़ों व्यापारी बैठ गये हैं। इस बातको जानते हुए भी उधारका व्यापार करना जान-बूझकर सकट झेलना है—प्रकाश होते हुए भी कुएँमें गिरना है।

उधार व्यापारका बड़ा भारी रोग है। व्यापार चलते रहनेके लिए उसमें लगाई हुई रकम फिरती ही रहनी चाहिए। रुपयेका इधर उधर फिरते रहना व्यापारका जीवन है। उधारके व्यवहारसे रुपयेके पूरे-पूरे चक्कर नहीं लगते। रुपयेका चक्कर न लगना व्यापारकी नाड़ी बन्द होना है।

उधार व्यापारको पोला कर डालनेवाला कीड़ा है। उधारका व्यापार करनेवाले व्यापारीकी दूकान उलटे बिना नहीं रह सकती। उसका धन्धा बन्द हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार इस कीड़ेका प्रवेश हुआ कि यह व्यापारको खोखला करके ही छोड़ता है। अतएव इसे भूल-चूककर भी व्यापारीको अपने व्यापारमें न पैठने देना चाहिए।

उधार महापाप है। उधारका व्यवहार करनेकी प्रवृत्ति होनेका सच्चा कारण ज्यादे लाभकी इच्छा है। उधार देनेमें यही वासना होती है कि वाजिब कीमतसे ज्यादा दाम मिलें। इसीसे

उधार दिया जाता है। ग्राहकसे ज्यादा दाम लेने और भोले-भाले, गरीबोंको ठगनेकी आकांक्षा, अपने प्रतिस्पर्धीके ग्राहकोंको अपनी ओर खींच लेने, या अपनी स्पर्धा करनेवाले नये व्यापारीकी दूकानको न जमने देनेकी तुच्छ भावनासे भी उधारका व्यापार प्रारम्भ होता है। यह काम बेइज्जतीका है। दूसरोंको गड्ढेमें डालनेकी इच्छा करना स्वयं गड्ढेमें गिरना है।

इन सब बातोंका सारांश यह है कि उधारके व्यापारसे कभी किसीका भला नहीं हुआ, न होता है और न होगा। इस वास्ते इस प्रकारके व्यापारका जितना जल्दी नाश हो, उतना ही अच्छा है। समझदार व्यापारियोंका कर्तव्य है कि वे उधारके व्यापारको उत्तेजना न दें और जितनी जल्दी कर सकें, उधारके व्यापारको बन्द कर दें।

व्यापारमें विश्वासका महत्त्व

व्यापार-व्यवसायमें जिस समय भरोसा, विश्वास आदि शब्दोंका व्यवहार किया जाता है, उसी समय इन शब्दोंका अर्थ समझमें आ जाता है। तथापि उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। विश्वासका अर्थ भरोसा कह देनेसे काम न चलेगा, उसका ठीक ठीक अर्थ समझानेके लिए कुछ दृष्टान्त देना उचित है।

विश्वास एक प्रकारका मानसिक धर्म है। विश्वास, मनकी स्वाधीनताकी बात है। मनके एक प्रकारके व्यापारको विश्वास कहते हैं। कल्पना कीजिए कि रामकुमारने द्वारकादासको १००) रुपया दिया और अपने मनमें सोच लिया कि यह रुपया अमुक समय तक लौट आयेगा। उसके मनमें जो यह भाव पैदा हुआ कि यह रुपया लौट आयेगा—इसी भावका नाम विश्वास है। विश्वासके कारण ही मनुष्य उपकारको नहीं भूलता। वह समयपर दी हुई सहायताको स्वीकार करके कृतज्ञतापूर्वक रकम लौटा देता है और प्रत्युपकार करनेकी भावना रखता है।

व्यापारमें विश्वास प्रधान चक्र है। जितने व्यवहार होते हैं, उनका आधार विश्वास है। विश्वास न हो, तो व्यापार-व्यवसाय, धंधे-रोजगार आदि सर्वथा चल ही नहीं सकते। विश्वासका ऐसा ही महत्त्व है। परन्तु यह बात भी भूलने लायक नहीं है कि व्यापारमें ठगबाजी, धोखा, नुकसान आदि भी विश्वास हीके कारण होते हैं। इनके होनेके अन्यान्य कारण भी होते हैं, परन्तु उनमें विश्वास मुख्य है।

इसलिए व्यापार-व्यवसाय करनेवालोंको विश्वासके विषयमें बहुत ही होशयारी रखनी चाहिए। व्यापारमें किसीका विश्वास न करना, यह एक ओरसे प्रतिपादित किया जाता है; और दूसरी ओरसे यह कि बिना विश्वासके धंधा चल ही नहीं सकता। अनुभवकी ओर देखें तो यह उपदेश दोनों ओरसे समान मिलता है। मनुष्यकी योग्यता और आबरूका आधार उसका विश्वास है। मनुष्यकी परीक्षा करनेका साधन भी विश्वास है। इसलिए विश्वासघात करना महापाप है—बड़ा भारी अपराध है—भयङ्कर गुनाह है। सरकारी कानूनसे भी विश्वास घातकको कड़ी सजा दी जाती है।

विश्वास सर्वव्यापी है। विश्वास श्रेष्ठ मनोधर्म है। विश्वासपर विश्व चल रहा है। विश्वास सुखका साधन है। विश्वास हो तो चिन्ता, दुःख, त्रास आदि नहीं रहते। परमेश्वरपर विश्वास चाहिए, मनुष्यपर विश्वास चाहिए, अपने आपपर विश्वास चाहिए और विश्वास चाहिए अपने कामपर। विश्वासके बिना इस संसारमें सफलता नहीं मिलती। शरीरमें जैसे प्राण हैं, वैसे ही व्यापारमें विश्वास है।

विश्वाससे विश्वास बढ़ता है। विश्वास किये बिना विश्वास उत्पन्न नहीं होता। यदि आपका व्यवहार विश्वासपूर्ण है, तो संसार आपका विश्वास अवश्य करेगा। अपने सदाचरणोंसे विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वासके सिरपर हजारों अनर्थ गिर सकते हैं। विश्वास विशाल अन्तःकरणका लक्षण है। अविश्वासीपन अच्छा स्वभाव नहीं है। इस तरह विश्वासके सम्बन्धमें परस्पर

विरोधी बातें हैं। इस कारण व्यापार-धंधेवालोंको विश्वासके सम्बन्धमें अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इसका ठीक-ठीक निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। तथापि यहाँपर हम कुछ नियम लिखते हैं। ये नियम अनुभवी व्यापारियोंके स्थिर किये हुए हैं।

१ व्यापारमें किसीका विश्वास नहीं करना चाहिए।

२ अनुभवकी अनुकूलता हो, तो थोड़ा-बहुत विश्वास करना चाहिए, अन्यथा नहीं।

३ विश्वास-घात करनेवालको हम अच्छी सजा दे सकेंगे, ऐसी पूरी-पूरी खातरी हो, तो थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए।

४ ऐसे मनुष्यपर थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए, जो निजका मनुष्य है और विश्वासघात करनेपर भी जिससे बैर लेनेकी हमें इच्छा न हो।

५ जिसके साथ बहुत समयके व्यापारसे हमें अच्छा अनुभव हो गया हो, उसका थोड़ा बहुत विश्वास करना चाहिए।

६ जिसके विषयमें हमारे अन्तःकरणमें कल्याणबुद्धि हो और जो निरपेक्ष हो, उसका विश्वास करनेमें कुछ चिन्ताकी बात नहीं है।

७ जबतक अनुभवसे पूरा-पूरा विश्वास न हो जाय, तब तक प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण विश्वासपात्र न मानकर ही व्यवहार करना ठीक है।

८ यदि हम सच्चे अन्तःकरणसे बिना किसी प्रकारके लालचके विश्वास रक्खेंगे, तो इस भलाईका बदला हमें भलाईमें मिले बिना नहीं रह सकता।

९ ऐसा भी कोइ कोई प्रतिपादन करते हैं कि अन्तःकरणमें विश्वास न रखकर मुँहसे विश्वास करना—दिखलाना—दूसरोंको देखा ही जैसा बना, यह एक प्रकारकी व्यापार-चतुरता है।

जो हो हमारा कहना यह है कि विश्वासके सम्बन्धमें ठीक-ठीक नियम नहीं दिये जा सकते। विश्वासके सम्बन्धमें खूब सावधानी रखना उचित है। विश्वास करके ठगे जानेकी अपेक्षा पहलेसे ही विश्वास करनेमें सावधान रहना अच्छा है।

बीमा

व्यापारमें भाँति भाँतिकी जोखिमें होती हैं। उनसे कभी कभी व्यापारीको बड़ी हानि पहुँचती है और वह कंगाल हो जाता है। आग लग जाना, माल डूब जाना आदि ऐसी जोखिमें हैं कि जिनका कभी किसीको ख़याल भी नहीं होता। व्यापारी इन जोखिमोंसे बीमेके द्वारा बच सकता है। बीमेकी मुख्य पद्धतियाँ तीन हैं। आगका बीमा, माल डूब जैका बीमा और मनुष्यकी ज़िन्दगीका बीमा। नुकसानका उत्तर-दायित्व अपने सिरपर लेनेका नाम ही बीमा लेना है। दूकानमें या भाण्डारमें भरे हुए मालमें आग लग जानेसे जो हानि होती है, उस हानिको भर देनेकी ज़िम्मेदारी बीमा कम्पनीको उठानी पड़ती है। इसी तरह जलमग्न हो जानेवाले मालकी कीमत देनेकी ज़िम्मेवारी बीमा कम्पनीको लेनी पड़ती है। ऐसी कम्पनियोंकी रचना और व्यवहार पद्धति बहुत व्यवस्थित और तुरन्त विश्वास दिलानेवाली होती है। सम्मिलित पूँजीसे स्थापित और सरकारसे रजिस्टर की हुई कम्पनियाँ ही बीमा लेनेका काम करती हैं। पहले हिस्सेदारोंके पाससे थोड़ी थोड़ी पूँजी इकट्ठी करके कम्पनी कायम की जाती है। फिर जितनी रकमके मालका बीमा किया जाता है, उसपर वार्षिक प्रति सैकड़ा कुछ कमीशन लिया जाता है। जिस साल बीमा किया गया हो, उस साल यदि बीमेकी वस्तुको कुछ नुकसान न हुआ हो, तो उस साल कमीशनमें ली हुई रकम कम्पनीको मुनाफेमें रह जाती है। इस तरह बहुतसी रकमें मिलकर बहुत पूँजी इकट्ठी हो जाती है। कभी किसीको जो नुकसान भर देना पड़ता है, इसी पूँजीसे भर दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि 'पी० फ्रेण्ड एण्ड क०' एक बीमा कम्पनी है। उसने १०० भण्डारोंका बीमा किया है। इन भण्डारोंमें १०,००,०००) दस लाख रुपयेका माल है। कम्पनी १) रुपया सैकड़ा वार्षिक कमीशनपर बीमा करती है। उसे इन भण्डारोंसे १०,०००) दस हजार रुपये वार्षिक मिलते हैं। अब विचार कीजिए कि हर

साल आग तो लगती ही नहीं, और लगे भी तो एक-दो भण्डारोंमें लगेगी। ऐसी सूरतमें जितने वर्ष आग न लगेगी, कम्पनीको १०००) वार्षिक बचत रहेगी। और पूँजी इकट्ठी होती रहेगी। कल्पना कीजिए कि दस वर्षतक आग न लगेगी और कम्पनीके पास १०,००,०००) दस लाख रुपये इकट्ठा हो गये। यदि अब किसी भण्डारमें आग लगी और माल जल गया, तो कम्पनी १,०००) उसे दे देगी। यह रुपया देना उसे कुछ भी न अखरेगा और दूकानदार कङ्गाल होनेसे बच जायगा। दूकानदारोंको भी इसमें कुछ नुकसान नहीं है। उन्हें सालभरमें १०) रुपये देने पड़ते हैं जो भारी नहीं पड़ते और वे जोखिमसे बचे रहते हैं। इस तरह बीमा करनेकी पद्धति बड़ी उपयोगी और लाभकारी है।

आगके बीमेकी तरह ही जलमार्गमें सही-सलामतीका बीमा, ज़िन्दगीका बीमा, अकस्मात्का बीमा और नौकरोंकी ईमानदारी वगैरहका बीमा होता है। ये भाँति-भाँतिके बीमोंकी पद्धतियाँ अभी चली हैं। इसके पहले पेशवाईके भी व्यापारियोंमें बीमा उतरवानेकी पद्धति थी। उस समय तो देशमें चोरी-डकैती, जलभञ्ज, लूट-खसोट, दूसरे राज्योंकी जब्ती आदिका भी बीमा होता था। अँगरेजी राज्यमें बीमेका पूर्ण विकास और प्रचार हुआ है। इसका व्यापार भी बेहद फैल गया है।

नैसर्गिक उपद्रवोंसे होनेवाले नुकसानको भर लेनेके लिए इस व्यवस्थित और कौशलपूर्ण बीमा-पद्धतिसे अवश्य लाभ उठाना चाहिए। कोई भी चतुर व्यापारी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हमारे देशमें प्रत्येक तरहका बीमा लेनेवाली कम्पनियाँ हैं। परन्तु वे सब विदेशियोंकी हैं। अभी थोड़ीसी देशी कम्पनियाँ भी खुली हैं, यह प्रसन्नताकी बात है। इन कम्पनियोंके चलानेका कानून भी सरकारने पास किया है।

यहाँपर विदेशियोंकी कई कम्पनियाँ हैं। उनके हाथमें देशकी बड़ी रकम है। यह रकम हमारी—भारतवासियोंकी—साम्पत्तिक स्थितिको ठीक करनेके उपयोगमें नहीं आती। यह बात अर्थशास्त्र या रकम पैदा करनेवाले शास्त्रकी दृष्टिसे बड़ी हानिकी है। यह

सच है कि ये कम्पनियाँ व्यापारियोंके नुकसानको भर देती हैं, परन्तु वे अपनी गाँठकी पूँजीसे तो नुकसान भरती नहीं, नुकसानी भरती हैं वसूल होकर इकट्ठी हुई रकममेंसे, और बाकी रकमसे स्वयं मन-माने तौर पर लाभ उठाती हैं। यदि यह बीमेका काम देशी कम्पनियोंमें हो, तो व्यापारीको नुकसान न हो और देशी कम्पनीकी पूँजी देशी उद्योग धन्धोंके विकासमें ही लगे। भारतमें सबसे पहली बीमा कम्पनी सन् १८२६ ई० में मदरासमें खुली थी।

व्यापारिक ज्ञानके साधन

व्यापारकी प्रधान पाठशाला अनुभव है। इस पाठशालामें व्यापारका बहुत ही उत्तम ज्ञान मिलता है। इसे सीखे बिना व्यापारिक ज्ञान होना असम्भव है। उम्मीदवारीमें रहकर व्यवसाय सीखे बिना व्यापारिक-ज्ञान सम्पादन करनेकी आशा करना व्यर्थ है। व्यापार करनेसे ही व्यापारकी खूबियाँ समझ पड़ती हैं। धन्धेका ज्ञान धन्धा ही देता है। अनुभव करनेमें जो हानि होती है, वही गुरुदक्षिणा है। धन्धेको शुरू करना, उसका अनुभव लेना अनुभव प्राप्त करते हुए विचार करना, अनुभवसे सत्य निश्चय करना और जितनी हो सके, जानकारी हासिल करना, यही व्यापारिक ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग है। व्यापारिक ज्ञान पाने और सम्पादन करनेका प्रथम साधन स्वयं व्यापार करना है। व्यापारी शिक्षा पानेकी मुख्य पाठशाला व्यापारियोंकी दूकानें ही हैं।

व्यापारिक ज्ञानके साथ अर्थशास्त्र (धनोत्पादक शास्त्र) और गणितशास्त्रके व्यवस्थित रीतिसे किये हुए अध्ययनका भी बड़ा भारी सम्बन्ध है। इसका अध्ययन तात्त्विक दृष्टिसे किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्रमें पैसा-सिक्का-सम्बन्धी सारी बातोंका—सारे व्यवहारोंका अच्छी तरह विचार किया जाता है। जिसमें व्यावहारिक दृष्टिसे अर्थका विचार किया जाय, उसे धनोत्पादक-शास्त्र—रुपये कमानेका शास्त्र—कहते हैं। व्यापारियोंको अर्थ-

शास्त्रके ज्ञानकी पग पगपर आवश्यकता पड़ती है । अर्थशास्त्रके सिद्धान्तसे व्यापारीको एक पग भी नहीं हटना चाहिए । सचा व्यापारी हट ही नहीं सकता । अर्थशास्त्रको व्यापार-शास्त्र कहें, तो भी अनुचित नहीं है । विशेष क्या कहा जाय, अर्थशास्त्र व्यापारियोंके लिए भगवद्गीता है—वेद है—तत्त्वार्थसूत्र है—कुरान है—इंजील है—सर्वस्व है ।

व्यापारीको इस बातके जाननेकी बड़ी आवश्यकता है कि कहाँ-पर, कितना और कौनसा माल पैदा होता है, कहाँपर कितनी मनुष्य-संख्या है, कौनसा माल तेज रहेगा, कौनसा मन्दा रहेगा । ये सब बातें अङ्कानुमानशास्त्रसे जानी जाती हैं । दुनियामें क्या उलट फेर हो रहे हैं, सो भी व्यापारीको जानने चाहिए । खेती कैसी हुई, कितना अनाज पैदा हुआ, कितना माल आया और कितना रवाना हुआ, इत्यादि विषयोंकी रिपोर्टें व्यापारीको पढ़नी चाहिए । जिसे व्यापारिक ज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा हो, उसे चाहिए कि वह व्यापार, कृषि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्टें और समाचारपत्र अवश्य पढ़ता रहे ।

व्यापारी-सभायें व्यापार-सम्बन्धी जानकारीको इकट्ठा कर रखती हैं । विदेशी व्यापारी वकील वगैरह अपनी जानकारीकी रिपोर्टें प्रतिवर्ष प्रकाशित करते हैं । व्यापार-उद्योग-धंधेके सम्बन्धमें निरन्तर चर्चा करनेवाले समाचारपत्र, मासिकपत्र और वार्षिक विवरण आदि प्रकट होते रहते हैं । व्यापार-विषयके मुख्य-मुख्य ग्रन्थ भी छपते रहते हैं । इन सबका परिशीलन करना चाहिए । व्यापारिक-ज्ञान सम्पादन करनेके ये मुख्य साधन हैं ।

व्यापारिक ज्ञानकी शिक्षा देनेका व्यवस्थित साधन यही है कि व्यापार-सम्बन्धी प्राथमिक और उच्च विद्यालयोंमें शिक्षा ग्रहण की जाय । और और देशोंमें ऐसे बहुतसे स्कूल और विद्यालय हैं, परन्तु हमारे यहाँ इनकी बहुत कमी है । अभी अभी हमारी सरकारका भी इस ओर ध्यान गया है । उसने भी कुछ कालेज खोले हैं, जिनसे बहुत कुछ लाभ होनेकी आशा है । परन्तु वास्तवमें लाभ उसी समय होगा, जब देशी विद्यार्थी देशी भाषाके

द्वारा शिक्षित होंगे और भाषाज्ञानकी दृष्टिसे अन्यान्य भाषाओंको पढ़कर लाभ उठावेंगे। व्यापारिक ज्ञान फैलानेके लिए पाठ्य ग्रन्थ, आवश्यक समाचार-पत्र मासिक पत्र, वार्षिक विवरण, आदि देशी भाषाओंमें खूब प्रचलित किये जाने चाहिए। किन्तु खेद है कि ऐसा नहीं होता। और भी एक बात है। हमारे देशके जो व्यापारी हैं, जो अनुभवी हैं, उन्हें ठीक ढगसे लिखना नहीं आता, और जो लिख सकते हैं, उनके पास इस विषयका अनुभव नहीं है। हमारे व्यापारियोंका कर्तव्य है कि वे अपने अनुभव देशी भाषाओंमें प्रकट करें। इससे इस विषयके विद्यार्थियोंको बड़ा लाभ होगा।

अंकानुमानशास्त्र—तेजी मन्दीका ज्ञान

जिसमें अंकों या संख्याओंका विचार करके अनुमान किया जाता है, वह अंकानुमान-शास्त्र है। यह एक स्वतन्त्र शास्त्र है। व्यापारमें इसका बड़ा उपयोग होता है। व्यापारका प्रथम और मुख्य आधार-स्तम्भ तेजी-मन्दीका ज्ञान है। कौनसी वस्तु कब और क्यों तेज या मन्दी हो जायगी, एकदम खप जायगी या धीरे धीरे खपेगी, इत्यादि बातोंका जानना व्यापारमें अत्यन्त आवश्यक है। व्यापारिक ज्ञानमें तेजी-मन्दीका ज्ञान होना बड़े ही महत्त्वकी बात है। यह सम्भव है या असम्भव—साध्य है या असाध्य—इस बातका निश्चय करनेकी जिसमें शक्ति हो—जो अंकानुमान-शास्त्रमें प्रवीण हो, उसे तुरन्त तेजी-मन्दीका ज्ञान हो जाता है। जिसे तेजी-मन्दी शीघ्र समझ पड़ती है, वह व्यापारमें प्रवीण कहा जाता है और वही उससे लाभ उठा सकता है। व्यापारीका मुख्य कर्त्तव्य हम पहले ही बतला चुके हैं कि वह सस्ते भावमें खरीदे और महँगेमें बेचे। अमुक माल कब और किसे अवसरपर सस्ता होता है, इसकी जानकारी होनेसे व्यापारी सस्तीके समयमें उस मालको खरीद लेगा और महँगीके स्थानसे तेजीके समय बेच सकेगा। जिस ज्ञानको अंगरेजीमें—Science of

Possibilities or Probabilities—साध्यासाध्यताका ज्ञान—हो सकने न हो सकनेका ज्ञान-कहते हैं, व्यापारीको उसकी बड़ी ही आवश्यकता है। "ऐसी स्थिति है, इसका परिणाम ऐसा होना चाहिए। ऐसी स्थितिमें अमुक बात होना सम्भव है।" इस प्रकारके अनुमान कर निर्णय करनेकी कलाको शक्याशक्यता और साध्यासाध्यताका शास्त्र कहते हैं। अंकानुमान-शास्त्रसे यह सब ज्ञान पड़ता है कि किस किस तरहके, कहाँ कहाँ और कितने कितने कारखाने हैं, उनमें कितनी कितनी तनख्वाहके, कितने कितने नौकर हैं, वहाँसे किस किस तरहका, कौन कौनसा और कितना कितना माल रोज निकलता है, कहाँपर कितना कच्चा माल तैयार होता है, कौनसा अनाज, किस प्रान्तमें, कितना बोया गया और कितना पैदा हुआ, किस प्रान्तमें कितने मनुष्य हैं, वहाँपर किस किस मालकी कितनी खपत होती है, इत्यादि। व्यापारी इस प्रकारके ज्ञानसे अनुमानद्वारा तेजी-मन्दीका निश्चय कर सकता है। इस शास्त्रमें संख्याके द्वारा निर्णय होता है, अतएव इसका नाम अंकानुमान-शास्त्र है। संख्याद्वारा निर्णय होनेपर इस बातके जाननेकी आवश्यकता होती है कि अमुक बात साध्य है या नहीं, सो इसका निश्चय शक्याशक्यता और साध्यासाध्यताके शास्त्र द्वारा होता है।

अंकानुमानशास्त्र और शक्याशक्यता—साध्यासाध्यताके शास्त्रका आपसमें सम्बन्ध है। इन दोनों शास्त्रोंका अच्छा ज्ञान हो, या होनेकी अनुकूलता हो तो तेजी मन्दीकी अटकल अच्छी तरह लगाई जा सकती है। तेजी-मन्दीकी अटकलका ज्ञान हो जानेपर व्यापार करनेकी सफल पद्धतिकी मुकर्रर कर लेनेमें कठिनाई नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि व्यापार करनेकी जिसे इच्छा हो, वह इन दोनों शास्त्रोंका ज्ञान अवश्य सम्पादन करे। अंकानुमानका ज्ञान सम्पादन करनेके लिए सरकारकी ओरसे प्रकाशित हुई पुस्तकों और रिपोर्टोंको पढ़ना चाहिए। क्या ही अच्छा हो यदि ये रिपोर्टें देशी भाषाओंमें प्रकाशित की जाया करें, या कोई सज्जन या ग्रन्थ-प्रकाशकमण्डली ही इन सब विषयोंकी पुस्तकें रिपोर्टें या वार्षिक विवरण निकालने लगे।

अर्थशास्त्रके अध्ययनकी आवश्यकता

शास्त्रोंपर अर्थशास्त्रसे मतलब धन-विज्ञानसे—सम्पत्ति शास्त्रसे—है। इस शास्त्रका विषय धन-द्रव्य-सम्पत्ति माल-पैसा है। व्यापारका मुख्य प्राण पूँजी है। व्यापारीको उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्रका ज्ञान व्यापारमें प्रवीणता सम्पादन करनेका एक प्रधान साधन है। अर्थशास्त्रमें व्यापार-सम्बन्ध बहुत कुछ विवेचन होता है। व्यापारियोंको अर्थशास्त्रसे अज्ञान न रहना चाहिए। हम जिस उद्योग धन्धेको करें, उसका बारीकसे बारीक ज्ञान हमें होना ही चाहिए। क्योंकि व्यापार और अर्थशास्त्रका बहुत ही निकटका सम्बन्ध है।

अर्थशास्त्रमें उत्पत्ति, बदलना और बाँटना इन तीन बातोंका खूब विवेचन होता है। माल तैयार करनेको उत्पत्ति, उसे किसी चीजके बदलेमें देनेको बदलना और पैदा हुए मालमें परिश्रमके अनुकूल हिस्सा करनेको बाँटना कहते हैं। अर्थशास्त्रके ये तीनों मुख्य विभाग हैं, इसीसे इस शास्त्रका सारा सम्बन्ध व्यापारके साथ आ मिलता है। अर्थशास्त्रके उत्पत्ति नामक विभागमें जमीन, मजदूरी और पूँजीका विचार होता है। मजदूरी और पूँजीके बिना जमीन सजला, सुफला और शस्य-श्यामला नहीं हो सकती। जमीन, मजदूरी और पूँजी इन तीनोंके योगसे ही मनुष्यके निर्वाहकी चीजें तैयार होती हैं। इनका योग हुए बिना कोई भी वस्तु पैदा नहीं हो सकती। पूँजीके साथ ही साख, ब्याज आदि अनेक बातोंका विचार आ खड़ा होता है। यही हाल मजदूरी और जमीनका है। अतएव धनोपार्जक जानके लिए अर्थशास्त्रका ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

बदला—यह व्यापार-वृक्षका मूल बीज है। इस विभागमें देशके आने और जानेवाले मालका और मालकी अदला-बदलीका सात्विक विवेचन रहता है।

बाँटना—इस प्रकरणमें श्रम-विभागका विचार होता है। हमारे व्यापारी इसी श्रम-विभागके व्यवसायमें लगे रहते हैं। वे इस देशका माल उस देशमें और उस देशका इस देशमें लाते रहते हैं। वे केवल इसी पद्धतिको जानते हैं। इस प्रकरणमें खपत और संग्रहका विवेचन रहता है। अप्रतिबद्ध-व्यापार और प्रतिबद्ध-व्यापारका भी इसी भागमें विवेचन किया जाता है। इस विषयके गहन और विस्तृत ज्ञानकी व्यापारियोंको बड़ी आवश्यकता है।

बिना पढ़े भी होशियार व्यापारियोंको अनुभव और अनुभवसे पैदा हुए ज्ञानके योगसे थोड़ा बहुत काम चलाने योग्य अर्थशास्त्रका ज्ञान हो जाता है। तर्कशास्त्रसे उत्तम रीतिसे वाद-विवाद करना आता है, परन्तु बहुतसे मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जो बिना तर्कशास्त्र पढ़े भी उत्तम रीतिसे वाद-विवाद कर सकते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र न पढ़कर भी अनेक सज्जन बड़े बड़े व्यापार करते हैं। ऐसा होनेपर भी हम यह नहीं कह सकते कि इस शास्त्रके पढ़नेकी आवश्यकता नहीं है। अर्थशास्त्रके पढ़े बिना जाना ही नहीं जा सकता कि इस शास्त्रका व्यापार-व्यवसायमें कितना उपयोग होता है। अर्थशास्त्र सफलताकी कुञ्जी है। इस शास्त्रकी महिमा अपार है।

जकात और व्यापार-तत्त्व

जिसके हाथमें सारी राजकीय सत्ता हो, उस राजाका वा शासन-सभाका कर्त्तव्य है कि वह अपने देशके व्यापार उद्योग-धंधोंकी रक्षा और वृद्धि करे। प्रजाकी रक्षा और प्रजाके पेट-पूजाके लिए उद्योग-धंधोंकी वृद्धि करना राजाका कार्य काम है। कर लेनेका उद्देश्य केवल कर लेना ही नहीं—जकातका उद्देश्य केवल रुपए जमा करना ही नहीं है, देशके व्यापार-धंधोंकी रक्षा करना भी है। कर दो प्रकारके होते हैं—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बाजारमें आते हुए मालपर सैकड़े पीछे या मालके वजनपर कर होता है। परन्तु यह भारी नहीं जान पड़ता। यद्यपि उसका सारा

दुनियापर—माल खरीदनेवालोंपर—हो असर पड़ता है परन्तु उन्हें अखरता नहीं। इस तरहके करको अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहते हैं। म्युनिसिपेलिटीमें जो कर देना पड़ता है, वह प्रत्यक्ष कर है। आय-कर, (इनकम-टैक्स) गृह-कर (हौस-टैक्स) आदि भी प्रत्यक्ष कर हैं।

व्यापारके विषयमें जो अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है, उसका नाम अकात है। अकात लेनेके कुछ मुख्य तत्त्व होते हैं। अकातके तत्त्वोंकी अलग अलग तीन पद्धतियाँ हैं—अप्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध और यथायोग्य। ये तीनों प्रकारकी परिपाटियां इस समय प्रचलित हैं। इनका सामान्य लक्षण बतलानेके पहले आवश्यक है कि हम यहाँपर इस बातका वर्णन करें कि अकात क्यों लगाई जानी चाहिए। व्यापार-सम्बन्धी अकात लगानेके मुख्य कारण चार हैं—

१ अपने देशके उद्योग-धंधोंके साथ, अन्य देश या प्रान्तके रोजगार प्रतिस्पर्धा न कर सकें, अपने देशके उद्योग धंधोंकी अवनति न हो, अपने देशके बने हुए मालसे विदेशोंका बना हुआ माल सस्ता आकर न बिक सके।

२ देशका कच्चा माल परदेश जाकर देशके कारीगरोंका उद्योग नष्ट न होने पावे—कच्चे मालसे पक्के मालके बनानेका धंधा नष्ट न हो जाय।

३ अनावश्यक और हानिकारक पदार्थोंकी वृद्धि न हो और न उन्हें उत्तेजन मिले।

४ देशका धन बाहरकी चीजें खरीदनेमें न उड़े—देशकी सम्पत्ति परदेशोंमें न जाने पावे।

इन चार कारणोंमेंसे किसी भी कारणसे व्यापार-रोजगार या धन्धेपर अकात लगाई जाती है। अकातके इन तत्त्वोंसे व्यापार पद्धतिके तीन प्रकार उत्पन्न होते हैं। पहला प्रकार अप्रतिबद्ध है। परदेशका माल देशमें आनेमें और देशका माल परदेश जानेमें किसी प्रकारकी रोक टोक न हो—कोई कर न लगता हो, इसका नाम अप्रतिबद्ध व्यापार है। इंग्लैंड और हिंदुस्तानकी सरकारने अब

तियद्द नीतिको स्वीकार किया है। इस नीतिसे इंग्लैंडको बेहद लाभ हुआ है और गरीब हिन्दुस्तानको बेहद नुकसान। इस नीतिसे यह देश दिनों दिन गरीब होता जाता है। इंग्लैंडके अर्थशास्त्री एडम स्मिथ वगैरहने प्रतिपादन किया है कि पहले पहल ऐसा भास होता है कि नुकसान हो रहा है, परन्तु अप्रतियद्द व्यापारसे अन्तमें लाभ ही लाभ होता है। यह ठीक है, परन्तु हमारे देशकी परिस्थितिके अनुकूल नहीं है। इस समय भारतका करोड़ों रुपयोंका माल विदेशोंमें आता है और यही वहाँ पर तैयार होकर—पुख्त माल बनकर—वापस आकर यहाँ खपता है। कच्चे मालसे पुख्त माल करनेमें जो श्रमकर, पारिश्रमक या कमाई की जाती है, उससे यहाँके श्रमजीवियोंकी कमाई विदेशी उड़ा लेते हैं। इतना ही नहीं, पुख्त मालको खरीदनेसे यहाँकी सम्पत्ति उड़ी चली जा रही है और विदेशी उससे मालदार बनकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इस अप्रतियद्द व्यापारके कारण दूसरे देशोंके कारखानेवाले तो यहाँपर अच्छी तरह माल बेच सकते हैं, वहाँ काफी लाभ होता है और बेचारे यहाँके कारखानेवाले, कारीगर, मजदूर और संक्षेपमें सारे भारतवासी धनहानि, बलहानि, जीवनहानि उठाते हैं। अतएव इस समय भारतवासियोंके लिए अप्रतियद्द-व्यापारनीति अच्छी नहीं, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी व्यापार-नीतिका नाम प्रतियद्द या विदेशी मालके आनेमें रुकावट डालनेवाली पद्धति है। हमारे देशके उद्योगोंके साथ दूसरे देशोंके उद्योग स्पर्धा न कर सकें, इसलिए विदेशोंसे आने वाले मालपर भारी महसूल लगाया जाता है। इस महसूलसे विदेशी माल बहुत महँगा हो जाता है, इतना महँगा कि देशी मालके मुकाबले ठहर नहीं सकता।

तीसरी नीतिका नाम है, यथायोग्य नीति। इसमें—'हरि कैसा? जैसेको तैसा'—वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस नीतिका उद्देश्य यह होता है कि जो राज्य हमारे साथ जैसा बर्ताव करे, हम भी उसके साथ वैसा ही करें। यदि हमारे देशका पक्का माल अंग्रेज—

टोक किसी देशमें खपता है, तो हम भी उस देशका पक्का माल अपने यहाँ बेरोक-टोक आने दें, नहीं तो नहीं। यह नहीं कि हमारा पक्का माल तो कहीं प्रवेश न करने पावे—बेरोक टोक—बिना कर दिये—आने न पावे और विदेशी मालसे हमारे बाजार भर जायँ। अँगरेजीमें जिसे फेयर ट्रेड (Fair trade) कहते हैं, उसे ही हमने यथायोग्य व्यापारके नामसे लिखा है।

अकातके लिए व्यापार-पद्धतिके इन तत्वोंका विचार करना काफी है। इन तत्वोंके सिवा भी अकात ली जाती है। सड़क, पुल वगैरहसे मालके आने जानेमें आसानी होती है। इनके खर्चके लिए भी अकात ली जाती है। सरकारी खर्चके लिए और शहरके सुधारके लिए भी अकात लगाई जाती है। अकात या महसूल लगानेका कारण ऊपर कहे हुए तत्वोंमें समाविष्ट हो जाता है। भारत-सरकारका प्रधान कर्तव्य या मुख्य धर्म यह है कि वह अकात-तत्वोंको इस तरह काममें लाये कि यहाँके सारे उद्योग धंधे खिल उठें।

मुसाफिरीसे लाभ

व्यापारीको इस बातको अच्छी तरह जाननेकी बड़ी ही आवश्यकता है कि किस किस देशमें, किस-किस प्रान्तमें और कौन कौनसे बाजारोंमें क्या क्या चीजें पैदा होती हैं और क्या-क्या खपती हैं। लोगोंके रीति रिवाज कैसे हैं, मेले-ठेले कहाँ-कहाँ होते हैं, वार-त्योहार कौन कौनसे हैं, लोकरुचि कैसी है, अन्य व्यापारी कैसे हैं क्या व्यापार करते हैं, कौनसी वस्तु कहाँपर और कैसी पैदा होती है। व्यापारीको इन सब आवश्यक बातोंकी बारीकसे बारीक जानकारी होनी चाहिए। मार्ग, सड़कें, अकातके नाके, नदी, नाले, पुल आदिकी जानकारीके साथ यह ज्ञान भी होना चाहिए कि एक स्थानसे दूसरे स्थानको मालके पहुँचाने आदिमें कितना खर्च होगा, और कितना समय लगेगा। आँखोंसे देश विदेश देखनेसे ये सारी बातें अच्छी तरह

जान ही सकती हैं। कौनसी जगह, किस समय, कौनसी वस्तु तैयार होती है और उसे खरीदनेका समय कौनसा है, इसका सच्चा ज्ञान स्वयं अपनी आँखोंसे देश-देशान्तर देखनेसे ही हो सकता है। व्यापारीका यह मुख्य कर्तव्य है कि वह क्रय-विक्रय, संग्रह-खपत और ग्राहक आढ़तिया वगैरहका अच्छा ज्ञान सम्पादन करे। इसका प्रधान और सुगम साधन मुसाफिरी है। हमारी जितनी ज्यादा जान-पहचान होगी, व्यापारमें हम उतनी ही वृद्धि कर सकेंगे। जान-पहचानपर शुद्ध व्यवहार और उत्तम परिपाटीका बहुत कुछ आधार है। यह जान पहचान मुसाफिरीसे बढ़ती है।

मनुष्य-स्वभावको परखना एक महत्त्वकी कला और व्यापार चातुर्य है। जो चाहता हो कि मुझे यह कला आवे, उसे चाहिए कि वह जहाँ तक बन सके अधिकसे अधिक मनुष्योंकी संगति करे। लोकसमुदायको सूक्ष्म रीतिसे देखे-भाले बिना यह ज्ञान नहीं हो सकता। मुसाफिरी करनेसे लोकसमूहको देखनेका प्रसंग मिलता है। मुसाफिरीसे भाँति भाँतिके अनुभव होते हैं, ज्ञान, रुचि बढ़ती है, भिन्न भिन्न स्वभावके मनुष्योंसे मिलना-जुलना होता है और वाच्यावाच्यता—साध्यासाध्यताका अनुमान करनेकी शक्ति आ जाती है। मुसाफिरीसे अटकल लगानेकी शक्ति बढ़ती है।

मुसाफिरी करना—पर्यटन करना—स्वयं एक प्रकारका व्यापार ही है। अपना माल गाँव-परगाँव या देश-परदेशमें खपानेका काम मुसाफिरीसे अच्छी तरह होता है। बाजारमें दूकान होती है। फेरीवाले दूकानसे माल ले जाते हैं और घर-घर फिरकर मालको खपा आते हैं। इसी तरह जगह जगह अपने मालको खपा आनेमें मुसाफिरीके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस तरह विचार करनेपर जान पड़ेगा कि जिसे व्यापारिक काम सम्पादन करना हो, उसे पर्यटन करना चाहिए-मुसाफिरी करनी चाहिए। हमारे देशमें तो यह काम पहलेसे ही प्रचलित है कि व्यापारीको मुसाफिरीमें ही रहना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि व्यापारीको बारहों महीने चक्कर लगाते रहना चाहिए और न हम यही कहते

है कि एकदम मुसाफिरी करते ही रहनेसे कार्य-सिद्धि होती है, किन्तु हमारे कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि व्यापारीको वर्ष भरमें कमसे-कम तीन-चार महाने पर्यटन अवश्य करना चाहिए। पर्यटनमें गाँठके पैसे खोना ठीक नहीं—मुसाफिरीका खर्च व्यापारीको चालाकीसे निकालना चाहिए। मुसाफिरी करते समय किसी वस्तुके क्रय-विक्रय द्वारा उससे अपना सफर-खर्च—पर्यटन व्यय—निकाल लेना चाहिए। जो व्यापारी जितना ज्यादा सफर करता है, वह उतना ही ज्यादा होशियार होता है, चतुर होता है और घाणाक्ष (किसीके पेंचमें न आनेवाला, समझदार) होता है। जो जितनी मुसाफिरी करता है, वह व्यापारमें उतना ही ज्यादा पक्का हुआ होता है। गरज यह कि पर्यटन व्यापारीको अत्यन्त लाभ पहुँचानेवाली वस्तु है। पर्यटन व्यापारीका जीता-जागता और फलदाता विज्ञापन है। मुसाफिरी व्यापारिक ज्ञानका विद्यालय है। पर्यटन व्यापार-चातुर्य सिखानेवाला उत्तमसे उत्तम अध्यापक है। मुसाफिरी करना व्यापारीका कर्तव्य है। समझदार व्यापारीको उचित है कि वह अपने व्यापारको विकसित करनेके लिए प्रवास किये बिना—मुसाफिरी किये बिना—न रहे।

व्यापारके सुभीते

जबतक सुभीतोंकी बहुतायत न हो, तबतक व्यापारकी वृद्धि होना असम्भव है। वर्तमान समय व्यापारकी सुविधाओंके अनुकूल है। वर्तमान समयको यदि हम व्यापारयुग कहें, तो अनुचित न होगा। शान्तिके समयमें व्यापार-वृद्धि ही प्रधान कर्तव्य आन पड़ता है। राजा और प्रजाका ध्यान व्यापार-वृद्धिकी ओर लगा हुआ है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम व्यापार-वृद्धिके साधनोंको बढ़ावें। व्यापार-वृद्धिसे देशके महत्त्वकी तुलना की जाती है और इसीमें देशका वैभव समाया होता है। देशका व्यापार बढ़ना देशके सौभाग्यका चिह्न है। पहले सबका ध्यान अस्त्र-शस्त्रोंकी ओर था और अब व्यापारकी ओर है। लार्ड मेकाले

ठेने एक समय राज-प्रतिनिधिसभामें कहा था कि हमारी सत्ता हिन्दुस्तानमें न रहे तो विशेष हानि नहीं; परन्तु वहाँका व्यापार हमारे हाथमें रहना चाहिए। इस कथनसे मालूम होता है कि इङ्लैंडके बड़े बड़े विद्वान् व्यापारको सार्वभौम-सत्तासे भी बड़ा और लाभदायक मानते हैं। सरकारके जितने सार्वजनिक और लोकोपयोगी कार्यालय हैं, उन सबका प्रधान लक्ष्य व्यापारके अनुकूल साधन खड़े करना है। ऐसा जान पड़ता है कि इस सभ्यता और शान्तिके समयमें राजकाज चलानेका अर्थ ही व्यापार-वृद्धिके अनुकूल साधन खड़े करना है। भारतकी अँगरेज़ सरकार व्यापारी है। व्यापारके बलसे ही उसने इतना बड़ा राज्य सम्पादन किया है। बहुतसे कार्यालय व्यापार-वृद्धिके लिए ही बने हुए जान पड़ते हैं। डाकखाने, तारघर, इंजीनियरी, रेल, पुल, सड़क, यहीं क्यों, पुलिस-विभागतक, व्यापारकी सुविधाओंके लिए है। लाड नायकों—समाजके अगुओं और राजपुरुषोंकी सारी खटपट व्यापार-वृद्धिके लिए हो रही है। अब यह जानना चाहिए कि इस समय व्यापारवृद्धिके लिए क्या क्या सुविधायें हैं।

डाकखाने और तारघर

डाकखाने और तारघर बड़े ही उपयोगी हैं। सस्तीमें खरीदना और महँगीमें बेचना व्यापारका मूल तत्त्व है। डाकखानेके द्वारा दो पैसे या चार पैसेके खर्चसे, कौनसी वस्तु कहाँपर कितने मोलमें मिलती है, यह सहजमें जाना जा सकता है। सारे भारत वर्षमें सैकड़ों कोसके समाचार दो पैसेमें मँगाये जा सकते हैं। पहले ऐसी सुविधा न थी। तारके द्वारा सारे संसारके समाचार आने जा सकते हैं। डाकखानेकी मार्फत मालके नमूने वगैरह मँगाये जा सकते हैं और रुपये आदि भेजे जा सकते हैं। डाकखाने और तारघर व्यापारी सुविधाओंके लिए ईश्वरीय आशीर्वादके बराबर हैं।

रेल

डाकखाने और तारघरके द्वारा कौनसा माल कहाँपर सस्ता मिलेगा यह तुरन्त जान पड़ता है और उस मालको मँग

चलनेका साधन रेल है। चाहे जितना माल, चाहे जितनी वस्तुएं, रेलके द्वारा एकदम मँगवाया जा सकता है। रेलसे व्यापारियोंको बड़ा सुभीता हो गया है। यह सुभीता सरकार और व्यापारी दोनोंने खड़ा किया है। रेलवेके साधारण नियम व्यापारियोंको बहुत कुछ मालूम होते हैं, विशेष विशेष नियम जानते रहना चाहिए।

पुल सड़कें आदि

इनसे भी व्यापारियोंको बड़ा सुभीता होता है। सरकार प्रति वर्ष लाखोंके खर्चसे इन्हें तैयार कराती है—सुधरवाती है। सड़कें, पुल, रेल, जहाज, डाकखाने, तारघर आदि सब व्यापारकी सुविधाके साधन हैं।

पुलिस

इसके द्वारा चोरी-डकैती वगैरहसे मालकी रक्षा होती है। यह भी व्यापारकी सुविधाका साधन है।

न्यायालय

लेन-देनके व्यवहारमें बेईमानी न होने पाये—न्याय हो इसके लिए अदालतें हैं। इन अदालतों—न्यायालयोंसे भी व्यापारमें सुगमता होती है। कोई विशेष बेईमानी नहीं कर पाता।

इस तरह सरकारने व्यापारकी सुगमताएँ की हैं। प्रजाने भी बैंक, दूकानें बीमा कम्पनियाँ, व्यापारी मण्डल, व्यापारी वकील, व्यापारी समाचारपत्र आदिकी सृष्टि कर व्यापारकी सुविधाएँ खड़ी की हैं। सरकारका एक व्यापारी कार्यालय भी होता है। इसके द्वारा व्यापारसम्बन्धी जानकारियाँ प्रकट की जाती हैं। सरकारके विदेश-खातेमें व्यापारी वकील भी रहते हैं। व्यापार सम्बन्धी सुविधाओंकी रक्षा करना इनका काम है। व्यापारी विद्यालय, व्यापारी ग्रन्थ, व्यापारी व्याख्यान, वगैरहसे व्यापार सम्बन्धी ज्ञानका प्रसार किया जाता है, जिसके द्वारा व्यापारमें सुविधा होती है।

पत्र-व्यवहार

व्यापार-धन्धेमें पत्र-व्यवहारका काम बड़े ही महत्त्वका है। अलग-अलग चीजोंके क्रय विक्रय, भाव-ताव और नई-पुरानी खबरोंके प्रतिदिन आनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। पत्रोंके द्वारा ग्राहकोंकी माँगका, उनकी दलीलोंका, और जो कुछ वे पूछते हैं, उन सब बातोंका उत्तर दिया जाता है। अपने माल की इत्तिला और ग्राहकोंकी आवश्यकता आदि भी पत्रके द्वारा प्रकट होती है। इस तरह कई कारणोंसे व्यापारमें पत्र-व्यवहारकी आवश्यकता है। अतएव पत्र-व्यवहारका काम सदा व्यवस्थित, नियमित और परिपूर्ण रीतिसे होना आवश्यक है। पत्र मिलते ही उसके मतलबका ध्यान रखकर जवाब लिखना चाहिए। आये हुए पत्रोंको व्यवस्थित रीतिसे रखना चाहिए, इस तरह कि कभी किसी पत्रकी आवश्यकता आ पड़े, तो वह तुरन्त ही खोजकर निकाला जा सके। होशियार व्यापारी कभी इस विषयमें भूल नहीं करता। आये हुए पत्रोंका ब्योरेवार जवाब देना चाहिए। जिस रोज पत्र आये, उसी दिन उसका उत्तर देना, बड़ी अच्छी बात है। आये हुए पत्रका उत्तर न देना असभ्यता है। अपने घर आये हुए मनुष्यकी यदि हम आव-भगत नहीं करते, तो यह हमारी असभ्यता है। यही हाल पत्रका है। यदि हम पत्रका उत्तर नहीं देते, तो यह असभ्यता तो है ही, साथ ही व्यापारके कार्यमें हमारी लापरवाही भी है। ज्यादा क्या कहें, पत्रोत्तर न देना बेरोजगार रहना है। जो मनुष्य यह चाहें कि हमें कोई असभ्य—लापरवाह—बेपरवाह या मतलबी न समझे, उन्हें चाहिए कि वे आये हुए पत्रोंका तुरन्त ही उत्तर दें। पत्रकी प्रत्येक बातका सोच-समझकर उत्तर देना चाहिए। पत्र लिखनेमें गड़बड़ न करनी चाहिए, अक्षर साफ लिखने चाहिएँ, मतलब साफ समझमें आये, ऐसी इबारत लिखनी चाहिए। नाम धाम साफ लिखना चाहिए। अपना नाम धाम पत्र पर छपा रखना हो, तो और भी अच्छा है। अब ऐसे छपे हुए कागजोंपर लिखनेका रिवाज चल भी पड़ा है। व्यापारी लोगोंका

इसी परिपाटीपर अवश्य चलना चाहिए। इससे अपने मुँहसे कहे बिना लोगोंको हमारा पता मिल जाता है। व्यापारीका यह कर्त्तव्य है कि दुनियापर यह प्रकट कर दे कि उसके यहाँ अमुक अमुक मालका व्यापार होता है। छपे हुए पोस्टकार्डों या कागजोंके व्यवहारसे यह बात सिद्ध होती है। क्योंकि इन पत्रोंपर व्यापारी, प्रिंटर, पब्लिशर, बैंकर, आदि शब्द छापकर अपने कामको प्रसिद्ध कर सकता है। यह सच है कि इससे प्रारम्भ प्रारम्भमें खर्च पड़ता है; परन्तु अन्तमें लाभ हुए बिना नहीं रहता।

अपने भेजे हुए आवश्यक पत्रोंकी नकल या सूचना रखना आवश्यक है। कभी कभी यह सूचना काम देती है। इसलिए अपने भेजे हुए पत्र और उसके पतेकी नकल रखना जरूरी है। ऐसी नकलें रखनेकी तरकीब (बिना दूनी मेहनत हुए और विशेष खर्च हुए) निकल आई है। यह नकल फोटोके समान हूबहू हो जाती है। कापीइंक (नकल करनेकी स्याही) से लिखनेसे उसकी नकल पतले कागजकी बहीपर उतर आती है। इसके लिए कागज भी खास प्रकारका काला पतला (कार्बन पेपर) आता है। व्यापारियोंके लिए आवश्यक है कि वे अपने भेजे हुए पत्रोंकी नकल रक्खे बिना न रहें। पत्र-व्यवहारमें आलस्य रखना ठीक नहीं। जो पत्र-व्यवहारमें कच्चा होता है उसके फँसनेके बहुत प्रसंग आते हैं। पत्र-व्यवहारमें देर करना, आलस्य करना, यह सब अपने हाथसे अपना मोल घटाना है। अतएव पत्र-व्यवहारमें सदा दक्ष रहना चाहिए।

पत्र-व्यवहार करना घर बैठे संसारके साथ वार्तालाप करना है। जबानी बात-चीत करनेमें जितनी चतुराई रखनी पड़ती है, उससे विशेष चतुराई पत्र-व्यवहारमें रखनी चाहिए। सफेदपर काला करनेमें बड़ी सावधानीकी जरूरत है। हम पत्र-व्यवहारके आवश्यक और मुख्य नियम यहाँपर लिख देते हैं। इनपर ध्यान रखना चाहिए—

१ अपने यहाँ आये हुए पत्रोंपर आनेकी तारीख लिखकर उनकी नोंध करना।

९ पूँजीवाला हिस्सेदार हो, तो वह जितना दूर रहनेवाला हो उतना ही अच्छा। पूँजीवाला हिस्सेदार धंधेसे जानकार हो, तो बहुत अच्छा, अनजानके साथ मिलकर व्यापार करना दौता-कच कच करनेका और अपयश पानेका साधन है।

१० अनुभवहीन और छिपावट रखनेवाले पूँजीवालोंको हिस्सेदार न रखना चाहिए।

११ साझेका व्यापार करनेके पहले खूब पुख्त विचार करना चाहिए।

१२ लोगोंके पाससे आनेवाली रकमपर विश्वास रखना धोखेसे खाली नहीं होता। लोगोंके पाससे आनेवाली रकमपर विश्वास कर व्यापार करनेवाला व्यापारी कभी न कभी फँसे बिना नहीं रह सकता।

१३ अपना देना खरा है, सो तो ठीक समयपर देना ही पड़ेगा, परन्तु लेना खरा है, सो ठीक समयपर आ ही जायगा—ऐसा भरोसा न रखना चाहिए।

१४ यह बात छिपी हुई रखनी बहुत ही कठिन है कि कर्ज कितना है और कब देना है। अतएव सबसे अच्छा तो यह है कि जहाँतक बन पड़, कर्ज न लिया जाय। अपने माथेके कर्जका हाल दूसरोंको मालूम होने देना अपनी साखका गला घोंटना है—अपने हाथसे ही अपनी स्थिति ऐसी कर डालना है कि कोई अपना भरोसा न करे।

१५ जिसका लेन-देन गुप्त न हो, उसकी साख किसी गिनतीमें नहीं रहती।

१६ जिसके सिरपर कर्ज है, समझना चाहिए कि वह व्यापारी अपनी इज्जत, आबरू, स्वतन्त्रता और सुख दुश्मनोंके हाथमें दे चुका।

१७ देनदार व्यापारीका नाम कमलपत्रके ऊपरके पानीके समान अनिश्चित-चंचल है।

१८ कर्ज व्यापारका क्षयरोग है और क्षयरोगकी उपेक्षा करना मौतको बुलाना है।

१९ साखसे कर्ज लेकर हिस्सेदारीमें खूब नफा उठाना दुर्घट काम है। इस तरह लाभ उठाना भाग्यवानोंका चिह्न है।

२० व्यापारी धनवान् है या नहीं, यह उसका भायसे नहीं, वच तसे आना जाता है।

२१ दूसरेका पूँजी और अपना ज्ञान, इनके योगसे व्यापार करना व्यापारिक कौशल है। यह पूँजी कर्ज न होना चाहिए। पूँजीवाला अपने लाभके विचारसे स्वयं दे, ऐसा पूँजी होनी चाहिए।

२१ जिसके पास पूँजी न हो, उसे चाहिए कि पहले नौकरी करके विश्वास जमावे, धरोहर रखके द्रव्य सम्पादन करे और फिर स्वतन्त्र धंधा करे।

२३ जिसके पास साख, ज्ञान और नक्द पूंजी, इन तीनोंकी समान अनुकूलता न हो, उसे जवाबदारीपर व्यापार न करना चाहिए। ऐसे मनुष्यको उचित है कि वह उम्मीदवारी, नौकरी और हिस्सेदारीकी श्रेणियोंपर क्रमशः चढ़े। एकदम ऊपर न कूदे। यदि एकदम ऊपर चढ़ जाय और फिर नीचे गिर पड़े, तो उसे फिर चढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए।

२—नामा—बही-खाता

१ व्यापारीको चाहिए कि वह रोज आय-व्यय लिखकर बाकी रोकड़ सँभाला करे।

२ ऊँटपर चढ़कर झोंके खानेवाला और याद पर करके बही-खाता लिखनेवाला गिरे बिना न रहेगा।

३ बही-खातेको—नामेको—रोज देखने-भालनेवाला फायदा ही उठाता है।

४ बही-खाता सरस्वती है—लक्ष्मी है—व्यापारीका प्राण है। उसे सदा शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए।

५ पैसा हाथमें आये बिना जमा नहीं करना चाहिए और लिखे बिना देना न चाहिए

९ पूँजीवाला हिस्सेदार हो, तो वह जितना दूर रहनेवाला हो उतना ही अच्छा। पूँजीवाला हिस्सेदार अंधेसे जानकार हो, तो बहुत अच्छा, धनवानके साथ मिलकर व्यापार करना थोड़ा-बहुत कष्ट करनेका और अपयश पानेका साधन है।

१० अनुभवहीन और छिपावट रखनेवाले पूँजीवालोंको हिस्सेदार न रखना चाहिए।

११ साझेका व्यापार करनेके पहले खूब पुख्त विचार करना चाहिए।

१२ लोगोंके पाससे आनेवाली रकमपर विश्वास रखना धोखेसे खाली नहीं होता। लोगोंके पाससे आनेवाली रकमपर विश्वास कर व्यापार करनेवाला व्यापारी कभी न कभी फँसे बिना नहीं रह सकता।

१३ अपना देना खरा है, सो तो ठीक समयपर देना ही पड़ेगा, परन्तु लेना खरा है, सो ठीक समयपर आ ही आयगा—ऐसा भरोसा न रखना चाहिए।

१४ यह बात छिपी हुई रखनी बहुत ही कठिन है कि कर्ज कितना है और कब देना है। अतएव सबसे अच्छा तो यह है कि जहाँतक बन पड़े, कर्ज न लिया जाय। अपने माथेके कर्जका हाल दूसरोंको मालूम होने देना अपनी साखका गला घोंटना है—अपने हाथसे ही अपनी स्थिति ऐसी कर डालना है कि कोई अपना भरोसा न करे।

१५ जिसका लेन-देन गुप्त न हो, उसकी साख किसी गिनतीमें नहीं रहती।

१६ जिसके सिरपर कर्ज है, समझना चाहिए कि वह व्यापारी अपनी इज्जत, आबरू, स्वतन्त्रता और पुरुष दुश्मनोंके हाथमें दे चुका।

१७ कर्जदार व्यापारीका लाभ कमलपत्रके ऊपरके पानीके समान अनिश्चित-चंचल है।

१८ कर्ज व्यापारका क्षयरोग है और क्षयरोगकी उपेक्षा करना मौतको बुलाना है।

१९ साखसे कर्ज लेकर हिस्सेदारीमें खूब नफा उठाना दुर्घट काम है। इस तरह लाभ उठाना भाग्यवानोंका चिह्न है।

२० व्यापारी धनवान् है या नहीं, यह उसकी आयसे नहीं, वचसे जाना जाता है।

२१ दूसरेकी पूँजी और अपना ज्ञान, इनके योगसे व्यापार करना व्यापारिक कौशल है। यह पूँजी कर्ज न होना चाहिए। पूँजीवाला अपने लाभके विचारसे स्वयं दे, ऐसी पूँजी होनी चाहिए।

२२ जिसके पास पूँजी न हो, उसे चाहिए कि पहले नौकरी करके विश्वास जमावे, धरोहर रखके द्रव्य सम्पादन करे और फिर स्वतन्त्र धंधा करे।

२३ जिसके पास साख, ज्ञान और नकद पूंजी, इन तीनोंकी समान अनुकूलता न हो, उसे जवाबदारीपर व्यापार न करना चाहिए। ऐसे मनुष्यको उचित है कि वह उम्मीदवारी, नौकरी और हिस्सेदारीकी श्रेणियोंपर क्रमशः चढ़े। एकदम ऊपर न कूदे। यदि एकदम ऊपर चढ़ जाय और फिर नीचे गिर पड़े, तो उसे फिर चढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए।

२—नामा—बही-खाता

१ व्यापारीको चाहिए कि वह रोज आय-व्यय लिखकर बाकी रोकड़ सँभाला करे।

२ कैंटपर चढ़कर जोंके खानेवाला और याद पर करके बही-खाता लिखनेवाला गिरे बिना न रहेगा।

३ बही-खातेको—नामेको—रोज देखने-भालनेवाला फायदा ही उठाता है।

४ बही-खाता सरस्वती है—लक्ष्मी है—व्यापारीका प्राण है। उसे सदा शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए।

५ पैसा हाथमें आये बिना जमा नहीं करना चाहिए और टिके बिना देना न चाहिए

६ बही-खाते महीनेकी अन्तिम मितीतक रोजाना साफ लि॰ रहने चाहिए।

७ देना बहुत हो जानसे बही-खाते देखते आलस्य आता है झुंझलाहट होती है और ऐसा होना आखिरकार फजीह॰ कराना है।

८ अपने बही-खाते किसीको व्यर्थ न दिखलाने चाहिये, पर॰ प्रसङ्ग आ पड़नेपर वैसा करनेसे चूकना भी न चाहिए।

९ बही-खाते सदा अपने ही हाथमें रखने चाहिए।

१० कहनेका मतलब यह है कि बही-खातोंको पवित्र रखने॰ सदा सावधान रहना चाहिए।

११ यदि हम नामा रखना, या लिखना न जानते हों, तो य॰ काम हमें अपने अत्यन्त विश्वासपात्र मनुष्यसे कराना चाहिए, ऐसे वैसे प्रत्येक मनुष्यसे यह काम लेना ठीक नहीं।

बर्ताव-सदाचार

१ व्यापारीके लिए मीठी बोली, शान्त स्वभाव और सहनशील प्रकृति ये गुण आवश्यक हैं।

२ व्यापारीके लिए 'नहीं' उत्तर देनेका ज्ञान सम्पादन आव॰ श्यक है। बहुतसे व्यापारी ऐसे देखे गए हैं जो जबानसे तो 'हाँ, हाँ' कहते हैं और कामसे 'नहीं' प्रकट करते हैं। यह ठीक नहीं। इसका परिणाम पहलेसे 'नहीं' कहनेकी अपेक्षा बहुत ज्यादा खराब होता है। पहलेसे 'नहीं' कह देनेमें लोगोंको बुरा नहीं लगता और स्वयं भी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। पर यह काम कठिन है, इसे सीख रखना चाहिए।

३ व्यापारीको बकबक न करना चाहिए और बातमेंकी अपना॰ चुनना ज्यादा चाहिए। सब व्यापारी ज्यादा बातमपाले नहीं होते।

४ अपना मतलब किसीका जाहिर न होने देना व्यापारकी चतुराई है।

५ व्यापारीके बोलनेका चतुराई यह है कि वह किसीपर यह प्रकट न होने दे कि उस सामनेवालेका विश्वास नहीं है। लोगोंको यह मालूम न होने देना चाहिए कि अमुक व्यापारीकी जवान हा जपान है—हृदय ऐसा नहीं है।

६ व्यापारीमें आछा और चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधमयी प्रकृति और क्रूर चाला न होना चाहिए।

७ औरोंपर भरोसा रखना स्वयं अपना नाश करना है।

८ निम्नलिखित बात यद्यपि कठिन हैं, तथापि अत्यन्त आवश्यक, और व्यापारियोंका कल्याण करनेवाली हैं—वाणीसे मनुष्योंको वश किया जाय वर्तावसे अपने आदरको बढ़ाया जाय और व्यवहारसे अपना विश्वास जमा लिया जाय।

९ व्यापारीको ऐसी गप-शपमें शामिल होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि जिससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो।

१० व्यापारीको जहाँतक बन पड़े झंझटोंमें पड़ना, दूसरोंके काममें व्यर्थ माथापच्ची करना, किसीके साथ बहुत घना सम्बन्ध रखना, उचित नहीं है और न बिलकुल अनजान ही रहना ठीक है। मतलब यह है कि व्यापारीको खूब सोच-समझकर अपना बर्ताव स्थिर करना चाहिए।

११ झूठ बोलना, कपट करना, मिथ्या भ्रम-दिलासे देना, ये व्यापारीके लक्षण नहीं हैं। यह तो एक प्रकारका आत्मघात है। इन कामोंसे अपनी उन्नति मानना भूल है।

१२ व्यापारीके आचरणमें दया, परोपकार और दानशीलता अवश्य रहनी चाहिए और इन गुणोंसे दूसरोंको लाभ पहुँचाना चाहिए।

१३ व्यापारीको चाहिए कि मनोनिग्रह करे, दुराचारका सेवन न करे। उसे मीठी बोली और सादे रहन-सहनसे अपना आदर दूना करना चाहिए। ऐसा बर्ताव रखना चाहिए कि जिससे किसीको यह मालूम न हो व्यापारी स्पर्धा कर रहा है

४—व्यवहार

१ जो व्यापारी क्रय विक्रय नगद रुपयेसे नहीं करता, या वैसा करनेकी पद्धति नहीं जारी करता वह आगे पीछे नष्ट हुए बिना नहीं रहता।

२ दूसरोंपर बेहद विश्वास करनेसे पश्चात्ताप ही हाथ आता है और किसी लाभकी आशा नहीं।

३ प्रतिस्पर्धामें महानुभावता रखनी चाहिए और वह अपने बर्तावमें दिखलानी चाहिए।

४ अपने बराबरके व्यापारियोंके सम्बन्धमें पीछेसे बुरी सम्मति देना और अपनी बड़ाईकी या अन्यान्य व्यापारियोंकी निन्दा करना नीचता और असभ्यता है।

५ हिसाब न रखकर लेनदेन करना दूसरोंका फायदा करनेवाला है।

६ जितना मिले उतना नफा लेकर नुकसान हुआ हो, सब्र कर लेना चाहिए ज्यादा नफेकी आशासे नुकसानमें न उतरना चाहिए।

७ ज्यादा नफा और कम व्यवहारकी अपेक्षा कम नफा और ज्यादा व्यवहार अच्छा है।

८ जिस व्यवसायकी पूरी लगन न हो, उससे कुछ लाभ नहीं होता।

९ नुकसान होनेका खास कारण बहुत बड़ी आशा और भारी नफेकी लालसा है।

१० जो व्यापारी अपने ग्राहकको प्रसन्न नहीं रख सकता उसके व्यापारमें कभी बरकत नहीं होती।

११ जिस व्यापारके साधन अपने हाथमें न हों उसमें बरकत पाकर सुखी होनेकी आशा रखना व्यर्थ है।

१२ जिस व्यापारीमें दृढ़ निश्चय करना, शीघ्र निर्णय करना और झटपट फैसला करना, ये तीन गुण नहीं हैं, उसे सफल-मनोरथ होनेकी आशा न करना चाहिए।

१३ निश्चयपूर्वक धैर्यसे किये हुए व्यापारमें ही सफलता होती है।

१४ अधूरी पूँजी, अविश्वासपात्र नौकर और अनिश्चित व्यवसाय ये अपयशके कारण हैं।

१५ अपनी हिम्मत न हो, घरकी पूँजी न हो, निजी अनुभव न हो और स्वयं देख-रेख न रक्खा जा सकता हो, तो ऐसे मनुष्यके लिए यही अच्छी सम्मति है कि वह स्वयं अपनी जोखिमपर व्यापार न करे।

प्रामाणिकता

उत्तम स्त्रियोंका श्रेष्ठ शृंगार जैसे पातिव्रत्य है, वैसे ही व्यापारीका श्रेष्ठ शृंगार प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता व्यापारिक जीवनकी सफलता है। प्रामाणिकता किसे कहते हैं, इसके समझानेकी आवश्यकता नहीं। व्यापारमें लेन-देन, वचन, पत्र-व्यवहार और आस-खास मुख्य बातें हैं इनमें सदा सचाई रखनी चाहिए। झूठसे कभी बरकत नहीं होती। प्रामाणिकताके बराबर उत्तम और सुखदायक कुछ नहीं है। प्रामाणिकतामें हानि नहीं है। इसीमें कीर्ति और इज्जत-आबरू है। प्रामाणिकपन व्यापारीका सौभाग्य-तिलक है। व्यापारीको कीर्ति, लाभ और कौशलकी आवश्यकता है और ये तीनों बातें प्रामाणिकतासे प्राप्त होती हैं।

व्यापारीके बही-खाते खरे होने चाहिए। उनमें ज़रा भी फर्क रखना ठीक नहीं है। लेन-देन होते ही तुरन्त लिखा जाना चाहिए। बही-खाते इतने साफ होने चाहिए कि जब चाहे तब दिखलाये जा सकें। साफ बही-खातेवालोंको सरकारकी ओरसे भी उसकी प्रामाणिकताके कारण सहायता मिलती है। यदि उसे नुकसान हो, तो सरकार उसे फिर उद्योग करनेकी सलाह देती है और लेनदारोंकी ओरसे त्रास न होने देनेका सर्टिफिकेट देती है।

इसके विपरीत जिसका हिसाब ठीक नहीं होता, उसे सज़ा देती है।

अतएव व्यापारीको सबसे पहले, हिसाब साफ रखना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर सब ठीक तौरपर समझ लें, उसमें किसीको सन्देह न रहे। खोटा हिसाब रखना महापातक है।

व्यापारी अपने मालको खूब कीमत वसूल करना चाहे, यह तो स्वाभाविक है; परन्तु खराब मालको ठीक बतलाना सर्वथा अप्रामाणिकता है। अपना माल ग्राहकको दिखला देनेके बाद उसकी परखमें ग्राहक भूल करे, तो इसमें व्यापारीका दोष नहीं है। माप, माल और कीमतमें ही अप्रामाणिकता होती है। व्यापारीको चाहिए कि माल दिखलाकर कहे कि अच्छी तरह देख लीजिए, यह माल है और दिखानेके बाद वैसा ही माल ठहराई हुई कीमतपर पूरा पूरा दे दे। इसीमें प्रामाणिकता है। भावमें जो ठहरे, सो ठीक। परन्तु माप-तौल और मालमें फेरफार न होना चाहिए। इस तरहसे लाभ उठानेकी इच्छा करनेमें भी महापाप है—राजाका गुनाह है। व्यापारमें सचाई ही लाभदायक है। प्रामाणिक व्यापारी सचाईको नहीं छोड़ता—ऐसा चालाकियाँ नहीं करता।

संक्षेपमें यही कहना है कि जिसमें प्रामाणिकता नहीं है, वह व्यापारी ही नहीं है। प्रामाणिक व्यापारीको सब चाहते हैं, उसकी कीर्ति फैल जाती है और बाजारमें उसकी आबरू होती है; परन्तु अप्रामाणिककी नहीं। कम ज्यादा नफा होनेका आधार बाजारके रुख और समयपर निर्भर है। प्रामाणिक होना सबके हाथकी बात है। उसमें पूँजीकी जरूरत नहीं है। प्रामाणिकता हर कोई रख सकता है। व्यापारियोंको आरम्भसे ही इसका अभ्यास करना चाहिए।

व्यापार-नीति

व्यापार कपटका रोजगार है, झूठ बोलनेका व्यवहार है, व्यापारमें झूठ-साँचके बिना गति ही नहीं है, इत्यादि बहुतसी बातें लोगोंके मुँहसे सुन पड़ती हैं। व्यापार नीतिके सम्बन्धमें ऐसा भ्रष्ट लोक-मत हो जाना बड़ी ही बुरी बात है—दुर्भाग्य है। अफसोस है कि बहुतसे व्यापारी आचरण भी ऐसा ही करते हैं। व्यापार-नीतिका स्वरूप विशेष शुद्ध और उदात्त होना चाहिए। व्यापारमें अनीतिका धिक्कार किया जाना चाहिए। व्यापार बड़ा ही श्रेष्ठ, अत्यन्त महत्त्वका और अत्यन्त गहरा विषय है। इसमें नीतिकी ऐसी खराबी होनी ठीक नहीं। जिसमें नीतिका अपमान और अनीतिका महत्त्व हो, उस धन्धेकी कीमत फूटे बदामके भी बराबर नहीं है। ऐसे धन्धेसे दूर रहनेमें ही चतुराई है। जिस धन्धेपर देशके वैभवका और मनुष्य-जातिकी सुख-समृद्धिका आधार है, उसके लिए यह कहना कि यह नीतिमय नहीं हो सकता अनीतिसे ही चलता है—कदापि ठीक नहीं है।

यह कल्पना ही ठीक नहीं है कि व्यापार और नीति अलग अलग हैं। सच बोलना, प्रामाणिक और विश्वासपात्र रहना, नीतिसे बाहर होना नहीं कहा जा सकता। अपनी पूँजीसे लोगोंका भरण पोषण करनेकी व्यवस्था करना क्या अनीति है? लोगोंकी आवश्यकताओंको जितना हो सके, कम भावपर पूरा करना क्या अन्याय है? अपने प्राणोंसे भी प्यारे पैसेको जोखिममें डालनेकी प्रवृत्तिका हेतु बुरा नहीं हो सकता। अतएव व्यापारको अनीतिमय कहना अन्याय है। सारे जगतकी उथल-पुथलको ध्यानमें रखकर सस्ते मालको खरीदना और अपनी मेहनत और पूँजीका बदला लेकर बेचनेका व्यवसाय करना दुव्यसन नहीं है। सच्चा व्यापारी खोटी बात नहीं कहता। जिस बातके कहनेमें उसे नुकसान हो, उसे यदि वह नहीं कहता, तो कुछ बुराई नहीं है। अपनी मेहनत, अपना खर्च, जोखिममें उतरनेका बदला, व्यापारीका

नफा, मजदूरोंकी मजदूरी ये सब मिलकर वस्तुकी कीमत होती है। अमुक काम मुफ्तमें हो जाय या थोड़ेमें हो जाय, ऐसी इच्छा अप्रामाणिक मनुष्योंकी होती है। इसी तरह वाजिबसे ज्यादा नफेकी इच्छा भी अप्रामाणिकता है। व्यापारमें स्पर्धा होती है। स्पर्धासे नफेमें कमी पड़ती है। माल उधार देनेसे उसपर नफा बढ़ाना पड़ता है। उधारकी परिपाटीसे व्यापारी अप्रामाणिक हो जाता है। यह अप्रामाणिकताके साधनोंमें एक साधन है। व्यापारमें नफा मजदूरी है। मजदूरी कम या ज्यादा लेना प्रामाणिकताका कारण हो सकता है, परन्तु मजदूरी माँगनेमें अनीति नहीं हो सकती। अपने खोटे मालको सौगन्ध खा-खाकर अच्छा बतलाना, माल दिखलाना एक, भाव करना दूसरेका और देना तीसरा ही, यह व्यापार नहीं है—धोखेबाजी है—लुच्चाई है। अगर कोई व्यापारी इस तरहका काम करता है, तो यह दोष उसका ही है—धन्धेका नहीं। मालको परख कर लेना खरीदारीका काम है। इसमें भूल करना अपनी गल्ती है। इसका ऐब दूसरोंपर लगाना ठीक नहीं—असभ्यता है। ऐसा हो, तो भी व्यापारमें नीतिकी आवश्यकता है, अनीति इष्ट है ही नहीं। जो व्यापारी नीतिकी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, वही सच्चा व्यापारी है। व्यापारकी क्या नीति है, इसको यहाँपर हम सूत्ररूपसे लिखते हैं—

१ व्यापारीको सत्य ही कहना चाहिए। जहाँपर सत्य कहना इष्ट न हो, वहाँपर चुप रहना चाहिए, परन्तु झूठ न बोलना चाहिए।

२ अपना ऐब दूसरोंको न मालूम होने देना पाप नहीं है, अपना अनुभव न कहनेमें अन्याय नहीं है परन्तु कहनेके बहाने झूठ कहना पाप है।

३ अपने वचन पालना चाहिए, न पालना पाप है।

४ करार पालना चाहिए। पालना अशक्य हो, [illegible] पहलेसे सूचना दे माफी माँगनी चाहिए। [illegible] हो [illegible] न हों, तो वे भी प्रकट कर [illegible]

५ लोगोंका विश्वास अपने परसे उठ जाय, ऐसा कोई काम न करना चाहिए। विश्वासघात करना महापाप है। अपनी इच्छा पूरी न हो, वास्तविक भूल न हो और विश्वासघातका आरोप आता हो, तो सप्रमाण अपनी निरपराधिता साबित करना चाहिए।

६ जमानत, जवाबदारी और बीच-बचावमें पड़ना ठीक नहीं। यदि इन जोखिमोंमें उतरनेका पूरा सामर्थ्य हो, तो उतरना चाहिए; अन्यथा नीतिमें धक्का आनेकी बहुत सम्भावना है।

७ तुच्छ डाह, बराबरीके धन्धेवालोंसे मात्सर्य और प्रतिस्पर्धीकी पीठ-पीछे निन्दा यह असभ्यता है, नीति नहीं। जो कुछ कहना हो, चार आदमियोंके सामने रूबरू कहना चाहिए।

८ विश्वासघात, बातसे बदल जाना, ठगपन और दगा इनका विचार भी व्यापारीके जीमें न आना चाहिए।

९ सरकारी कानूनके पेचमें न आकर चाहे जिस प्रकारसे पैसे कमानेका नाम व्यापार है, ऐसी समझ अनीतिपूर्ण है।

१० लोगोंकी मूर्खता, भोलापन और विश्वासका बेतरह लाभ उठाना व्यापार-कला नहीं है, लुटेरापन है—लुच्चाई है।

११ व्यापारीका काम है प्रामाणिकताके साथ काम करना। उसका मुख्य कर्तव्य है कि अप्रामाणिकतासे जो मिलता हो, उसका त्याग करे। यही सच्ची व्यापार-नीति है।

१२ व्यापारीका यह काम है कि वह अपने मालको इस तरहका मनोहर बतला सके कि ग्राहक ललचाया करे, परन्तु झूठ बोलकर ऐसा न करे।

१३ व्यापारीकी यह एक उत्तम कला है कि लोगोंका विश्वास उसपर जम जाय और वे उसकी बातको सच समझें। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि इस व्यवहारसे लोगोंको ठगना न चाहिए, उनके साथ सच्चा व्यवहार रखना चाहिए।

इनके सिवा और भी बहुतसे नियम बतलाये जा सकते हैं, परन्तु मुख्य बात इतनी ही है कि व्यापारमें नीतिमत्ताकी आय

श्यकता है। व्यापार और नीति एक ही जगह रहनी चाहिए। नीतिकी मर्यादाका व्यापारीको उल्लङ्घन न करना चाहिए। व्यापारमें नीति और अनीति बहुत ही पास पास होती हैं। ज़रा भी चूके कि नीतिसे अनीतिमें पैर आ पड़ता है। बहुत ही नाज़ुक धन्धोंमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जो ऐसी सावधानी रखता है, उसीको इज़्ज़त आबरू बढ़ती है। विश्वास और द्रव्य दोनों पाना बड़ा कठिन है। व्यापार बड़ी ही सावधानीका धन्धा है। आबरू काँचके मुआफ़िक है, यह बिगड़े बाद फिर ठीक नहीं हो सकती।

व्यापार एक प्रकारका रण-संग्राम है। व्यापारमें नुकसान होनेसे तुच्छ मनुष्य निन्दा करते हैं, अच्छे नहीं। व्यापारमें नुकसान होना तिरस्कार करने योग्य अपराध नहीं है—अक्षम्य पातक नहीं है। मैंने अमुक व्यापार किया और उसमें इस तरह नुकसान हुआ, इस तरह साफ़ कहनेवालेको हर कोई मदद दे सकता है। ऐसे व्यापारियोंको निरपराध ठहरानेके लिए सरकारने एक स्वतन्त्र नियम बना रक्खा है।

धर्मपर श्रद्धा

व्यापार अनन्त चिन्ताओंका स्थान है। व्यापारमें बड़ी ही पराधीनता है। नफ़ेके लिए हज़ारोंकी जोखिममें उतरना पड़ता है, दूसरोंकी साखपर रुपया देना पड़ता है। इस तरह यह सर्वांशमें नैसर्गिक उथल-पुथलके आधारपर रहनेवाला धन्धा है। इसमें दिनरात चिन्ता रहती है। यह चिन्ता मर्यादा और असह्य न हो जाय, इसके लिए आवश्यक है कि धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रक्खी जाय। धर्मकी श्रद्धा ऐसी वस्तु है जिसमें कि चिन्ता उद्वेग, भय आदि सबका नाश हो जाता है। जिसे धर्मपर श्रद्धा न हो, उसे व्यापार जैसे चिन्तामय कामें न पड़ना चाहिए। जिसे धर्मपर श्रद्धा नहीं है, उसे

व्यापारमें समृद्धि नहीं मिल सकती, उसे व्यापारमें सुख भी नहीं होता। व्यापारमें बड़ी हिम्मत चाहिए—मनुष्यों-पर विश्वास चाहिए। जिसका विश्वास धर्मपर नहीं, वह विश्वासी कैसे हो सकता है? व्यापार अनेक व्यक्तियोंकी प्रामाणिकताका परिणाम है। धर्मसे प्रामाणिकता आती है। व्यापारियोंको धर्मस्नेही होना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वरकी स्तुति करनी चाहिए, अपने चित्त और चरित्रको उच्च बनाना चाहिए। दुनियाँको दिखानेके लिए नहीं, किन्तु अपनी उच्चताके लिए आन्तरिक शुद्धिके लिए—धर्मका पालन करना चाहिए। इस धर्म-श्रद्धासे ही व्यापारी निराकुलतापूर्वक अपने धंधेको अच्छी तरह कर सकेगा और आत्म-कल्याणके साथ लोक-कल्याण भी कर सकेगा।

समाप्त

ब्याही बहू ।

लेखक–

सूरजभान वकील ।

स्त्रियोपयोगी साहित्य ।

गृहदेवी	ले०, बाबू सूरजभानजी वकील	1)
जननी और शिशु	,, ,,	||=)
सदाचारकी देवी	,, ,,	1)
मंगला देवी	,, ,,	=)
जीवननिर्वाह	,, ,,	1)
अच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा		=)
चरित्रगठन और मनोबल		=)
भारतरमणी (नाटक) ले० द्विजेन्द्रलाल राय		|||=)
सीता	,, ,,	||-)
गृहिणीभूषण ले०, शिवसहाय च०		||)
मितव्ययता (गृहप्रबन्धशास्त्र)		||=)
उपवास-चिकित्सा		||)
प्राकृतिक चिकित्सा		|=)
सुगम चिकित्सा		=)
आरोग्यसाधन ले०, म० गाँधी		|-)
अंजना (पौराणिक नाटक), सुदर्शन		|=)
सन्तानकल्पद्रुम ले०, वैद्य रामेश्वरानन्द		1)
श्रमण नारद शिक्षाप्रद पवित्र कहानी		=)
प्रतिमा पवित्र शिक्षाप्रद उपन्यास		1|)

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० गिरगाँव, बम्बई ।

Printed by D. S. Sakhalkar at the Lokasevak Press, Bombay No. 4 and Published by Nathuram Premi Proprietor Hindi Granth Ratnakar Karyalaya Hirabag, Girgaon Bombay

ब्याही बहू

—~ ~—

लेखक

श्रीयुत बाबू सूरजभानुजी वकील,

देवबन्द (सहारनपुर)

प्रकाशक,

हिन्दी-ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय,

गिरगाँव, बम्बई

—— ० ——

फाल्गुन १९८२ वि

तृतीयावृत्ति] माघ १९२६ ई० [मूल्य चार आने

प्रकाशक—
नाथूराम प्रेमी, मालिक—
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय,
गिरगांव—बम्बई।

मुद्रक:—
नरसिंह विट्ठल भागवत,
लोक-सेवक प्रेस, खटाव मकनजीकी
वाडी, गिरगांव—बम्बई।

ब्याही बहू।

बेटीका डोला।

संसारमें आदमीके दो ही रूप हैं, मर्द या औरत। मर्द तो जिस घरमें पैदा होते हैं उसीमें पलते हैं, उसीमें जवान होते हैं और उसीमें सारी उमर बिताते हैं, परन्तु स्त्रियोंकी बात निराली है। ये जिस घरमें पैदा होती हैं और जहाँ पाली-पोसी जाती हैं, जवान होनेपर वहाँ नहीं रहने पातीं, उनको अवश्य ही पराये घर जाना पड़ता है और सारी उमर उस दूसरे ही घरकी होकर रहना पड़ता है। अमीर हो चाहे गरीब, लखपती हो चाहे कंगाल, कोई भी अपनी बेटीको सारी उमर घरपर नहीं रख सकता। बहुतसे आदमी ऐसे देखनेमें आते हैं जो औलादके नदादे हैं, जिन्होंने तड़फ तड़फकर और सैकड़ों मिन्नतें मनाकर औलादके नाम बेटी पाई है, जिन्होंने अपनी बेटीको बेटोंसे भी ज्यादा लाड़ लड़ाया है और अपने प्राणोंसे भी ज्यादा जाना है, जो अपनी बेटीको देखदेखकर जीते और बात बातमें उसपर वार वार जाते हैं, लेकिन आखिर उन्होंने भी किसी दूसरेको ही अपनी बेटीका हाथ पकड़ाया और अपना प्यारे खिलौनेको किसी दूसरेको ही सौंपा।

डोलेमें बैठते समय बेटीको सोचना चाहिए कि यह अनोखी बात कुछ उसीके वास्ते नहीं हुई है, बल्कि बेटी-जातिके साथ सदा ऐसा ही होता आया है और आगे भी सदा ऐसा ही होता रहेगा, और यह है भी बड़ी खुशीकी बात। देखो, जबसे तुम्हारे माँ-बापने ब्याह रचाया

है। पर तुम मर्दोंकी खुशीको क्या जानि,नकती हो, सुसराल पहुँचकर औरतोंकी खुशीको देखना—जहाँ खुशीका वार होगा न पार। तुम्हारी सास तो तुमको डोलेसे उतारते ही तुमपर निछावर हो हो जायगी, तुमको अपने घरका चिराग मानेगी और सचमुच तुम होगी भी उसके घरका चिराग हा। क्योंकि तुम्हींसे तो उसके बेटेका घर आबाद होगा, तुम्हींसे तो आगेको उसका वश चलेगा, तुम्हीं तो उसकी बागबारी लगाओगी और दूधकासा नाल फैलाकर उसके घरका हरा भरा करोगी। इसी वास्ते तो तुम्हारे सास ससुर तुमको अपने घरकी लक्ष्मी मानेंगे और तुम्हारे पहुँचने पर 'लक्ष्मी आई'के टके बाँटेंगे। वहाँ सैकड़ों और हजारों औरतें तुमको देखनेको दौड़ी आयगा और बड़ी बूढ़ियाँ तुमको मुँहदिखाईका इनाम देंगी। तुमको चाहिए कि तुम भी खुशी खुशी सुसराल जाओ, वहाँ जाकर अपने हँसमुख चहरेसे फूल बरसाओ और अपनी उमंग भरी मीठी बातोंसे सबको लुभाओ।

कुछ दिन हुए, हमारे देशमें आठ आठ दस दस बरसकी लड़कियोंका ब्याह होने लग गया था। वे डोलेमें बैठती हुई नन्हें नन्हें बच्चोंकी तरह रोती थीं और 'ऊँ ऊँ' करती हुई सुसराल जाती थीं, परन्तु अब यह रिवाज छूट गया है। अब बड़ी उमरमें ब्याह होता है, इसलिये अब 'ऊँ ऊँ' करना भी छूटना चाहिए और हँसी खुशी डोलेमें बैठकर ससुराल जाना चाहिए। हमारी तो यही भावना है कि यह खुशीका दिन सब ही बेटियोंको नसीब हो, सभी सुहाग पावें और सभीका सुहाग सदाके वास्ते बना रहे।

सुसरालका घर।

ब्याही लड़कियो, ब्याह होते ही तुम्हारा कुँवारपन उतर गया, अब तुम कुँवारीसे ब्याही बन गई हो और सुसरालमें पहुँचकर बहू कहलाने लगी हो। हम भी अबसे तुमको ब्याहली बहू या ब्याही बहू ही कहकर पुकारेंगे। यह पुस्तक हमने ब्याही बहुओंके ही वास्ते लिखी है, इसलिये इस पुस्तकका नाम भी हमने—'ब्याही बहू' ही रक्खा है। जो ब्याही बहुएँ इस पुस्तकको मुहँदिखाईके तोहफेमें पावेंगी—आशा है कि वे इसको पढ़कर बहुत खुश होंगी, इस पुस्तकके अनुसार चलकर बहुत फायदा उठावेंगी और अपने घरको आनन्दका धाम बनावेंगी।

ब्याही बहुओ, तुम्हारे जाननेकी सबसे पहली बात यह है कि अब बापके घरसे तुम्हारा कितना वास्ता रह गया है और सुसरालके घरसे क्या सम्बन्ध हो गया है। अगर तुमने यह बात ठीक तरहसे जान ली, तो मानो स्त्री पर्यायका सारा ही गोरख धंदा सुलझा लिया।

यह बात हर एक घरमें नित्य देखनेमें आती है कि स्त्री अपनी सुसरालमें ही हुकूमत चलाती है। वहीं उसकी हुकूमत चलती है, वहीं वह सारे घरबारकी मालिकन बनती है और मालिकन मानी जाती है। बापके यहाँ तो वह जब कभी दो चार दस दिनके लिये जाती है तो बिल्कुल पाहुनेके समान। बापके यहाँ वह अपनी मायकेकी तरह किसी भी चीजकी मालिकन नहीं बन सकती और न किसी बातमें हुकूमत जता सकती है। पहले तो बेटियाँ खुद ही बापके यहाँ किसी बातमें दखल नहीं देतीं, और जो कभी बेटा किसी बातमें बोल भी उठती है तो उसकी भावजें तुरन्त उसका मुँह बंद कर देती हैं और

कह उठती है कि घी-बेटीको पराये मामलेमें बोलनेका क्या अधिकार? यह बात सुनकर, बेचारी लड़की अपनासा मुँह लेकर रह जाती है। ब्याही बहुओ, जिस तरह तुम्हारी भावजें पराए घरसे आ आकर तुम्हारे बापके घरकी मालिकिन बन बैठी हैं, उसी तरह तुम भी अपनी ससुराल के घरकी मालिकिन बनोगी और मालिकिन मानी जाओगी। स्त्रीके वास्ते जो कुछ है वह उसकी ससुराल ही है। बाप अमीर है और ससुरालवाले गरीब हैं तो वह बेचारी गरीब ही है,—उसको अपन बापकी अमीरीसे क्या मतलब? और अगर बाप गरीब है और ससुरालवाले हैं अमीर, तो वह भी अमीर ही है—उसको अपने बापकी गरीबीसे क्या वास्ता? सारांश यह है कि ससुरालके घरके हानि-लाभसे ही स्त्रीका हानि-लाभ है। वहींके सुखसे सुख और वहींके दुखसे दुख है। ससुरालमें ही स्त्रीको सारी उमर बितानी होती है और वही उसका असली घर है। ब्याही बहुएँ चाहे शुरू शुरूमें इस बातको न मानें, पर पीछे सभी स्त्रियोंको यह बात माननी पड़ती है और इसीके अनुसार बर्ताव करना होता है। जो स्त्री जितनी जल्दी इस बातको समझ जाती है और ससुरालके घरको अपना घर समझने लगती है, जितनी जल्दी वह अपने सास-ससुर और जेठ-जेठानीसे माँ-बाप और भाई-बहिनका सच्चा रिश्ता जोड़ लेती है, उतना ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा वह सुख शान्ति पाने लगती है।

छोटे भाई बहुओ, इस समय तुमको चार दिनके वास्ते भी अपनी माँसे अलग होना बुरा मालूम होता है, पर थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारी बहन और बुआ (फूफी) के समान तुम्हारा भी यह हाल होगा कि तुम्हारी माँ तुमको बुलावेगी और तुम यह कहोगी—"कैसे आऊँ? घरके

गुड़ियाकी नायन कहता था, कोई अपने छोटे भाई भतीजोंकी खिलायी, और कोई अपने माबजोंका दासी, पर तुम किसीका भी बुरा न मानती थीं। तुम भी जो मुँह आया वही जवाब दे डालती थीं। जहाँ चाहा फसकडा मारकर बैठ गई और जो चाहा करने लगीं, तुम्हें न कुछ सोच था न फिकर। कोई हँसक बोला तो खुश हो गई और किसाने झिड़क दिया तो रो पड़ीं—पर मा कुछ ही समयके लिये, थोडी देरमें फिर वैसीकी वसीं। पर अब तुम वह नहीं रहा हो, अब सब जगह तुम्हारी इज्जत होने लगा है। ससुरालमें तो तुम्हारा इज्जत होता ही है, पर बापके यहाँ आकर देखना, यहाँ भी सब तुम्हारी इज्जत होने लगेगी और गुरुने थाम थाम कर बात की जायेगा। इसलिये, अब तुम भी भारा भरकम बन जाओ, सब काम सोच समझकर करने लगो। देखो, आजकल ससुरालमें रोज सकड़ों औरतें तुमको देखनेको दौडी आती हैं और अपने घर जाकर घण्टों तुम्हारी चर्चा करती हैं। ये औरतें तुम्हारी चाल ढाल, बैठना उठना, बोल बताव, सब हा कुछ परखती और जाँचती हैं, इसलिये अब तुम भा सँभल जाओ और अल्हडपनको छोडकर समझदार औरत बन जाओ। घबराओ मत, तुम्हारे लिये ही यह कोई नई बात नहीं है बल्कि सब ही लडकियोंको ब्याह पाछे इसी तरह एकदम काँचली उतारना पडती है और रंग बदलना होता है। तुम्हारे कुनबे और अड़ोस-पड़ोसमें भी तो नई नई बहुएँ ब्याही हुई आई होंगी और तुम भी उनके देखनेको दौडी गई होंगी। याद है, किस तरह नई बहुओंकी जरा जरासी बात ताकी और जाँची जाती थी? इसी तरह अबकी बार तुम्हारा नम्बर है। खबरदार, तुम किसी बातमें नाम मत धरवाना और हँसी मत

उठवाना, बल्कि ऐसा सलीका और ऐसी होशियारी दिखाना कि सब दंग रह जायँ—लोग कहें कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ ऐसी समझदार होती हैं और ऐसा शऊर पाती हैं। देखो, न तो तुम ऐसी चुपचाप ही बनो कि 'अनबोलबे-बानी' कहलाओ और न हर बातमें ऐसी चिड़चिड़ चिड़चिड़ ही करो कि 'चटाखचिड़िया' नाम धराओ। सबसे मिलो जुलो, हँसो बोलो, पर सबके दर्जेका लिहाज जरूर रक्खो। जिसका जैसा दर्जा हो उससे वैसी ही पेश आओ। बड़ी बूढ़ियोंका पूरा हुक्म मानो, उनके सामने कभी मत अकड़ो। वे जहाँ बैठनेको कहें तुरत वहाँ बैठ जाओ, और जब खड़ी होनेको कहें तुरत खड़ी हो जाओ। वे जो कुछ चीज तुमको दें वह चाहे तुम्हारे कामकी न भी हो, तो भी बहुत आदरके साथ उसे लो और लेकर खुशी करो। जो बात कहो, थाम कर कहो, और बात ऐसी करो जो मतलब और कामकी हो। खाना उतना ही खाओ जितनी तुमको भूख हो, पर जब कोई तुमको खानेको कुछ दे तो तुम उसमेंसे थोड़ासा जरूर ले लो, जिससे देनेवालेका जी खुश हो जाय और फिर बहुत नम्रतासे समझा दो कि मुझको भूख नहीं है। तुम जितने दिन ससुरालमें रहो खुश और हँसमुख बनकर रहो, बापके घरकी याद कर करके कभी उदास मत बनो। पाँच सात दिनमें हो तो तुम अपने बापके घर चली आओगी। इतने थोड़ेसे दिनोंके वास्ते भी अगर तुम मैंकेको याद करने लगोगी तो नासमझ, नादान समझी जाओगी और सबकी हँसी कराओगी।

नाइन जो डोलेमें बैठकर तुम्हारे साथ आई है वह तुम्हारी दा-या खिलाई नहीं है और तुम भी दूध-मुँही बच्ची नहीं हो, इसलिये

नायनके पास मत घुसी रहो। तुम्हारी सुसरालवाले चाहे उसे अपनी ठकुरानी मानें, चाहे अपनी देवी देवता, पर तुम उसको अपनी नौकरनी ही समझो और नौकरनी करके ही वह तुम्हारे साथ भेजी भी गई है। देखना, इस बातका बड़ा खयाल रखना और नायनको दबाये रखना कि कहीं वह ठकुरानीके नामसे बिफर कर और अपनी पूजा होती हुई देखकर तुम्हारी सासके सिर न चढ जाय और तुम्हारे बापका घर बेतमीज न माना जाय। पर ऐसा भी न करना कि हर वक्त ही नायनपर हुकूमत चलाने लगो और ओछी छोछी कहलाओ, या माँ-बापका नाम धराओ। सुसरालमें तुम बिल्कुल ऐसी रहो जैसी भले घरोंकी औरतें अपने घरमें रहा करती हैं, न शर्माओ और न इतराओ, बिल्कुल साफ और खुले दिलसे रहो, बनावट रत्ती भरकी भी न बनाओ। अपनी बराबरवालियोंसे बराबरीका बर्ताव करो, उनसे प्यार मुहब्बतसे बोलो और छोटे बच्चोंको अपनेसे हिलाकर उनको इस तरह खिलाओ जिस तरह तुम अपने भाई भतीजोंको गोदमें बिठाकर खिलाया करती थीं। इन सब बातोंका सार यह है कि हर एक बातमें ऐसी अपनायत और प्यार मुहब्बत दिखाओ कि सुसरालसे जाकर जब तक तुम अपने बापके यहाँ रहो तब तक सुसरालवाले सब तुमको याद करते रहें और तुम्हारी बड़ाईके गीत गाते रहें।

बेटीकी माँको बुराई मिलना।

सुसरालमें एक यह बात बड़े तमाशेकी होती है कि अल्हड़पन तो करती है ब्याही बहू और बदनाम होती है उसकी माँ, बेशऊरी दिखाती है वह, और गालियाँ खाती है उसकी माता। सुसरालकी

उतार उतारकर हँसने लगता है। घरके और लड़के भी इस तमाशेमें शामिल हो जाते हैं और बहूके माँ बाप और भाई भतीजोंको जो मुँह आया, कहने लगते हैं। ब्याही बहू ऐसा देखकर बहुत गुस्सा करती है, और कोई कोई तो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाने भी लगती है। यह देखकर लड़के और भी ज्यादा चिढ़ाते हैं और बहूको उदास कर देते हैं। हँसी मजाकका यह तरीका किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकता। सासको चाहिए कि वह न तो न आप समधियोंकी बुराई करे और न किसी औरको करने दे, और बहूके पतिको समझा दे कि अब उसके सास-ससुर उसके वास्ते बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे उसके माँ-बाप। जिस तरह ब्याही बहू अपने सास-ससुरको अपने माँ-बाप समझकर उनकी इज्जत करती है उसी तरह उसके पतिको भी अपने सास ससुरकी इज्जत करनी चाहिए और अपने सालोंको अपना भाई मानना चाहिए।

दात (दहेज)।

सब ही माँ-बाप अपना बेटाको मकदूरके मुआफिक दात देते हैं, अमीर अमीरके मुआफिक देता है और गरीब गरीबकी तरह। पर माँ-बाप चाहे अपना सारा घर ही उठाकर अपनी गरीब बेटीको दे दें, चाहे सैकड़ों गाड़ियाँ भरकर भेज दें, पर सुसरालम पर दात या दहेज न कभी पसंद आई और न कभी आवेगी। संसारमें हर घरमें बेटे, और हर घरमें बेटियाँ हैं, सभीके यहाँ बहुएँ आती हैं और बेटियाँ जाती हैं। सबको दात देनी भी पड़ती है और लेनी भी, लेकिन दातको

पटक पटक मारने और सैकड़ों दोष निकालकर नई बहूको जी जलानेका एक रिवाज ही सा हो गया है। जितनी दाव कोई अपनी बेटीको देता है अगर उससे दस गुणी भी उसकी बहू लेकर आवे तो भी उसकी बदगोई करने, सेठोंको उठा उठाकर नचाने और फूं, गिनने (चिपटे) बतानेमें शरम नहीं आवेगी। यह मुँह बनाकर और बातें चबा चबाकर ऐसी फबतियाँ सुनावेगी कि अगर समधिन सामने होती तो शायद रूठ ही पड़ती। पर अब तो यह सब ताने और मिहने बेचारी नई बहूको ही सहने पड़ते हैं और उसे चुपचाप मन मसोस कर रह जाना होता है। ब्याही बहुओ, तुम इन बातों पर कुछ भी ध्यान मत दो और दावको बुरा कहना आजकलकी औरतोंकी एक प्रकारकी आदत ही समझो।

माँ-बाप अपनी बेटीको चाहे कुछ दें, चाहे न दें, ज्यादा दें, चाहे कम, इसमें किसीकी क्या जबरदस्ती है? किसीको कुछ कहनेका क्या अधिकार है? पर जब माँ बाप अपनी बेटीको दें तब ही न! अब तो जो कोई देता है, दिखानेको देता है। इस लिये देते वक्त बापके यहाँ भी यह दाव सारी बिरादरीमें दिखाई जाती है और फिर ससुरालमें आकर यहाँ भी। इसी वास्ते हरतरफको बुरा भला कहनेका मौका मिलता है। बेटीको अगर कोई देता था दो चार तेठ (पहिरावन दस्त) और पहिरने ओढ़नेका देता, पर अब तो कोई ३१ की गिनती पूरी करता है, कोई ९१ की और कोई एक सौ एककी। और दामुनकी जगह सब सब गजके टुकड़े रखकर ही यह गिनती पूरी की जाती है। कोई इनसे पूछे कि इन टुकड़ोंको देनेका क्या मतलब है? अगर उनका कपड़ा रख दे तो यही समझ लिया जाय कि दामुनकी जगह थोती या इन्दी

दी है, पर सवा गज कपड़ेकी तो कोई भी बात नहीं बनती। मर्दोंके वास्ते होता तो धोतीकी जगह लँगोटी समझ लेते, पर औरतोंके वास्ते तो यह बात समझमें ही नहीं आती।

ब्याही बहुओ, स्त्रियोंमें विद्याके न होनेका ही यह सारा दोष है, इसलिए दातकी बुराई सुनकर तुम बुरा मत मानो और यह भी यकीन रक्खो कि जब तक तुम्हारे बेटी-बेटोंका ब्याह होगा उस समय तक ऐसी ऐसी सभी रीतियाँ दूर हो जायँगी और सभी काम सफाई और एकतासे होने लगेंगे, दिखावा दूर हो जायगा और हर वक्त आनन्द ही आनन्द रहा करेगा।

समधिनकी तेल।

दाहमें एक अलग गठड़ी समधिनकी तेलोंकी होती है और बेटेकी माँ अपनी इन तेलोंके वास्ते मुँह बाए बैठी रहती है। पर हमारी समझमें नहीं आता कि यह किस हकसे इन तलोंको लेती है और किस हकसे उसको यह तेलें दी जाती हैं।

डोलेके रुख्सत होते वक्त नौशा (दूल्हा) को जोड़े पहनानेका रिवाज है, और यह ठीक ही है क्योंकि जैसी बेटी वैसा दामाद। जब माँने अपनी बेटीको सजा बजाकर डोलेमें बैठनेके लिये तैय्यार किया तब दामादको भी क्यों न जोड़ा पहनाए? लेकिन इस मौकपर अगर नौशाके बाप और चचा-ताऊ भी कहने लगें कि हमको भी जोड़ा पहनाओ तो कैसी भद्दी बात हो? माँने अपनी ममतासे अपनी बेटीको ज़ेवर, पलग और बर्तन दिये तो ठीक ही किया, पर यदि वह एक

बात है या नहीं ? औरतोंके ऐसे कामोंने स्त्रीजातिको बदनाम किया है, और उनका एतबार घटाया है। पहले पहल ऐसे काम ओछे घरकी तथा ओछे जीकी औरतोंने किये होंगे, परन्तु अब रिवाज पड़ जानेपर सभी ऐसा करने लगी हैं। यह कैसी बुरी बात है कि नौशाकी दूल्हेकी बहन और बुआ, जो महीना महीना भर पहलेसे अपना घर बार छोड़कर आई हैं और रात-दिन चक्कर-डंडकी तरह फिरकर और अपनी हड्डियाँ पीसकर ब्याहके काम कर रही हैं, उनको तो मिले घटिया सेल, और नौशाकी माँकी मतीजीकी बेटाकी बेटाको, और ऐसे ही दूरके भी रिश्तेदारोंको, जिनका नाम भी न सुना हो, मिलें खूब बढ़िया बढ़िया सेलें। इन्हीं बातोंसे ऐसी ऐसी कहावतें मशहूर हुई हैं कि 'आए खसमके भाई, घरमें चून नहीं चपाई। आए खसमके साले, हैं दूध भरे कच्चाले'।

ब्याहा बहुओ, ऐसी ऐसी दुरी रीतियोंको खूब ध्यानसे देखती और याद रखती रहो और विचार रक्खो कि जब बड़ी होकर तुमको ये काम करने पड़ें तब तुम्हारे हाथोंसे उत्तम रीतिसे ही होवें।

बहूकी तेलें।

ब्याही बहुओ, तुमको सारी उमर अपनी ससुरालहीमें रहना है, सास ससुर ही अब तुम्हारा पालन करेंगे और तुमको लाड़ लड़ावेंगे। माँबापकी दी हुई दस बीस तेलों और दस पाँच बर्तनोंसे तुम्हारा क्या गुजारा चल सकता है ? इसलिए दातमें आई हुई अपने नामकी चीजोंको भी तुम अपनी मत समझो। कोई कोई बहुएँ होसे आई तब तो बोलती नहीं, पर गौनेके पीछे अपने बापकी तरफसे

आई-हुई सब चीजोंपर अपना अलग कब्जा जमाती है और उनको अलग उठाने धरने लगती हैं। ऐसा करनेसे वे सास सुसरकी आँखोंसे गिर जाती हैं और नुकसान उठाती हैं। 'ओछा समझिन फाँका बरोटा' ऐसी कहावत तुम मत करो। ऐसा बातें छोटे छोटे बच्चे किया करते हैं। जरा सी चीज भी उन्हें मिल जाय तो वे उसे किसीको हाथ भी नहीं लगाने दिया करते और आपसमें झगड़ा करते हैं कि इस मेरी चीजको क्यों हाथ लगाया? यह मेरी जगहपर क्यों बैठ गया? अब तुम बच्चा नहीं रही हो, बरन् घर गिरस्तिन हो गई हो, बरस दो बरसमें तुम भी बच्चोंकी माँ बननेवाली हो, इस वास्ते तुम कोई काम बच्चोंकी सी मत करो। तुम्हारे गौने आनेपर अगर तुम्हारी सास तुमको कोई चीज अलग रखनेको कहे भी, तो हरगिज मत करना यहाँ तक कि यह बात भी कबूल मत करो कि यह चीज खास मेरी है। सब चीजें घर भरकी हैं और घरके सब ही लोग सब चीजोंके मालिक हैं—ऐसी एकता फैलाओ और इस तरह सारे घरकी मालिक बन जाओ, इसीमें तुम्हारी अक्लमन्दी है।

जोड़े।

जिस तरह ब्याह बहू अपने बापके घरसे दान या दहेज लाती है उसी तरह वह ससुरालसे अपने बापके यहाँ जोड़ ले जाती है। मगर किस हकसे वह ये जोड़े ले जाती है और किस हकसे ये जोड़े दिये जाते हैं—यह बात हमारी समझमें नहीं आई। बहू जो [illegible] विवाह या गौनेमें ससुराल जाती है वह सर्व बिरादरीमें दिखाई जाती है, लेकिन जोड़े जो बहू ससुरालसे अपने बापके यहाँ ले जाती

है वह बिरादरीमें नहीं दिखाये जाते, चुपचाप रख लिये जाते हैं। भात लेते वक्त औरतें एक गीत गाया करती हैं कि "लूँगी मुट्ठी बाँधकर और दूँगी हाथ पसार, मेरी मय्यारे जाये।" इसका अर्थ यह है कि हे भाई, जो कुछ मैं तुमको दूँगी वह चोरी चोरी दूँगी और जो कुछ तुमसे लूँगी वह ढोल बजाकर लूँगी। यही हाल दात और जोडेका है। दात बेटीको ढोल बजाकर दी जाती है और जोडे चुपचाप लिये जाते हैं। इससे यह बात साफ जाहिर है कि जोडोंका लेना देना अच्छी रीति नहीं है, पर तो भी कोई कोई माँ-बापवें बेटीके लाए जोडोंपर गुर्राती और नाक भौं चढाकर उलाहना देती हैं कि "हमने ऐसी बढिया दात दी थी, उसपर ऐसे हलके जोडे!" बेचारी लैंकी ऐसी बातें सुनकर शरमके मारे गर्दन नीची कर लेती है, और सोचती है कि अगर मैं ऐसा जानती तो बेशरम होकर सास पर ही ज्यादा तकाजा करती और बहुत भारी जोडे मनवा लाती। कोई कोई बहुएँ, जो अपनी माँ-बापजोंकी आदतसे वाकिफ होती हैं, ऐसा करती भी हैं और जिस तरह बन पडता है, सुसरालसे भारी ही जोडे बनवाकर ले जाती हैं। इन जोडोंका रिवाज बढते बढते यहाँतक बढ गया है कि जब जब बेटीको अपने बापवालोंसे कुछ मिलता है तब तब ही वह इसके बदलेमें जोडे देती है। कभी कभी तो ये जोडे आई हुई चीज वस्तुकी कीमतसे अधिकके हो जाते हैं। अगर कभी कोई रिश्तेदार उसकी सुसरालके शहरमें आ निकले और बेटीको रुपया-धेली दे जाय, तो उसके बदलेमें भी उसको जोडा देना पडता है, न दे तो रुपया देनेवालेकी औरतोंसे सौ सौ बातें सुने।

ब्याही बहुओ, ब्याह-मुकलावेमें (गौनेमें) तो तुम कुछ मत बोलो, पर भातोंमें न तो जोडे दो और न लो।

जाओगी, ससुरालमें जाकर तुम्हारा उतना ही अधिक आदर होगा और तुम उतना ही ज्यादा सुख पाओगी, नहीं तो फूहड़ कहलाओगी और सदा तकलीफ उठाओगी।

हमारी तो यह भी राय है कि तुमको कूटना, पीसना, फटकना, पिछोड़ना, झाड़ना-बुहारना और लीपना-पोतना सभी कुछ आना चाहिए, इससे तनदुरुस्ती बनी रहती है, भूख लगती है, खाना हजम होता है, ताकत आती है, सुस्ती दूर भागती है, चित्त हर वक्त प्रसन्न रहता है और रातको खूब गहरी नींद आती है। घरके कामोंमें अपना हाथ रहनेसे नौकर कामपर मुस्तैद और सावधान रहते हैं और दुगना काम करते हैं, घरके सब छोटे बड़े काममें लग जाते हैं, और सब काम हुए ही नजर आते हैं। पहले जमानेकी औरतें काम अपने ही हाथसे करती थीं। दक्षिण देशमें अब भी अच्छे अमीर घरोंकी औरतें अपने हाथोंसे पानी भरती हैं, अपने ही हाथोंसे पकाती हैं, और अपने ही हाथोंसे घरके सब काम करती हैं। उनके घरोंमें हमारे यहाँके अमीर घरोंकी तरह नौकर नहीं घुसे रहते हैं। वहाँकी स्त्रियाँ इसको बड़ा ऐब समझती हैं। इधर हमारी तरफ आजकल कुछ ऐसी हवा चली है कि जिसके घरमें बीस रुपये महीनेकी भी आमदनी नहीं है वह भी एक नौकर रक्खे बिना अपनेको ऊँच जातिकी नहीं समझती है। पढ़ी लिखी लड़कियो, जनानेवरोंमें रसोइयों और नौकरोंके रहनेकी बुरी चालको तुम मत कबूल करो, तुम तो सब काम अपने ही हाथसे करने लगो और अपने घरको सुखका सच्चा स्थान बनाओ। आलसियों और महदियोंको कभी सुख नहीं मिल सकता—सुख हमेशा काम करने और हाथ पैर हिलानेमें ही है।

रसोई बनाना सीखनेके सिवाय तुमको सीना–पिरोना भी सीखना चाहिए। स्त्रियों और पुरुषोंके हर किस्मके कपड़े ब्योंतना और सीना तुम जरूर सीख लो, स्त्रियोंके लिए यह बड़े कामकी चीज है। मोजे, गुलूबन्द, फाउर, नेकटाई, चिकन, कसीदा यह काम भी सीख लो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इतने कामकी चीजें नहीं हैं जितने कि कपड़ोंका ब्योंतना और सीना। गृहस्थीमें इसकी तुमको हर वक्त जरूरत पड़ेगी और इससे तुम्हारे बहुत काम निकलेंगे।

रसोई और खाने पीनेके सिवाय, तुमको हिसाब लिखना भी सीखना चाहिए। जिस स्त्रीको हिसाब लिखना नहीं आता है उसका पढ़ना न पढ़ना बराबर है। घरमें जो चीज बाजारसे आवे वह कितनेकी खरी-दी, क्या भाव आई, हाटमें कितनी है, ये बातें एक सिलसिलेसे लिखी रहनी चाहिएँ। बाजारसे चीज आते ही हिसाब लगाकर जाँच कर लेना चाहिए कि इसके इतने ही दाम बैठते हैं या नहीं, कांटेपर देख लेना चाहिए कि चीज पूरी है कि नहीं।

गौने तक अपने बापके यहाँ रहकर हिसाब रखना तुम अच्छी तरह सीख सकती हो और यह काम तुमको जरूर सीखना चाहिए। मगर ऐसा न करना कि इन कामोंके सीखनेमें लगी पढ़ना लिखना छोड़ दो। तुम दो चार घंटे पढ़ने लिखनेमें भी जरूर लगाती रहना। पढ़नेसे ज्ञान बढ़ता है, आँखें खुलती हैं, दुनियाँकी भलाई बुराई मालूम होती है और किताबोंसे बड़ी बड़ी देशकी और बाहिर की बातें ध्यानमें आ सकती हैं। दूसरी बार जब तुम ससुराल जाओ तब तुम इतना पढ़ लिखकर जाओ कि घरमें अपनी सासको रामायण पढ़कर सुनाया करो, अच्छी मजेदार किताबें किस्से और स्त्री शिक्षाकी पुस्तकें पढ़ाया करो, और

छोटे बच्चोंको लिखना पढना सिखाया करो। यदि तुममें इतने गुण होंगे तो तुम्हारी बडी इज्जत होगी और तुम सबकी प्यारी बन जाओगी।

बराबरवाली स्त्रियोंका बहकाना।

ब्याही बेटियो, आजकलकी स्त्रियाँ अपने पतिको अपने अधीन रखने और सासपर हाकी होनेको बडा भारी हुनर समझती हैं। देख लेना, जितने दिन तुम अपने बापके यहाँ रहोगी, तुम्हारी ब्याही हुई सहेलियाँ और तुम्हारी बराबरवाली तुमको यही पट्टी पढाती रहेंगीं, अपनी अपना कथा सुनाकर, सास और पतिके जुल्म दिखाकर तुमको जोश दिलावेंगी, और उनको काबूमें लानेके लिए बडी बडी तरकीबें बतला-वेंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी भावजें भी तुमको यह सिखलावेंगी। और तुम्हारी माँसे भी हाँ कहलावेंगी। मगर खबरदार, तुम उनकी एक मत सुनना। जब कोई ऐसी बात छेडे तो तुम तुरन्त वहाँसे उठ जाओ और यदि कोई ज्यादा सिर चढे तो तुम उसे फटकार बतलाओ। ऐसी बातें सिखानेवाली स्त्रियोंको तुम कभी अपनी सहेली या बहन मत मानो। ऐसी औरतोंसे कभी मेल-मिलाप मत करो, उनसे दूर रहना ही भला है। निश्चय जानो कि आजकल घर घरमें जो क्लेश फैल रहा है और नित्य जो कुछ अनबन या मनमुटाव रहता है वह इन्हीं खोटे, विचारोंके कारण है। पति स्त्रीके सिरका ताज है, उसकी जान और मालका मालिक है। स्त्रियोंका पहनना-ओढना, हँसना-बोलना, कंघी-चोटी साज-बाज आदि सब पतिके ही वास्ते है। पति ही औरतकी छत्रछाया, है और पतिहीसे औरतकी कदर है। 'वह ही नार सुलच्छना जो पीके मन भावे' यह कहावत मशहूर है। पीतने यदि स्त्रीका आदर किया

जिस बातको तुम्हारा पति चाहता है अगर वह तुम्हारी आदतके खिलाफ भी हो और वह बात तुम्हें बुरी भी मालूम होती हो, तो भी तुम उसी तरह करो। जैसी वह टहल चाहता है वैसा टहल करो और जिसकी वह सेवा चाहता हो उसीकी सेवा करो। तुम्हारे पतिके माँ-बाप, भाई-बहन और मेल-मुलाकाती जितने तुम्हारे पतिको प्यारे हैं उससे ज्यादा वे तुमको प्यारे होने चाहिएँ, और उन सबकी टहल चाकरी और खातिरदारी भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी तुम्हारे पतिको करनी चाहिए। पर ये सब काम सच्चे दिलसे करने चाहिए न कि दिखावेके लिए। व्याह होते ही तुम अपने पतिकी अर्धांगिनी (आधा अंग) हो गई हो, तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर ही अब गिरस्तीकी गाड़ीको चलाओगे, अब तुम्हारा और तुम्हारे पतिका एक दिल होना चाहिए, कोई काम दिखावेका मत करो। न तुम कोई बात अपने पतिसे छिपाओ और न तुम्हारा पति तुमसे छिपावे। अगर ऐसा समझकर कि आज कलकी औरतें कमअक्ल हैं उनके पेटमें कोई बात पचती नहीं है, पति कोई बात अपनी स्त्रीसे न भी कहे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन स्त्रीको कोई बात पतिसे नहीं छिपानी चाहिए। स्त्री जब पतिकी ही है तब उसकी कोई बात पतिसे अलग क्यों रहे?

'नया नया चाव मुझे कुछ न सुहाय' की कहावतके अनुसार शुरू शुरूमें सभी मर्द अपनी स्त्रीपर मोहित होते हैं। अक्लमन्द स्त्रियाँ तो अपनी सच्ची भक्ति और सच्ची प्रीतिसे इस मुहब्बतको सदाके लिए कायम रखती हैं, लेकिन मूर्ख औरतें चिपक जाती हैं और बात बातमें रूसना, पीठ फेरकर बैठना, मुँह फुलाना, नाक चढ़ाना और चबा चबाकर बात करना शुरू कर देती हैं। मर्द कुछ दिन तक

तो उसका सर्वत्र आदर ही है, और यदि अनादर (नाकदरी) किया तो वह सबकी नजरमें गिरी हुई रहती है। फेरों या भाँवरोंके वक्त पचोंके सामने तुम्हारे पिताने तुम्हारे पतिको तुम्हारा हाथ पकड़ाया है और तुमको उसके अधीन किया है, इस वास्ते पतिको अपने अधीन करनेका विचार तुम्हारे मनमें आना महापाप है। खबरदार, तुम ऐसा खोटा विचार कभी अपने हृदयमें न आने देना।

यह तुम जानती ही हो कि माँ-बापकी सेवा करना बेटेका परम धर्म है। अपने माँ बापकी जो जितनी सेवा करता है वह उतना ही अपना धर्म पालन करता है, और जो माँ-बापकी सेवा-भक्ति नहीं करता वह पाप कमाता है। अब तुम सोचो कि जब तुम्हारे पतिका यह धर्म है कि वह अपने माँ-बापकी सेवा करे, तो क्या तुम्हारा यह धर्म है कि तुम अपने पतिके माँ-बापसे लड़ो, उनका मुकाबला करो, या उनको दबाओ? नहीं, हर्गिज नहीं, बल्कि तुम्हारा यह काम है कि तुम उनकी सेवा अपने पतिसे भी ज्यादा करो। तुम अपनी सेवासे अपने पतिको भी यश दिलवाओ और आप भी यश पाओ।

गौना।

गौना होकर ससुराल आनेपर तुम्हारा सबसे बड़ा काम यह होना चाहिए कि तुम अपने पतिके स्वभावको पहचानो, और सदा वही काम करो जिससे पति खुश रहे। पति जैसा खाना पसन्द करता हो वैसा ही बनाओ और तुम भी वैसा ही खाओ। जैसा कपड़ा और जैसी पोशाक वह तुम्हारे लिए पसंद करता है वैसी ही पहनो। वह जहाँ बैठावे वहाँ बैठो और जहाँ रोके वहाँ मत बैठो।

जिस बातको तुम्हारा पति चाहता है अगर वह तुम्हारी आदतके खिलाफ भी हो और वह बात तुम्हें बुरी भी मालूम होती हो, तो भी तुम उसी तरह करो । जैसी वह टहल चाहता है वैसा टहल करो और जिसकी वह सेवा चाहता हो उसीकी सेवा करो । तुम्हारे पतिके माँ-बाप, भाई बहन और मेल-मुलाकाती जितने तुम्हारे पतिको प्यारे हैं उससे ज्यादा वे तुमको प्यारे होने चाहिएँ, और उन सबकी टहल चाकरी और खातिरदारी भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी तुम्हारे पतिको करनी चाहिए। पर ये सब काम सच्चे दिलसे करने चाहिए न कि दिखावेके लिए । ब्याह होते ही तुम अपने पतिकी अर्धांगिनी (आधा अंग) हो गई हो, तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर ही अब गिरस्तीकी गाडीको चलाओगे, अब तुम्हारा और तुम्हारे पतिका एक दिल होना चाहिए, कोई काम दिखावेका मत करो। न तुम कोई बात अपने पतिसे छिपाओ और न तुम्हारा पति तुमसे छिपावे । अगर ऐसा समझकर कि आज कलकी औरतें कमअक्ल हैं इनके पेटमें कोई बात पचती नहीं है, पति कोई बात अपनी स्त्रीसे न भी कहे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन स्त्रीको कोई बात पतिसे नहीं छिपानी चाहिए । स्त्री जब पतिकी ही है तब उसकी कोई बात पतिसे अलग क्यों रहे ?

'नया नया चाव मुझे कुछ न सुहाय' की कहावतके अनुसार शुरू शुरूमें सभी मर्द अपनी स्त्रीपर मोहित होते हैं । अक्लमंद स्त्रियाँ तो अपनी सच्ची भक्ति और सच्ची प्रीतिसे इस मुहब्बतको सदाके लिए कायम रखती हैं, लेकिन मूर्ख औरतें बिगर जाती हैं और बात बातमें रूसना, पीठ फेरकर बैठना, मुँह फुलाना, नाक चढ़ाना और चबा चबाकर बात करना शुरू कर देती हैं । मर्द कुछ दिन तक

सो औरतके इन नखरोंको सहन करता है मगर अंतको ऐसी औरतें पतिके दिलसे उतर जाती हैं। तब वे बनी मनकि सामने रोना रोनेमें ही अपनी उमर बिताती हैं। नई बहुओ, खबरदारी रक्खो, ऐसा न हो कि पतिकी अधिक मुहब्बत देखकर तुम इतरा जाओ और आपेसे बाहर हो जाओ या तुमसे ज्यादा मुहब्बत करके तुम्हारा पति 'घर-घुसड़ा' हो जाय। तुम अपने आप भी सँभली रहो और अपने पतिको भी सँभाले रक्खो। बहुधा देखनेमें आया है कि गौना होते ही मर्दोंने पढ़ना छोड़ दिया है या अगर पढ़ते ही रहे हैं, तो बहुत बेदिलीसे। और अगर पढ़ते नहीं थे, कुछ और कारोबार करते थे, तो अब उस कारोबारमें दिल लगाना कम हो गया है। स्त्रीको इस बातकी बहुत सँभाल रखनी चाहिए। आप भी घरके धर्मोंमें लगी रहना और पतिको भी उसके कामोंमें लगाये रखना नई बहूका सबसे जरूरी काम है।

घरकी बात बाहर कहना ।

नई बहूको चाहिए कि जब वह चार औरतोंमें बैठे और वहाँ उसके पतिका जिकर आवे तो उनका जिकर बड़े आदरके साथ करे, और बात बातमें यही दिखावे और इसीमें अपनी बड़ाई समझे कि मैं तो पतिकी आज्ञाके बाहर एक कदम भी नहीं चलती हूँ। जो स्त्री अपने पतिकी आज्ञामें रहती है और हर एक बात पतिसे पूछ कर ही करती है वही बड़े और भले घरकी है। स्त्रीको अपने पतिकी आज्ञामें रहनेका घमड होना चाहिए, और ऐसी स्त्रियोंको भले घरकी स्त्रियाँ नहीं समझना चाहिए जो अपने पतीका जिकर आदरके साथ नहीं करती हैं और पतिकी आज्ञामें चलनेको हारमकी बात समझती हैं।

नई बहुओंको चाहिए कि उनका पति कैसा ही हो, परंतु वे कभी किसीके सामने उसकी बुराई न करें। अपने पतिकी बुराई करनेसे अपना ही आदर घटता है, सुननेवाली स्त्रियाँ मुँहपर तो बड़ी ममता दिखाती हैं, और पीठ पीछे खूब हँसी उड़ाती हैं। समझदार स्त्रीका तो यह काम है कि वह अपने पतिकी तो क्या, अपने सास-ससुरकी और घरके किसी भी आदमीकी बुराई किसीके सामने नहीं करती। बुराई तो बुराई, वह अपने घरकी हवा भी बाहर नहीं जाने देती। किसीको कानोंकान भी मालूम नहीं होने पाता कि इनके घरमें क्या हो रहा है। जिस घरकी औरतें ऐसी बुद्धिमती होती हैं उस घरकी हवा बँधी रहती है और इज्जत बनी रहती है। जिस घरकी स्त्रियाँ ओछी-छोटी होती हैं, घरके गीत बाहरकी स्त्रियोंके आगे गाती फिरती हैं, उस घरकी सारी ही आबरू बिखर जाती है।

माँसे बातचीत।

जब बेटी दोबारा अपने बापके यहाँ आती है तब कोई कोई मातायें उससे ससुरालके दुख सुखकी बातें बड़े चावसे पूछा करती हैं और बड़ी ममता दिखाकर, प्यार-मुहब्बतसे फुसलाकर सब कुछ पूछ लेती हैं। कोई कोई तो यहाँतक पूछ लेती हैं कि उसका पति उससे कैसी मुहब्बत करता है और किस तरह उसको पूछता टोकता है। भोली लड़कियाँ अपनी माँकी बातोंमें आकर अपने दिलका साप बुखार निकाल बैठती है, रत्ती रत्ती हाल कह सुनाती हैं। कोई कोई तो अपनी तरफसे नमक मिरच लगाकर अपनी कहानीको और भी चटपटी बना देती हैं। पराये घर जाकर शुरू शुरूमें सभीको

कुछ न कुछ दिक्कत मालूम हुआ ही करती है, और पराए घर में तो अपने ,बापके घर में तो सैकड़ों बातें अपनी मर्जीके खिलाफ होती हैं-बहुतेरी तकलीफें उठानी पड़ती हैं । माँकी मार और मास्टरोंकी झिड़कियाँ किस कुँमारी लड़कीको नहीं सहनी पड़ती ? कौन एसी लड़की है जिसकी सभी इच्छाएँ पूरी होती रहीं और जो सैकड़ों और हजारों बार नहीं रोई और 'पढ़क मूतनी' नहीं कहलाई ? बापके यहाँ जो लड़की हठी, जिद्दन, मायकी, बेसमझ कहलाती थी और बात बातमें झिड़की दी जाती थी, वह लड़की जब ससुराल जाती है तो उसकी माँ चाहती है कि वह ससुरालके सभी आदमियोंपर हुकूमत करे, सभी उसके आगे हाथ बाँधकर खड़े रहें और उसकी मनमानी ही हो । यह न कभी हुआ है और न कभी होगा । माँको जानना चाहिए कि उसकी बेटी अपनी ससुरालमें उसी तरह रहेगी, जिस तरह वह अपने बेटेकी बहुओंको रखती है । पर आजकल सभी माताएँ यह चाहती हैं कि उनके बेटेकी बहू तो उनके अधीन रहे और उनकी बेटीकी सास अपनी बहूके अधीन रहे । इसी लिये बहुतसी माताएँ अपनी बेटीको बिगाड़ती हैं, वे बेटीसे उसकी ससुरालकी बातें सुन सुनकर बहुत कुढ़ती हैं और ऐसा रज जाहिर करती हैं मानों उनके हृदयमें बहुत चोट लगी है, मानों उनकी बेटी पर बहुत जुल्म हुवे हैं । " मैंने अपनी बेटीको कैसे कैसे लाड़ प्यारसे पाला था । मैं अपनी बेटीकी जिद पूरी करनेको इसके बाप तकसे लड़ पड़ती थी । मैंने इसको मामाओं तकको कभी इसके सामने बोलने नहीं दिया, सदा दबाये ही रक्खा है । अब मेरी बेटीको पराये घर जाकर सासकी झिड़कियाँ खानी पड़ती हैं । " माँ जब ऐसी ऐसी बातें करने लगती है तो

बेटीका दिल भर आता है। अब माँ और भी बढ़ बढ़कर बातें बनाने लगती है और कहने लगती है कि—"बेटी, मैं तो पहले ही जानती थी कि तेरी सास लड़ाकी और बड़ी कर्कशा है, उसे तो दूसरा आदमी भाता ही नहीं, वह पराई बेटीको थामना क्या जाने ? जिस बेटीने कभी एक बात तक नहीं सुनी थी उसको पराये घर जाकर ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी बेटी न तो कभी किसीके सामने बोली और न बोलना जाने। इसका तो यही स्वभाव है कि बहुत गुस्सा आया तो रो पड़ी, इसी लिये चुपकी चुपकी सासकी सब कुछ सहती है। और कोई होती तो एककी दस सुनाती और सासको बताती कि हाँ पराई जाईको छेड़ना ऐसा होता है। देखो मेरी लड़की सूख कर लकड़ी हो गई है और हड्डियाँ निकल आई हैं। मेरी बेटी भी कबतक चुपचाप सहती रहेगी और मन-ही-मन घघकती रहेगी ? इसके मुहमें क्या जबान नहीं है ? इस बार जमाईको आने दो, उनसे पूछूँगी कि क्या पराई बेटीको इसी तरह रखना चाहिये ? क्या अब भी वह बच्चा ही है जो अपनी स्त्रीको अपनी माँ-भावजोंके पैरोंमें डाल रक्खा है और आप भी उन्हींकी हाँ-में-हाँ मिलाता है ? मेरी बेटी तो उसीके पल्ले बँधी है, वह औरोंको क्या जाने और किसीसे उसका वास्ता ही क्या है ?"

ऐसी ऐसी बातोंसे कोई कोई माताएँ अपनी बेटीको स्वयं ही बिगाड़ती हैं और लड़ाका बना देती हैं। बेटीको तो असलमें कोई शिकायत अपने ससुरालवालोंकी नहीं थी, पर माँकी दर्दभरी बातोंसे बेटीको भ्रम हो जाता है कि जरूर उसकी सासने उसको दुख दिया है, इस वास्ते, अब वह दुख मानने लगती है। ससुरालमें तो उसे अपने

दुःखका भान ही नहीं था। परन्तु अब वह हर वक्त सोचमें रहने लगी है। माँ सच कहती है, मेरा आदर इसी लिये नहीं होता है कि मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे हर कोई इसी लिये दबाता है कि मैं दब जाती हूँ—अब देखूँगी और सबको रास्ता बताऊँगी। इस तरह मरी मरी अब वह फिर ससुराल जाती है तो वहाँ जाकर हर एकसे बातबातमें लड़ने झगड़ने लगती है। इसका फल यह होता है कि वह सबकी आँखोंसे गिर जाती है—वह अपना आदर महत्व घटा लेती है और ओछी समझी जाने लगती है।

अभीतक सास-ससुरको अपनी बहूसे कुछ कहनेका मौका नहीं मिला था, लेकिन अब बहूकी जबान निकली हुई देखकर उसे भी दो चार सख्त-सुस्त कहनी पड़ती हैं। पति भी अब उसको जानवरकी तरह काबूमें रखनेकी कोशिश करता है और कभी कभी ज्यादती भी कर बैठता है। बहू यह तो समझती नहीं कि माँके मंत्रसे ही मैं बदल गई हूँ और मरखना जानवर बन गई हूँ। वह सबको अपनेसे बदला हुआ देखकर हैरान होती है और बाघिनकी तरह दहाड़कर सबको दबानेकी कोशिश करती है। फल इसका यह होता है कि नाराजी ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है और रोज वही हाल रहने लगता है जो ओछे घरोंमें हुआ करता है। अब बहूजी सबके सामने इस तरह फिरती हैं—इस तरह गालियाँ खाती हैं कि जैसे कोई बाँदी गुलाम भी नहीं खाते।

पहले तो यह अपने पतिकी प्यारी और अपने सासके कलेजेकी ठंडक थी, सबने उस पर बार बार पानी पिया था और सब कुछ चाव किया था, बापके यहाँ आते समय उसके मनमें आनन्द और चित्तमें चाव था, उसके बदन पर चिकनाई और मुँहपर मुस्कराहट रहती थी,

उसका चेहरा गुलाबके ताजे फूलकी तरह खिला रहता था और वह खुशी खुशी अपने बापके यहाँ जाती थी। लेकिन इस बार उसकी माँने उसको छातीसे लगाकर या रातको अपने पास बुलाकर यही कहना शुरू कर दिया कि मेरी बेटीको यह तकलीफ रही होगी—वह दुख हुआ होगा; मेरी बेटीको तो यह भी खबर नहीं थी कि सूरज किधरसे निकलता है और किधर डूबता है, खा लिया, खेल लिया, और सो रही, किसीको पराई घटीकी क्या ममता? मेरी बेटी घंटा भर दिन चढे तो कर उठती थी और रातको मैं दस दस दफे उठकर उसके ऊपर कपड़ा डालती थी। "क्यों बेटा, वहाँ मुँह धोनेको पानी ठंडा मिलता है या गरम?" बेटी जवाब देती है कि "माँ वहाँ तो तड़के ही उठना पड़ता है, उस वक्त गरम पानी कहाँ रक्खा है।" बेटीका इतना जवाब सुनकर माँ बावली हो जाती है और इतनी सी बातको राईका पर्वत बनाकर ऐसा नकशा जमाती है जिससे बेटीको यकीन हो जाता है कि माँ सच कहती है, मैं जरूर तकलीफमें रहती हूँ। फिर बेटी भी ससुरालकी ऐसी ऐसी और भी सैकड़ों बातें सुनाती है, माँ उस पर रंग चढाती जाती है और एक अच्छा खासा स्वांग बन जाता है।

अपनी ममता दिखानेके वास्ते माताएँ बेटीकी इन बातोंको दुगनी चौगुनी बनाकर अपने पास-पड़ोसकी स्त्रियोंसे कहती हैं, वे कुछ और बनाकर और गहरा रंग चढाकर दूसरी औरतोंसे कहती हैं, और आखिर बातका बतंगड़ बनकर कर यह बातें ससुराल तक पहुँच जाती हैं। वे सुनकर हैरान होते हैं, और बहूको बिल्कुल बेवकूफ झूठी समझकर दिलमें ठान लेते हैं कि अबकी बार बहूसे जबर सख्तीसे पेश आना चाहिये। लातोंके भूत बातोंसे नहीं मानते हैं।

प्यार करनेसे यह बिगड़ गई और अब हमारे घरकी बदनामी करती है। उसको अबकी बार जरूर दबाना चाहिये। बहूके ससुराल आने पर जब बहूके भी तेवर बदले हुए नजर आते हैं तो उनको पूरा यकीन हो जाता है कि जो बातें हमने सुनी हैं वे सबकी सब सच हैं। 'बापके यहाँ इसने जरूर बातें बनाई होंगी।' इन बातोंका फल यह होता है कि घोर कलह शुरू हो जाती है और सारी उमर लड़ाई झगड़ोंहीमें बीतती है।

नई बहुओ, 'तुम कभी किसीसे अपनी ससुरालकी बात मत कहो और न किसीके बहकानेमें लगो। माँ बापने तुमको हजारों बार सिखाया है, धमकाया है, समझाया है और मारा पीटा भी है, यहाँ ससुरालमें अगर सास-ससुर तुमको कभी कोई बात सख्तीसे भी कह देते हैं तो इसमें बुराई क्या हो गई?' ये जो कुछ कहेंगे तुम्हारी भलाईके लिये ही कहेंगे। तुम्हारी बड़ाईसे ही उनकी बड़ाई, तुम्हारी आबरूसे ही उनकी आबरू और तुम्हारे सुखसे ही उनका सुख है, इस वास्ते वे सदा तुम्हारा भला चाहते हैं, तुमको सब तरहका आनन्द देते हैं और जो कहते हैं सब तुम्हारी भलाईके लिये ही कहते हैं।

जो माँ समझदार होती है वह अपनी बेटीसे कभी ऐसी बात नहीं करती और न उससे उसके ससुरालकी कोई बात पूछती है बल्कि अगर उसकी लड़की ही अपने आप ससुरालकी शिकायत करने लगती है तो उसे रोक देती है और समझा देती है कि "हमसे ससुरालवालोंकी शिकायत करना बिल्कुल फजूल है। बेटी, हमारा तो अब इतना ही कर्तव्य है कि तीज त्योहारको जो सेर दो सेर चून बन सका यह भेज दिया, और कभी छह महीने बरस दिनमें कोई

काज-परोजन हुआ तो उसमें दस दिनको बुला लिया और मिलकर जी सन्तोष कर लिया। बेटी, सदा तो तुझे ससुरालहीमें रहना है, अब तो ये ही समझावेंगे—सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं, वे तेरे साथ लाड भी करेंगे, कसूर बेकसूर धमकावेंगे भी, इस वास्ते उनकी बातका कभी बुरा नहीं मानना। ऐसी माताएँ छुटपनसे ही अपनी लड़कियोंकी ऐसी ऐसी आदतें डालती हैं कि जिससे उनकी बेटीको पराए घर जाकर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसी माताओंकी बेटियाँ सदा आनन्दमें रहती हैं, बड़ाई पाती हैं और अपनी माँको भी यश दिलाती हैं।

सासका बर्ताव।

यह सच है कि सभी माताएँ बुरी नहीं होतीं और सभी सासें अच्छी नहीं होती हैं। कोई सास तो लोकादिखावेके वास्ते पहले पहल साल दो साल तक गौने आई बहूकी खूब खातिरदारी करती हैं, बहूकी टहलनीसी बनकर खूब उसके आगे पीछे फिरती है और किसी भी काममें बहूको उठने नहीं देती है, फिर जब बहूका मिजाज बिगड़ जाता है, बहू आलसी बन जाती है, और बीमार रहने लगती है तब बुराई करने लगती है और हर एकके सामने बहूका दुःख रोने लगती है। नई बहुओ, तुम भूल कर भी अपनी सासकी लल्लोपत्तोमें मत आना और कभी काम काज करना मत छोड़ना, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा और फिर तुम्हें अपनी आदतका सँभालना कठिन हो जायगा। केवल पछताओगी नहीं, हमेशाके लिये निकम्मी भी बन जाओगी। आजकल दिखावा बहुत चल गया है। सासने अपनी नई बहूकी बहुत खातिर की, बहूको अपनी आँखोंकी पुतली बनाया—इतनी बात कहलानेके वास्ते

सास अपनी बहूको ऐसा बिगाड़ती है कि सास और बहू दोनों सर्व उमर तकलीफ उठाती हैं, और सास बहूकी और बहू सासका बुराई कर करके सिर खपाती हैं। नई बहुओंको चाहिए कि वे अपनी इज्जत या पूछ-तांछ होते देखकर आपेसे बाहर न हो जावें, बल्कि रातदिन काम करनेमें लगी रहें और अपने दर्जेका खयाल रक्खें।

किसी किसी सासको बहू पर हुकूमत करनेका चाव होता है। वह पहलेहीसे कसूर बेकसूर, मतलब बेमतलब बहूको दो चार सख्त सुस्त सुनाती ही रहती है और जान बूझकर बहूको लड़नेको तैयार करती है। नई बहुओंको ऐसी सासके साथ भी निबाहना ही चाहिये और कैसी भी सास मिले अपने दर्जेसे बाहर नहीं निकलना चाहिये, बल्कि अपनी चतुराई, सहनशक्ति और सेवा भक्तिसे बड़ाई पानेकी कोशिश करते रहना चाहिये।

पतिके साथ वर्ताव।

नई बहुओंको जानना चाहिये कि पुरुष जो दिन भर बाहर रहते हैं वे ठाली नहीं रहते, और घरके खर्चके वास्ते जो रुपया वे लाकर रखते हैं वह उनको कहीं पड़ा हुआ नहीं मिल जाता है, बल्कि पुरुषोंको इसके लिये बड़ी बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है, उनको अपनी आबरू थामनेके वास्ते संसारके लोगोंकी बहुत कुछ सर्दी गर्मी सहनी पड़ती है। उनको सैकड़ोंकी खुशामद और हजारोंकी बड़ाई करनी पड़ती है और बुरी भली सहनी होती है। वे रात दिन अपनी हड्डियों पीसकर और तलवारकी धारपर खेलकर तुम्हारा खर्च चलाते हैं। तुम यह मत समझना कि यह पापड़ केवल गरीबोंहीको बेलने पड़ते हैं,

नहीं नहीं, अमीरोंके तो गरीबोंसे भी ज्यादा मुश्किल है। वे तो एक पल भरको भी चिंतासे खाली नहीं होते हैं। अमीरोंके पास आमदनी आपसे आप नहीं आ जाती है, कोई जमींदार हो या साहूकार, लखपति हो या करोड़पति, आमदनीके वास्ते सबहीको सौ सौ उपाय करने पड़ते हैं।

मर्द बेचारा मुसीबतका मारा दिन भरकी मेहनत और चिंताओंसे थककर और अच्छी बुरी झेल कर घर आता है कि अपनी प्यारी स्त्रीकी प्रेम भरी बातें सुनकर और उसके हँसमुख चेहरेको देखकर दिनभरके मुर्झाए दिलको खिलाऊँगा और कुछ देर आराम पाऊँगा। आदमी कितना ही उदास क्यों न हो, अगर वह किसी ऐसे बागीचेमें जा पहुंचे जहाँ हरे भरे पेड़ हों, सब रविशें पटड़ी साफ हों, फूल खिल रहे हों, कलियाँ चटक रही हों, भीनी खुशबूसे सारा बाग महक रहा हो तो वह आदमी बागमें घुसते ही सारी उदासी भूल जावेगा और एकदम आनन्दसागरमें मग्न हो जायगा। पुरुष अपने घर आकर भी ऐसा ही आनन्द पाता है और दिनभरकी चिंताओंको मिटाता है।

नई बहुओंको चाहिए कि वे पतिके आनेसे पहले सारे घरको साफ सुथरा बना रक्खें, सब चीजें सिलसिलेके साथ अपने अपने मौके पर लगा कर, हर एक चीजको झाड़ पूँछ कर, घरको अच्छी तरह सजा देवें। उनको भी वे कपड़े उतार डालने चाहिये जो गृहस्थीके कामके वास्ते पहन रक्खे थे। मुँह हाथ धोकर कंघी चोटी करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिये। स्त्रियोंको यह बात अपने हृदयमें निश्चय जमा लेना चाहिए कि उनका सारा सिंगार सिर्फ उनके पतिके वास्ते ही है। पतिको खुश रखना स्त्रीका मुख्य काम है।

आमकल मूर्ख स्त्रियाँ तीज त्योहार, ब्याह शादी और पूजा प्रभावनाके मौकों पर ही अच्छे अच्छे कपड़े तथा कीमती जेवर पहिनती और स्त्रियोंको दिखाकर इतराती हैं। वे अपने पतिके सामने सदा मैले रूपमें जाती और नया नया जेवर बनवाने और भारी भारी कपड़ा सिलवानेके वास्ते उसकी जान खाती रहती हैं और सदा पीछे लगी रह कर, पतिके आमदनीकी चिंतामें ऐसा डुबाये रखती हैं कि वह बेचारा कभी भी उभरने नहीं पाता हैं। उसकी सारी आमदनी तो स्त्रीने अपने जेवरोंमें लगवा दी, अब वह बेचारा किस तरह घरका खर्च चलावे, किस तरह बाहरकी आबरू रक्खे और किस तरह बाल्बच्चोंकी ब्याह सगाईके लिए रुपया जुटावे। उस बेचारेका तो इसी चिंतामें शरीर सूखकर लकड़ी हो जाता है। इस पर तमाशा यह कि अपनी स्त्रीको पहने ओढे देखनेका उसको कभी मौका ही नहीं मिलता है। उसके सामने तो जब वह आती है तब भडभूजन बनकर ही आती है और ऐसी बकती जलती आती है जैसे भाड़का झोंक।

नई बहुओ, तुमने अभी गृहस्थीमें नया कदम रक्खा है, इस वास्ते तुम अभीसे होशियार हो जाओ। फूहड़ स्त्रियोंकी रीस मत करो, हमारी बातों पर पूरा ध्यान दो और हमारा उपदेश कान लगाकर सुनो। हमारी ये बातें मामूली बातें नहीं हैं। गिरस्तीका सबसे बड़ा धर्म शील है, शीलकी ही पालनाके वास्ते विवाहकी रीति है। विवाहहीसे पुरुषको स्वस्त्रीसंतोष और परस्त्रीत्यागका व्रत होता है। विवाहसे स्त्री पतिव्रतधर्म पाती है। विवाह गिरस्तीका मुख्य धर्मकार्य है। इसी वास्ते विवाह पंचपरमेष्ठीकी पूजाके साथ किया जाता है, और जैसे मंदिरमें दर्शनके समय भगवानकी वेदीके आसपास प्रदक्षिणा दी जाती

है उसी तरह विवाहमें भी भगवान्की स्थापना और हवन करके उसके चारों तरफ वर कन्या प्रदक्षिणा करते हैं। उसी समय दोनोंका गठबंधन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों स्त्री पुरुष मिलकर एक हो जावें और सारी उमर एक होकर रहें।

यह बात बड़े ध्यानसे समझनेकी है कि स्त्रियाँ घरमें बैठनेवाली है, इस वास्ते उनकी बात मर्दोंसे और ही तरहकी है। मर्द बाहरके मृग हैं, वे चारों खूँटकी हवा खाते हैं और छुटे फिरते हैं। इस वास्ते मर्दोंमें शीलव्रत उस वक्त तक ही कायम रह सकता है जब तक उनकी स्त्री उनको अपने ऊपर मोहित रक्खे—जब तक उनको अपनी स्त्रीके पास सब तरहकी दिल्लगीका सामान मिलता रहे और उनका थका माँदा हृदय आराम पाता रहे। यह स्त्रियोंका धर्म है कि वे अपने पतिके दिलको हरा भरा रखनेकी सदा कोशिश करती रहें॥ पुरुषको शीलव्रतका पालन कराना और घरको स्वर्गधाम बनाना स्त्रीके ही हाथमें हैं। घरमें पैर रखते ही पुरुषको चारों तरफ आनन्द मगल ही दिखाई दे और जब तक वह घरमें ठहरे आनन्दकी ही बातें हों। यही गिरस्तीका स्वर्ग है। अगर स्त्रीने घरका ऐसा समा बाँध दिया तो निस्सन्देह उसने बहुत भारी धर्म पालन कर लिया।

हे पतिव्रता स्त्रियो, तुम्हारा पतीव्रत धर्म कहाँ रहा अगर तुम पतिके दिलको खुश न कर सकीं, उसके हृदयकी चोट न मिटा सकीं? और अगर पतिको प्रसन्न करनेकी जगह स्त्रीहीकी किसी बातसे पतिके हृदयको ठेस लगे तो तुम्हीं बताओ कि वह स्त्री है या कौन? आजकल सभा स्त्रियाँ चाहती तो हैं यह कि उनका पति शीलवान् हो और उन पर मोहित रहे, पर इसके लिये तदबीर वे यह करती हैं कि जब पति घर आया तो कभी मुँह

फुल्लाकर बैठ गई, कभी सास ननदका बुराईका गीत गाने लगीं, कभी पतिको खाने पहनने देने लगीं और इस तरह उसका जी जलाने लगी। भला इन बातोंसे कोई काबूमें आता है और मोहित होता है ? इन बातोंसे तो प्रेम करनेवाले पतिका भी मन उल्टा उखड़ जाता है।

सभी पुरुष पहले पहले अपनी स्त्री पर मोहित होते हैं और प्रेम करते हैं, लेकिन स्त्रियोंके ऐसे ही ऐसे अनोखे व्यवहारोंसे थोड़े ही दिनोंमें वह प्रीति घटनी शुरू हो जाती है, और घटते घटते यहाँतक घटता है कि प्रीतिका निशान भी बाकी नहीं रहता है, बस एक लोकव्यवहार रह जाता है। नई बहुओ, तुम अपने पतिके सामने मुँह फुल्लाकर बैठने, रूसने या लड़नेको बड़ा भारी पाप समझो।

पतिके सामने जब आओ हँसमुख चेहरेसे आओ और जो बात कहो मीठी बोलीसे कहो। पतिसे कभी कड़वा बोल मत बोलो और न इतराकर बोलो। कोई कोई स्त्रियाँ गुस्सेमें आकर मुँहसे ऐसा बोल निकाल बठती हैं कि "जो हम बुरे थे तो हमें ब्याहा ही क्यों था, किसी अच्छीको ब्याहा होता ?" या यह कहने लगती हैं कि, "अच्छा हम बुरे हैं तो बुरे ही सही, हमको हमारे बापके यहाँ भेज दो।" स्त्रियोंके ऐसे ऐसे बोल मर्दके हृदयको छीलनेवाले और प्रीतिको घटानेवाले होते हैं। अव्वल तो स्त्रीको पतिके मुकाबिले बढ़कर बोलना ही नहीं चाहिये, और फिर ऐसे बोल मुँहसे निकालना तो बहुत ही बुरा है। अगर पति ज्यादा नाराज हो जाय या पतिकी किसी बात पर अपनेहीको ज्यादा गुस्सा आ जाय तो ऐसे समयमें बड़ी चतुराई और बुद्धिमानीसे काममें लाना चाहिये, और बिगड़ी बातको जिस तरह हो सके बना लेनी चाहिये। तोड़कर बात कहनेसे बात बना नहीं करती है

बल्कि और ज्यादा बिगड़ती है। इस वास्ते जब कहो जोड़का बात कहो, तोड़की बात कभी मत कहो।

जब पति घर आता है तो उसके आते ही कोई कोई स्त्रियाँ सास ननद या देवरानी-जिठानीकी शिकायत ले बैठती हैं और पतिके दिन भरके थके माँदे हृदयको और ज्यादा थकाती हैं। इसी वास्ते पतिसे उल्टा जवाब पाती हैं और अपनासा मुँह लेकर रह जाता है। बात ज्यादा बढ़ती है तो गालियाँ खाती हैं और प्रातिको घटाती हैं। अगर बार बार ऐसा ही होता है तो पति घरमें आना और घरमें ठहरना बहुत ही कम कर देता है।

यह सच है कि पति ही स्त्रीका सहारा है, अपने दुख ददको वह पतिके सिवाय और किससे कहे, लेकिन दुख दर्द कहनेका कोई मौका भी तो होना चाहिये और जरा जरासी बातको तो दुख दर्द न बना लेना चाहिये। आखिर मर्द भी तो बाहर जाकर सकड़ोंकी सहते हैं, तुम घरमें बैठी हुई अगर सास ननदकी सह लोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? असल बात यह है कि जब तक तुम अपनी सासको और देवरानी जेठानीको अपना नहीं समझोगी और सबमें घुल कर रहने और कच्ची पक्की सहनेको तय्यार नहीं होगी तब तक तुमको गिरस्तीका सचा आनन्द नहीं मिलेगा। बात बात पर अपने चित्तमें क्लेश मानकर हर वक्त शिकायत कर करके और पतिके कान खा-खाकर तो तुम आप भी दुख पाओगी और अपने पतिको भी दुखी करती रहोगी, साथ ही अपनी कदर भी घटाती रहोगी। अगर पतिके घर आने पर उससे किसी भी बातकी शिकायत न करके जितना जितना तुम उसको प्रसन्न करने और उसकी सेवा भक्ति करनेकी कोशिश करती रहोगी, उतना

ही तुम अपने पतिव्रतधर्मका पालन करोगी, पुण्य कमाओगी, औ गिरस्तीको स्वर्गपुरी बनाकर आनन्द उठाओगी।

समाप्ति।

घर घर पति-पत्नीमें प्रेम हो, घर घर धर्मका पालन हो, घर आनन्द मंगल हो और घर घर बेटे-पोतोंके जन्मकी बधाई हो, य लिखाइकी गरज है और यही हमारी भावना है। इसी भावनासे ब्या बहुओंके वास्ते यह किताब हमने लिखी है। आशा है कि जो स्त्रियें इसको पढेंगी और इसपर अमल करेंगी वे जरूर आनन्द पावेंगी और गिरस्तीका सच्चा सुख भोगेंगी। बेशक इस पुस्तकमें कहीं कहीं कई बात कडवी भी आगई है मगर वह कडवी लगनी नहीं चाहिये; क्योंकि वह भी शिक्षाहीके वास्ते कही गई है और जो कहीं असलईमें भूल चूक हो गई हो तो सब बहू बेटियाँ हमको बूढा जानकर क्षमा करें, क्योंकि बुढापेमें ऐसी ही आदत हो जाती है कि जो मुँहमें आया कह दिया। बूढोंकी बातका बुरा कौन मानता है।

सब स्त्रियो, बोलो पातिव्रत्यधर्मकी जय।

॥ समाप्त ॥

बेटीको माताका उपदेश ।

बेटी अब ससुराले जाना, मत करना अपना मनमाना ।
करना सो जो सास सिखावे; अथवा जेठी ननद बतावे ॥
जो हों घरमें जेठ जिठानी; करना उनहीकी मनमानी ।
उनकी सेवा बन आवेगी; तो तू सुख संपति पावेगी ॥
जेठी ननद, सासु, जेठानी; इन सबको सम समझ सयानी ।
इनकी आज्ञा पालन करना; वधूधर्म यह मनमें धरना ॥
जितने जेठे होवें घर पर, उन्हें समझना पिता बराबर ।
उनकी आज्ञा सिर पर धरना; मानों है सुखसे घर भरना ॥
जो सुभाग्यसे हो देवरानी, करना प्रेम बहिनसम जानी ।
उसको उत्तम काम सिखाना; अपने कुलकी चाल बताना ॥
देवरको लखना लघु भाई; आदर करना प्रेम जताई ।
उनके दुखमें दुःख मनाना; सुखमें मिल आनन्द बढ़ाना ॥
जब तुम उनसे काम कराना, अपना बड़पन नहीं जताना ।
प्रेमसहित धीरे मुसकाकर; आज्ञा देना शील जताकर ॥
ऐसा करनेसे देवरानी; बात करेगी सब मन मानी ।
देवर भी आज्ञा मानेंगे; तुमको गृहदेवा जानेंगे ॥
छोटी ननद बहन है छोटी; उससे बात न करना खोटी ।
प्रेमसहित उसको आदरना; द्वेष, विरोध कभी मत करना ॥
यदि सुभाग्यवश तेरे घर पर; होवें कोई नौकर चाकर ।
उन पर क्रोध न कभी जताना; कभी नहीं दुर्वचन सुनाना ॥
शान्त भावसे आज्ञा देना; जो कुछ वह उसे सुन लेना ।
उनकी उचित प्रार्थना सुनकर; उचित होय सो करना गुनकर॥
समय समझकर डाँट बताना; उनको मुँह नहिं कभी लगाना ।
उनके बच्चों पर मृदयाकर; कभी कभी करना कुछ आदर ॥
उत्सव समय उन्हें कुछ देना, आशिर्वचन उन्होंके लेना ।
उनके दुखमें दया दिखाना; यों उनको निज दास बनाना ॥
रखना चतुर दास अरु दासी; नेकचलन नीके विश्वासी ।
लोभी, रसिक, मिजाजी मिसकर; ऐसे कभी न रखना नौकर॥

ननद, जिठानी, देवरानीके; बचे फुसलना अपनेहीसे ।
स्वच्छ प्रेम उन पर नित करना; उत्तम शिक्षा यह मन धरना॥
जाति बिरादरघर मनभाये; मत जाना तुम बिना बुलाये ।
यदि बुलाय प्रेमें आदर कर; जाना हुकम सासका लेकर ॥
पुरा-परोसनिवासी नारी; आये आदर करना भारी ।
जाते समय प्रेमसे कहना; आया करो कभी तो बहना ॥
आपसमें कर कलह लड़ाई; मत करना उनकी कुबड़ाई ।
जो तू घरमें कलह करेगी; दुनिया मुझको नाम धरेगा ॥
इससे मैं तुमको सिखलाती, मत होना कुबुद्धिमें माती ।
काम वही करना दिनराती; जिनको सुन हो शीतल छाती ॥
गृहकारज निज हाथों करना; इसमें लाज न मनमें धरना ।
घर कपड़े थालक अरु भोजन; स्वच्छ रहें यह बड़ा प्रयोजन॥
घरको लिपवाना पुतवाना; कपड़ोंको बहुधा धुलवाना ।
लड़कोंको अकसर नहलाना; भोजन अपने हाथ बनाना ॥
इतने मुख्य काम नारीके; जो नारी करती है नीके ।
वह सबको प्यारी होती है; सब पर अधिकारी होती है ॥
बूढ़ा बारा अथवा कोई; बीमारीसे व्याकुल होई ।
चित दे उसकी सेवा करना; दया धर्म यह मनमें धरना ॥
मत बिचारना बुरा किसीका; तो तेरा भी होगा नीका ।
परहितमें तू चित्त लगाना; फल पावेगी सब मनमाना ॥
बड़ी सीख यह उरमें धरना; सेवा पतिचरणोंकी करना ।
तेरे सुख उनके सुखसे हैं, उनसे तेरे प्राण लगे हैं ॥
पतिको भरसक राजी रखना, मनमें नाम उसीका जपना ।
उसकी आज्ञा सिर पर लेना, रूखा उत्तर कभी न देना ॥
नारिधर्मकी कुंजी है यह; सुखसंपतिकी पूंजी है यह ।
यह कर्तव जिससे बन आवे, सोई मनमाना फल पावे ॥
ये सब बातें चितमें धरना; इनकी अवहेला मत करना ।
जो इनके अनुसार चलेगी, सुखी रहेगी फूलि फलेगी ॥

सेठिया जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ८६

संक्षिप्त कानून संग्रह

अर्थात्

Abridged Law Guide

प्रकाशक—

भैरोंदान जेठमल सेठिया

प्रथमावृत्ति १००० | वीर सं० २४५[illegible] सन् १९३१ | न्योछावर छः आने

उपहार

आभार

प्रस्तुत पुस्तक लिखने में श्रीयुत सूर्यनारायणजी आचार्य एम ए, श्रीयुत पा० मुक्ताप्रसादजी र फील्ड हाईस्कूल, तथा श्रीयुत प राम नारायणजी त्रिवेदी, एम ए एल एल बी, वकील हाईकोर्ट, से हमें बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। अतएव हम उक्त विद्वान महानुभावों के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

—भैरोंदान जेठमल सेठिया,
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाएँ, बीकाने

भूमिका

आदमी सामाजिक प्राणी है बगैर समाज के आदमी की विशेषताओं का कोई मूल्य नहीं । समाज की व्यवस्था कुछ सार्वभौमिक नियमों के अनुसार होती है यही नियम प्रचलित भाषा में कानून कहलाते हैं । परिस्थिति भेद से यही मूल थोड़े से नियम अनेक रूपों में प्रयोग होने के कारण भिन्न भिन्न धाराओं और उपधाराओं का रूप पाते हैं ।

हर एक आदमी को जिसे समाज में रहना है कानून की मोटी मोटी बातों का अवश्य ही जानना चाहिए। कानून जैसे विषय पर अनेक बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण ग्रंथों के होते हुए भी यह छोटी सी पुस्तक लिखने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि लोग कानून की कामचलाऊ बातें जान जाय । अक्सर कानूनी बातें न जानने से लोगों को धोखा हो जाता है, और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इस से न केवल व्यक्तियों का नुकसान होता है बल्कि समाज की व्यवस्था भी भंग होती है । अतः यह पुस्तक उन्हीं लोगों के काम की है जो कानून की प्रारम्भिक बातें जानने के इच्छुक हैं । कानूनी पुस्तकों की भाषा प्रायः उर्दूप्रधान रहती है परन्तु इसमें इसलिए यथाशक्ति इसके विषय को सरल सुबोध हिन्दी बनाने की चेष्टा की है ।

जिन्हें इस विषय की बारीकियाँ जानने की जिज्ञासा है, वे भी चाहें तो इससे सहायता ले सकते हैं, पर उन्हें इससे विशेष आशा नहीं रखनी चाहिए । कानून जैसे व्यापक विषय का ऐसी छोटी सी पुस्तक में भर देना सम्भव भी नहीं है ।

भाषा के संबंध में यही निवेदन है कि हमने बराबर ध्यान रखा है कि कोई कठिन और अप्रचलित शब्द न आजाय। और जहाँ विषय की स्वाभाविक गंभीरता के कारण ऐसा करने में हम असमर्थ रहे हैं वहाँ हमने शब्द के हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी रूपों को भी दे दिया है। इतना होने पर भी हमने पुस्तक के अन्त में कुछ अंग्रेजी हिन्दी रूपों का एक शब्द कोष भी जोड़ दिया है। कहने का मतलब यही है कि हमने पूरी तरह यह यत्न किया है कि यह छोटी सी पुस्तक भी लोगों को अधिक से अधिक बातें बता सके।

हमारा यह प्रयत्न जनता की कुछ भी सेवा कर सका तो हम परिश्रम को सफल समझेंगे और भविष्य में इससे विस्तृत और पूर्ण पुस्तक देने का प्रयास करेंगे। एवमस्तु।

बीकानेर,
१४-९-३१

भैरोंदान सेठिया,
वाइसप्रेसीडेंट म्यूनिसिपल बोर्ड,
और
आनररीमजिस्ट्रेट सदर बीकानेर

Bhairodan Sethia
Vice-President, Municipal Board,
and
Honorary Magistrate,
BIKANER

विषय सूची

संक्षिप्त कानून संग्रह

[१] दण्ड-विधान

---:o---

(१) जिस कामको करना अथवा जिसके करने से दूर रहना यदि प्रचलित कानून के अनुसार दण्डनीय हो, तो वह काम जुर्म (अपराध) कहलाता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं—

(क) जमानत के योग्य—जिसमें अपराधीको जमानत पर छोड़ा जावे।

(ख) जमानत के अयोग्य—जिसमें अपराधी जमानत पर छोड़ा न जा सके।

(२) फौजदारी के मुकदमे दो प्रकार के होते हैं —

(क) वारण्ट केस—उस मुकदमे को कहते हैं, जो किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में हो जिसकी सजा मृत्यु या कालापानी या छ माह से अधिक का कारागार हो।

(ख) समन्स केस—वह अपराध है जिसमें छ मास या उससे कम सजा मुकर्रर हो

(३) फौजदारी अदालत (न्यायालय) नीचे लिखे प्रकार की होती है, किन्तु गवर्नमेण्ट (शासन) औरभी अदालतें समय समय पर नियुक्त कर सकती है

(क) हाईकोर्ट (उच्चतम न्यायालय)

(ख) सेशन कोर्ट (दौरा जज की अदालत बीकानेरमें हाईकोर्टका प्राथमिक विभाग

(ग) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (नाज़िम) की अदालत

(घ) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(ङ) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(च) तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(४) इन अदालतों को नीचे लिखी अनुसार अवधि तक दण्ड देने का अधिकार रहता है—

(क) तीसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को (१) एक मास की कैद (२) ५०) रुपये जुर्माना।

(ख) दूसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को (१) छह मास तककी कैद (२) २००) तक जुर्माना।

(ग) प्रेसिडेन्सी तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को-(१) २ वर्ष तक की कैद (२) १०००) तक जुर्माना (३) बेत लगवाने का दण्ड

(घ) सेशन (दौरा जज) अदालत को कानून के अनुसार हर तरह की पूरी सजा, परन्तु मृत्युदण्ड हाई कोर्ट के आधीन रहेगा।

(ङ) हाईकोर्ट अदालत– कानून के अनुसार प्राणदण्ड तक सब प्रकार की सजा, परन्तु प्राणदण्ड भोजी सा० की मँजूरीके अधीन रहेगा।

(५) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस का कर्मचारी किसीसे नीचे लिखे हुए कामों में मदद मांगे तो वैसी मदद देना प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है। ऐसी मदद न देने वाला अपराधी गिना जाता है—

(क) भागते हुए किसीको रोकने में अथवा पकड़ने (गिरफ्तार करने) में जिसको पकड़ना मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस का कर्त्तव्य हो।

(ख) सार्वजनिक शान्ति भग को रोकने में अथवा रेल नहर या सरकारी माल को हानि पहुंचाने में रोकने में।

(३) फौजदारी अदालत (न्यायालय) नीचे लिखे प्रकार की होती है, किन्तु गवर्नमेण्ट (शासन) औरभी अदालतें समय समय पर नियुक्त कर सकती है

(क) हाईकोर्ट (उच्चतम न्यायालय)

(ख) सेशन कोर्ट (दौरा जज की अदालत) बीकानेरमें हाईकोर्टका प्राथमिक विभाग।

(ग) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (नाज़िम) की अदालत

(घ) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(ङ) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(च) तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत

(४) इन अदालतों को नीचे लिखी अनुसार अवधि तक दण्ड देने का अधिकार रहता है—

(क) तीसरी श्रेणी के मजिस्टेट को (१) एक मास की कैद (२) ५०) रुपये जुर्माना।

(ख) दूसरी श्रेणी के मजिस्ट्रेट को (१) छह मास तककी कैद (२) २००) तक जुर्माना।

(ग) प्रेसिडेन्सी तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को (१) २ वर्ष तक की कैद (२) १०००) तक जुर्माना (३) बेत लगवाने का दण्ड

करना, किसी राज विरोधी कैदी को भागने, बचाने या सुरक्षित रखने में सहायता पहुँचाना।

(ख) अन्याय पूर्वक तथा अनीति पूर्वक रची हुई किसी सभा या समाव में साथ देना अथवा उसमें साथ देकर मृत्युकारक हथियार अपने पास रखना, अथवा ऐसे समाव को तितर बितर होने का हुक्म मिलने पर भी उसमें सम्मिलित रहना।

[ग] बिना हथियार के अथवा मृत्युकारक हथियारों के साथ बलवा करना ।

[घ] किसी का जान बूझ कर अथवा बिना जाने खून करना किसी मनुष्यका वध करने वाले उस कैदी के द्वारा आतयत वध किया जाना ।

[ङ] चोरी का अपराध करनेके अभिप्राय से किसी का वध करना या किसीको दु:ख पहुँचाना अथवा रुकावट पैदा करना या मौतकी धमकी देनेके पश्चात् चोरी करना।

[च] डाका डालने का काम करना या डाकु

(६) ताजी रात हिन्द [भारतीय दण्ड विधान] के अनुसार नीचे लिखे अपराधों की सूचना पुलिस को देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, अन्यथा वह अपराधी गिना जावेगा।

(क) गवर्नमेन्ट के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का उद्योग या परामर्श करना या उसमें सहायता पहुंचाना या उसके लिए शस्त्रों का संग्रह करना अथवा किसी ऐसी गुप्त बात को इस नीयत से छुपाना कि युद्ध करना सरल हो जाय या गवर्नमेन्ट के किसी मिनिस्टर या गवर्नर अथवा प्रेसिडेन्ट या वाइसप्रेसीडेन्ट को धमकाना इस नीयत से कि वह किसी उचित, व नियमानुकूल कार्य को करने अथवा न करने को बाध्य होजाये, या गवर्नमेण्ट के विरुद्ध किसी प्रकार घृणा उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का उद्योग करना, या गवर्नमेण्ट के मित्र राज्यों से युद्ध करना अथवा उन राज्यों में लूटमार

करना, किसी राज विरोधी कैदी को भागने, बचाने या सुरक्षित रखने में सहायता पहुँचाना।

(ख) अन्याय पूर्वक तथा अनीति पूर्वक रची हुई किसी सभा या जमाव में साथ देना अथवा उसमें साथ देकर मृत्युकारक हथियार अपने पास रखना, अथवा ऐसे जमाव को तितर बितर होने का हुक्म मिलने पर भी उसमें सम्मिलित रहना।

[ग] बिना हथियार के अथवा मृत्युकारक हथियारों के साथ बलवा करना ।

[घ] किसी का जान बूझ कर अथवा बिना जाने खून करना किसी मनुष्यका वध करने वाले उस कैदी के द्वारा ज्ञानयत वध किया जाना।

[ङ] चोरी का अपराध करनेके अभिप्राय से किसी का वध करना या किसीको दुःख पहुँचाना अथवा रुकावट पैदा करना या मौतकी धमकी देनेके पश्चात् चोरी करना।

[च] डाका डालने का काम करना या डाकू

डालने का उद्योग करना अथवा ऐसा काम करने में किसी को बड़ी चोट पहुँचाना, या किसी को जानबूझ कर मार डालना, अथवा मृत्युकारी हथियार ले कर चोरी या डकैती करना अथवा डकैती करने के लिए तैयारी करना तथा इकट्ठा होना।

[छ] आग अथवा भक से उड़ने वाले पदार्थ के द्वारा १००) तक हर्जा पहुँचाने की नीयत से अथवा खेती की चीजों को १०) तक हानि पहुँचाने अथवा घर आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से किसी को हानि पहुँचाना।

[ज] रात के समय छुप कर किसी के घरमें जबर्दस्ती घुसना अथवा किसी का घर फोड़ना।

[झ] रात को छुप कर या जबर्दस्ती घर में घुसना या किसी ऐसे अपराध करने की नीयत से घुसना जिसका दण्ड हो, अथवा दु:ख पहुँचाने, आक्रमण करने

या रोकने की नीयत से रात में घुमना या ऐसी अवस्था में पड़ी घाट पहुंचाना।

[ज] केवल निम्नलिखित अवस्थामें पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है और २४ घण्टे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अपने अधिकार से नहीं रोक सकती, और आज्ञा से भी १५ दिन से अधिक, किसी प्रकार नहीं रोक सकती—

[१] किसी ऐसे पुरुषको जिसके सम्बन्ध में यह निश्चित हो अथवा उचित सूचना मिली हो कि उसने ऐसा अपराध किया है जो बिना वारण्ट गिरफ्तार हो सकता है।

[२] ऐसे पुरुष को जिसके पास अकारण घर फोड़ने का हथियार हो।

[३] अपराधी जिसके पकड़ने का कोई हुक्म हो।

[४] कोई पुरुष जिसके कब्जे में चोरी का माल हो।

[५] कोई पुरुष जो पुलिस को उसके कर्तव्य पालन से रोके अथवा जो उचित हिरासत से भागे।

[६] जो किसी फौज का भागा हुआ हो।

[७] जिसके सम्बन्ध में ऐसी उचित सूचना हो कि उसने बृटिश भारत या बीकानेर राज्य के बाहर कोई अपराध ऐसा किया हो या करने में सम्मत हो, जिसमें बिना वारण्ट पकड़ा जासके।

[८] कोई छूटा हुआ प्रमाणित अपराधी जो छुटकारे के नियमों का भंग करे।

[क] इनचार्ज पुलिस नीचे लिखे पुरुषों को पकड़ सकती है— किसी ऐसे पुरुष को जो अपने को इस प्रकार छुपाता हो जिससे उसके अपराध करने की संभावना हो अथवा जिससे गुजर का कोई जरिया न हो और न वह पता सकता हो। जो विख्यात चोर आदि घर फाड़ चोरी का माल लेने वाला अथवा हानि

का भय दिखाने वाला या लूट मार करने वाला हो।

[७] ऊपर की धारा (२) में बतलाए हुए दो प्रकार (समन्स और वारन्ट) के मुकद्दमों में नीचे लिखे अनुसार क्रम से अदालतों में कार्रवाई हुआ करती है –

[क] समन्स के मुकद्दमे की कार्रवाई का क्रम अपराधी अदालत के सामने उपस्थित होता है-या किया जाता है उस वक्त मजिस्ट्रेट अपराधी को उस अपराध का पूरा विवरण सुना देता है, जो उस पर लगाया जाता है फिर उससे पूछा जाता है कि वह अदालत को इस बात का सन्तोष दिलावे और समझावे कि उसको क्यों न दण्ड दिया जावे। यदि अपराधी उस अपराध को करना स्वीकार करे तो उसकी स्वीकृति (इकबाल) उन्हीं शब्दों में लिखी जाती है, जिनमें वह अदालत में बोलता है। उसके बाद यदि वह अपराधी अदालत को सन्तोष

न दिखा सके कि उसने अपराध नहीं किया है तो मजिस्ट्रेट को उसको नियत दण्ड देना पड़ता है। जब अपराधी अपराध करना स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट अभियोक्ता के और उसका समर्थन करने वालों के बयान लेता है, और उसके बाद अपराधी के तथा उसका समर्थन करने वालों के बयान लेता है और निर्णय करता है। अन्तिम निर्णय होने से पहले पहले यदि अभियोक्ता न्यायाधीश को विश्वास करवा देता है कि अभियोग को वह वापिस लेना उचित समझता है तो न्यायाधीश को अधिकार होता है कि वह अभियोक्ता को अभियोग उठा लेने देवे और अभियुक्त को छोड़ देवे। यदि मुकदमे की किसी निश्चित तारीख पर अभियोक्ता अदालत में उपस्थित न होवे और अपराध राजीनामा करने योग्य हो तो मजिस्ट्रेट का अधिकार होता है कि वह अप

राधी को छोड़ देवे । यदि मजिस्ट्रेट को निश्चय हो जावे कि अभियोक्ता ने अपराधी को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से ही अपराध लगाया है तो उसको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो कारण बतला कर अपराधीको अभियोक्ता से हरजाने का उचित रुपया दिलवा देवे । ऐसी रकम यदि अभियोक्ता नहीं देवे तो वह रकम उससे या उसकी सम्पत्ति से जबरदस्ती प्राप्त कर ली जा सकती है, नहीं तो उसको ३० दिन तक का कारावास दिया जा सकता है ।

वारन्ट केस में होने वाली कार्रवाई का क्रम

(८) जब अपराधी अदालत के सामने आताहै अथवा लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट फरियादी या उसके द्वारा पेश किये हुए प्रमाण [सबूत] को लेताहै उसके पश्चात् वह पूछताछ करके उन आदमियों के नाम पूछता है . जो उस मुकद्दमे का विवरण जानते हों तथा उसके विषय में साक्षी दे सकते

हों तब वह उन गवाहों को बुलाता है। इनकी साक्षी होने के बाद अथवा इससे पहले भी यदि मजिस्ट्रेट को विश्वास होजावे कि अपराध झूठ से लगाया गया है तो वह अपराधीको छोड़ देवे। साक्षी होने पर अथवा उससे पहले यदि मजिस्ट्रेट को समझ प्रतीत हो कि अपराधी ने अपराध किया है और उसके निर्णय करने का मैं अधिकारी हूँ, तो वह उस अपराधीको वह अपराध सुना देवे जो उसके विचार से अपराधी ने किया हो। उसके पश्चात् अपराधी से पूछा जावेगा कि वह अपराधी है या नहीं। यदि अपराधी अपराध स्वीकार करे तो उसको न्याय के अनुसार दण्ड दिया जावे, अन्यथा उसको पूछा जायगा कि वह फरियादी के किस किस साक्षी को फिर से बुला कर उनसे जिरह करना चाहता है। अपराधी जिस-जिस साक्षीको बुलाना चाहे उसको फिर जिरह के वास्ते बुलाया जावे। उनसे जिरह की जावे और उसके बाद अपराधी के साक्षियों के बयान लिखे जावें अथवा उसके दूसरे प्रमाण स्वीकार किये जावें।

उसके बाद यदि मजिस्ट्रेटको निश्चय हो जावे कि अपराधी निरपराध है तो वह उसको बरी कर देवे, अन्यथा कानून के अनुसार दण्ड देवे। यदि फरियादी किसी निश्चित तारीख पर अदालत में उपस्थित न हो तो अदालत को अधिकार है कि वह उस अपराधी को छोड़ देवे।

(९) किसी मनुष्य के प्रार्थना करने पर कि उसके मुकद्दमे के सम्बन्ध में अमुक-अमुक मनुष्य प्रमाण अथवा साक्षी दे सकते हैं, अदालत को अधिकार है कि वह उन साक्षियों को बयान देने अथवा प्रमाण पेश करने के वास्ते गवाह को जबरदस्ती अदालत में बुलवा लेवे, लेकिन शर्त यह है कि प्रार्थना करने वाले से उन गवाहों के खर्च की रकम पहले अदालत में जमा करवा ली जायगी यदि अपराध काबिल दस्तन्दाजी न हो।

(१०) हाईकोर्ट से निर्णय होने वाले सब मुकद्दमों में जूरी लोगों के सामने निर्णय हुआ करता है, (परन्तु बीकानेर में आवश्यक नहीं है) लेकिन अदालत सेशन में असेसरों की सहायता से

हुआ करता है।

(११) किसी आदमी के काफी आमदानीका द्वार होने परभी यदि वह अपनी स्त्री अथवा अपने औरस तथा हराम बच्चे का पालन न करता हो तो प्रथम वर्ग तकके मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि इस कार्य में सुस्ती करने वाले अथवा पालन न करने वाले को हुक्म देवे कि वह एक निश्चित रकम उस स्त्री व बच्चोंके पालनके वास्ते, जो ५०) मासिक से अधिक न हो, उनको अथवा किसी दूसरे निश्चित मनुष्यको एक निश्चित समय से बराबर देता रहे। यदि वह आदमी इस परभी सुस्ती करे अथवा न देवे तो निश्चित अवधि पर उसके नाम वारण्ट निकाल कर उससे जुरमाने की तरह वसूल करे। वसूल न होने पर उसको एक मास या उससे अधिक उचित समय तक रुपया वसूल न होने तक कैद रखे। अगर पालन होने वाला आदमी पालन करने वालेके बिना किसी खास कारण के साथ रहने को राजी न हो तो उसको वजीफा नहीं दियाजा सकता यदि वह स्त्री वेश्या

वृत्ति या व्यभिचार करती हो तो भी उसको वृत्ति नहीं मिल सकती यदि स्त्री अपने पुरुषकी राय से और अपनी खुशी से अपने पति से अलग रहतीहो तो उसको कोई वृत्ति नहीं मिल सकती —

(१२] नीचे लिखी शर्तों में आदमी परवरिश करने से मुआफ हो सकता है —

[क] यदि वह भीख मांगने वाला हो।

[ख] यदि वह किसी बड़े हिंदू खानदान में सम्मिलित हो कर रहता है।

[ग] यदि वह १६ वर्ष तक का हो और अभी तक पाठशाला में पढ़ता हो।

[घ] यदि औरतके सम्बन्धी ऐसे हों जो उसको पालन कर सकते हों और करनेको राजीहो

(ङ) यदि उसने अपनी औरत को किसी व्यभिचार के कारण छोड़ दिया हो।

(१३) पुलिस को अधिकार है कि वह प्रत्येक आदमी को किसी मुकद्दमे की पूछताछ कर अथवा करने

क वास्ते किसी को गाड़ी देरके लिए बुलावे अथवा किसी को किसी अपराध के भ्रम से २४ घंटे तक रोक सके। २४ घण्टे के बाद अदालत के हुक्म के बिना रोकने से पुलिस पर जबरदस्ती रोकने का मुकद्दमा चल सकता है।

(१४) पुलिस के कर्मचारियोंको किसी आदमीको मार पीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे ऐसा करें तो उन पर फौजदारी मुकद्दमा चल सकता है।

(१५) पुलिस के कर्मचारियों को हरएक आदमी के बयान लेने का अधिकार है किन्तु उस बयान पर डराकर धमकाकर अथवा किसी प्रकारसे किसी से दस्तखत करवाने का अधिकार नहीं है। यदि कोई डर से वा धमकी से कर देवे तो भी अदालत के सामने इन्कार करके वह कह सकता है कि उसने वह दस्तखत डरसे अथवा धमकी से कर दिये थे

ताजीरात हिन्द

—————'०,————

यदि कोई आदमी ऐसा काम करे जो उसे कानून के अनुसार करना चाहिए और जिसे करने का उसका कर्तव्य हो, तो वह काम कोई अपराध नहीं गिना जा सकता।

(१) यदि किसी बात को गलत समझ कर कोई आदमी सत्य भाव से कानून के अनुसार किसी काम को करना अपना कर्तव्य समझ कर उस काम को करता है और सचमुच उसका कर्तव्य नहीं है, तो भी वह कोई अपराधी नहीं है। जैसे-

कचहरी के किसी प्यादे को हुक्म मिले कि वह राम को पकड़े और उससे पूरी पूछताछ कर के यदि प्यादा राम के बदले कृष्ण को राम समझ पकड़ लेवे तो भी वह अपराधी नहीं है।

(२) यदि किसी अदालत के निर्णय (फैसले) अथवा हुक्म के अनुसार कोई काम सद्भाव से किया

जाय तो वह भी कोई अपराध नहीं है।

(३) यदि कोई काम दैव वश अथवा दुर्भाग्यवश हो जाय तो वह अपराध नहीं है, यदि वह काम उचित रीति से नीतिपूर्वक पूरी-पूरी सावधानी और चेतनता के साथ विना किसी बुरे भाव के किया जावे। जैसे –

गोपाल नामक एक आदमी होशियारी के साथ लकड़ी काटता है। दुर्भाग्य से उसकी कुल्हाड़ी बेंट से निकल जाती है और पास में खड़े हुए मोहन को लग जाती है तो भी वह कोई अपराध नहीं है।

(४) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव के साथ किसी की जान अथवा माल को किसी हानि से बचाने अथवा रोकने के मतलब से कोई काम यह सम – झते हुए कर कि वैसा करने से उसे जान अथ या माल के अतिरिक्त कोई दूसर प्रकार की हानि हो सकती है तो भी वह कोई अपराध नहीं कर गा। लेकिन शर्त यह है कि उस काम को करने में जान अथवा माल को कोई हानि पहुँचाने की

उसकी भावना न हो और न आवश्यक हानि से
विशेष हानि पहुँचावे जैसे—

एक गाव में आग लगी है और कोई आदमी उसके घरों को इस भाव से गिराता है कि घरों को गिराने से आग नहीं फैलेगी और इस प्रकार मनुष्यों के प्राण व धन बच जावेगा, तो इस काम में उसका शुद्ध भाव प्रमाणित होने पर उसका काम अपराध नहीं गिना जावेगा।

(४) सात वर्ष से नीचे की अवस्था वाला यदि कोई काम करे तो उसका कोई भी काम अपराध नहीं गिना जावेगा। जैसे—

राम नामक एक छ साल का लड़का यदि एक पुस्तक चुरा कर अपने घर वाले किसी मोहन को देता है तो राम को सजा से छूट है लेकिन मोहन को नहीं।

(५) सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के बालक की समझ अगर इतनी न पकी होवे कि वह किसी काम के गुण और उसके फल की बुराई भलाई को समझ सके तो उसका किया

हुआ कोई भी काम अपराध नहीं गिना जावेगा।

(७) किसी काम के करते समय यदि करने वाले की अपनी बुद्धि के बिगड़ जाने के कारण अपने काम का ज्ञान न हो अथवा यदि वह इस बात को समझने के लायक न हो कि जो काम वह कर रहा है वह अनुचित और कानून विरुद्ध है, तो उस वक्त का उसका यह काम अपराध नहीं गिना जा सकता। जैसे–

गोपाल नामक एक पागल आदमी ने कृष्ण को लाठी मारी जिससे वह मर गया, तो पागलपन के कारण वह छूट सकता है।

(८) यदि किसी आदमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा उसको बतलाये बिना नशा करा दिया जाये जिसके कारण यदि वह अपने किये हुये काम के गुण को समझने के लायक न रहे कि उसका वह काम अनुचित अथवा न्याय विरुद्ध है तो उसका यह काम अपराध नहीं गिना जा सकता जैसे —

राम को गोपाल जबरदस्ती अथवा उसको बिना बतलाए भंग पिला देता है, जिसके कारण वह किसी भले आदमी के घर में घुस कर कुछ नुकसान पहुँचाता है तो उसका वह कार्य्य अपराध नहीं गिना जा सकता।

(६) यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ जिसकी आयु १२ साल से कम न हो, उसकी मर्जी के साथ, किसी प्रकार की बड़ी चोट अथवा मृत्यु पहुँचाने की नीयत के बिना, कोई काम करता है जिससे उस दूसरे आदमी को हानि अथवा नुकसान पहुँच जावे तो भी वह कोई अपराध नहीं गिना जा सकता, चाहे उन दोनों को यह बात मालूम भी हो कि उस काम में हानि भी पहुँच सकती है। जैसे—

राम और गोपाल फुटबॉल का खेल खेलते हैं और दोनों शुद्ध रीति से खेल में लगने वाली चोट या हानि को सहने के लिए तैयार हैं। यदि दुर्भाग्य वश उसमें किसी को चोट लग जावे तो कोई अपराध नहीं है।

(१०) यदि कोई आदमी जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, अपने लाभ के वास्ते अपनी खुशी से अपने किसी नुकसान को सहने का राजी हो और अपनी इच्छा के अनुसार कोई दूसरा आदमी उसके साथ शुद्ध भाव से कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको नुकसान पहुँचे या पहुँच सकता हो, तो भी वह काम या नुकसान अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि नुकसान पहुँचाने वाले ने वह काम उसको मारने के वास्ते न किया हो। जैसे—

मोहन नामक एक आदमी को बड़ा भयानक रोग है। सोहन नामक डाक्टर जानता है कि इस रोग के वास्ते चीरफाड़ करने से मोहन की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मोहन को बचाने की इच्छा से शुद्ध भाव से, मोहन की राय या रजामन्दी से यदि चीरफाड़ करता है तो वह कोई अपराध नहीं है, यद्यपि उस चीरफाड़ से मोहन भले ही मर जाय।

(११) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव से किसी बारह

वर्ष की उम्र से छोटे बच्चे अथवा पागल आदमी के साथ, उसके लाभ के वास्ते उनके माता पिता अथवा उनके अभिभावकों की राय या रजामन्दी से ऐसा काम करता है, जिससे उनको नुकसान पहुँचता है तो भी यह अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि उस आदमी ने यह काम उनको मारने की नीयत से न किया हो।

कृष्ण अपने लड़के राम को मस्से (बवासीर) की बीमारी की चीर फाड़ किसी डाक्टर से करवाता है और वह यह जानता है कि अक्सर ऐसे इलाज से आदमी मर जाता है, यदि राम मर जावे तो भी कोई अपराध नहीं है क्योंकि कृष्ण का मतलब उस को मारने का नहीं था वरन उसको आराम करने का था

(१२) यदि कोई आदमी ऐसी हालत में हो कि वह अपनी प्रसन्नता या आज्ञा प्रकट नहीं कर सकता और कोई दूसरा आदमी उसको लाभ पहुंचाने को शुद्ध भाव से, उसके साथ ऐसा काम कर

ता है जिससे पहले आदमी को हानि पहुँचन
की भी सम्भावना हो तो भी उसका यह क
कोई अपराध नहीं है। जैसे—

हरि नामक एक आदमी को एक भेडि
कर ले जा रहा है मोहन नामक एक शि
चला कर उसको छुड़ाना चाहता है उस
भय है कि शायद गोली हरि को ही लग जा

... यदि हरि की आज्ञा से वह गो
और उससे उसको चोट लग भी जावे, तो
अपराध नहीं है। लेकिन इस हालत में ह
है और अपनी राय नहीं दे सकता, ऐसी ह
यदि मोहन भेड़िये पर गोली चला कर ह
ड़ाना चाहता है और भाग्यवश वह गोली
ही लगती है, तो भी मोहन अपराधी नहीं

(१३) यदि कोई आदमी शुद्ध भाव से किस
को उसी के लाभ की दृष्टि से कोई सूच
जिसे सुन कर उसे हानि पहुँचे तो भी

अपराध नहीं है। जैसे—

गोपाल नामक एक डाक्टर राम नामक एक आदमी को उनके लाभ की दृष्टि से सूचना देता है कि उसका बीमार पिता शीघ्र जल्दी मरने वाला है यदि इस समाचार का सुन कर राम को हानि पहुँचे अथवा वह मर भी जावे तो भी गोपाल का सूचना देना कोई अपराध नहीं है

(१४) यदि कोई आदमी किसी को ऐसा काम करने को कहे जो जुर्म हो और उसको इस बात का डर बतावे कि अगर वह उसके कहने के अनुसार नहीं करेगा तो फौरन उसी समय मार दिया जावेगा। ऐसी सूरत में यदि डर के मारे उस आदमी को किसी जुर्म के काम में सम्मिलित होना पड़े तो उसका उस हालत में किया हुआ काम कोई अपराध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जिस काम में यह आदमी डर कर सम्मिलित होता है वह काम किसी की मृत्यु करने का, राजद्रोह का अथवा कोई ऐसा काम न हो

जिसका दण्ड मृत्यु हो। जैसे—

राम नाम के किसी आदमी को चोरों का एक झुण्ड घेर लेता है और उसको पिस्तौल दिखला कर हुक्म देता है कि वह अपने मालिक कृष्ण के खजाने की चाबी निकाल कर, अपने मालिक का धन निकाल कर उनको देवे। यदि राम उनका कहना न करे तो उसको भय है कि वे उसको मार डालें इस वास्ते ऐसी हालत में यदि वह लाचार धन निकालता है तो भी वह कोई अपराध नहीं करता।

(१५) आत्म रक्षा के अधिकार को बरतने में यदि कोई आदमी आत्मरक्षा के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे आत्म रक्षा हो तो वह काम अपराध नहीं है।

" आत्म " शब्द का अर्थ अपना शरीर तथा किसी अन्य मनुष्य का शरीर तथा अपनी या अन्य आदमी की सम्पत्ति है। अतएव आत्म-रक्षा करने का मतलब इन वस्तुओं की रक्षा करना है। अर्थात् अपने शरीर का अथवा किसी

दूसरे के शरीर को किसी बड़ी हानि अथवा चोट से बचाना तथा किसी प्रकार की सम्पत्ति को चोरी डकैती की हानि पहुँचने से तथा अनधिकार हस्तक्षेप से बचाना आत्मरक्षा कहलाता है। जैसे—

राम के घर में एक चोर तलवार लेकर घुसता है। राम जग जाता है और देखता है कि चोर उसको या उसके सम्बन्धियों को मार डालेगा अथवा बड़ी चोट पहुँचावेगा अथवा उसका धन चुरा कर या छीन कर ले जावेगा अथवा उस सम्पत्ति को नष्ट कर देगा। ऐसी अवस्था में यदि राम आत्मरक्षा के वास्ते चोर को चोट पहुँचाकर अपनी अथवा अपनी वस्तु की रक्षा करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता।

(१९)प्रत्येक आदमी को किसी नासमझ अथवा पागल अथवा नशेवाले आदमी के सामने आत्मरक्षा का इतना ही अधिकार है जितना उसे एक समझदार बड़े अथवा सावधान आदमी के सामने बचाव करते समय हो सकता है। जैसे—

राम नामक कोई नासमझ बालक अथवा पागल अथवा नशेवाला आदमी कृष्ण के ऊपर तलवार लेकर

स्थान में चोरी अथवा डकैती करे जिससे कि मालिक मकान को भय हो कि आत्मरक्षा किये बिना उसकी मृत्यु की सम्भावना है, ऐसी अवस्था में यदि गृहपति की रक्षा के वास्ते राम का कोई मार भी डाले तो भी कोई अपराध नहीं है।

(२) यदि आत्मरक्षा का अधिकार बर्तते समय, बर्तने वाले को यह जान पड़े कि आत्मरक्षा करने में उससे कई निरपराध व्यक्तियों की भी हानि हो सकती है, तिस पर भी यदि वह आत्मरक्षा के वास्ते कोई काम करे जिससे किसी निरपराध को चोट पहुँचे या मृत्यु हो तो भी उसका यह काम कोई अपराध नहीं है। उदा-

राम पर कोई क्रुद्ध झुण्ड आक्रमण करता है, उस झुण्ड में कुछ तमाशा देखने वाले बच्चे भी हैं। राम के पास एक पिस्तौल है। राम का ख्याल होता है कि आत्मरक्षा के वास्ते गोली चलाने पर कुछ निरपराध बच्चों की भी हानि पहुँच सकती है। मगर ऐसी अवस्था में भी यदि राम गोली चलाता है और उससे किसी बच्चे की मौत होती है तो भी वह कोई अपराध नहीं करता।

कानून शहादत

यह कानून बृटिश भारत में १ सितम्बर १८७२ ई० से जारी हुआ। यह कानून सब कार्रवाई अदालत में काम आता है। परन्तु इसका सबध बयान हल्फी (शपथपूर्वक बयान— एफिडेविट) या पंचायती कार्रवाई से नहीं है।

इस कानून में नीचे लिखे शब्दों के अर्थ यह होंगे—

(१) कोर्ट का मतलब पचों को छोड़कर तमाम जज मजिस्ट्रेट और ऐसे दूसरे लोगों से भी है जो कानून के अनुसार गवाही लेने का अधिकारी हो।

(२) तमाम बातें, जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा मालूम हो सकें या जिनसे अन्त करण की अवस्था जानी जा सके, वे वाकिया (फेक्ट) कहलाती हैं। जैसे—

(क) किसी स्थान पर कुछ वस्तुएँ रखी हैं, यह एक वाकिया है।

(ख) किसी मनुष्य ने कुछ देखा, सुना या

कुछ शब्द कहे, वे सब वाकियात हैं।

(ग) किसी मनुष्य की कोई विशेष रूचि (विचार इरादा) है यह भी एक वाकियात

(३) जिन वाकियात को कानून शहादत द्वारा प्रमाणित किया जा सके, उन्हें वाकियात मुतअ का (रेलिवेंट फेक्ट्स–प्रासंगिक घटना) कहते

(४) वाकयात अमर तन्कीह (स्वय विवाद विषय अथवा फेक्ट इन इशू) से मतलब प्रत्येक वाके से है, जिससे स्वय या दूसरे वाकि आत को मिलाकर, किसी अधिकार, जिम्मे या नाकाबलियत का होना या न होना किसी बात की स्वीकृति या अस्वीकृति पर प । जैसे– राम पर श्याम को मार डालने अभियोग है । इस अभियोग में नीचे लि वाकिआत तनकीह तलब हो सकते हैं–

(क) राम, श्याम की मृत्यु का कारण हुआ

(ख) राम ने श्याम को मार डालने का निश्चय किया

(ग) राम को श्याम ने एकाएक काम दिला

(घ) राम, श्याम को मारते समय अपने

में न था।

) कोर्ट का समय व्यर्थ की गवाही लेने में खराब हो इसलिए यह नियम बना दिया गया है कि सिर्फ वहीं वाकआत की गवाही ली जा सकेगी, जिनके बध में तनकीह हो या जो इस कानून की रू से गाल्लिक (प्रासगिक) माने गये हों। दफा ५ नीचे लिखे वाकयात प्रासगिक माने गये हैं—

(१) ऐसे वाकयात जो तनकीह में न होते हुए भी तनकीह वाले मामलों से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हों कि वे मिलकर एक ही मामला बन गये हों। उदाहरणार्थ—

राम पर ऐसे राजद्रोह का आरोप लगाया गया है कि जिसमें हथियार लेकर बलवे में शामिल होना, फौज पर हमला किया जाना, जेलखाना तुड़वाना आदि हुऐ हों, तो ये सब बातें प्रासगिक हैं, चाहे राम इन सब के होते समय उपस्थित न भी रहा हो।

दफा ६

(१) ऐसे वाकयात जो स्वय विवादग्रस्त विषय के मौका, कारण या फल हों। उदाहरणार्थ—

मद्दन यह हो कि रामने श्याम को विष देकर मार

डाला या नहीं ? तो विष देने के चिह्न, उसके पहिले श्याम का स्वास्थ्य, उसकी आदत जिसके कारण राम को मौका मिला कि वह विष दे सके, ये सब बातें प्रासंगिक हैं। दफा ७

(३) ऐसे वाकेआत जिनसे किसी काम की तैयारी अथवा पक्षकार का आगे या पीछे का चलन विदित होता हो। उदाहरणार्थ —

राम ने श्याम पर तमस्सुक के आधार पर रुपए की नालिश की, श्याम तमस्सुक लिखने से इनकार करता है तो यह कि तमस्सुक लिखे जाने के वक्त श्याम को रुपए की खास जरूरत थी, प्रासंगिक है।

अथवा राम पर मनुष्यहत्या का आरोप है तो ये बातें कि अपराध के पहिले, उसी वक्त, या पीछे उसने ऐसी गवाही इकट्ठी की जो उसको हितकर हो या किसी गवाही को छिपाई या गवाह को हाजिर होने से रोक दिया, या झूठे गवाह खड़े किये, ये सब उसमें प्रासंगिक हैं। दफा ८

(४) ऐसे वाकेआत जो किसी प्रासंगिक घटना के समझाने के लिये जरूरी हों अथवा उससे किसी मनुष्य या जगह की पहचान होती हो, उदाहरणार्थ —

रामने श्याम पर मानहानिका दावा किया कि उसने उसपर दुश्चरित्र होने का लेख लिखा है। श्याम ने जवाब पेश किया कि जो बात मानहानिकारक कही जाती है वह सही है तो जिस वक्त लेख लिखा गया उस वक्त का उभय पक्ष का आपसी व्यवहार इन बातों को सम्बन्धित करने के लिए प्रासगिक विषय माना जायगा। परन्तु किसी ऐसे झगड़े की कैफियत जो राम और श्याम के बीच हुआ हो, जिसका मान-हानिकी बात से कोई सम्बध न हो, प्रासगिक विषय नहीं है यद्यपि झगड़ा होना प्रासगिक विषय हो सकता है। दफा ९

(५) कोई शब्द अथवा काम जो षड्यन्त्र करने वालों के सम्मिलित विचारों का फल हो, उदाहरणार्थ –

इस बात को मानने के लिये कारण हो कि राम ने सम्राट के विरुद्ध षड्यन्त्र किया तो यह बात कि श्याम ने इस काम के लिये योरप में शस्त्र इकट्ठे किये, माधव ने बम्बई में लोगों को इस में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठा किया, सोहन ने इसी मतलब से आगरे में इश्तहार बाटे, मोहन ने दिल्ली से वह रुपया का कुछ रवाना किया जो कलकत्ते में इकट्ठा किया गया

था तो ये सब बातें राम का षडयन्त्र में सबन्ध बत लाने के लिए प्रासंगिक हैं यद्यपि राम का इन लोगों से परिचय भी न हो और चाहे ये बातें उसके षडयंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व हो चुकी हों। दफा १०

(६) जब कोई बात सम्बन्धित विषय या तनकीह के विपरीत हो या किसी दूसरी बात से मिलकर अति सम्भव या असम्भव के परिणाम को पहु चाती हो। उदाहरणार्थ —

यदि राम पर किसी विशेष स्थान पर जुर्म करने का आरोप हो और उसकी उपस्थिति अन्य कहीं प्रमाणित हो तो ये दानों बात विपरीत हैं अतएव प्रा संगिक हैं।

जब यह प्रश्न हो कि इन मनुष्यों में से अपराध किसने किया तो प्रत्येक ऐसी बात जिससे यह प्रमाणित हो कि एक ने जुर्म किया दूसरे ने नहीं; प्रास गिक है। दफा ११

(७) वे बातें जिनसे हर्जाने की नालिश में कोर्ट हर्जा ना निश्चित कर सके। दफा १२

(८) जब हक या रिवाज की नालिश हो तो व बातें और उदाहरण जिनमें किसी अधिकार अथवा

रिवाज को स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो या परिवर्तन किया गया हो। दफा १३

(९) वे बातें जिनसे अन्त करण की अवस्था अर्थात् ईमानदारी बेईमानी इत्यादि और शरीर की अवस्था अर्थात् चोट आदि का ज्ञान हो। उदाहरणार्थ —

राम पर चोरी का माल लेने का आरोप हो तो ये बातें कि चोरी के अलावा उसके पास से दूसरा माल भी चुराया हुआ बहुत सा पाया गया जिससे यह जाहिर होता है कि उसे माल लेते वक्त यह ज्ञान था कि यह माल चोरी का है इसलिए यह विषय प्रासगिक है।

राम पर श्याम ने इस बात के लिए हर्जाने की नालिश की कि उसके कुत्ते ने उसे काट लिया है और श्याम को कुत्ते की इस आदत का ज्ञान था तो यह बात कि मोहन, सोहन, और कल्याण को भी इसी कुत्ते ने काटा था और श्याम को इन लोगों ने उलहना दिया था ये सब बातें प्रासगिक हैं। दफा १४

(१०) वे सब बातें जिनसे यह मालूम हो कि कोई काम इत्तिफाक से हुआ या इरादा करके किया

गया। उदाहरणार्थ :—

राम पर यह आरोप हो कि उसने अपना मकान जान बूझ कर बीमे का रुपया वसूल करने के लिए जला दिया तो ये बातें कि वह एक के बाद दूसरे कई मकानों में रहा हरएक का बीमा कराया, हर मकान में आग लगाई और उनके लिए बीमे के रुपये उसे मिले तो ये सब प्रासंगिक विषय हैं क्यों कि उनसे यह मालूम होता है कि आग इत्तफाक से नहीं लगी। दफा १५

(११) जब प्रश्न यह हो कि कोई काम हुआ या नहीं तो ऐसे काम के सिलसिले को जारी रखना जिसके माफिक वह किया जा रहा है। उदाहरणार्थ —

प्रश्न यह है कि कोई पत्र राम को मिला या नहीं तो यह बात कि मामूली दस्तूर के माफिक चिट्ठी डाक में डाली गई थी और वह डचलेटर आफिस से वापस नहीं आई ये प्रासंगिक विषय हैं। दफा १६

इक़बाल उस बयान जबानी या लेखी को कहते हैं जिससे किसी विवादरूप विषय अथवा प्रासंगिक विषय का नतीजा निकलता हो।

और जो

(क) मुकदमें के पक्षकार अथवा उनके मुख्तार करें।

(ख) पक्षकार मुकदमा अपनी प्रतिनिधि अवस्था में करे।

(ग) उस पक्षकार द्वारा किया जाय जिसका दावे की रकम पर कुछ हक हो।

(घ) उस मनुष्य द्वारा किया जाय जिससे दावे का हक प्राप्त हुआ हो।

(ङ) उन लोगों द्वारा किया जाय जिनकी हैसियत मुकदमे के किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रमाणित करना आवश्यक हो।

(च) पक्षकार के निर्धारित पुरुष ने किया हो।

दफा १७, १८ १९, २०

नोट— इकबाल का उपयोग इकबाल करने वाले के विरुद्ध किया जा सकता है परन्तु उसकी ओर से नहीं। केवल नीचे लिखी सूरतों में इकबाल का उपयोग इकबाल करने वाले की ओर से किया जा सकता है।

(१) जब धारा ३२ में आता हो।

(२) जब इकबाल से इकबाल करने वाले का मतलब प्रतीत होता हो।

(३) जब इकबाल के किसी अन्य प्रकार से प्रासंगिक हो।

ऐसा दस्तावेजों के सम्बन्ध में मौखिक इकबाल केवल आगे लिखी हालतों में प्रासंगिक होगा अन्यथा नहीं — दफा २१, २२

दीवानी मुकदमों में इकबाल उस दशा में प्रासंगिक नहीं माना जायगा जब कि आपसी फैसला करने की नीयत से किया गया हो अथवा उसका पता न करना निश्चित होगया हो।

उदाहरणार्थ .—

यदि राम श्याम से २०००) मांगता हो और श्याम उसे १५००) रु० में फैसला करने के लिये लिखता हो परन्तु पत्र पर शब्द without prejudice "बिना नुकसान हक" लिख दे तो वह पत्र गवाही में नहीं लिया जा सकता। दफा २३

फौजदारी मुकदमे में इकबाल बयान जो

(१) फुसलान धमकाने या वचन देने से प्राप्त किया गया हो।

(२) पुलिस के अफसर के सामने किया गया हो।

(३) जो अपराधी ने पुलिस की हवालात में किया हो।

तो ये इकबाल अप्रासंगिक माने जाएँगे।

दफा २४,२५,२६

परन्तु यदि उपरोक्त धमकी, फुसलाहट या वचन का असर निकलने के बाद जो इकबाल किया जाय वह प्रासंगिक माना जायगा। दफा २७

पुलिस की हवालात में अपराधी से अपराध के सम्बन्ध में जो सूचना मिले उसका उतना ही हिस्सा साबित किया जा सकता है जिसके जरिये से उस अपराध के सम्बध में कोई नई बात की सूचना मिली हो।

उदाहरणार्थ — किसी पर चोरी का जुर्म हो और अपराधी बयान करे कि मैंने चोरी की है और फलानी जगह रकम गाड़ो है और पुलिस अफसर को उस जगह लेजाकर उसके सामने खोदकर रकम निकाले तो रकम निकालना प्रासंगिक है और गवाही में लिया जायगा। दफा २८

यदि किसो मनुष्य ने यह वचन दिया हो कि वह

भेद न खोलेगा इसपर अपराधी ने इकबाल किया हो और वह हर तरह प्रासंगिक हो तो केवल इस कारण से ही अप्रासंगिक न माना जायगा कि वह गुप्त रखने के वचन पर किया गया था।

जब कि एक से अधिक अपराधियों का एक ही साथ मुकदमा चल रहा हो और उनमें से एक ऐसा इकबाल करे जिसके कारण वह और उसके साथ वाले अभियुक्त दोषी ठहरते हों तो कोर्ट को अधिकार है कि उस इकबाल करने वाले और दूसरों के विरुद्ध उस इकबाल पर विचार करे दफा ९९-३०

इकबाल मजुम कोई पक्का सबूत नहीं है उसका खण्डन हो सकता है, यदि वह इस्टापल न हो। दफा३१

जब कोई गवाह मर जाय, पाया न जाय, अथवा गवाही देने के योग्य न रहे या बिना देरी और खर्च के न आ सकता हो तो पहिले बयान चाहे लिखित हों या मौखिक, हरएक मुकदमे में सबूत रखने वाले समझे जायँगे यदि वे निम्न लिखित बातों के विषय में हों — दफा ३२

(१) जब कि मौत का कारण मरने वाले द्वारा कहा गया हो।

(२) जब कि दैनिक कार्य के सिलसिले में कोई लिखापढ़ी का काम किया गया हो ।

(३) जब कि बयान करने वाले के हक़ या स्वत्व के विरुद्ध हो ।

(४) जब कि बयान रिवाज अथवा हक सम्बन्धी हो और जानकर मनुष्य ने झगड़े से पहिले किया हो अथवा किसी जानकार द्वारा झगड़े से पहले लिखा गया हो ।

(५) जब कि बयान रिश्तेदारी के विषय में हो और जानकार द्वारा झगड़ा होने से पहिले किया गया हो अथवा बयान किसी लिखापढ़ी में हो जो जानकार मनुष्य द्वारा की गई ।

जब कोई गवाह मरगया हो, अब न मिल सकता हो, गवाही देने योग्य न रह गया हो, किसी सामने वाले फरीक ने उसे अलग कर दिया हो या उसे आसानी से हाज़िर नहीं किया जा सकता हो तो कोर्ट को अधिकार है कि अगर उसी सम्बध में उसगवाह के बयान किसी दूसरी कोर्ट के सम्मुख हुए हों तो उन्हें काम में ले ले ।   दफा ३२

किसी कारोबार के सिलसिले में अगर हिसाब सम्बन्धी बहियां रक्खी गई हों तो उन्हें गवाही में लिया जा सकता है परन्तु केवल उन्हीं के आधार पर किसी पर जिम्मेवारी नहीं मानी जा सकती। दफा ३४

यदि किसी सरकारी अफसरने अपने कर्तव्य पालन में कोई लिखा पढ़ी की हो तो उस लिखा पढ़ी की गवाही ली जा सकती है। दफा ३५

जमीन या समुद्र के नक्शे जो साधारणतया बिकते हैं या गवर्नमेंट द्वारा तैय्यार किये जाय उन की भी गवाही ली जासकती है। दफा ३६

जो बातें किसी एक्ट या इश्तहार गवर्नमेंट में दर्ज हों उनकी शहादत ली जा सकती है। दफा ३७

जब अदालत को किसी विदेशी गवर्नमेंट के कानून के सम्बन्ध में, या किसी विद्या या हुनर के संबंध में अथवा अक्षरों या अंगूठे की छाप की पहचान के सम्बन्ध में सम्मति निश्चित करना हो तो इस बारे में उन लोगों की सम्मति प्रामाणिक होगी जो ऐसे कानून, विद्या, हुनर, अक्षर या अंगूठे की पहिचान में खास तौर पर होशियार हों।

जब अदालत को किसी खास रिवाज या हक़ के

राय कायम करना हो तो उस हक या रिवाज के बारे में ऐसे लोगों की राय,जो अगर रिवाज या हक होता तो उससे वाकिफ होते, प्रासंगिक है।

जब किसी जीवित मनुष्य की राय प्रासंगिक हो तो वे कारण भी प्रासंगिक होंगे जिन की वजह से वैसी राय कायम हुई हो।

दीवानी मुकदमों में चालचलन का प्रश्न आम तौर से प्रासंगिक नहीं होगा। कार्रवाई फौजदारी में यह बात कि मुलजिम का चालचलन नेक है, प्रासंगिक होगा।

कारवाई फौजदारी में यह बात कि मुलजिम का चालचलन बुरा है प्रासंगिक नहीं होगी परन्तु जब इस बात की गवाही गुजरे कि उसका चालचलन अच्छा है तो उसकी बदचलनी प्रासंगिक होगी। दीवानी के मुकदमें में किसी शख्स का चालचलन जिससे हर्जाना दिलाया जाना निश्चित होता हो तो वह प्रासंगिक होगा।

कोर्ट नीचे लिखी बातें बिना किसी सबूत के मंजूर करेगी।

(१) कुल कानून या कानून के समान असर रखने वाले कायदे जो बृटिश इंडिया के किसी भाग में जारी हैं, अब तक रहे हों, या आयन्दा होंगे।

(२) कुल साधारण एक्ट जो पार्लमेंट से जारी हुए या जाय दा हों।

(३) कानून जो सम्राट की जल और स्थल सेना में प्रचलित है।

(४) सम्राट के गादी पर विराजने की तारीख

(५) मुहरें जो इंग्लैंड के कोर्टों में बिना सबूत लिया हों, बृटिश भारत के कोर्टों की मुहरें, [illegible] मुहर और अन्य कोर्टों की मुहरें, एडमिरल्टी और नाटेरी पब्लिक की मुहरें, और कानून द्वारा अधिकार प्राप्त पुरुष की मुहरें।

(६) सरकारी गजटेड अफसरों की मुकर्ररी, अलहदगी, ओहदा, और दस्तखत।

(७) बृटिश राज्य द्वारा मंजूर की हुई रियासतों और राज्यों का अस्तित्व, खिताब, और कौमी झंडा

(८) समय विभाग, संसार के भौगोलिक भाग, सार्व त्योहार और तातील जो सरकारी गजट में हों।

(९) बृटिश राज्य का फैलाव

(१०) बृटिश राज्य एवं दूसरे राज्यों के बीच युद्ध का प्रारंभ, जारी रहना और खतम होना।

(११) जल और स्थल के रास्तों के नियम

कानून शहादत (गवाही)

(१) शहादत दो प्रकार की होती है :—

(१) मौखिक शहादत—उन बयानों को कहते हैं जिनको अदालत विवादग्रस्त विषय से सम्बन्ध रखने वाली बातों के विषय में साक्षियों द्वारा अपने सन्मुख करवाती है अथवा करवाने की आज्ञा देती है।

(२) दस्तावेजी शहादत—उन दस्तावेजों को कहते हैं जो अदालत को दिखलाने के वास्ते पेश किये जाते हैं।

(२) मौखिक शहादत हमेशा सीधी तरह से ही होनी चाहिए अर्थात् यदि देखे जाने योग्य बात के विषय में हो तो स्वयं देखने वाले की, यदि सुने जाने योग्य विषय में हो तो स्वयं सुनने वाले की यदि और इन्द्रिय से अथवा अन्य प्रकार से जानने योग्य बात की शहादत हो तो उस इन्द्रिय द्वारा तथा उस प्रकार से स्वयं अनुभव करके

वाले की अथवा यदि किसी राय के विषय में हो तो स्वयं उस आदमी की जो यह राय रखता हो। लेकिन शर्त यह है कि किसी विषय के विशेषज्ञ लोगों की शहादत के वास्ते उनकी लिखी हुई राय अथवा उनकी लिखी हुई पुस्तक पेश की जा सकती है यदि वह विशेषज्ञ मर गया हो अथवा नहीं मिल सकता हो अथवा गवाही देने के योग्य न हो अथवा किसी विशेष खर्च या देरी के बिना उपस्थित न हो सकता हो।

(२) दस्तावेजी शहादत दो प्रकार से दी जाती है—

(क) असली दस्तावेज के द्वारा (मुख्यतया) अर्थात् जब असली दस्तावेज को दिखाने के वास्ते स्वयं उसे ही पेश कर दिया जावे।

(ख) गौणरूप से— अर्थात [१] असली दस्तावेज की तसदीक की हुई प्रतिलिपि (नकल) [२] किसी मशीन-यन्त्र द्वारा असल से मिलाई जाकर की गई हुई नकल [३] जहाँ दो पकुन बनाई जाती हैं, वहाँ दोनों में से एक पकुन [४] उस आदमी की गवाही।

जिसने उस दस्तावेज को अपनी आखों से स्वय देखा हो।

(४) केवल नीचे लिखी हुई सूरतों में ही दस्तावेज के सम्बन्ध मे गौण रूप गवाही ली जा सकती है। बाकी सब अवस्थाओं में असल के द्वारा ही हो सकती है।

(क) जब कि असल दस्तावेज किसी ऐसे आदमी के कब्जे में हो जिसके खिलाफ वह पेश किया जाता हो, अथवा जब वह ऐसे आदमी के कब्जे में हो जो नहीं मिल सकता हो; अथवा न बुलाया जा सकता हो अथवा जो स्वय पेश न कर सकता हो।

(ख) जब असली दस्तावेज खोगया हो अथवा नष्ट हो गया हो अथवा असली जब ऐसी हालत में हो कि वह एक जगह से उठाया ही नहीं जा सकता।

(ग) जब कि असली दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज हो अथवा जब उसकी एक तसदीक की हुई नकल पेश हो सकती हो।

(५) हरएक आदमी गवाही देने के योग्य है जब तक कि अदालत यह न समझे कि वह छोटी उम्र के कारण अथवा बहुत बुढ़ापे के कारण अथवा शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण अथवा इसी तरह के अन्य किसी बात के कारण पूछे हुए सवाल को समझने में अथवा उसका युक्ति पूर्ण जवाब देने में असमर्थ है।

(६) जो गवाह बोल नहीं सकता वह अपनी गवाही किसी और दूसरे ढंग से दे सकता है, जिससे कि वह अपने भाव दूसरों पर प्रकट कर सके, जैसे लिख कर अथवा चिह्नों के द्वारा। मगर शर्त यह है कि यह लिखावट या चिह्न खुली अदालत में हो।

(७) दीवानी मुकद्दमों में दोनों पक्षों का प्रत्येक आदमी (मुद्दई अथवा मुद्दायला) खुद या उनकी स्त्री या उनका पति इनमेंसे हर एक गवाह बन सकता है लेकिन फौजदारी में स्वयं पक्ष वालों के सिवाय हर एक गवाह बन सकता है, जहां पर दो आदमियों ने मिल कर अपराध किया हो तो

दोनों में से कोई दूसरे के खिलाफ गवाह बन सकता है।

(८) गवाहों से नीचे लिखी हुई बातों के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते।

(क) अपने विवाह के सम्बन्ध की कोई गुप्त बात

(ख) अपने दफ्तर की कोई गुप्त बात अथवा अन्य कोई बात।

(ग) कोई भी बैरिस्टर, अटरनी प्लीडर अथवा वकील अपने मुवक्किल की आज्ञा के बिना मुकद्मे के सिलसिले में मालूम की हुई कोई बात अथवा दस्तावेज की लिखावट या शर्तें, अथवा कोई गवाही की बात, गवाही के तौर पर अदालत में आ कर खोल नहीं सकता। लेकिन यदि वकील को कोई ऐसी बात अन्यायपूर्ण काम के लिए बतलाई गई हो तो वह वकील उस बात को गवाही के तौर पर कह सकता है यही उपर्युक्त नियम दुभाषियों के वास्ते तथा बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी अथवा

और उसकी स्थिति कैसी है ।

(ग) गवाह के चरित्र या चलन को नीचा दिखा कर उसमें अविश्वास पैदा करने के वास्ते चाहे उससे उस पर कोई जुर्म या इल्जाम लगता हो अथवा उसको जुर्माना अथवा सजा भी मिलती हो ।

(१३) गवाह को किस किस सवाल का जवाब देने के वास्ते दबाया जा सकता है, इसका निर्णय अदालत स्वयं करेगी ।

(१४) नीचे लिखे हुवे प्रश्न अगर पूछे जावेंगे तो अदालत उनका पूछने से रोक सकती है ।

(क) जो प्रश्न अश्लील व गंदा हो चाहे उसका असली मामले से थोड़ा सम्बन्ध भी हो

(ख) जो प्रश्न किसी का अपमान करने के वास्ते अथवा उसको तंग करने के वास्ते अथवा और किसी प्रकार से अशान्ति पैदा करने के वास्ते पूछा गया हो ।

(१५) किसी ने नीचे लिखे अनुसार अभियोग

करा सकता है अगर गवाह पेश करने वाला ही ऐसा करना चाहे तो कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।

(१) दूसरे आदमियों की ऐसी गवाही से कि वे उस गवाह को गैरमौतबर समझते हैं

(२) यह सबूत करके कि गवाह ने रिश्वत ली है या लेना मंजूर की है

(३) उसके पहिले के बयान पेश करके कि जो उसकी गवाही के विरुद्ध हों

(४) किसी पर बलात्कार का आरोप हो तो यह बतला- कर कि मुद्दइया चरित्रभ्रष्ट स्त्री है।

हाकिम अदालत को अधिकार है कि जो सवाल वह चाहे किसी तौरपर किसी वक्त, किसी गवाह या पक्षकार से किसी प्रासंगिक या अप्रासंगिक विषयमें पूछ सकता है, या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का हुक्म देसकता है और किसी पक्षकार या उसके मुख्तार को यह हक न होगा कि ऐसे किसी प्रश्न या हुक्म के विषय में उज्र कर सके और कोर्ट की आज्ञा बिना एसे प्रश्नों के उत्तर पर जिरह भी नहीं की जासकती,

किन्तु फैसले का आधार केवल प्रासंगिक लिखा हो होंगे एव ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जासकते, जिनके विषय में ऊपर साफ २ मनाही करदी गई है।

जिन मुकदमों में ज्यूरी या असेसरान नियुक्त हों उनमें उन्हें अधिकार है कि ऐसे प्रश्न जो हाकिम कोर्ट कर सकता हो और जिन्हें हाकिम मुनासिब समझे, हाकिम की मार्फत या इजाजत से वे पूछ सकते हैं।

हिन्दू ला- [धर्मशास्त्र]

(१) हिन्दू ला अर्थात् धर्मशास्त्र की उत्पत्ति (१) श्रुति (२) स्मृति (३) रिवाज (४) अदालती फैसले और (५) सरकार के बनाये कानून से हुई है।

(२) हिन्दू ला केवल उन्हीं लोगों के लिये लागू न होगा जो कि हिन्दू मजहब मानते हों बल्कि उन लोगों के लिये भी लागू होगा जो हिन्दू धर्म के बाहर नहीं हैं। यह ला ब्रह्मसमाजी, सिक्ख, जैन, कच्छी मेमन और भारतीय बौद्धों के लिये भी लागू माना गया है।

जैनियों आदि का अगर कोई खास रिवाज खिलाफ न हो तो उनके लिये हिन्दू ला ही लागू होगा। ३१ कल० ११, ३० आई ए २४६, २९ पाम्बे ३१६।

(३) हिन्दू ला उन लोगों के लिये लागू नहीं होता जो हिन्दू से मुसलमान अथवा ईसाई हो गये हों।

(४) हिन्दू ला उत्तराधिकार (विरासत), विवाह, भाग, पोषण, दत्तक, पञ्चायत (संरक्षण), वसियत, दान (हिबा), बटवारा, धार्मिक रिवाज या प्रथा के सम्बन्ध में लागू होता है।

(५) हिन्दू ला की मुख्य दो शाखाएँ (स्कूल्स) हैं मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा की बनारस, मिथिला, बम्बई (महाराष्ट्र गुजरात) एवं द्रविड (मदरास) ४ उपशाखाएं हैं। दाय भाग केवल बंगाल में और मिताक्षरा बाकी समस्त भारत में माना जाता है। पञ्जाब में कस्टमरी ला (रिवाज) का भी प्रचार है।

(६) (१) मिताक्षरा

(क) बनारस स्कूल—संयुक्त प्रांत यू पी में चलता है, मिताक्षरा, वीरमित्रोदय, निर्णयसिंधु और दत्तक मीमांसा मान्यग्रंथ हैं।

(ख) मिथिला स्कूल—तिरहुत तथा उत्तर बिहार में चलता है, मिताक्षरा, विवाद चिन्तामणि और व्यवहार मीमांसा मान्य ग्रंथ हैं।

(ग) बंबई (महाराष्ट्र) स्कूल पश्चिम भारत में चलता है, मिताक्षरा, व्यवहारमयूख, निर्णयसिंधु एवं दत्तकमीमांसा मान्य ग्रन्थ हैं।

(घ) द्रविड स्कूल—दक्षिण भारत में चलता है, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिकापाराशरमाधव्य, सरस्वतीविलास एवं दत्तक चन्द्रिका मान्य ग्रन्थ हैं।

(२) दाय भाग—बंगाल में सर्वमान्य है, दाय भाग, दायकर्म, और दत्तकचन्द्रिका यहाँ के मुख्य ग्रन्थ हैं।

(७) भारत के सब प्रांत अपने धर्म और रिवाज के अनुसार प्रथक २ स्कूलों में बांट दिये गये हैं। यहाँ के रहने वालों के ये जातीय कानून माने जाते हैं और यदि वे लोग उस प्रान्तको छोड़कर दूसरे में जा बसें, तो जब तक इसके विरुद्ध साबित न किया जाय, यह माना जायगा कि उनका सम्बन्ध पहिले प्रान्त के स्कूल से ही है।

(८) कोई अदालत ऐसा मुकदमा न सुनेगी जिसमें केवल कौम या जाति सम्बन्धी प्रश्न हो, और

जिसमें जायदाद की हकदारी का प्रश्न न हो। इस विषय में जाब्ता दीवानी सन् १९०८ की दफा ९ में कहागया है कि जिस दावे में मिलकियत या किसी हक का झगड़ा हो उसकी ही नालिश दीवानी अदालत में होगी, चाहे वह हक पूर्णरूप से किसी मजहबी रस्म या रिवाज पर निर्भर हो।

विवाह

(९) हिन्दू शास्त्रानुसार विवाह एक कर्तव्य कर्म अर्थात् संस्कार है। यह ८ प्रकार का माना गया है (१) ब्राह्म, (२) दैव (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व (७) राक्षस और (८) पैशाच। इनमें प्रथम चार उचित एवं अन्तिम चार अनुचित हैं। आजकल ब्राह्म और आसुर दो ही प्रचलित हैं। ब्राह्म में लड़की का पिता वरसे कुछ नहीं लेता किन्तु आसुर में लड़की के बदले रुपया लिया जाता है।

(१०) विवाह के विषय में दो बातें आवश्यक हैं, प्रथम

वर कन्या एक ही जाति के हों, दूसरे ये दोनों एक ही कुटुम्ब के न हों।

(११) (क) कन्या वर से छोटी हो यह आम बात है पर आवश्यक नहीं कि वर से छोटी ही हो अब शारदा एक्ट के अनुसार लड़की का १४ वर्ष और लड़के का १८ वर्ष से कम उम्र में ब्याह नहीं हो सकता।

(ख) एक्ट १५ सन् १८५६ के अनुसार अब विधवा से भी विवाह किया जासकता है।

(ग) पति की मौजूदगी में स्त्री दूसरा विवाह नहीं करसकती वरना दफा ४९८ ताजी रात हिन्द के अनुसार उसे दण्ड दिया जायगा।

(घ) लड़की की सगाई किसी एक से कर देने के बाद भी दूसरे से विवाह किया जासकता है।

(ङ) पहले में विवाह शास्त्रों में मना है परन्तु जाति रस्म से जायज माने जांयगे।

(१२) माता की तरफ से पांचवीं और पिता की तरफ से सातवीं पीढ़ी के अन्दरवाली कन्या के साथ

विवाह वर्जित है क्योंकि ये आपस में सपिण्ड होते हैं।

(१३) अब प्रायः विभिन्न जातियों में परस्पर विवाह नहीं होते, पहिले जाति विचार नहीं किया जाता था, अब ऐसे विवाह सिविल मेरेज एक्ट के अनुसार हो सकते हैं।

(१४) चूंकि हिन्दू विवाह एक संस्कार है जिसका बन्धन पति पत्नी पर जन्म भर रहता है इसलिए हिन्दूओं में तलाक नहीं मानागया है। हिन्दू पति दूसरा विवाह करसकता है परन्तु स्त्री नहीं करसकती

(१५) विवाह की रस्म में होम और सप्तपदी मुख्य हैं इनके हाथुकने पर विवाह सम्पूर्ण माना जायगा। सगाई करदेने से ही विवाह पूरा नहीं होता। सगाई छोड़ने पर सिर्फ हर्जानेका दावा किया जासकता है।

(१६) कन्यादान का अधिकार सबसे पहिले पिता, उसके न होनेपर पितामह तत्पश्चात् भाई और उसके

न होने पर पिताके नजदीकी रिश्तेदार, उसके बाद माता को प्राप्त है।

(१७) हिन्दू सम्मिलित परिवार के लड़के लड़कियों की शादी का सब वाजबी खर्च सम्मिलित जायदाद में से दिया जायगा।

(१८) पति ही स्त्री का संरक्षक है अतएव उसे उसी के पास रहना चाहिए चाहे वह कितनी ही छोटी उमर की हो, विवाह के पश्चात् यदि पति या पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ रहने से इन्कार करे, तो इनकार करने वाले पक्ष पर वैवाहिक अधिकार प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है। स्त्री, पति से क्रूरता, धर्म परिवर्तन, नामर्दी व्यभिचार और घृणित रोग के कारण अलग रह सकती है।

दत्तक

(१९) प्राचीनकाल में स्मृतियों में १४ प्रकारके पुत्र

माने गये थे पर अब औरस और दत्तक यही दो प्रकार के माने जाते हैं मिथिला में कृत्रिम पुत्र भी माना जाता है। विवाह संस्कार से युक्त पति पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। जब माता पिता अपने पुत्र को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को देदेते हैं तब जिसे वह देदिया जाता है उसका वह दत्तक पुत्र कहलाता है।

(२०) दत्तक का अर्थ है दिया हुआ लड़का जिसे गोद का लड़का भी कहते हैं, हिन्दुओं में दत्तक लेनेका उद्देश्य यह है कि पिण्डदान और जल दान की क्रिया चलती रहे। जैनियों का उद्देश्य केवल अपनी सम्पत्ति की रक्षा है।

(२१) पुरुष स्वयं अपने लिये अथवा विधवा (पति से पूर्व अनुमति प्राप्त की हो या) अपने पति के लिये दत्तक ले सकती है। जैन विधवा के लिये पति की आज्ञा आवश्यकीय नहीं है।

(२२) गोद वही पुरुष ले सकता है जिसके औरस अथवा दत्तक पुत्र, पौत्र, या प्रपौत्र इनमें से कोई न हो इनमें से एक की भी मौजूदगी में दत्तक नहीं

लिया जा सकता। एक वक्त में एक से अधिक दत्तक पुत्र नहीं लिये जा सकते।

(२३) जिसका विवाह न हुआ हो अर्थात् कुंवारा हो, अथवा जिसकी स्त्री मर गई हो वह भी गोद ले सकता है। अग भग पुरुष को भी गोद लेनेका अधिकार होगा। स्त्रीके गर्भवती होनेपर भी गोद लिया जासकता है। पुत्रके सन्यासी, साधु या फकीर हो जाने पर भी गोद लिया जासकता है। दत्तक पुत्रके बदले में उसके असली माता पिताको धन दिया जाय तो दत्तक नाजायज नहीं होता।

(२४) विधवा स्त्री के गोद लेनेका अधिकार प्रत्येक स्कूल में भिन्न २ माना गया है। मिथिला में गोद लेनेके समय पतिकी मजूरी होनी चाहिये अत एव कोई विधवा गोद नहीं ले सकती। दायभाग स्कूल में पति को यदि जीवनकाल में आज्ञा ले ली गई हो तो विधवा गोद ले सकती है। बनारस स्कूल में भी यही बात है। महाराष्ट्र तथा द्रविड़ स्कूल में यदि पति सम्मिलित परिवारका मेम्बर था तो वेवा दूसरे मेम्बरों की सम्मति से

गोद ले सकती है चाहे पति ने आज्ञा न भी दी हो, यदि पति स्वतन्त्र अलग रहता था तो वेवा बिगैर किसी की अनुमतिके भी गोद ले सकती है।

(१५) जिस विधवा के पतिको गोद लेनेका अधिकार रहा हो तो गोद लेने के वक्त वेवा की नाबालिगी से गोद नाजायज नहीं होगा। वह दत्तक ले तो उस दत्तकके अधिकार गोद लेनेके समय से शुरू होंगे पतिके मरनेके समय से नहीं।

(१६) यदि पति ने अनेक वेवाओं को गोद लेनेका सम्मिलित अधिकार दिया हो तो वे सबकी सब ही गोद लेसकती हैं।
और यदि कोई खास पसंदगि न गुजरी हो तो विधवा जब चाहे दत्तक लेसकती है। किन्तु व्यभिचारिणी गोद नहीं ले सकती। दुराचार में लिया गया दत्तक भी नाजायज है और यदि पतिने दूसरी शादी करली हो तो किसी भी हालतके मुताबिक गोद नहीं लिया जासकता।

हालत में भाई का दत्तक देना जायज माना गया है परन्तु यह आम कायदा नहीं है। पहिला अधिकार पिता को है उसके मरजाने पर माता को अधिकार रहता है।

(१० गोद लड़का ही लिया जा सकता है लड़की नहीं। परन्तु ऐसा ही लड़का गोद लिया जा सकता है जिसकी माता कुमारी दशा में गोद लेने वाले से ब्याही जाने योग्य होती अर्थात् बहन, भानजा आदि के पुत्र को गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि कोई भी हिन्दू अपनी बहन आदि से ब्याह नहीं करसकता। हालांकि दत्तक सगोत्र सपिण्डों में से लिया जाए परन्तु उपरोक्त नियम शूद्रों के लिये लागू नहीं होता।

(११) सहोदर भाई का लड़का सबसे नज़दीक का रिश्तेदार होने से गोद लेने के लिये श्रेष्ठ है। किस उमर का लड़का गोद लिया जा सकता है इसके विषय में भिन्न २ मत हैं। यह निश्चित है कि ब्राह्मणों में उपनयन से पूर्व गोद लिया जाना

चाहिये। पञ्जाब और बम्बई प्रान्तों में और जैनधर्मावलम्बियों में इसकी कोई रोक नहीं है इसलिये किसी भी उम्र का लड़का गोद लिया जा सकता है चाहे वह ब्याहा भी हो और उसके सन्तान भी हो।

(१९) जो पुरुष एकही लड़केको गोद नहीं ले सकते जैनियों में लड़की का लड़का गोद लिया जा सकता है। मारवाड़में भी लड़कीके लड़के को गोद लेलेते हैं मगर (कोर्ट) से उसदफा तक जायज नहीं मानता जबतक कि ऐसा रिवाज सबूत न हो। दक्षिण में बहनका लड़का गोद लिया जा सकता है। एकलौते लड़के का गोद लेना शास्त्रों में जायज नहीं पर अब कोर्टों के माफिक जायज हो गया है।

(२३) पहिले तो दत्तक में शास्त्रों की कई क्रियाएं करनी पड़ती थीं परन्तु अब निम्न लिखित रस्में बरती जाना काफी हैं —

(क) गोद देनेवाले द्वारा दिया जाना और लेनेवाले द्वारा गोद में लियाजाना।

(२६) दत्तक जाने वाले का उस खान्दान में कोई हक नहीं रहता। इसलिए अगर गोद किसी वजह से नाजायज माना जाय तो भी असली खानदान में उस का कोई अधिकार नहीं रहता। यदि दत्तक लेने वाले के दत्तक पुत्र को कोई शारीरिक या मानसिक पटेलियल दत्तक पुत्र हो हो तो वह नाजायज हो जायगी।

नाबालगी और वलायत

(१) धार्मिक कार्यों के लिये नाबालगी १५ वर्ष के पूरे होने पर खत्म होती है, इण्डियन मेजारिटी एक्ट के अनुसार कोर्ट से कोई (संरक्षक) नियुक्त होने पर २१ वर्ष अन्यथा १८ वर्ष पूरे होने पर नाबालगी खतम होती है।

(२) निम्न लिखित मनुष्य नाबालिग के क्रमानुसार संरक्षक होते हैं—

१ बाप } कुदरती सरक्षक हैं।
२ मा }

३ वह मनुष्य जिसे बापने अपनी वसीयत के द्वारा नियुक्त किया हो।

४ बाप की तरफ के रिश्तेदार।

५ मां की तरफ के रिश्तेदार।

६ कोर्ट जिसे नियत करदे।

(३) बाप मृत्युपत्र (वसीयत) द्वारा नाबालिग का वली नियुक्त कर सकता है, परन्तु मां मृत्यु पत्र द्वारा वली नहीं नियुक्त कर सकती।

(४) पत्नी का सरक्षक पति ही होता है, पत्नी चाहे कितनी ही कम उमर की हो पति उसे अपने पास रहने के लिये मजबूर कर सकता है।

(५) दत्तक पुत्र का वली (सरक्षक) उसका दत्तक पिता ही होगा न कि उसका असली पिता।

(६) नाबालिग बालिग होने से तीन साल के अन्दर वली द्वारा बेचा या गिरवे रखी गई जायदाद के फिर पाने का दावा दायर करसकता है अग

कानूनी जरूरत के बिना बेचान या गिरवी किया गया हो।

मुश्तरका खानदान।

अर्थात् अविभक्त परिवार।

(१) अविभक्त परिवार वह कहलाता है जिस में एक कुटुम्ब के बहुत से लोग शामिलशरीक रहते हों और किसी तरह का अलगाव न हो। आमतौर पर हिन्दू खानदान मुश्तरका होता है इसी लिये अदालत में पहिले शामिलशरीक मान लिया जाता है जबतक इस के खिलाफ साबित न किया जाय।

(२) हिन्दुओं में अविभक्त परिवार का फैलाव बहुत बड़ा है इस में मृतपुरुष के पूर्वज और उनकी सन्तान, इसी तरह पर नीचे की शाखा में बहुत दूर तक सम्मिलित परिवार का फैलाव होता है।

मजबूर (बाध्य) नहीं किया जासकता वह सिर्फ यह बतलाने का पाबन्द है कि अभी तक कितना रुपया खर्च होगया और कितना बाकी है। अगर मैनेजर ने रुपया निज के काममें या दूसरे ऐसे काममें, जिससे सम्मिलित परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं है, खर्च करदिया है तो वह रुपया लौटाने को जिम्मेवार है।

पैतृकऋण

(१) जब कोई हिन्दू पुत्र या पौत्र (बेटा या पोता) अपने बाप या दादासे अलग न हुआ हो तो हिन्दू लाके अनुसार उस पुत्र और पौत्र का कर्तव्य है कि अपने बाप या दादा का लिया हुआ कर्जा अदा करे, परन्तु यदि कर्जा, मिली हुई जायदाद से अधिक हो तो अधिक की रकम देने के लिये वह जिम्मेवार नहीं होगा।
(२)गैर कानूनी या बुरे कामके लिये बापने कर्ज लिया

आदमी को बटवारे में उसके हिस्से की जायदाद मिली हो और उसके लड़के पोते परपोते नहीं।

(३) सम्मिलित परिवार की जायदाद का इन्तजाम आमतौर से बाप या घर का कोई दूसरा बड़ा करता है। इन्तजाम करने वाले को मैनेजर अथवा कर्ता कहते हैं। हर सूरत में प्रत्येक सम्मिलित परिवार की जायदाद का कुदरती मैनेजर होता है। हिन्दुओं में सम्मिलित परिवार का होना एक साधारण बात है। परिवार जायदाद ही में नहीं बल्कि खान पान पूजन आदि में भी सम्मिलित ही होता है।

(४) मैनेजर को जायदाद का प्रबन्ध खानदान के लाभके लिये जैसा उचित समझे इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुखिया को हिन्दूसे उसे आमदनी और खर्च पर पूरा अधिकार है, एजंट की तरह कम खर्च करने के लिये वह मजबूर नहीं है।

(५) मैनेजर किसी भी समय पिछला हिसाब देने को

मजबूर (बाध्य) नहीं किया जासकता वह सिर्फ यह बतलाने का पावन्द है कि अभी तक कितना रुपया खर्च होगया और कितना बाकी है। अगर मैनेजर ने रुपया निज के काममें या दूसरे ऐसे काममें, जिससे सम्मिलित परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं है, खर्च करदिया है तो वह रुपया लौटाने को जिम्मेवार है।

पैतृक ऋण

(१) जब कोई हिन्दू पुत्र या पौत्र (बेटा या पोता) अपने बाप या दादासे अलग न हुआ हो तो हिन्दू लाके अनुसार उस पुत्र और पौत्र का कर्तव्य है कि अपने बाप या दादा का लिया हुआ कर्जा अदा करे, परन्तु यदि कर्जा, मिली हुई जायदाद से अधिक हो तो अधिक की रकम देने के लिये वह जिम्मेवार नहीं होगा।

(२) गैर कानूनी या बुरे कामके लिये बापने कर्ज लिया

हो तो पुत्र उसके चुकाने के लिये जिम्मेवार नहीं। निम्नलिखित कर्ज गैर कानूनी और बुरे माने गये हैं —

(१) जो कर्जा शराब पीने के लिये लिया गया हो।

(२) खेल तमाशा, जुआ खेलने और शर्त लगाने के लिये लिया हो।

(३) ऐसे इकरार का कर्जा कि जो बिना बदला पाये किया हो अर्थात् जिसके बदले में कुछ न लिया हो और देने का इकरार मात्र कर लिया हो।

(४) रंडीबाजी आदि कामेच्छा की पूर्तिके लिये लिया हो।

(३) बापके नीचे लिखे हुए कर्ज कानूनी मानेगये हैं -

(१) बापने अपने बापके श्राद्ध करने के लिये लिया हो।

(२) बेटियोंकी शादी के लिये लिया हो।

(३) खानदानकी इज्जत आबरू बनाये रखने के लिये लिया हो।

(४) खानदानके लाभके लिये लिया हो।

(५) गवर्मेंट की माल गुजारी चुकानेके लिये लिया हो।

(६) कुटुम्बकी जरूरतोंके लिये लिया हो।

उत्तराधिकार

(१) मिताक्षरा स्कूलके अनुसार उत्तराधिकार खूनके रिश्ते से कायम होता है, दाय भाग में धार्मिक कृत्यों के अनुसार होता है।

(२) मिताक्षराके अनुसार जब कोई आदमी अपनी मृत्यु के समय अविभाजित परिवार का मेम्बर हो तो उसका हिस्सा बाकी मेम्बरों को मिलेगा मृत्युके समय यदि वह प्रथक रहता रहा हो तो उसकी जायदाद उत्तराधिकार के क्रमानुसार वारिसको मिलेगी।

(३) बनारस, मिथिला, और मद्रास स्कूल में वरासत मिलने का क्रम निम्नलिखित है:—

१ ३ मृत का लड़का, पोता, पर पोता

४ विधवा

५ लड़की (१ क्वांरी २ ब्याही परन्तु गरीब ३ ब्याही एवं धनवान)
६ लड़की का लड़का
७ माता (८) पिता (९) सहोदर भाई, सौतेला भाई (१०) भाई का लड़का (११) भाई के लड़के का लड़का (१२) भानजा (१३) पोती

उपरोक्त क्रम समाप्त नहीं है परन्तु साधारण पाठकों के लिये इतनी ही संख्या मालूम करना पर्याप्त है।

(४) जब किसी आदमी के मरने पर उसका कोई वारिस न हो तो उसकी जायदाद की मालिक सरकार होती है। साधु के मरने पर उसका चेला उत्तराधिकारी होता है।

(५) निम्नलिखित व्यक्ति उत्तराधिकार से वंचित हैं अर्थात् उन्हें जायदाद नहीं मिल सकती।

१ व्यभिचारिणी विधवा अपने पति की जायदाद की वारिस नहीं हो सकती लेकिन यदि वह व्यभिचारिणी होने से पहिले जायदाद की मालिक होचुकी हो तो पीछे

व्यभिचारिणी होनेसे हक नहीं मारा जासकता।

२ नामर्द (३) जन्मान्ध, (४) जन्मसे बहरा गूंगा,पङ्गु।

(५)हत्यारा—कोई आदमी उस मनुष्यकी जायदाद का वारिस नहीं हो सकता जिसकी हत्या में वह शरीक रहा हो।

(६) जिसने संसार त्याग दिया हो वह भी वारिस नहीं होसकता।

यदि किसी पुरुष या स्त्री का एक बार जायदाद मिलनेका हक पैदा होगया हो तो पीछे होने वाली किसी अयोग्यताके कारण वह जायदाद उसके कब्जे से नहीं हटाई जासकती।

१२—जाति च्युत होने या धर्म त्यागदेने से कोई वरासत से च्युत नहीं हो सकता।

भरण पोषण

नीचे लिखे लोग भरण पोषण के खर्च पाने अधिकारी माने गये हैं–

१ अज्ञान पुत्र २ अनौरस पुत्र ३ क्वांरी कन्या, ४ पत्नी, ५ बिठलाईहुई औरत, ६ विधवा ७ माता ८ पुत्र बधू, ९ बिन ब्याही बहन १० उत्तराधिकार से वंचित वारिस ११ सौतेली माता।

पिताका कर्तव्य है कि वह अपने अज्ञान बालकोंकी परवरिश करे। पिता अपने अनौरस पुत्र का भी पालन करने को जिम्मेवर है परवह के मरने पर आयदाद पर जिम्मेवरी नहीं होती, बिन ब्याही लड़कियों के भरणपोषण का भार भी पिता पर है यदि पिता मर जाय तो वे उसकी आयदाद से ऐसा खर्च वसूल कर सकती हैं। पत्नी अपने पति से भोजन वस्त्र, निवासस्थान और हैसियतके अनुसार धार्मिक कार्योंके लिये खर्च पाने की अधिकारिणी है। विधवा अपने पतिकी आयदाद से परवरिश पाने की

अधिकारिणी है। इसी प्रकार विधवा माता अपने पुत्र से और पुत्र के मरने पर उसकी जायदाद से भरण पोषण पासक्ती है।

ज्यों ही भरण पोषण का उचित खर्च देना रोक दिया जाय उसी समय उसे खर्च के पाने का दावा करनेका अधिकार प्राप्तहो जाता है।

स्त्रीधन।

(१) स्त्रियों के पास दोप्रकार की सम्पत्ति होती है एक तो वह जिसमें उसे रहन बय (बेचना) आदि का अधिकार रहता है, यही धन स्त्री धन कहलाता है। दूसरे प्रकार की सम्पत्ति पर स्त्री को आजीवन भरण पोषण का भार रहता है पर वह उसे रहन या बय नहीं कर सकती उसकी मृत्यु पर वह जायदाद उसके पतिके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है।

(२) स्त्री धन निम्नलिखित प्रकारका होता है।

दादा का बटवारा करा सकता है लेकिन शर्त यह है कि पिता के जीवित रहते दादा और पोते में या पिता और दादा के जीवित रहते परदादा और परपोते के दरमियान बटवारा नहीं हो सकता।

(२) जब कोई कोपार्सिनर नाबालिग हो और यह देखा जाय कि जायदाद के सम्मिलित रहने से उसका नुकसान होता है या बटवारे में नाबालिग का लाभ देखा जाय तो उसकी ओर से बटवारे का दावा हो सकता है।

(३) जब बाप और बेटों में परस्पर बटवारा हो जाय और उसके पश्चात् उस बापके कोई पुत्र उत्पन्न होतो जायदाद का पुन बटवारा न होगा अर्थात् भाइयों की जायदाद में से उसे कुछ न मिलकर पिताका हिस्सा उसे प्राप्त होगा।

(४) जब बाप और बेटों के परस्पर बटवारा हो तब एक पुत्र के बराबर बापकी पत्नी या पत्नियों (माताओं) का भी हिस्सा होगा। पिताका भी एक हिस्सा होगा।

स्त्रियों और विधवाओं को हिस्सा देते समय

यह देख लिया जायगा कि उनके पति या ससुर से कोई जायदाद मिली थी या नहीं। यदि मिली थी तो उतनी जायदाद का मूल्य कम करके उसे हिस्सा दिया जायगा।

(५) बाप और बेटों के परस्पर बटवारा होने पर हर एक बेटा बापके हिस्से के बराबर हिस्सा पाता है उदाहरणार्थ किसी पिता के तीन पुत्र हों तो जायदाद चार बराबर हिस्सों में बँटेगी। अब भाइयों में परस्पर बटवारा हो तो हर एक भाई बराबर हिस्सा पावेगा।

(६) मनकूला और गैर मनकूला हरप्रकार की कोपार्सनरी प्रापर्टी का बटवारा हो सकता है। जिस जायदाद का प्राचीन और न बदलने वाले रिवाज के अनुसार यह नियम हो कि समग्र जायदाद एक ही वारिस को मिले तो वह बाटी नहीं जासकती उदाहरणार्थ राज्य या ज़मींदारियों के बटवारे नहीं होते।

दामदुपट का कानून

(१) दामका अर्थ मूलधन और दुपट का अर्थ दूना। दाम दुपट के कायदे के अनुसार किसी एक वक्त में मूलधनसे अधिक ब्याज की रकम नहीं लेजा सकती। पर यह कानून सिर्फ बम्बा प्रेसीडेंसी और कलकत्ता शहर में लागूहोता है दूसरी जगह यह नहीं माना जाता।

(२) जब किसी कर्जा की नालिश अदालत में दायर की गई हो तो उस वक्त से दामदुपट का कायदा लागू नहीं होता यानि नालिश करदेने के बाद चालू ब्याज मूलसे बढ़ जाय तो यह नियम लागू नहीं होता।

(३) कलकत्ता हाई कोर्ट के अनुसार इस कानून से लाभ उठाने के लिये यह बात आवश्यक है कि कर्जा देने वाला और लेनेवाला दोनोंही हिन्दू हों, बम्बई हाई कोर्ट के अनुसार यह बात परमावश्यक है कि कर्जा लेने वाला हिन्दू हो। अगर कर्जा लेने वाला मुसलमान हो और देने वाला हिन्दू हो तो दामदुपट का कायदा लागू नहीं पड़ेगा।

दान और मृत्युपत्र (वसीयत)

(१) दान का अर्थ है स्थावर अथवा जंगम जायदाद में अपने सब अधिकार छोड़ देना, और उन सब अधिकारों का किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होजाना, इन अधिकारों को छोड़नेकी एवजमें कोई बदला नहीं लियाजाय। दानको उर्दू में हिबा और अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं।

दान लेने वाले को अपनी अनुमति दान देने वाले के जीवन कालमें प्रकट करदेना चाहिये

(२) प्राचीन हिन्दू ला के अनुसार दानके लिये किसी लिखावट को आवश्यकता नहीं मानी गई थी केवल दान दी हुई वस्तुपर दान लेने वाले का कब्जा करादेना ही काफी था पर अब दान के विषय में ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट (कानून इन्तकाल जायदाद) अध्याय ७ लागू माना गया है।

अतएव अचल जायदाद का दान अब केवल लेख द्वारा ही हो सकता है जिसपर दान देने वालेके हस्ताक्षर और कम से कम २ व्यक्तियों

की साख होना आवश्यक है। ऐसे दानपत्र की रजिष्ट्री कराना भी जरूरी है।

चल संपत्ति का दान अचल सम्पत्तिके दान की तरह, अथवा कब्जा दे देने से हो जाता है।

(३) प्रत्येक हिन्दू अपने अधिकार की जायदाद दान करसकता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमाई हुई कुल सम्पत्ति का दान करसकता है पर पैतृक सम्पत्ति का थोड़ासा हिस्सा ही आवश्यक धार्मिक कार्य में दान दिया जा सकता है।

(४) स्त्री अपना स्त्रीधन दान करसकती है पर अन्य जायदाद जिसपर उसे केवल आजीवन अधिकार है, उसका बहुत साधारण भाग लड़की के विवाह पति के श्राद्ध आदि आवश्यक धार्मिक कार्मों में खर्च कर सकती है।

(५) पतिका दान पत्नी को—सामान्य सिद्धान्त तो यह है कि जब पति अपनी पत्नी को जायदाद में बिना स्पष्ट अधिकार दिये कोई दान करदेता है तो पत्नी को उसमें केवल आजीवन अधिकार रहता है इसलिये जब कोई अचल

सम्पत्ति पत्नी को दीजाय तो दस्तावेज में साफ २ लिख दिया जाय कि उसे सम्पूर्ण अधिकार दिये गये हैं।

(६) मृत्यु के समय दान (डोनेशियो मार्टिस काजा)– यह दान साधारण दान से इस प्रकार भिन्न है कि यह सख्त बीमारी के समय दिया जाता है और इस का असर तभी होगा जब कि देने वाले की मृत्यु हो जाय, यदि वह अच्छा हो जाय तो दान नहीं माना जाता। इस दान के लिये लिखापढ़ी रजिस्ट्री, आदि की आवश्यकता नहीं होती। देने वाला ऐसे दान को मन्सूर/(रद्द) कर सकता है।

मृत्युपत्र—वसीयत।

(१) जिस दस्तावेज के ज़रिये से लिखने वाला यह इरादा प्रकट करे कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी जायदाद का इस प्रकार प्रबन्ध किया जाय वह मृत्युपत्र कहलाता है।

दान और वसीयत में बड़ा भेद यह है कि दान उचित रीति से दिये जाने पर मंसूख (रद्द) नहीं हो सकता। मृत्युपत्र लिखने वाला जब चाहे उसे रद्द कर सकता है चाहे उसकी रजिस्ट्री भी होचुकी हो।

(२) दान और वसीयत कौन कर सकता है—कोई भी हिन्दू जिसकी विचार शक्ति दुरस्त हो और जो नाबालिग न हो वह दान या वसीयत के तौर पर सब जायदाद, जिसमें उसे पूरा अधिकार हो, देसकता है।

(३) वसीयत लिखने वाला वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करे और उस पर दो ज्यादा आदमियों की गवाही करादे वह ऐसे हों कि उन्होंने वसीयत करने वाले को वसीयत पर हस्ताक्षर या चिन्ह करते देखा हो या जिनके सामने अपने हस्ताक्षर या चिन्ह स्वीकार किया हो।

(४) हिन्दू अपनी जायदाद जिसको चाहे दान या वसीयत के द्वारा देसकता है मगर शर्त यह है कि अपनी स्त्री या अन्य किसी भरण पोषण का अधिकार रखने वाले के लिये भरण

प्रबन्ध कर दे।

(५) वसीयत करने वाले की मौतके समय वसीयत पाने वाला वास्तव में अथवा कानून की दृष्टि में जीवित होना चाहिये। दान भी वही सही माना जा सकता है जिसे पाने वाला दान के समय जीवित हो।

(६) वसीयत नामा नीचे लिखे तरीके से रद्द किया जा सकता है—

१ पीछे से दूसरा वसीयतनामा लिखने से।

२ किसी समाचार पत्र, नोटिस आदि द्वारा पहिली वसीयत रद्द करने से।

३ वसीयत नामा जला देने, फाड़ डालने आदि से।

धार्मिक और खैराती धर्मादे

(रिलीजस एण्ड चेरीटेबल गिफ्ट्स)

(१) धर्मादों का उद्देश्य—हिन्दुस्थान में धार्मिक,

खैराती और शिक्षा सम्बन्धी तथा सार्वजनि हित के लिये बहुत से धर्मादे हैं इनके द्वारा मन्दिर या मूर्तिकी स्थापना या किसी सार्व जनिक धार्मिक कृत्य, शिक्षा, स्वास्थ्य या और कोई काम होता है जो मनुष्य मात्र का उप कारी हो।

(२) धर्मादा, दान या वसीयत या और किसी मा जायदाद के देदेने से होता है। धर्मादा काय करने के लिये लिखत की जरूरत नहीं होते जबानी भी धर्मादा कायम हो सकता है।

(३) धर्मादा कायम करने के लिये यह जरूरी है कि जायदाद धार्मिक या खैराती कामों के लि हमेशा के वास्ते दे दीजाय अर्थात् धार्मि ट्रस्ट सदैवके लिये हो सकता है। परन्तु प्रा वेट ट्रस्ट, जिस में मनुष्य अपनी संतान को लाभ पहुँचाना चाहे जीवित व्यक्तियों के जीव काल एवं उनके पश्चात् १८ वर्ष तक रही माना जायगा इस से अधिक समय के लिये कि गया ट्रस्ट नाजायज होगा और ऐसा ट्रस्ट काय करने वाला इच्छा से बदल सकता है।

(४) अगर कोई ऐसा चाहे कि उसकी जायदाद किसी आदमी के जीवन समाप्त होने के बाद धर्मार्थ में लगा दी जाय तो इससे कोई हर्ज नहीं।

५) प्रत्येक हिन्दू जो अपने होश हवाश में ठीक हो और नाबालिग न हो अपनी मालिकी की जायदाद के सम्बन्ध में ट्रस्ट कर सकता है।

६) धर्मार्थ का निश्चित होना आवश्यक है—धर्मार्थ किस उद्देश्य से और ठीक २ कौनसी तथा कितनी जायदाद उसके लिये रक्खी गई है यह सब बातें निश्चित रूप से सरल और साफ २ भाषामें लिखी जानी चाहिये। केवल यह लिखना कि "धर्म में लगाया जाय" अनिश्चित है अतएव धर्मार्थ कायम नहीं होता इसी प्रकार यह लिखना कि "अच्छे काम में लगाया जाय" "खास और उचित काम में लगाया जाय" आदि भी अनिश्चित होने के कारण इनसे धर्मार्थ कायम नहीं होता।

७) यदि धर्मार्थ करने वाले ने ट्रस्ट कायम कर दिया हो पर उसको किस जायदाद में से चलाया

जाय यह साफ नहीं किया हो तो अदालत यह निश्चित करेगी कि मर्यादे का इन्तजाम कैसे किया जाय।

(८) हिन्दू लोग अक्सर मन्दिरों और मठों के लिये मर्यादा कायम करते हैं। मन्दिर वह कहलाता है जिसमें किसी देवता की पूजा होती है और मठ वह है जिसमें साधु सन्यासी परिव्राजक या महात्मा रहते हैं।

(९) मठ का अधिकारी ब्राह्मण हो तो महन्त, स्वामी, गोस्वामी या सन्यासी कहलाता है अगर शूद्र हो तो पादसी या जीर कहलाता है। मठ के अधीश की हैसियत साधारण मैनेजर से अधिक होती है। यद्यपि वह मठ की जायदाद का इन्तकाल (परिवर्तन) नहीं कर सकता फिर भी जो कुछ चढ़ावा या दक्षिणा आवे उसपर उसका पूरा अधिकार होता है।

(१०) मठ का महन्त अपनी निज की जायदाद भी रख सकता है और उसकी वह जायदाद मठ की जायदाद नहीं समझी जायगी उसकी नियुक्ति दस्तूर या मठ के रस्म के माफिक होगी।

(११) स्त्रियाँ भी धर्मार्थ की मैनेजर नियुक्त की जा सकती हैं। जिसने धर्मादा कायम किया हो वह स्वयं भी ट्रस्टी हो सकता है।

कानून रजिस्ट्री

(१) रजिस्ट्री का कानून (दुरुस्त किया हुआ) १ जनवरी १९०९ से प्रचलित हुआ है और प्रायः सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में काम में आता है।

(२) प्रत्येक सूबे (प्रान्त) में रजिस्ट्री का एक इन्सपेक्टर जनरल होता है। प्रान्तीय सरकारने सूबों को जिलों और जिलों को भागों में बांट दिया है। ऐसे जिलों या जिलों के भागों के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त (मुकर्रर) होते हैं।

रजिस्ट्री कराये जाने योग्य दस्तावेजें

(१) नीचे लिखी दस्तावेजों की रजिस्ट्री आवश्यकीय है—

(क) स्थावर सम्पत्ति (जायदाद) का प्रत्येक दानपत्र (बख्शीशनामा)

(ख) दूसरी गैर वसीयती (नॉनटेस्टेमेण्टरी) दस्तावेजें, जिनसे १०० रुपये या इससे

अधिक कीमत की स्थावर सम्पत्ति का परिवर्तन (बेचान, गिरवी आदि) किया जाय

(ग) स्थावर सम्पत्ति के पट्टे, जो साल दर साल या एक साल से अधिक के लिये हों या जिनमें सालाना किराया देने का इकरार हो।

(घ) गोद लेने का अधिकारपत्र, जब कि अधिकार मृत्यु-पत्र द्वारा न दिया गया हो।

(१) कोई सुलह नामा

(२) स्थावर सम्पत्तिवाली जोइन्ट स्टॉक कम्पनी-(शामलात पूंजी वाली कम्पनी) के शेअर एवं डिबेंचर तथा उनका परिवर्तन।

(३) डिग्री या अदालत का हुक्म या पंच फैसला।

(४) सरकार की ओर से स्थावर सम्पत्ति मिलने की सनद्

नोट १०० रु० से कम की स्थावर सम्पत्ति का परिवर्तन कब्जा सौंपने या रजिस्ट्री कराने से हो सकता है

लेकिन नीचे लिखे दस्तावेजों का रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं —

(५) महकमे माल (रेवन्यू डिपार्टमेंट) के अफसर द्वारा किये गये बटवारे की लिखावट।

(३) गिरवीनामे की पीठपर कोई ऐसी लिखावट जिसमें गिरवी की कुल या कुछ रकमकी वसूली लिखी हो या दूसरी कोई रसीद जिसमें गिरवी का अन्त होना न पाया जाय परन्तु यदि कोई ऐसी बात लिखी हो जिससे यह मतलब हो कि गिरवीनामे का खत्म होगया तो उसको रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

नोट—यदि किसी ऐसी दस्तावेज की रजिस्ट्री कराई जाय जिसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक न हो तो इससे हानि नहीं होती।

(४) रजिस्ट्री कराई जाने वाली दस्तावेज ऐसी भाषा में लिखी हुई हो जो उस जिले में प्रचलित हो जहां रजिस्ट्री कराई जाती है। यदि ऐसी भाषामें न लिखी गई हो तो उस भाषामें सही

अनुवाद साथ में लगाये बिना रजिस्ट्री न हो सकेगी। दफा १६

(५) दस्तावेज़ साफ २ बिगैर काट कूट के लिखी जानी चाहिये यदि कहीं कोई शब्द काटे जायें तो वहां लेखकके हस्ताक्षर कराये जांय एवं दस्तावेज़ में इस बात का जिक्र किया जाय। दफा २०

(६) रजिस्ट्री कराई जाने वाली दस्तावेज में जिन मुकामों का वर्णन हो उनकी चौहद्दी खेत व मुकामों के नम्बर इत्यादि का वर्णन अवश्य लिखा जाना चाहिये। नक्शे की आवश्यकता हो तो नकशा भी साथ दिया जाय। दफा २१

रजिस्ट्री कराने की मियाद।

(७) मृत्युपत्र के सिवाय बाकी सब दस्तावेजें लिखी जाने से चार महीने के अन्दर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिये पेश

होना चाहिये वरना रजिस्ट्री न हो सकेगी।
दफा ११

(८) यदि किसी दुर्घटना या खास कारण से मियाद समाप्त हो जाय तो रजिस्ट्रार, फीस रजिस्ट्री से दस गुना तक जुर्माना लेकर, आगे के ४ महीने में रजिस्ट्री करा लेने की आज्ञा दे सकता है। दफा २५

(९) यदि दस्तावेज बृटिश भारत से बाहर लिखी गई हो तो उसके बृटिश भारत में आने से चार महीने के अन्दर रजिस्ट्री के लिये पेश होना चाहिये। दफा २६

रजिस्ट्री कराने का स्थान।

(१०) १ स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली दस्तावेज की रजिस्ट्री उसी सबरजिस्टार के यहां होगी जिस के हलके (ज़िले) में स्थावर सम्पत्ति का कुछ भी भाग स्थित (क़ायम) हो। दफा २८
२ दूसरी दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऐसे सब-रजि

स्ट्रार के यहाँ होगी जिसके हल्के में दस्तावेज लिखी गई हो या किसी अन्य सब रजिस्ट्रार के यहाँ होगी जहाँ कि दस्तावेज लिखने वाले और उससे लाभ उठाने वाले सब लोग चाहें। दफा २९

(११) कलकत्ता बम्बई मद्रास और लाहोर के रजिस्ट्रार उपरोक्त १० (१) में वर्णित दस्तावेजों की रजिस्ट्री अपने यहां कर सकता है चाहे उनमें वर्णित जायदाद बृटिश भारत के किसी भी भाग में क्यों न स्थित हो। दफा ३०

(१२) साधारणतया रजिस्ट्री कराने के लिये रजिस्ट्रार के दफ्तर में उपस्थित (हाजिर) होना आवश्यक होता है परन्तु विशेष कारण होने पर रजिस्ट्रार घर पर भी आसकता है। दफा ३१

मृत्युपत्र

(१) मृत्युपत्र लिखने वाला कोई भी शख्स अपना

दिन फिर अदालत खुले, उदाहरणार्थ किसी नालिश की मियाद २५ दिसम्बर को खतम होती हो और उस दिन क्रिसमस की वजह से कोर्ट बन्द है तो नालिश उस दिन दायर की जा सकती है जिस दिन कोर्ट खुले चाहे वह एक दिन की छुट्टी हो, एक हफ्ते की हो, चाहे एक महीने की हो। दफा ४

(४) कोई अपील या दरखास्त मियाद खतम होने के बाद भी मंजूर की जा सकती है जब कि उसे पेश करने वाला अदालत को विश्वास करावे कि मियाद के भीतर दरखास्त या अपील दाखिल न कर सकने के लिये पर्याप्त (काफी) कारण था दफा ५

ध्यान रहे कि यह नियम नालिशों के लिये लागू नहीं होता यह केवल अपीलों और दरखास्तों के लिये है।

(५) यदि किसी व्यक्ति को नालिश दरखास्त जारी करने का अधिकार उस समय प्राप्त हो जब कि वह नाबालिग, पागल या जड़ हो तो उसके लिये मियाद ऐसी नाकाबलियत (disabilit

अयोग्यता) अर्थात् पागलपन, नाबालिगी आदि के समय से शुरू होगी।

यदि वह मियाद शुरू होने के समय ऐसी दो अयोग्यताओं से युक्त हो, या एक के बाद ही दूसरी अयोग्यता में पड़ जाय तो उसके लिये मियाद इन सब अयोग्यताओं के दूर होने के समय से गिनी जायगी।

यदि वह व्यक्ति मरते समय तक इन अयोग्यताओं से युक्त रहा हो तो उसके वारिस (उत्तराधिकारी) के लिये मियाद उसके मरने के समय से प्रारम्भ होगी।

यदि ऐसा उत्तराधिकारी भी उस व्यक्ति की मृत्यु के समय से अयोग्यता युक्त रहा हो तो उसके लिये भी उपरोक्त नियम लागू होंगे।

दफा ८

उदाहरणार्थ श्याम को एक नालिश दायर करने का हक १९२० में प्राप्त हुआ (जिसकी मियाद ३ साल की है) उस समय वह पागल था और उसी दशा में १९२५ में वह मर गया उस का वारिस राम उस समय नाबालिग था। उसकी बालिगी १ मई १९२८ को दूर हुई

तो वह १ मई १९३१ तक दावा दायर क
सकता है। यानी इयाम के पागलपन औ
उसके वारिस की नाबालगी का समय मिय
में नहीं गिना जायगा।

(६) यदि कई व्यक्तियों को नालिश करने का अ
कार हो और यदि उनमें से एक को
अयोग्यता हो, और यदि उस व्यक्ति
रज़ामन्दी बिना फारखती या छूट न हो
हो तो इन सब लोगों के लिये मियाद उ
अयोग्यता दूर होने से शुरू होगी। यदि ए
फारखती हो सकती हो तो मियाद स
लिये फौरन ही शुरू होगी। दफा

(७ दफा ६ और ७ हक शुफा के दावे के लिये
नहीं होती और न इनसे मियाद ३ साल
अधिक बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ
को एक ऐसा दावा करने का हक है जिस
मियाद ६ साल की है किन्तु वह ५ साल
पागल रहा तो पागलपन दूर होने के
से ३ साल की मियाद मिलेगी। दफा

(८) मियाद एक दफा शुरू हो जाने के बाद

नहीं रुकती अर्थात् मियाद शुरू हो जाने के बाद नाकाबलियत Disability के कारण मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती। उदाहरणार्थ राम को एक दावा करने का हक १९१४ में प्राप्त हुआ परन्तु १९१५ में वह पागल हुआ इस पागलपन के कारण मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती। क्योंकि मियाद पागल होने के पहिले ही शुरू हो गई थी। दफा ९

(९) नालिश, अपील या दरखास्त के लिये जो मियाद मुकर्रर है उसका हिसाब लगाने में वह दिन छोड़ दिया जायगा जिस दिन से मियाद गिनी जाती है।

अपील की मियाद गिनने में वह दिन जिस रोज फैसला सुनाया गया और वह समय जो फैसले और डिग्री की नकल लेने में लगा है, गिनती में नहीं लिया जायगा। दफा १२

(१०) नालिश की मियाद गिनने में वह वक्त गिनती में न लिया जायगा जब तक कि मुद्दा-अलेह(प्रतिवादी) ब्रिटिश भारत के बाहर रहा हो। दफा १३

(११) अगर कोई नालिश या डिग्री की इजराय किसी हुक्म से रोकी गई हो तो मियाद गिनते समय, जितने दिन तक हुक्म जारी रहा उतने दिन गिनती में नहीं लिये जायेंगे। दफा १८

(१२) किसी व्यक्ति (मुद्दई) को नालिश का हक पैदा हो उसके पहिले ही वह मर जाय या कोई मुद्दायलेह जिसके खिलाफ़ नालिश का हक पैदा होता हो वह ऐसा हक पैदा होने के पेश्तर ही मर जाय तो जब तक मुद्दई या मुद्दायलेह के वारिस कायम न हों मियाद नहीं गिनी जायगी। दफा २०

(१३) किसी हक की मियाद खतम होने के पहिले ही, उस हक के बाबत मुद्दायलेह नई लिखावट लिख दे और अपने दस्तखत करदे तो मियाद फिर से नई शुरू हो जायगी और उस समय से गिनी जायगी जब कि ऐसी लिखावट हुई हो। दफा १९

(१४) जब कि मियाद गुजरने से पहिले ही सूद या असल रकम का कुछ हिस्सा जमा करादिया गया था और ऐसी अदायगी (सिवाय उस सूरत के जब कि रकम १ जनवरी १९२८ के

पहिले अदा की गई है) देनदार या उसके मुक़र्रर किये हुए एजंट ने अपने हाथ से लिखकर की हो तो मियाद ऐसी अदायगी की तारीख़ से गिनी जायगी।

१५ जब किसी नालिश के दायर हो जाने बाद किसी को नया मुद्दई या मुद्दायलेह बनाया जाय तो ऐसे नये मुद्दई या मुद्दायलेह के विरुद्ध मियाद उस रोज तक गिना जायगी जब कि वह मुद्दई या मुद्दायलेह बनाया गया हो (न कि उस रोज तक जब कि नालिश दायर की गई थी)

दफा २२

१ मियाद गिनने के लिये अंग्रेजी कैलेण्डर के माफिक तारीखों से हिसाब रहेगा अर्थात् जहां लिखावट में हिन्दी तिथि या मुसलमानी तारीख लिखी हो तो मियाद उस रोज की अंग्रेज़ी तारीख से गिनी जायगी। दफा२५

मुख्य २ मियादें।

जात नालिश	मियाद	वक्त गिनी जावेगी
(१) नालिश बमूजिब एक्ट दादरसी दफा ९	छः महीना	उस तारीख से जब बेदखली हो। मद ३
(२) दिला पाने तनखा वह नौकरकी, कारीगर की या मजदूर की।	एक बरस	उस रोज से जब कि तनखा या उजरत वाजिब हुई या दिये हो मद ७
(३) बाबत कीमत खुराक, और शराब जो होटल सराय या शराबखाने के मालिक ने बेची हो।	,,	उस तारीख से जब खुराक या शराब दी जाय। मद ८

(४) बाबत हक़— शुफा चाहे हक़,कानून, रिवाज, या ठहरावसे कायम हो	एकसाल	जबकि खरीददारने क़ब्ज़ा पूरा कराया हो।
		मद १०
(५) बज़रदारी जो किसी इजराय डिकरी में कुर्क किये हुए माल के निस्बत हो	"	तारीख हुक्म अदालतसे
		मद ११
(६) बाबत रद कराने नीलाम (क) जो इजराय डिग्री में हो। (ख) कलक्टर या दूसरे माल	"	उसतारीख से जब कि नीलाम पूरा या मंजूरहो।

मुकदमा
दायर करने से मद २१
हुआ हो

(१०)नालिश उस हर्जानेकी जब कोई झूठा तोहमत लगाया हो	एकसाल	तोहमत लगाने की तारीख से
		मद २५
(११)नालिश बनाम कैरियर (रेल्वे आदि) माल खोदेने या नुकसान पहुचने क बाबत	"	जब माल गुम हो जाय या उसे नुकसान पहुँचे।
		मद ३०
(१२)नालिश हर्जाना बाबत रोकने रास्ता या पानी	तीन साल	रोकने की तारीख से
		मद ३७
(१३)नालिश हर्जा ओ काफी रास्ट तोड़ने का वजह से हो	तीन साल	तोड़ने की तारीख से
		मद ४०

(१४) नालिश नाबालिग की तरफ से (जो अब बालिग हो गया है) वास्ते रद् कराने बेचान (परिवर्तन) जो संरक्षक (वली गार्डियन) ने किया हो–	तीन साल	उस तारीख से जब नाबालिगी दूर हुई हो।
(१५) नालिश बाबत किराया जानवर, सवारी, नाव, या घरू असबाब	"	उस तारीख से जब कि किराया अदा होना चाहिये था
(१६) नालिश बाबत बेचे हुए माल की कीमत की जब कि कीमत अदा करने का कोई	"	माल देने की तारीख से

इकरार न हुआ हो		मद ८२
(१७) अगर कोई इकरार अदा करने के लिये हुआ हो	"	इकरार की मुद्दत गुजरने की तारीख से मद ८३
(१८) जब कि कीमत बिल आफ एक्स-चेंज (हुंडी) से अदा होना हो और वह हुंडी न दी जाय		जब हुंडी की मुद्दत गुजर जाय। मद ८४
(१९) नालिश उस रुपये के बाबत जो उधार दिया गया हो		उस तारीख से जब कर्जा दिया गया हो मद ५७
(२०) नालिश ऐसे करजे की जो मांगने पर अदा किये	"	"

जाने को हो		मद ५९
(२१) नालिश ऐसे करने की बाबत जो इस इकरार पर अमानत रक्खागया हो कि मांगने पर दिया जायगा	तीनसाल	उस तारीख से जब कि रकम मांगी जाय। मद ६०
(२२) नालिश बॉन्ड (तमस्सुक) के आधारपर जब अदाई की तारीख उस में लिखी हो	"	जो तारीख लिखी हो। मद ६६
(२३) अगर कोई तारीख न लिखी हो	"	बॉन्ड लिखने की तारीख से मद ६७
(२४) नालिश बिल ऑफ एक्सचेंज	"	लिखी हुई मुद्दत के गुजरने

(हुंडी) या प्रामेसरी नोट के आधारपर जब कि उस में अदा करने की मुद्दत लिखी हो		हो। मद ६७
(२५) नालिश दर्शनी हुंडा के आधारपर	तीन साल	जब कि वह अदायगी के लिये पेश की जाय। मद ७०
(२६) नालिश किश्त से अदा करने के प्रामिसरी नोट या बांड पर	,,	प्रत्येक किश्त के चूकने पर। मद ७४
(२७) नालिश जो बाकी हिसाब पर कीजाय जब कि आपस में हर एक की रकम	,,	हिसाब आखरी करने की तारीख से

दूसरे पर हो		मद ७४
(२८)नालिश मुनाफेका हिस्सा करने के लिये जब पार्टनर-शिप (हिस्सेदारी) रद होगई हो	तीन साल	हिस्सेदारी रद होने की तारीख से मद १०६
(२९)नालिश इस बाबत कि जिस व्यक्ति का गोद लेना कहा जाता है वह वास्तव में गोद नहीं-लिया गया या एसा गोद नाजायज है।	छे साल	जब से गोद लेने की बात का हाल मुद्दई का मालूम हो मद ११८
(३०)नालिश इस बात को तय करने को कि किसी व्यक्ति का गोद लेना जायज(कानूनन सही)है	,,	उस समय से जब कि किसी गोद आये हुए लड़के के अधिकारों में हस्तक्षेप किया

		जाय।
		मद ११९
(३१) अगर किसी नालिश की मियाद— कानून मियाद की किसी मद में न लिखी हो	छह साल	उस समय से जब कि नालिश का हक पैदा हो।
		मद १२०
(३२) किसी हिन्दू की तरफ से अन्न कपड़ा पाने की नालिश	बारह साल	उस तारीख से जब कि खाना कपड़ा मिलना चाहिये था।
		मद १२८
(३३) उस स्थावर सम्पत्ति के कब्जे की जिस में से मुद्दई बेदखल करदिया गया हो	"	बेदखल किये जाने की तारीख से
		मद १४२
(३४) स्थावर सम्पत्ति को पाने की	"	जब से कि मुद्दई के खिलाफ

दूसरी अदालत
में फौजदारी
मुकदमें की मद १५४
(४)हाई कोर्ट में ऐसी ६० दिन ,,
अपील के लिये मद १५५
(५)हाई कोर्ट में ९० दिन उस डिग्री या
दीवानी दावे हुक्म की तारीख
की अपील से जिसकी
अपील की जाती है
मद १५६

दरख्वास्त ।

(१)पंच फैसला रद १० दिन उस तारीख से
कराने की जब फैसला
दरख्वास्त अदालत में पेश
किया जाय ।
मद १५८
(२) एक तर्फा फैसला ३० दिन उस दिन से जब

रद करने के लिये मुद्दायलेह की तरफ से दरख्वास्त		कि डिग्री की खबर मुद्दायलेह को मिली हो। मद १६४
(३) इजराय में कराये गये नीलाम को रद कराने के लिये	३० दिन	नीलाम की तारीख से मद १६६
(४) वे दरख्वास्तें जिनके लिये कानून मियाद में कोई मियाद न हो	३ साल	दरख्वास्त पेश करने का हक पैदा हो उस दिन से।

पार्टनरशिप या साझा।

जिस काम में कुछ लोग मिलकर अपना धन, शक्ति या व्यापारिक चतुरता काम में लावें और मुनाफा आपस में बांटने का इकरार करें उसे पार्टनरशिप या साझा कहते हैं। साझे के सब मेम्बरों को फर्म कहते हैं।

उदाहरण

(क) राम और श्याम १०० गांठ रूई की खरीद करते हैं और उन्हें अपने खाते बेचने का इकरार करते हैं, इस सौदे के सम्बन्ध में दोनों साझेदार हैं।

(ख) राम और श्याम १०० गांठ रूई की मिल कर खरीदते हैं ताकि वे रूई आपस में बांट लें। राम और श्याम साझेदार नहीं हैं।

(ग) राम–एक सेठ–श्याम–एक सुनार–के साथ इकरार करता है कि वह उसे सोना देता रहेगा जिसे घड़कर श्याम ज़ेवर बनावेगा और बिकने पर मुनाफा बांट लिया जायगा।

राम और श्याम साझेदार हैं।

(घ)राम और श्याम दो सुनार साथ साथ काम करते हैं, चीजें बिकने पर मुनाफा सब राम रखता है और श्याम तनखा पाता है पर कोई साझेदारी नहीं है।

दफा २३९, कांट्रैक्ट एक्ट।

(२)जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है या करना चाहता है उसे कोई मनुष्य रुपया इस शर्त पर उधार देता है कि ब्याज की दर मुनाफे के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा, तो केवल इस शर्त के कारण ही यह नहीं माना जायगा कि उनका आपस में साझा है। दफा २४०

यदि कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो पहिले के किसी साझेदार के वारिसों की तरफ से साझे में लगा हुआ रुपया ऊपर की दफा के माफिक कर्ज ही माना जायगा। दफा २४१

(३)यदि किसी नौकर या एजेंट को साझे की आमदनी का कोई नियत हिस्सा, तनख्वा या मेहनताने की तरह दिया जाय और कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो केवल इस शर्त

कारण ही साझा नहीं माना जायगा। दफा २४२

(४) मरे हुए साझेदार का कोई बच्चा या बेवा अगर साझे में से कोई रकम परवरिश की तौर पर पाता हो तो इसके कारण ही वे साझेदार नहीं माने जासकते। दफा २४३

(५) यदि किसी मनुष्य को फर्म का गुड विल (नेक नामी) बेचने के बदले में कोई रकम साझे में से मिलती हो तो इस कारण ही वह साझेदार नहीं मान लिया जायगा। दफा २४४

(६) यदि कोई मनुष्य अपने लिखित या मौखिक शब्दों या कार्यों द्वारा किसी दूसरे को यह विश्वास दिलावे कि वह किसी फर्म में साझेदार है तो उस व्यक्ति के लिये वह साझेदार की भांति ही जिम्मेवर होगा। दफा २४५

(७) कोई भी नाबालिग साझे में फायदा उठाने के लिए सम्मिलित हो सकता है परन्तु नुकसान होने पर उसकी स्वयं कोई जिम्मेवरी नहीं होती, केवल उसका साझेदारी की रकम का हिस्सा ही नुकसान का जिम्मेवर होगा। दफा २४७

(८) यदि कोई नाबालिग साझेदारी में सम्मिलित

हुआ हो तो बालिग होने पर साझेदारी के न
नुकसान का उस रोज से जिम्मेवार माना जा
जिस रोज से वह साझेदारी में शामिल स
यदि वह बालिग होते ही साझेदारी से ए
होने की सूचना देदे तो उस की जिम्मेवारी न
होगी। दफा २४८

(९)प्रत्येक साझेदार फर्म के नफे नुकसान का जिम
वर माना जाता है परन्तु चालू फर्म में क
नया साझेदार सम्मिलित हो तो उस की जिम्मे
वारी साझेदारी में आने के रोज से हो
इससे पहिले के नफे नुकसान के लिये उस
कोई जिम्मेवरी नहीं होगी। दफा २४९

(१०)फर्म के किसी भी साझेदार की बेपरवाही
कारण किसी तीसरे शख्स को कोई हानि उठा
पड़े तो उस के हर्जाने की जिम्मेवरी उस
हर एक भागीदार की होगी। दफा २५०

(११)फर्म का प्रत्येक भागीदार अपने दूसरे भा
दारों के लिये नियत किये हुए प्रतिनिधि
समान है, यदि वह कोई काम फर्म के लिए
तो हर एक साझीदार उस काम के बाबत

वाले नफे नुकसान का जिम्मेवार होगा। परन्तु यदि साझेदारों के आपस में इकरार होगया हो कि किसी साझेदार को कोई खास काम करने का अधिकार न रहेगा और सामने वाले को इस इकरार की सूचना रही हो तो ऐसी हालत में उस व्यक्ति का अपने अधिकार से अधिक काम करने पर फर्म जिम्मेवार न होगी।

उदाहरणार्थ—(१) सुरेश और रमेश दो साझेदार हैं। रमेश इंगलैंड में रहता है और सुरेश भारत में। रमेश फर्म के नाम की हुण्डी लिखदेता है और सुरेश को इसकी कोई सूचना नहीं होती और न उस हुण्डी से फर्म को कोई लाभ ही है, फिरभी इस हुण्डी के लिये फर्म की जिम्मेवरी होगी। यदि हुण्डी लिखाने वाले को इस फरेब की सूचना न हो।

(२) राम सालिसिटरों की एक फर्म का साझीदार है और फर्म के नाम से एक हुण्डी लिखता है —इस हुण्डी के लिये फर्म की जिम्मेवारी न होगी क्यों कि सालीसिटरों के फर्म का काम हुण्डी पुर्जे का नहीं है।

(३)ए और बी सराफों की एक फर्म के साझेदार हैं। ए के पास कोई ग्राहक फर्म के खाते एक रकम जमा करता है जिसकी सूचना बी को दिये बिना वह उस रकम का गबन(बर्बाद) Misappropriate कर देता है तो उस रकम अदायगी की जिम्मेवारी फर्म की होगी।

(४)ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। बी को दगा देने की इच्छा से ए कुछ ऐसी चीजें फर्म के खाते खरीदता है जो साधारणतया फर्म में काम आती हैं और उन्हें अपने उपयोग में ले लेता है तो फर्म उन चीजों की कीमत अदा करने की जिम्मेवार होगी। यदि चीजें बेचने वाला खुद दगे में शामिल न हुआ हो।(इत्यादि)

(१२)यदि किसी फर्म के साझेदारों ने आपसी इकरार से अपने २ अधिकारों या कर्तव्यों का निश्चित कर लिया हो तो उसे इकरार में किसी भी परिवर्तन या उसे रद्द करना सबकी राय से ही हो सकेगा। ऐसा परिवर्तन लेखी या आपसी व्यवहार द्वारा हो सकेगा।

उदाहरणार्थ-ए, बी, और सी तीनों फर्म

के मेम्बर हैं और फर्म चालू करतेवक्त उनमें यह इकरार न हुआ कि नफा नुकसान बराबर बराबर बांटा जायगा। कई बरसों से फर्म चल रही है और ए को ॥) ब को और सी ।) हिस्सा मिलता आ रहा है तो यह माना जायगा कि हिस्सों में फेरफार ॥) ।) ।) का होगया है यद्यपि इस विषय में कोई लेखी इकरार नहीं है।

(३) यदि कोई दूसरा इकरार न हुआ हो तो साझेदारों का आपसी व्यवहार नीचे लिखे नियमों से समझा जायगा—

(१) साझेदारी की मालियत (सामान) पर सब साझेदारों का सम्मिलित (इकट्ठा) अधिकार होता है और उनका हिस्सा अपनी २ पूंजी के अनुसार होगा।

(२) सब साझेदारों का फर्म के नफे नुकसान में बराबर हिस्सा होता है।

(३) हरएक साझेदार फर्म के इन्तज़ाम करने का अधिकार रखता है।

(४) हर एक साझेदार को चित्त लगाकर फर्म का काम करना होगा और उसके लिये

उन्हें कोई बहुतसाझा न मिलेगा।

(५)जब साझेदारों में व्यवहार की साधारण बातों पर मत भेद हो तो बहुमत से काम किया जायगा, परन्तु साझेदारी के काम में परिवर्तन सब साझेदारों की सम्मिलित राय से ही होगा।

(६)कोई भी साझेदार बिना सब साझेदारों की राय के नया साझेदार नहीं बना सकेगा।

(७)यदि किसी कारण से एक भी साझेदार फर्मसे जुदा होजाय तो सारी फर्म टूट गई ऐसा माना जायगा।

(८)यदि फर्म किसी निश्चित समय तक के लिये न बनी हो तो हरएक साझेदार जब चाहे उस से जुदा हो सकता है।

(९)यदि फर्म कुछ निश्चित समय तक के लिये बनी हो तो कोई भी साझेदार समय से पहिले फर्म से जुदा नहीं हो सकता और न कोर्ट की आज्ञा प्राप्त किये बिना साझेदार उसे जुदा कर सकते हैं।

(१०)चाहे कितने ही समय तक के लिये फर्म बनी हो, किसी भी साझेदार की मृत्यु से वह फौरन टूटजाती है।

(१४) नीचे लिखे कारणों से, कोर्ट किसी साझेदार की तरफ से नालिश होने पर, साझेदारी को तोड़ सकती है'—

(१) जब कोई साझेदार पागल हो जाय।

(२) जब कि नालिश करने वाले के अलावा कोई दूसरा साझेदार दिवालिया करार दिया गया हो।

(३) जब कि नालिश करने वाले के अलावा किसी दूसरे साझेदार ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे फर्म का काम किसी दीगर शख्स के हक में आगया हो।

(४) जब कि कोई साझेदार, साझेदारी का काम करने के योग्य न रह गया हो।

(५) जब कि नालिश करने वाले के अलावा दूसरे साझेदार ने फर्म का काम करने में बहुत बुरा व्यवहार (इन्तजाम) किया हो।

(६) जब कि साझे का काम सिर्फ घाटा उठा कर ही चला या जासकता हो।

(१५) यदि साझे का कारबार चलाने की कानून से

मनादी करदी गई हो तो साझा टूटा जाता है।
दफा ४५५

(१६)यदि निश्चित समय तकके लिये कायम किया गया साझा अवधि पूरी होनेके बाद भी चलता रहे और कोई दूसरा इकरार न हो तो साझेदारों का अधिकार और उनकी जिम्मेवरी पहिले के समान ही रहेगी। दफा २४१

(१७)साझेदारों का कर्तव्य है कि साझेदारी के अधिक से अधिक हितके लिये साझे का कारबार चलावें, एक दूसरे के साथ सच्चा व्यवहार करें और सब का पूरा २ हिसाब साझेदारों या उनके एजन्टों को बतलावें। दफा २४७

(१८)यदि कोई साझेदार साझेका कारबार अपने अकेले के लिये करे तो उसका हिसाब साझे की फर्म को समझाना होगा।

उदाहरण—

राम, श्याम और मोहन एक फर्म के साझेदार हैं, मोहन "ए" नामकी एक दूसरी फर्म से इस बात पर कुछ कमीशन पाता है कि वह अपनी फर्म के कुल आर्डर "ए" फर्म को

दिलायगा तो मोहन को इस का हिसाब फर्म को देना होगा। दफा २५८

(१९)यदि कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों की इजाज़त और जानकारी के बिना कोई कारबार ऐसा करे जो फर्म के कारबार में हरकत करता हो तो उसे ऐसे कारबार में जो मुनाफा होगा इसका हिसाब फर्म को समझाना होगा।

दफा २५६

(२०)मृत साझेदार की जायदाद, अगर कोई दूसरा इकरार न हुआ हो, तो, किसी ऐसे कर्ज़े को चुकाने के लिये जिम्मेवर नहीं मानी जायगी जो कि उसकी मृत्यु के बाद फर्म ने कर लिया हो, दफा २६१

(२१)जबकि किसी साझेदार को (१) फर्म के व (२) अपने निज के कर्जे चुकाने हों तो साझे की मालियत पहिले फर्म का कर्जा चुकाने में लगाई जासकती है, इसी तरह निज की मालियत से पहिले निजका कर्जा चुकाया जायगा और बाद में फर्म का। दफा २६२

दफा	जुर्म	राजीनामा योग्य है या नहीं	वारंट या समन	किस अदालत में मामला होगा	सजा की हद
१७३	समन या होना बचाव कोई उसके ऊपर तामील न होने देने के लिए छिपना	"	"	"	एक मास की सजा ५० रु० तक जुर्माना या दोनों
१७४	कोई के हुक्म की तामील न करना	"	"	"	"

१७९	कोर्ट के सवाल का जवाब न देना	"	"	"	छह महीने की कैद १०० रुपये तक जुर्माना या दोनों
१९३	झूठी गवाही देना	"	वारंट केस	फर्स्टक्लास मजि० और ऊपर	७ वर्ष तक सजा और जुर्माना या दोनों
१९७	झूठा सार्टिफिकेट देना	"	"	"	"
१९९	शपथपूर्वक झूठा बयान देना	"	"	"	"
२११	झूठा मुकदमा करना	"	"	"	"
२७९	बेपरवाही से आम रास्ते पर गाड़ी आदि चलाना	"	समन	कोई मजि०	छह मास की कैद या १०००) तक जुर्माना या दोनों

३३४	भारी गुस्सा दिलाने से मामूली चोट पहुँचना	राजीनामा	इमन केस	फर्द मजि	एक मास कैद, या ५००) जुर्माना या दोनों
३४१	किसी को बे कानूनी कायदा रोक रखना	"	"	"	"
३५२	हमला	"	"	"	तीन मास कैद, जुर्माना या दोनों
३५४	किसी स्त्री पर हमला या जब्र बुरी नियत से	"	वारंट केस	सेके० क्लास या ऊंचे दर्जे के	दो वर्ष कैद, जुर्माना या दोनों
३५५	किसी शख्स को बेइज्जत करने की गरज से हमला	"	"	"	"

ताजीरात हिन्दकी धाराएं

१६१ राज कर्मचारी यदि रिश्वत ले
१७० राज कर्मचारी का भेष करना
२३१ नकली सिक्का बनाना
२६८ झूठे बाट काममें लाना
२६९ स्नान पीने की चीजों में कुछ ऐसी चीज मिलाना जिस
से वह नुकसान देने वाला हो जाय
२९२ अश्लील (अपवित्र व दुराचार बतलानेवाली और बेशर्म बनाने
वाली) पुस्तकें बेचना
२९३ जवानों को बेशरम को (अश्लील) चीजें बेचना
२९४ अश्लील गाने गाना
२९५ पूजाके या पवित्र स्थान का किसी समुदाय का अपमान
करने की गरज से अपवित्र करना
३०२ कत्ल आदमी का मार डालना)
३१२ इसकात (गर्भ) गिराना
३३० कोई अपराध कबूल कराने के लिये मारपीट करना
(मारपीट करने वाला चाहे सरकारी अफसर हो या
साधारण आदमी)
३७६ जिना बिल जब्र (बलात्कार)
३९२ सिरका बिल जब्र (Robbery) लूटना
३९५ डकैती
४११ चोरी की चीज बदनियतती से लेना या खरीदना
४२६ पचास रु० से ज्यादा का हर्जा करना
४४७ दूसरे की स्थावर चीज पर गैर कानूनी कब्जा करना

जाब्ता फौजदारी की कुछ दफाएँ जो अदालतों में प्रायः अधिक काम आती हैं—

दफा ३१ से ३५ किसनी२ सजा हाई कोर्ट, सेशन्स जज, और मजिस्ट्रेट दर्जा १ २, ३, देसकते हैं।

दफा ६८ से ८९ तक में समन और वारंट निकालने के तरीके लिखे गये हैं।

दफा १०६ से १२६ तक अमनचैन रखने व नेक चालचलन की जमानतों को लिये जाने के नियम आदि का वर्णन है।

दफा २०० से २०३ तक में मजिस्ट्रट के सामने नालिश पेश करने का तरीका है। यदि मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे तो दफा २०२ के मुताबिक (कारण लिखकर) मुलजिम को बुलाने से इन्कार करना और पहिले उसको सफा साधारण सबूत लेना कि

वास्तव में (दर असल) कोई जुर्म
मुल्जिम की तरफ से होना पाया
जाता है या नहीं यदि जुर्म न हुआ
हो तो दफा २०३ के अनुसार
मुकद्दमा खारिज किया जा सकता
है।

दफा २०५ के माफिक अदालत को अख्तियार है
कि मुलजिम का खुद अदालत में
हाजिर होने से माफ करके वकील
के मार्फत पैरवी की इजाजत दे।
इस दफा के अनुसार स्त्रियां, वृद्ध
पुरुषों, बीमारों आदि को माफी दी
जा सकती है।

दफा २२१ से २४० तक चार्ज (फर्द जुर्म) का
वर्णन है।

दफा २४१ से २५० तक समनकेस मुकद्मात की तहकीक
वर्णन है।

दफा २४७ के माफिक मुद्दई हाजिर ना होवे
मुलतवी न करेगा मुकद्दमा
खारिज किया जावेगा है।

दफा २५१ से २५९ तक वारंट केस चलाने का तरीका लिखा है।

दफा ३४४ में कोर्ट को तारीख बढ़ाने के वक्त हरजाना दिलाने का अधिकार है।

दफा ३६६ में जजमेंट (तजवीज) का हाल लिखा है।

दफा ३८६ के अनुसार जुर्माना की हुई रकम वसूल की जासकती है।

दफा ५६२ के अनुसार कोर्ट को अधिकार है कि सज़ा देने के बदले नकचलनी का मिचलका मुचलका लेकर मुलज़िम को रिहा करसकती है

दफा ५२६ हाई कोर्ट केस अदालत से ट्रान्सफर कर सकती है जबकि ट्रान्सफर करने से सुभीता हो या न्याय के लिए आवश्यक हो।

दफा १४९–१५० ऐसे प्रश्न जिनसे गवाह के विश्वासपात्र न होने के सम्बन्ध में कोई बात मालूम होती हो वह बिना कारण नहीं पूछी जानी चाहिये अकारण ही पूछने पर वकील के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिपोर्ट की जा सकती है।

दफा १५१–१५२ कोर्ट चाहे तो अश्लील प्रश्न पूछने से मनाही कर सकता है। इसी प्रकार तोहीन करने या तंग करने के लिये किये हुए प्रश्नों को भी रोक सकती है।

दफा १५४ अदालत किसी पक्षकार को अपने ही गवाह से जिरह करने की इजाज़त दे सकती है अगर वह उसके विरुद्ध हो।

दफा १५६ जिससे किसी बयान की पुष्टि होती हो ऐसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं।

परिशिष्ट

ताज़ीरात हिंद दफा ६७ के अनुसार ५०) जुर्माने के बदले २ माह की जेल और १००) रु० जुर्माने के बदले ४ मास की कैद की सजा दी जा सकती है, अगर जुर्माना दाखिल न करे।

(व्याख्या दफा ४०)

ज़ाब्ता फौजदारी द० २४९ रिहा (डिसचार्ज) करने का बयान है। चार्ज लगने से पहले ही छोड़ देने को रिहा या डिसचार्ज होना कहते हैं। चार्ज लगने के बाद छोड़ने को एक्विट या बरी होना कहते हैं।

ज़ा० फौ० दफा २५० के अनुसार निराधार झूठे मामले में ५० या १०० रुपये तक हर्जाना कोई भी मजिस्ट्रेट दिला सकता है।

इक़बाली गवाह	मुख़बिर
इक़रार	प्रतिज्ञा
इख़्तिसार	संक्षेप
इख़्तिलाफ़	मतभेद
इख़्तियार	अधिकार
इजराय	जारी करना
इजाज़त	आज्ञा
इन्कार	मना करना नटना
इन्चार्ज	स्थानापन्न
इन्तक़ाल	मृत्यु
इन्तज़ाम	प्रबंध
इबारत	लेख
इमदाद	मदद
इरशाद	प्रार्थना
इश्तियाक़	ध्यान
इरादा	मनोभाव
इरादतन	मनोभाव से
इल्तिजा	प्रार्थना
इल्म	ज्ञान
इस्तआम	आराम
इस्तिसार	गुप्तचुप

पक्षकार — पक्षवाला
पूर्वज — पुरखा
पैतृक ऋण — बाप का किया हुआ कर्ज
प्रतिवादी — मुद्दायला (Defendent)
फरीक — मुद्दई या मुद्दायला
फरीकैन — (फरीक का बहुवचन)
बमुजिब — मुआफिक अनुसार
बजाय — सिवाय
बाहमी — आपसी
बेवा — विधवा
भाति — प्रकार
मजकूर — उल्लिखित उपरोक्त ऊपर लिखा हुआ
मजबूर — लाचार विवश
मजहबी — धार्मिक धर्मसंबंधी
मरहमत करना — भेजना
मशीयुल — प्रार्थी
मुआफ — माफ क्षमा
मुश्तमिल — पता
मुकिर — इकरार करने वाला
मुद्दई — वादी (Plaintiff)
मुन्तकिल — स्थानान्तर (Transfer)
मुरसल — भेजना
मुश्तरका — सम्मिलित शामिल शरीक
मृत — मरा हुआ
रस्म — रिवाज

अदालतों में अकसर काम में आने वाले कुछ उर्दू शब्द और उनके अर्थ

आराज़ी—	ज़मीन
असालतन—	स्वयं
पेशगी खानदान—	कर्ता
एकतरफ़ा डिगरी—	एक्सपार्टी डिग्री
इजराय—	एग्जेक्यूशन
बेरून मियाद—	मियाद के बाहर
बयनामा—	बेचान नामा।
बिनाबर—	इसलिये
बिलफेल—	इस वक्त
पिसर मुतबन्ना—	गोद लिया हुआ लड़का
तरमीम—	दुरस्त किया हुआ।
तमस्सुक—	बांड हाथ चिट्ठा
तसदीक करना—	हामी भरना, वेरीफिकेशन
तजवीज़—	फैसला जजमेंट
सालसी—	पंचायत, आरबीट्रेशन
हुक्म इम्तनाई दवामी—	पक्का हुक्म सदा के लिये।
दरोग हल्फी—	झूठी कसम खाना
ज़ात व जायदाद—	शरीर व धन सम्पत्ति
समाअत—	सुनवाई
सायल—	दरखास्त देनेवाला
तलबीदा—	समन से बुलाये गये।
फर्द अहकाम—	आर्डर शीट

॥ ॐ ॥

* वन्दे वीरम् *

मरुस्थल में गौ-रक्षा

लेखक—

रतनलाल महता

संचालक—

श्री जैन शिक्षण संस्था, उदयपुर (मेवाड़)

प्रकाशक—

श्री जैन उत्तम साहित्य प्रकाशक मंडल,
उदयपुर (मेवाड़).

मुद्रक—

दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर.

प्रथमवार १००० } वीर सम्वत् २४५८ } विक्रम सम्वत् १९८८ { डाकमहसूल)

निवेदन

गौरक्षा नाम का छोटीसी पुस्तक को आज पाठकों के समक्ष रखते हुए हमें अत्यन्त हर्ष होता है। हर्ष इसलिये नहीं होता कि मैं अपनी कृति को प्रसिद्ध करता हू किन्तु इसलिये कि मुझ जैसे क्षुद्र सेवक को गौ सेवा करने का अपूर्व अवसर मिला। यह मैं अपने लिये बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, गौ सेवा के लाभ के साथ जो जो बातें मुझे अपने अनुभव से आवश्यक मालूम हुए उनका भी इसमें समावेश कर दिया गया है। आशा है कि पाठक इससे अवश्य लाभ उठावेंगे। गौरक्षा का प्रश्न भारत के लिये महत्त्व-पूर्ण ही नहीं किन्तु बहुत ही आवश्यकीय एव विचारणीय प्रश्न है। भारत के इतिहास से पता लगता है कि जब तक भारतवष गौ धन से धनी था तब तक ही यहां सुख, समृद्धि, शान्ति का साम्राज्य था गौ धन के ह्रास से ही आज यहां इतनी अशान्ति दारिद्रता का साम्राज्य छाया हुआ है। इस पुस्तक को शुद्ध करने में प्रसिद्ध गौ हितैषी पं० गगाप्रसादजी अग्नि होत्री, कविराज करणीदानजी साहब समपुर ठाकुर, भारत धर्म के सम्पादक प० गोविन्द शास्त्रीजी दुगवेकर, पं० विद्वद्वर

सम्मतियाँ

गो सेवत मंगल दिशि दस हू

जिन गोभक्त सज्जनों के हृदय में गोवंश के लिये पूज्य भाव और भक्ति है वे इस छोटीसी पुस्तक में जब पढ़ेंगे कि श्रीयुत् महता रत्नलालजी ने भगीरथ प्रयत्न कर ६२७६=)॥। एकत्र किये और उनकी सहायता से ३७० गौओं की प्राण रक्षा की तब वे लोग, गोभक्ति गौरवात्, निःसन्देह गद्गद होकर श्रीयुत् महताजी को बहुत धन्यवाद देंगे। और साथ ही उन उदार धनवान गो भक्तों को भी साधुवाद देंगे कि जिन्होंने श्री महताजी को इस काम में उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी है।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इस देश की कृषि की सफलता गोवंश पर ही अवलम्बित है। कृषि ही समूचे भारत के समस्त वाणिज्य व्यवसाय का मूलाधार है और कृषि का मूलाधार गोवंश है। तात्पर्य्य—गोवंश है तो कृषि है और कृषि है तो भारत का अस्तित्व और उत्कर्ष है। खेद है कि इस पारस्परिक घने सम्बन्ध की ओर वर्तमान दूरदर्शी भारत नेताओं का ध्यान बहुत कम जा रहा है। गो भक्त लोग

त्रिलोकनाथजी शर्मा इन सज्जनों ने इस पुस्तक का आद्योपान्त पढ़कर जो जो त्रुटियां निकाली हैं उनके लिये मैं इन सज्जनों का आभारी हूं।

अन्त में पाठकों से मेरी यही प्रार्थना है कि गौरक्षा के मर्म को यथा शीघ्र अपने घर का मर्म बना लेवें। और तन, मन और धन द्वारा इसकी सेवा में उद्यत होजावें तभी कुछ भारत का कल्याण हो सकता है।

गौ सेवक—

रतनलाल मेहता

जिन धनवान गो भक्तों ने भी महताजी को थुरू की गौओं की प्राण रक्षा करने में आर्थिक सहायता दी है व और अनन्य गो भक्त, आशा है कि मेरे इस निवेदन पर ध्यान देकर भारत की भलाइ करने वाला ठोस गो रक्षा का उपाय अब अवश्य करेंगे। ठोस गो रक्षा का एकमात्र उपाय गोपालन की शिक्षा का प्रचार ही है।

३ ६ १६३१ ई }   गंगाप्रसाद अग्निहोत्री,
जबलपुर.

गोजाति का इस देश में कैसा हाल हो रहा है, और उससे देश की दुर्बलता कैसी पढ़ रही है, इसको अंकों से पुस्तिका में लेखक ने सिद्ध किया है। धार्मिक विचार से भी गोरक्षा का महत्व कम नहीं है और दया मूलक धर्म में तो गो रक्षा का प्रथम स्थान है, यह भी लेखक ने प्राचीन श्रावक आनन्दजी, कामदेवजी आदि के उदाहरणों से सिद्ध किया है। इसी को वे ऋद्धि-सिद्धि मानते थे। व्यवहारिक और व्यवसायिक दृष्टि से भी लेखक ने गो-रक्षा का महत्व भली भांति विशद कर दिखाया है। पुराणों में भी महर्षि याज्ञवल्क्यादि के गो संग्रह के उदाहरण पाये जाते हैं और न्यूनाधिक गौयें रखने से नंद, उपनन्द आदि उपाधियां मिलती थीं। बुद्ध और मुसलमानों के शासनकाल तक यहां का गो-धन समृद्ध था। परन्तु देश के दुर्भाग्य से इधर ५० वर्षों से गौओं का इतना सत्यानाश हुआ है और नित उठ होता जाता है कि न 'भूतो न भविष्यति'। यदि इस समय भी हम न चेते, तो गो जाति के साथ ही साथ हम भी नाम शेष होजावेंगे, क्योंकि हमारा आधार टूट जाने से हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता।

उदयपुर के सुप्रसिद्ध गो हितैषी, स्वदेशप्रेमी और उत्साही कार्यकर्ता श्रीमान् महता रत्नलालजी ने इस पुस्तिका को लिखकर देशवासियों की आंखें खोलने का प्रशंसनीय प्रयत्न

गोजाति का इस देश में कैसा ह्रास हो रहा है, और उससे देश की उर्वरता कैसी घट रही है, इसका अंकों से पुस्तिका में लेखक ने सिद्ध किया है। धार्मिक विचार से भी गोरक्षा का महत्व कम नहीं है और दया मूलक धर्म में तो गो रक्षा का प्रथम स्थान है, यह भी लेखक ने प्राचीन श्रावक आनन्दजी, कामदेवजी आदि के उदाहरणों से सिद्ध किया है। इसी को वे ऋद्धि-सिद्धि मानते थे। व्यवहारिक और व्यवसायिक दृष्टि से भी लेखक ने गो-रक्षा का महत्व भली भांति विशद कर दिखाया है। पुराणों में भी महर्षि याज्ञवल्क्यादि के गो संग्रह के उदाहरण पाये जाते हैं और न्यूनाधिक गौएँ रखने से नंद, उपनन्द आदि उपाधिया मिलती थीं। बुद्ध और मुसलमानों के शासनकाल तक यहां का गो-वंश समृद्ध था। परन्तु देश के दुर्भाग्य से इधर ५० वर्षों से गौओं का इतना सत्यानाश हुआ है और नित उठ होता जाता है कि न 'भूतो न भवष्यति'। यदि इस समय भी हम न चेते, तो गो जाति के साथ ही साथ हम भी नाम शेष हो जावेंगे, क्योंकि हमारा आधार टूट जाने से हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता।

उदयपुर के सुप्रसिद्ध गो हितैषी, स्वदेशप्रेमी और उत्साही कार्यकर्ता श्रीमान् महता रत्नलालजी ने इस पुस्तिका को लिखकर देशवासियों की आंखें खोलने का प्रशंसनीय प्रयत्न

(३)

आर्या

एतत्पुस्तक माद्योपान्त सवीक्षित मया सम्यक् ।
गो-सेवाया भावः, फलं क्रमश्चेह सर्वतो भाति ॥ १ ॥

अनुष्टुप्

धर्म-प्राणस्वरूपो यः, कोठारीजी महोदय' ।
तत्समुद्यागतो मेद,-पाटेश्वर सहायत ॥ २ ॥
गो-सङ्कट-प्रतीकारो,-नैप चित्राय धीमताम् ।
यद्लिीपान्ववायस्य जन्म-मिद्ध गवावनम् ॥ ३ ॥

स्वागता

रंगलाल महता-महनीय, कर्म चित्रयति कस्य न चेतः ?
मग्रपर्य परिरक्षण-पूर्वं, यः परार्थकृतमीवनदान ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैने इस पुस्तक को आद्योपान्त अच्छी तरह देखा गो सेवा का भाव फल और तरीका इसमें अच्छे ढग से बतलाये गये हैं। (वर्तमान समय में) धर्म के प्राणस्वरूप श्रीमान् कोठारीजी श्री बलवतसिंहजी के उत्तम प्रबन्ध से मेवाड़ पति श्री ५ मान् महाराणाजी साहब की सहायता पाकर, यदि

❀ गाय ❀

दान्तों तले तृण दाब कर, हैं दीन गायें कह रहीं।
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही?
हमने तुम्हें माँ की तरह, है दूध पीने को दिया।
देकर कसाई को हमें, तुमने हमारा वध किया ॥१॥

क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं।
मारो कि पालो कुछ करो तुम, हम सदैव अधीन हैं॥
प्रभु के यहां से भी कदाचित्, आज हम असहाय हैं।
इससे अधिक अब क्या कहें, हा हम तुम्हारी गाय हैं ॥२॥

बच्चे हमारे भूख से, रहते समक्ष अधीर हैं।
करके न उनका सोच कुछ, देती तुम्हें हम छीर हैं॥
चर कर विपिन में घास, फिर आती तुम्हारे पास हैं।
होकर बड़े वे वत्स भी, बनते तुम्हारे दास हैं ॥३॥

जारी रहा यदि क्रम यहां, यों ही हमारे नाश का।
तो अस्त समझो सूर्य्य, भारत भाग्य के आकाश का॥
जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पाएगी।
यह स्वर्ण भारत भूमि बस, मरघट मही बन जाएगी ॥४॥

(भारत भारती)

———

छुवा दिया है। इसकी खबर 'अर्जुन' इत्यादि अखबारों में भी निकल चुकी है। दूसरी बात जो मुझे उन्होंने बतलाई, वह यह थी कि यहां पर टीड्डीदल तथा अवर्षा के कारण अकाल का प्रकोप था। घास की कमी के कारण गायें भूखों मर रही थी और उनका कोई रक्षक नहीं था। केवल दया धर्मी अग्रवाल, महेश्वरी, ब्राह्मणों और सुनारों वगैरह की ओर से पींजरापोल में गायों की कुछ रक्षा अवश्य होती थी किन्तु वहां पर अधिक गायें रखने तथा उनको घास डालने का सुभीता न था।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मुझको यह भी बतलाया कि इस शहर में 'तेरह पन्थी' लक्षाधीश बसते हैं परन्तु कोठारी सज्जनों के सिवा सब लोग गायों को घास खिलाने व रक्षा करने में पाप समझते हैं। यद्यपि गच्छाधिपति पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज साहिब यहां पर विराजते हैं और दयादान का उपदेश फरमाते हैं परन्तु उन लोगों को उनके धर्म गुरु उपदेश सुनने को नहीं आने देते। यदि ऐसे महात्मा के पास यहां के ओसवाल आकर उपदेश सुनें तो वे भी गो-रक्षा करने लग जांय। परन्तु व लोग आते ही नहीं है। यहां की गायों को देखते हैं तो बहुतसी तो भूखों मरती हैं और बहुतसी काम के फाटक में बन्द हैं। हम इन जीवों का दुःख जाकर"

यह तो हुआ खर्च का हिसाब। अब आमदनी का हिसाब लगाइय। दुधारू गाय जिसको कि आपने १००) में खरीदी है "मन्दाजन सुबह और शाम आठ सेर दूध देनेवाली होगी। अच्छा दूध बाजार में चार सेर मिलता है। इस हिसाब से दो रुपये रोज से दश महीने में आपको कितनी आमदनी हुई? जोड़िये। ६००) हुए। खर्च तो हुए ३००) और आमदनी हुई ६००)। बतलाइये ऐसा व्यापार कोई दूसरा है, जिसके कि एक के दो होते हैं। यहाँ किसी को यह शंका हो सकती कि आमदनी का हिसाब तो आज के गो रक्षक बतलाते हैं, पर यह बात सभी तक की हुई जब तक यह दूध देती रहे। बाद में हानि हो सकती है। इसका उत्तर वे 'नहीं' में देते हैं। और कहते हैं कि जो गौ १००) में खरीदी गई थी वह दूसरे साल पालक के घर में मुफ्त में रही और उसके साथ उसका बछड़ा भी मुफ्त में रहा। गर्भावस्था में करीब दस महीने गाय दूध नहीं देती अतएव उस समय उसकी खुराक भी कम होती है। केवल १००) में पालक को बछड़ा सहित गौ १२५) का माल मिला। इसके अतिरिक्त कण्डे (छाणे) और गौ-मूत्र के दाम अलग। इस प्रकार हिसाब लगाने से बिना दूध देने वाली गौ भी खर्च के बदले ज्यादा लाभदायक ही है हानिकारक नहीं।

गायों के महसूल छुड़ाने के लिये दयालु बीकानेर नरेश से प्रार्थना करूं। और इन गायों को कष्ट से छुड़ाने के लिये गो-भक्त, ब्राह्मण प्रतिपालक, हिन्दूपति, मेवाड़नाथ के चरणों में उदयपुर खबर पहुंचाऊं। मुझको आशा है कि श्रीमान् कोठारीजी साहिब बलवन्तसिंहजी जो गो-रक्षा के कट्टर हिमायती हैं, वे यहां की गायों का सब दुःख श्रीमानों के चरणारविन्दों में मालूम कर अवश्य अच्छी सहायता प्रदान कराने की कोशिश करेंगे।

अब इन गायों की रक्षा के प्रश्न पर उदासीन रहने का समय नहीं है। यदि ऐसे महत्त्व पूर्ण कल्याणकारी मार्ग में आप अपना द्रव्य का सदुपयोग न करेंगे तो फिर आपको अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने का कौनसा अवसर मिलेगा। इस समय गोरक्षा के लिये सहायता देने से आपको आत्मिक शान्ति मिलेगी। गोपालन में कितना लाभ है और गोपालन न होने में कितनी हानि है ? इन सब बातों को आपकी सेवा में निवेदन करता हुआ आशा करता हूं कि आप अपने इस नूतन जीवन में गोवंश की जितनी सेवा कर सकें उतनी उदारता पूर्वक अर्पण करें।

भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में यह कम चिन्ता की बात नहीं है कि यहां केवल चौदह करोड़ पचास लाख गायें

कुछ अमृत झड़ियाँ

१ भारतवर्ष एक कृषी प्रधान देश है। गाय ही इस देश की माता है। उसीका दूध-घी हम खाते हैं और उसके दूध से तरह २ की मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। यदि गाय न हो तो हमकों उत्तमोत्तम पदार्थ खाने को ही न मिले।

२ गाय के बछे बैलों ही से खेती होती है। भारत जैसे गर्म देश में घोड़ों तथा अन्य पशुओं से खेती नहीं हो सकती। इसी बैल को गाड़ी में जोतकर हम सवारी भी करते हैं। यदि हमारे देश में गायों की रक्षा न की गई तो हमारा खाना-पीना, खेती-बारी सब चौपट हो जायगी। गाय ही एक ऐसा जीव है कि जिसका मल मूत्र तक भी अत्यन्त लाभदायक माना जाता है। बड़े २ वैद्यों, डाक्टरों और हकीमों से दरियाफ्त करने पर मालूम हो सकता है कि गो-मूत्र और गोबर में कितने गुण विद्यमान हैं, यह आजमाई हुई बात है कि कैसी ही तिल्ली या कैसा ही पुराना बुखार क्यों न हो, बराबर जल के साथ ताजा गो-मूत्र का पान करने से नि सन्देह मिट जाता है।

३ गायों की रक्षा करना सचमुच अपनी ही रक्षा करना

कृषि-गोरक्षा

गोरक्षा कृषि वाणिज्ये कुर्य्यात् वैश्यो यथा विधि।

भारत कृषिप्रधान देश है। यहां की सैकड़ा ८० लोग कृषि पर जीविका चलाते हैं। कृषि का ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही इस देश का कल्याण होगा। कृषि के लिये सब से अधिक गौ-रक्षा का प्रयोजन होने से इस लेख में कृषि पर विचार न कर केवल गौ-रक्षा के लिये 'फारू मोर्टेक्शन लाग' ने जो उपाय स्थिर किये हैं उन्हींका उल्लेख कर दिया जाता है। आशा है कि सर्व साधारण इन नीचे लिखे हुए उपायों से लाभ उठावेंगे।

१ अपने अपने घर कम से कम एक एक गौ का पालन अवश्य कीजिये, और दूसरों से कराईये।

२ अपने गाव में ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि कोई किसी बेजान पहचान आदमी के हाथ गौ न बेचे और मेले या हाट में बिकने के लिये न भेजें बहुत से गांव वालों को यह पता नहीं रहता कि जो गाय या बैल को बेचते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। किस तरह कसाई के हाथ पड़कर उनका प्राणान्त होता है। स्वयं कसाई ही माथे में चन्दन लगा, गले में फूलों

जमींदारों से प्रार्थना कीजिये। उन लोगों से यह भी आग्रह कीजिये कि वे जनता में सस्ते गो साहित्य का प्रचार करें।

६ *डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, राजा, महाराजा, जमींदार* या जो कोई हों उनसे कहकर अच्छे अच्छे सांड और गो चिकित्सक रखाने की कोशिश कीजिये।

७ दरिद्रता से पीड़ित होकर बहुत से लोग गौएं बेच देते हैं उनके *लिये* गोशाला बना *लीजिये*।

८ देशी रजवाड़ों से अपील करके अपने यहां की गौओं का बाहर भेजा जाना एकदम बन्द करवादें।

९ हिसार, रोहतक, मुल्तान और ककरोंम आदि पजाब के स्थानों में उपदेशक भेजकर वहां गौओं का बेचा जाना बद करादें क्योंकि यहीं से ज्यादातर गौएं उन स्थानों में जाती हैं वहां फूके से उनका दूध निकाला जाता है और छ महीने में वे कसाई खाने में भेज दीजाती हैं।

१० सरकारी कसाईखानों में गो-वध बहुत बड़ी सख्या में किया जाता है इसलिये इन कसाईखानों को उठवा देने के लिये सरकार पर पूरा दबाव डालें तथा म्युनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

गो-धन की रक्षा करो

गो ब्राह्मण परित्राणे परित्रात जगद्भवेत्

भगवान् महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म का झण्डा इस भारत भूमि में फहराया था। उस समय इस देश में लाखों व्रतधारी श्रावक व करोड़ों उनके अनुयायी मनुष्य थे। और उस समय यह देश दुर्लभ भूमि घी दूध का उद्गम-स्थान बनी हुई थी। तत्कालीन भारत में गायें कितनी थीं इसका अनुमान नीचे की संक्षिप्त तालिका से सहज ही हो सकता है जो कि उपासक दशांग सूत्र से उद्धृत की जाती है।

क्रमाङ्क	नाम	गौ-संख्या
१	श्रावक आनन्दजी	४००००
२	श्रावक कामदेवजी	६००००
३	श्रावक चुल्लनिपिताजी	८००००
४	श्रावक सुरादेवजी	६००००
५	श्रावक चुल्लशतकजी	६००००
६	श्रावक कुण्डकोलिकजी	६००००
७	श्रावक सद्दालपुत्रजी	१००००

एकभी ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसके पास इतनी गौएँ हों। गौ-धन की वृद्धि करना तो दूर रहा परन्तु गौओं को कसाईखाने में बेचने से भी नहीं शरमाते। हाय स्वार्थपरते ! तुझ पर वज्र पात हो ! भारत के दयालु सज्जनों ! अब तो आप विलासिता को छोड़िये, और भारत की प्राण स्वरूपा गो माता, जो रोज लाखों की संख्या में कसाइयों की छुरी के घाट उतारी जाती है, उनका उद्धार कीजिये। उनके वध होने का, दुधारू पशुओं का, चारा चरनेवाले पशुओं का नकशा व अन्य देशों में गोचर भूमि वगैरी आदि आवश्यक उपयोगिता पाठकों की जानकारी के लिये संग्रह करके देता हूं। भारतवर्ष कृषि प्रधान होने से, तथा भारतवासियों के शरीर पुष्टि के साधन घृत, दूध, दही आदि गव्य पदार्थ ही होने के कारण अत्यन्त आवश्यक है कि गोरक्षा, गोपालन और गो-पोषण आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जावे, और घर घर में गाय रखी जावें और उनका उचित रूप से परिपालन किया जाय। अभी गो पालन बहुत बुरे ढंग से किया जाता है। इसीलिये गोवंश के प्राणी बहुत बड़ी संख्या में पतित और विनाश हो जाते हैं। यह धर्म कार्य का प्रधान स्वरूप हो जावेगा तो न गायें भूखों मरेंगी और न गायें कटेंगी। पौष्टिक चारा दाना ही गोरक्षा का प्रधान साधन है।

गो-वंश के ह्रास के कारण

भारतवर्ष में गो-जाति की अवनति का कारण देशांतरों में बहुत अधिक चमड़े की रफतनी है। सन् १९०३-४ ई० में १२,००,००,००० रुपयों का चमड़ा भारतवर्ष से बाहिर गया। इतिहासों से पता लगता है कि सिकन्दर आजम जब भारत वर्ष से स्वदेश लौटा था तब वह अपने साथ २००००० गायें भारतवर्ष से भीक लेगया था। इससे यह बात भली भांति सिद्ध होती है कि उस समय और उससे पहले भारतवर्ष की भूमि गोजाति से परिपूर्ण थी।

आईने-अकबरी से जाना जाता है कि अकबर के समय में २।।) रु० मन घी और ।।=) मन दूध बिकता था। अब यहां एक सेर घी का दाम २।।) रुपया है। यदि यही दशा रही तो भारतवर्ष में कुछ दिन बाद दूध और घी का मिलना कठिन हो जायगा। अब अमेरिका, स्वीटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से जमा हुआ दूध तथा मक्खन भारतवर्ष में आता है। यही जमा हुआ दूध पीकर आजकल भारतवर्ष में धनवानों के बच्चे पलते हैं। घी के अभाव के कारण अच्छे कार्य प्रायः लोप हो गये हैं। घृत के बदले घृणित पशुओं की चर्बी काम में

(१०) कहीं कहीं फूका देकर दूध निकालना, जिससे गायों की गर्भधारणशक्ति नष्ट हो जाती है।

(११) गाय के खाद्यपदार्थों का अभाव।

(१२) शिक्षित लोगों की गोपालन से घृणा और अशिक्षितों द्वारा गौपालन होना।

समस्त ग्रेट ब्रिटेन में ७,७५,००,००० एकड़ भूमि म से ४६,००,००० एकड़ भूमि पर नाना प्रकार की फसल, घास और कृषि होती है। उसमें से पहाड़ तथा बस्ती को छोड़ कर २,३०,००,००० एकड़ भूमि स्थायी गोचर और घास की भूमि है। इङ्गलैण्ड की भूमि अधिक मूल्यवान है तिस पर भी आधी भूमि स्थायी गोचर भूमि है। परन्तु हमारे भारतवर्ष में स्थायी गोचर भूमि है ही नहीं। यही गोचर भूमि का न होना गौजाति की विशेष हानि का कारण है।

गाय से जो नर बच्चा पैदा होता है, वह बड़ा होने पर बैल हो जाता है। उस बैल से खेती का काम लिया जाता है। यदि भारतवर्ष में बैल न हो तो अकेली खेती क्या सैकड़ों तरह के काम कठिन हो जायेंगे। बैलों के द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जाता है, हल

नहीं तो कुछ लोग मिलकर समवाय समिति (Co-operative society) स्थापन करके भारतवर्ष भर में डेयरियाँ खोलें, जिससे अपने लाभ के साथ-साथ जन साधारण को भी लाभ और सुभीता हो।

डेयरी उस स्थान को कहते हैं, जहाँ घी, दूध इत्यादि सुलभतापूर्वक अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। डेयरी फारमिङ्ग (Dairy farming) से अभिप्राय है, गाय अथवा भैंस रखकर दूध, घी, मक्खन इत्यादि का उत्पादन और विक्रय करना। भारतवर्ष, डेयरी करने के लिये दूसरे देशों की अपेक्षा, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यहां भूमि, चारा मजदूरी और दूध देनेवाले पशु अर्थात् गाय, भैंस आदि दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ते हैं। इसके सिवाय यहां की गाय का दूध यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों की गायों से [illegible]ा होता है। भारतवर्ष में दूध, और घी का दाम भी [illegible] देशों की अपेक्षा अधिक मिलता है। दूसरे देशों की [illegible] २५ सेर से ४० सेर तक दूध में एक सेर मक्खन [illegible] भारतवर्ष की गाय के १७ सेर से २४ [illegible] मक्खन निकलता है। तिसपर भी [illegible] का दाम १॥) से १॥।) तक है [illegible] १।) तक है। परन्तु उसी १ सेर

अन्य देशों की गोचरभूमि

डेनमार्क में कृषि-सम्बन्धी व्यवसायों में सब से अधिक आमदायक गाय ही समझी जाती है।

डेनमार्क में पहली डेयरी सन् १८८२ ई० में खुली थी। और सन् १६१२ ई० में ११६० डेयारियां इस प्रकार की हो गयी थीं कि जिनमें १२८२२५४ गायें थीं।

डेनमार्क में कृषि सम्बन्धी कारबार और बाहिरी व्यवसाय और डेयरी के काम में सब से अधिक लाभ है। इसमाल को सन् १६१२ ई० में डेनमार्क में बिका उसका दाम ३७२१०६००० फ्रॉंस था। जिसमें ६७ सैकड़ा डेयरी का माल था। मक्खन क्रीम और दूध जो डेनमार्क से बाहर गया उसका मूल्य ११८८८००० पौंड अर्थात् १७,८३,२०,०००) होता है, अर्थात् ४१ सैकड़ा इस माल का होता है जो देश से बाहर गया।

डेनमार्क में भैंस नहीं है और केवल गाय का दूध मक्खन बनाने के काम में आता है। डेनमार्क में दूध देने वाले पशुओं का परिपालन शास्त्रविहित रीति से किया

यूनाइटेड-स्टेस् अमरिका के केवल टेकसास प्रान्त में ४०,००,००० गायें और उनके बच्चे हैं, जिनके लिये ४०,६६० एकड़ भूमि पर भिन्न भिन्न स्थानों में डेयरी फार्म स्थापित हैं। (*Vide* Macdonald cattle sheep Deer, Pages 194 and 195)।

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड इत्यादि देशों में गोचरभूमि की व्यवस्था ग्रेट ब्रिटन के अनुसार ही है।

न्यूजीलैण्ड में कुल भूमि ६,७०,४०,६४० एकड़ है, जिसमें २,८०,००,००० एकड़ पर कृषि होती है। और ३,७२,००,००० एकड़ गोचर भूमि है। (*Vide* standard cyclopedea of Modern Agirculture, Page—88 Volume—9)।

उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि प्राय सभी देशों में गोचरभूमि का खास प्रबंध है, परन्तु हमारे भारत वर्ष में गोचर भूमि का पूरा अभाव है। इसी कारण से गोजाति तथा कृषि की दशा इस देश में शोचनीय हो रही है। यदि इस देश में गोचर भूमि का प्रबंध होजाय और गो पालन की ओर लोग पूर्ववत ध्यान देने लगें तो भारत वर्ष फिर पहिले की सी उन्नत अवस्था पर पहुंच सकता है।

जाता है। और दूध ही के कारबार ने डेनमार्क की कृषि को लाभदायक बनाया है। १६ वीं शताब्दी तक डेनमार्क के किसान गेहूँ की कृषि में लगे हुए थे और पशुओं की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि फसल कम होने लगी। वही फसल अच्छी होती थी, जहां पाँस दी जाती थी (Paras 93 and 94 of the report of the Irish Deputation of 1903) किसानों का मुख्य व्यवसाय डेनमार्क में दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का तैयार करना है। यहां तक कि दूसरी कृषि सम्बन्धी वस्तुओं से मक्खन बनाया जाता है।

ग्रेट-ब्रिटेन और आयरलैण्ड की कुल भूमि ७,७५,००,००० एकड़ है जिसमें ४,६०,००,००० एकड़ में फसल होती, खाली रहती या घास होती है। २१,००० एकड़ भूमि गोचर भूमि के लिये छोड़ी गई है। (*Hide cattle Sheep Deer*, Page 18 Macdonald)।

जर्मनी की सन् १८९३ और १९०० ई० की रिपोर्टों से जाना जाता है कि उस देश में ६१ सैकड़ा भूमि पर्वत और ६ सैकड़ा ऊसर है, ६,५१,६६,९१० एकड़ भूमि पर खेती हुई थी। २१,१६,७०० एकड़ भूमि पर घास और गोचर भूमि थी।

यूनाइटेड-स्टेस् अमरिका के केवल टेक्सास प्रान्त में ४०,००,००० गायें और उनके बच्चे हैं, जिनके लिये ४०,६६० एकड़ भूमि पर भिन्न भिन्न स्थानों में डेयरी फार्म स्थापित हैं। (*Vide* Macdonald cattle sheep Deer, Pages 194 and 195)।

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड इत्यादि देशों में गोचरभूमि की व्यवस्था ग्रेट ब्रिटन के अनुसार ही है।

न्यूजीलैण्ड में कुल भूमि ६,७०,४०,६४० एकड़ है, जिसमें १,८०,००,००० एकड़ पर कृषि होती है। और ३,७२,००,००० एकड़ गोचर भूमि है। (*Vide* standard cyclopedea of Modern Agriculture, Page—88 Volume—9)।

उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि प्राय सभी देशों में गोचरभूमि का खास प्रबंध है, परन्तु हमारे भारत वर्ष में गोचर भूमि का पूरा अभाव है। इसी कारण से गोमाति तथा कृषि की दशा इस देश में शोचनीय हो रही है। यदि इस देश में गोचर भूमि का प्रबंध होजाय और गो पालन की ओर लोग पूर्ववत ध्यान देने लगें तो भारत वर्ष फिर पहिले की ही उन्नत अवस्था पर पहुंच सकता है।

उक्त देशों में गोचर भूमि (Pasture land) उसी को कहते हैं जिसमें पशुओं के लिये चारे की खेती की जाती है अर्थात् ये खेत प्रति वर्ष जोते जाते हैं, इन्हें खाद दिया जाता है उसमें चारे के बीज बोये जाते हैं, तथा सींचे भी जाते हैं, उन खेतों में खड़ी फसलें पशुओं को चराई जाती, और उनके पक जाने पर ये सुखाकर रक्खी जाती हैं। क्योंकि ये बहुत पौष्टिक, सुस्वादु और रसीली होती हैं।

गो-रक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता

गाय पालन से प्रथम मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला ताजा और विशुद्ध दूध प्राप्त होता है। दूध से ही मक्खन तथा घी बनाया जाता है। जो लोग दूध नहीं पीते, वे मक्खन या घी का व्यवहार अवश्य करते हैं। यदि दूध विशुद्ध नहीं है तो उससे बना हुआ मक्खन या घी कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। अशुद्ध तथा मिश्रित दूध और घी सदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिन गौओं को दूषित दाना चारा दिया जाता है उनका दूध स्वास्थ्यकर नहीं होता।

द्वितीय लाभ यह है कि घर में गाय होने से शुद्ध दूध सस्ता पड़ता है। क्योंकि जितना दूध गाय देती है, उससे आधा अथवा तीन चौथाई से अधिक व्यय उसके रखने और खिलाने में नहीं होता। जितना अधिक दूध देने वाली गाय होगी। उतना ही उसके पालने में (उसकी आय से) व्यय कम होगा।

तीसरा लाभ गाय का बच्चा है। यदि वह नर हुआ तो दूध बन्द होने पर बहुत अच्छे दामों में बिक सकता है। और मादा हुई तो कुछ दिनों बाद गाय होजाती है।

चौथा लाभ गोबर है। गोबर से इन्धन का काम लिया जाता है, इसके कण्डे और ओपले बनाये जाते हैं, जो लकड़ी की जगह जलाने का काम देते हैं। गोबर का खाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे खेतों की उपज बहुत बढ़ जाती है। गोबर से दुर्गन्ध भी दूर होती है। जिन स्थानों पर फिनाइल नहीं मिलता, वहां गोबर से, विषाक्त तथा दुर्गन्धित स्थान को परिष्कृत करने के लिये फिनायल की की एवज में काम लिया जा सकता है। बल्कि साइन्स की दृष्टि से देखने से पता चलता है कि फिनायल की सफाई से गोबर की सफाई कहीं विशेष उपयोगी है। गो-वंश के

गोबर और मूत से खाद का काम लेना जितना आवश्यक है, उतना ही हानि कारक उसे कंडे बनाकर जलाना है।

गाय के दूध बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। बच्चे के पैदा होते ही उसको दूध की आवश्यकता पड़ती है। उसको दूध उसी समय से पिलाया जाता है। और जन्म से मरण पर्य्यन्त मनुष्य दूध का व्यवहार करता रहता है। जब मनुष्य बीमार होता है और उसका खाना पीना बन्द हो जाता है उस समय भी बल बनाए रखने के लिये डाक्टर, वैद्य, हकीम आदि सब ही शुद्ध दूध की राय देते हैं। दूध से मक्खन, मक्खन से घी बनाया जाता है। दही, मट्ठा, मावा इत्यादि भी दूध ही से बनते हैं। दूध से सैकड़ों तरह के अति उत्तम खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

भारत के दाम के दुधारु पशुओं की संख्या का नक्शा

	बैल	गायें	बछड़े-बछड़ी	भैंसा	भैंस	पाड़े-पाड़ी बच्चे	कुल जोड़
ब्रिटिश-भारत (सन् १९२३-१९२४,)	३६४१४६९८	३०२१६६७०	३०८२५६०५	५४२७५६२	१३५६५४५५	१००४५२८२	१४९४६८२३२
देशी राज्य (सन् १९२२-१९२१)	१०५१८६२०	६७८८६६५	५६०५४००	११०६२५६	४०२५३२५	१६०६१४२	३२६५०४११
जोड़	५६६३३५४८	४७००८ ३५	३६४६१००५	६५३६८५१	१७५६०७८०	११६४८४२४	१७६४४८६४२

गाय के दूध मूत्र आदि से रोग नाश

गाय के दूध और घी में चीनी मिला कर पीने से बदन में ताकत आती है और बल व पुरुषार्थ बढ़ता है।

जिस मनुष्य की आंख में जलन रहती हो, यदि वह कपड़े की गद्दी तह करके उसको गाय के दूध में तर करके आंखों पर रक्खे और ऊपर से फिटकिरी पीस कर गद्दी पर बुरक दे तो चार छ दिन में नेत्र जलन कम हो जाती है।

गाय का दूध औटा कर गरम-गरम पीने से हिचकी आराम हो जाता है। गाय के दूध को गर्म करके उस में मिश्री और काली मिर्च पीस कर मिलाने और पाने से जुकाम में बहुत लाभ होते देखा गया है।

गाय के दूध से बादाम की खीर पका कर ३ ४ दिन सेवन करने से आधे शीशी (आधे सिर का दर्द) आराम हो जाता है।

अगर खून की गर्मी से सिर में दर्द हो तो गाय के दूध में रुई का मोटा फाहा भिगो कर सिर पर रखने से फायदा होता है किन्तु सध्या समय सिर धोकर मक्खन मलना जरूरी है।

अगर किसी तरह भोजन के साथ कांच का सफूफ (चूरा) खान में आजाय तो गाय का दूध पीने से बहुत लाभ होता है।

गाय के दूध में सोंठ घिस कर गाढ़ा गाढ़ा लेप करने से अत्यन्त प्रबल सिर दर्द भी आराम हो जाता है। गाय के गोबर से पोता देने से हानिकारक सूक्ष्म कीट (जम) नहीं रहते।

गो मूत्र पिलान से सुखण्डी रोग का नाश होता है।

इसका दूध अनेक रोगों को नाश करने वाला है। इसका दूध परम सतोगुणी है इसी से बड़े २ महात्मा इसको पीकर योगाभ्यास करके देव पद को प्राप्त होते हैं।

गो पालने की रीतियां

जो महानुभाव गोपालन करना चाहते हों वे निम्न लिखित गोपालन के नियमों को ध्यान में रखें—

(१) जहां पूर्ण प्रकाश रहता हो, वहां गायें रक्खी जावें। स्थान साफ रखना चाहिये अर्थात् वहां पर कूड़ा कचरा न हो, जिससे पिस्सू आदि जन्तु उनको न सतावें।

(२) बड़ी गायों को अलग व छोटी गायों को अलग रखें। दोनों तरह की गायों को शामिल नहीं रखें।

(३) गायों को प्रति दिन शुद्ध स्वच्छ जल यथा समय पिलाना चाहिये। जिन गायों को समय पर पानी नहीं पिलाया जाता वे नालियों में मैला पानी पी लेती हैं जिससे दूध खराब व कम देने लगती हैं।

(४) गायों को समय पर पेट भर शुद्ध और पौष्टिक दाना व चारा देना चाहिये। भूसा खिलाने से दूध कम हो जाता है। इसलिये पेटभर अच्छा घास व दाना खिलाना चाहिये। पेट भर खाना नहीं मिलने से गायें मैला खा लेती हैं जिससे दूध विष तुल्य हो जाता है।

(५) लगभग सब हिन्दू और जैन गायों को माता कह कर पुकारते हैं परन्तु जब तक वे दूध देती हैं तब तक तो पूरा घास दाना देते हैं और पीठ पर हाथ फेरते हैं तथा प्रेम दर्शाते हैं जिससे वे पूरा दूध देती हैं। और जब कभी उनकी प्रकृति के विरुद्ध उनके पेट में घास दाना पहुंचता है और

दूध कम देती है तब माता (?) ठिकाने से कर पूरा दाना घास ही नहीं देते यही नहीं किन्तु और ऊपर से गालियों की बौछार भी किया करते हैं। और कोई २ तो यहां तक निर्दयता कर बैठते हैं कि उन पर लकड़ियों से प्रचण्ड प्रहार भी करते हैं, जिसका फल उल्टा होता है। यानी धीरे २ दूध कम होता है। इसलिए गाय को न तो मारना चाहिये और न उन पर वृथा क्रोध ही करना चाहिये। कारण कि गाय कमजोर होने से दूसरी दफा बियाने पर (बच्चा उत्पन्न करने पर) कम दूध देती है। गायों की अच्छी हिफाजत करने पर २५ सेर तक दूध बढ़ा देती है। ऐसा प्रमाण "किसानों की कामधेनु" से मिलता है।

(६) दूध देने वाली गाय को चराने के लिये ७-८ मील से दूर नहीं भेजना चाहिये। और घर पर बन्धी हुई भी न रखना चाहिये।

(७) यदि गाय दुहने के स्थान पर गोबर, मूत्र और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो तो वहां गाय नहीं दुहना

चाहिये क्योंकि बारीक जन्तु दूध में पड़ जाने से दूध खराब हो जाता है।

(८) दूध दुहकर कपड़े से ढांक लेना चाहिये और गाय का दूध सबके सामन नहीं दुहना चाहिये। जितनी गाय प्रसन्न रहती है उतना ही दूध ज्यादा देती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिये।

(९) गाय को लम्बे डांकरे व लम्बी घास नहीं खिलाना चाहिय। अच्छा घास खिलाने स दूध बढ़ता है।

तात्पर्य्य गौ का उत्तम रीति से पालन करने से वह प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने पर अकेले उत्तम दूध ही अधिक नहीं देती किन्तु मनुष्यों की सब आवश्यकताओं को पूरा करती है।

❀ गो-रक्षा दृश्य ❀

(अदालती कार्रवाई)

अदालत् तहसील चुरू

हम नीचे दस्तखत करने वाले, पूज्य श्री महाराज जवाहिर लालजी के दर्शनों के लिये मेवाड़, मारवाड़, गुजरात तथा

काठियावाड़ से यहां आए हुए हैं। हम लोगों का मुख्य धर्म अहिंसा है। यहां पर जो गौवें फाटक में रक्खी जाती हैं और जिस कदर चार छः आना की गाय नीलाम की जाती है और इस पर भी इस प्रान्त में घास की बहुत कमी दिखाई पड़ती है जिससे इन गायों का सुख से निर्वाह होना हम लोगों को बहुत कठिन मालूम होता है। इन सब बातों को मद्दे नजर रखकर और गो-रक्षा अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर हम लोग यह अर्ज करना अपना फर्ज समझते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ में घास और जल बहुत इफरात से है और हम लोग इन गायों को अपने खर्च से यहां से लाकर इनकी रक्षा करना चाहते हैं, और अर्ज करते हैं कि जिस कीमत पर दूसरों को नीलाम की जाती है उसी कीमत पर हम लोगों को दी जावें लेकिन शर्त यह है कि हम लोग सुनते हैं कि यहां से जो गौ बाहिर जाती है उस पर राज्य की तरफ से महसूल लिया जाता है। हम लोग करीब ५०० गायें लेजाना चाहते हैं जो हमारे निःस्वार्थ भाव से सिर्फ गो रक्षा के लिये लेजाना है। इस हालत में अगर श्रीमान् महसूल मुआफ फरमा देवें तो हम लोग उपरोक्त गायें ले जाने को तैयार हैं। सुनते हैं कि श्रीमान् महाराजाधिराज नरेन्द्र शिरोमणि श्री बीकानेर नरेश बड़े उदारचित्त एवं गोभक्त हैं। इसलिये हम लोग यह दरख्वास्त

पेश करके आशा करते हैं कि इस पर उचित विचार करके हम लोगों को बहुत जल्द हुक्म सादिर फरमायेंगे।

नोट—हम लोग यहां से जल्दी ही अपने वतन को जाने वाले हैं इसलिये हुक्म बहुत जल्दी सादिर फरमाया जावे ता० ३० सितम्बर सन् १६२६ ईस्वी

द० वरधमान, रतलाम हीरालाल कावराव सरदारमल बोथरा-सिपर, उदयपुर अमृतलाल जौहरी, बम्बई रतनलाल महता, संचालक जैन शिक्षण संस्था-उदयपुर श्रीचन्द अब्बाणी, ब्यावर

रिपोर्ट तहसील चुरु व महकमा निजामत रेनी हुक्म राजगढ

दरख्वास्त साहूकारान उदयपुर दरबार इसके कि फाटक की गायें उनको कीमत वेसी पर दी जावे मगर जकात नसार मुआफ होना चाहिये।

जनाब आली

चंद साहूकारान रियासत उदयपुर पूज्य महाराज श्री जवाहिरलालजी के दर्शनार्थ चुरू आए हुए हैं। वे फाटक की गायें खरीद करके मेवाड में लेजाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश

मेजे गये थे, सो अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट में मालूम नहीं किस तरह चले गये जो आज की डाक से अदालत मौसूफ से आज की डाक से सादिर हुए लिहाजा असल कागजात बदस्त महता रतनलालजी महकमह बाला निजामत रैनी मुकाम राजगढ में पेश होकर गुजारिश हा कि मुताबिक रिपोर्ट सरिस्ते हाथा ता० १ अक्टूबर १६२६ मंजूर फरमाया जावे।

निजामत रैनी

रिपोर्ट तहसीलदार साहिब पुरू मुफस्सिल व मुनासिब है। कमी बारिश की वजह से चारे की पदावार नहीं हुई इसलिये फाटक के मवेशियान के खरीददार नहीं मिलते और जिन गरीब रिआया के पास चारा नहीं है उन्होंने भी अपनी गायों का आवारा छोड दिया है। अक्सर जो मवेशी फाटक की नहीं बिकती थीं व गोशाला में भेज दी जाती थीं मगर चारे की कमी की वजह से गोशाला भी अब नहीं लेती साधुचान मोआफिज व खास राज्य उदयपुर के है। य लोग अपने खर्चे से ५०० गायें या जितनी जमा सकें रखने की इजाजत चाहते है और जो ५) फी मवशी मेसार महसूल लगता है उसकी मुआफी चाहते हैं। मेरी राय में यह महसूल मुआफ फरमाया जाना मुनासिब है। नीलाम में य लोग मवेशी फाटक से खरीद

छोड़ेंगे आपदा में रामगढ़ पोरमी के फाटक की मवेशियान खरीदने का भी इरादा करते हैं जिनके भी खरीददार नहीं है। अतः ऐसी व खास इस मामला के लिये जनरल मंजूरी बाबत मुआफी महसूल मेवार फरमाई जाकर इत्तिला दी जावे। यह रिपोर्ट में इसकी रसलाकवी महता के साथ भेजता हूं।

ता० ११-१०-१९२६ ईस्वी   नं० ७१२१

उदयपुर में गो-रक्षार्थ उत्साह

बीकानेर तहसील से ऊपर मुताबिक लिखा पढ़ी आदि हम कर हमने एक कागज उदयपुर श्रीमान् कोठारीजी साहिब बलवन्तसिंहजी की सेवा में भेजा। उसमें हमने पूरा ब्यौरा लिख भेजा। श्रीमान् कोठारीजी साहिब ने यह कागज उनके कुंवर साहिब श्री गिरधारीसिंहजी साहिब के हाथ श्री बड़े हजूर श्री श्री हजूर स्वर्गीय महाराणा साहिब फतेसिंहजी बहादुर की सेवा में मालूम करने के लिए भेजा। उन्होंने हुक्म दिया उनका हिन्दू का मुख्य कर्त्तव्यों में समझ करके और मारवाड़ के इसी प्रान्त की गायों की दुर्दशा मालूम की। इस पर कुंवर साहिब को हुक्म दिया कि न किसी का भेज इसकी जांच करो और

गौ-भक्त श्रीमान् कोठारीजी साहेब बलवन्तसिंहजी भूतपूर्व प्रधान उदयपुर.

उन्होंने (श्री मेघराजजी सिमेसरा व ठाकुर देवीसिंहजी व बाबाई को) गायों को देखने के लिये बाबाई वगैरा को मुकर्र भेजा। अब देख सुकने के बाद घास के लिये लिखा गया तो श्रीमान् कोठारीजी साहिब ने उदयपुर से एक डिब्बा घास उन गायों के लिये मुकर्र भेजा और गायों को जल्दी छुडाने की कार्रवाई करने के लिये पत्र लिखा।

इसके पश्चात् हम तहसील के कागजात लेकर बीकानेर गये। वहां हम कौन्सिल रेवेन्यू ऑफिसर व कस्टम्स हाकिम के पास गये तो उन महानुभावों ने बडी सहानुभूति के साथ उन कागजों पर लिखा पढी करके उनको महकमह खास में भेजा।

हम महकमा खास के प्रत्येक अफसर से मिले और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहिब सर मन्नूभाई से मुलाकात की। आपने हम से बात चीत करने में बडी दिलचस्पी ली। और श्रीमान् महाराजाधिराज नरेन्द्र बीकानेर से प्रार्थना करके १०००) रुपये मुआफ करा कर फाटक से गायें लेजाने की आज्ञा कस्टम व तहसील राजगढ को देदी जिनकी नकलें पाठकों की जानकारी के लिये दी हैं।

सफलता।

हुक्म डिपार्टमेण्ट राज्य श्री बीकानेर

नं० ४०१८६२। मायर मुन्द

जो कि महता रतनलालजी साहब उदयपुर ५०० गौ मुन्द से इलाके गैर में नेकार करना चाहते हैं जिनकी नेकार जकात व हुक्म साहिब प्राइम मिनिस्टर मुआफ फरमाई गई है लिहाजा जरिये हाजा तुमको लिखा जाता है कि महता रतनलालजी का ५०० गायें मुन्द से बिला महसूल नकार जकात छेजाने दी जावे। ता० १६ १० १६२६ ईस्वी

हुक्म महकमा कस्टमस राज्य श्री बीकानेर

नं० ४०१५०० सूबा मायर राजगढ़

जो कि महता रतनलालजी साहब उदयपुर १०० गायें राजगढ़ से इलाके गैर में नकार करना चाहते हैं जिनकी नकार जकात व हुक्म साहिब प्राइम मिनिस्टर मुआफ फरमाई गई है लिहाजा जरिये हाजा तुमको लिखा जाता है कि महता रतनलालजी को १०० गायें राजगढ़ से बिना महसूल नेकार जकात छजाने दी जावें। ता० २६ १० २६ ई

गो-रक्षा का अपूर्व दृश्य

श्रीमान् बीकानेर नरेश का गायें ले जाने का हुक्म पाकर हम लोग तहसील चूरू में पहुंचे। हुक्म को वहां देकर ३०९ गायें छुड़ाली। अब इन दुबली पतली अधमरी भूखी गायों का समूह उस कैदखाने से निकाल कर बाजार होता हुआ सेठ सीपाणीजी के नोहरे में लाया गया। गायें प्रसन्नता से रमा रही थीं और हम संतोष से सांस ले रहे थे। आज हमको दो महीने की दौड़ धूप का फल मिला था। इस जीव रक्षा में कितना आनन्द है। इसको हिंसक तथा हिंसा से प्रेम रखने वाले प्राणी कैसे जान सकते हैं ?

इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिये हजारों मनुष्य इकट्ठे हो रहे थे। सबके मुह से यही शब्द निकल रहे थे कि आज पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के उपदेशों का फल है। आज इतने जीवों की रक्षा होकर महा पुण्य हुआ है। बहुत से मनुष्य थलाधीश दया-दान विमुख व्यक्तियों को लानत दे रहे थे और कह रहे थे कि यदि गायों की रक्षा करना तथा मरते को बचाना इनके धर्म में होता तो आज थली प्रान्त की इतनी गायों की रक्षा हो जाती। कोई कह रहे थे कि चूरू

शहर के कोठारीजी गुलाबचन्दजी, महालचन्दजी, चम्पालालजी, मदनचन्दजी इत्यादि को धन्यवाद है कि जो पहिले गायों की रक्षा करना पाप समझते थे परन्तु आज पूज्य श्री के उपदेश से इन्होंने अपनी मिथ्या टेक छोड़ दी है और अब गायों की रक्षा कर रहे हैं।

कई गायों की हड्डियां निकल रही थी। भूख और दुर्बलता के कारण उनसे चला नहीं जाता था। उनकी यह दशा देख कर बहुत से दयालु पुरुषों की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। परन्तु कुछ अद्भुत खोपड़ी वाले पुरुष कह रहे थे कि इन लोगों ने इनको छुड़ा तो लिया है परन्तु इनको घास पानी डालने में कितना पाप लगेगा। अफसोस! ऐसे मनुष्यों की 'हठधर्मी को'। ये लोग हमारे इस पुण्य कर्म को देख कर दुखी हो रहे थे परन्तु उनका जवाब देने वाले भी मौजूद थे। चूरू के कुछ ब्राह्मण, अग्रवाल तथा सुनार आदि दया प्रेमी व्यक्ति उनको जवाब देकर लज्जित करने में नहीं चूकते थे।

इस प्रकार गायों को उस नोहरे में रक्खा गया और घास पानी डाला गया। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत से आदमी वहां पर एकत्रित होने लगे और बहुत से आदमी अपनी गायों को मुफ्त ही में दे गये।

जब लोगों ने सुना कि कोठारीजी साहिब महालचंदजी जो पहिले तेरहपन्थी थे परन्तु अब गायों को खाना पीना दे रहे हैं और इसीसे वे इस 'रक्षा समिति' के प्रेसिडेण्ट चुने गये हैं, तो बहुत से आदमी उनके इस पुण्य कर्म को देखने के लिये पहुचने लगे। हमारे तेरह पंथी भाइयों नें भी हमें दो गाये रक्षा के लिये दी इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इसी तरह आठ दस दिन तक अच्छा खाना पीना मिलने पर वे गायें कुछ २ स्वस्थ हो गई और चलने फिरने योग्य हो गई तब हमने उनके लिये उदयपुर श्रीमान् कोठारीजी साहिब को लिखा कि मारवाड़ खुरजी के रास्ते लाने में खर्चा कम होगा मगर गायें दुबली व बहुत दिनों की भूखी होने से तकलीफ से पहुंचगी उसके उत्तर में श्रीमान् का हुक्म रेल में लाने का आया जिसमें लिखा कि गायों को किसी तरह की तकलीफ न हो और आराम से मेवाड़ में पहुच जावे। श्रीमान् की इस तरह आज्ञा देने के हाल को पढने से पाठकों को ज्ञात होगा कि श्रीमान् कोठारीजी साहिब का गायों के प्रति कितना अगाध प्रेम है ? इस कृपा का धन्यवाद हम श्रीमानों को किस जबान से धन्यवाद दे सकें। आप ही का कृपा स गायें आराम के साथ मेवाड़-भूमि में पहुचाई गई जिसका वर्णन आगे दिया गया है।

'वह जलूस'

यद्यपि रेल के रास्ते जाने में खर्चा बहुत लगता था मगर गायों की हालत नाजुक थी इसलिये उनके स्वास्थ्य के लिहाज से रेल के रास्ते ही जाना उचित मालूम हुआ। अतः इन गायों को ले जाने के लिये हमने स्पेशल के ५० डिब्बे फुलेरा स्टेशन पर मंगवाये और उनकी हिफाजत के लिये आदमी नौकर रख दिये। डिब्बों में खूब घास दाना व पानी का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त पत्र देने पर अजमेर व मोरस स्टेशन पर घास पानी का प्रबन्ध किया गया।

जब गायों की स्पेशल रवाना हुई तो दर्शकगण की भीड़ गद्गद हो उठी। स्टेशन-स्टेशन पर दर्शकगण इन गायों को देखकर आनन्दित होते थे। माहली स्टेशन तक प्रत्येक स्टेशन के लोग क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी ने गायों का दर्शन किया और उनको पानी पिलाया। इस प्रकार माहोली स्टेशन पर गौएँ आ पहुँचीं।

माहोली स्टेशन पर

स्टेशन माहोली पर गायें उतारी गईं। वहाँ पर श्रीमान् सेठजी जी साहिब बलवन्तसिंहजी व कुंवर साहिब गिरधारीसिंहजी

ने गायों के उतारने व घास का पूरा प्रबन्ध कर रखा था।
डिब्बों से गायें सावधानी के साथ उतारी गई और मेवराजजी
साहिब खिमेसरा ने गिना कर उनको कपासन निवासी नायब
हाकिम साहब मोतीलालजी मडारी के सुपुर्द की। उन्होंने गायों
के आराम का खूब प्रबन्ध कर दिया। शुरू से जो लोग गायों
के साथ आए थे उन्होंने गायों का यह स्वागत व मेवाड़ के
घास पानी की चर्चा शुरू जाकर की जिससे सब लोग
धन्यवाद देने लगे।

हिन्दवा सूर्य्य का गौरक्षा से प्रेम

श्री स्वर्गीय मेवाड़ाधीश की सेवा में श्रीमान् कोठारीजी
साहिब बलवन्तसिंहजी ने मालूम की कि यकी प्रान्त की गायें
माहोली आगई हैं। इस पर श्रीमानों ने और स्वयं नाहर
मगरे पधार कर माहोली से सब गायों को नाहर मगरे मगवाने
का हुक्म बक्शा। महलों के चौक में मगवा कर गायों के बीच
पैदल पधार कर प्रत्येक गाय का निरीक्षण किया। यहां यह
प्रकट करना भी अतिशयोक्ति रूप में न होगा कि श्रीकृष्ण
महाराज ने जिस प्रकार गोकुल में जाकर जिस प्रेम-दृष्टि से

मिलता है। यहां तक कि इन जीवों के रहने का स्थान भी खास महलों में है। महलों में व और भी किसी जगह आपके सामने आये हुये जीव को कोई सता नहीं सक्ता था। महलों में मधु मक्खियें व बर्रे (टाटिय) छत्ता लगा देते हैं तो उनको भी नहीं मारने देते। हाथी, घोड़े, बैल वगैरह पशुओं को आप स्वयं पधार कर निराक्षण करते रहते हैं। यदि उनको किसी प्रकार की तकलीफ मालूम होजावे तो सबसे पहिले उनके आराम का प्रबन्ध करते हैं।

श्रीमान् की जब सवारी निकलती तो पहिले रास्ते में छोटे बड़े यहां तक कि कीड़े मकोड़े पड़े हों तो सबको बचाकर चलने का हुक्म होता है और इसका पूरा प्रबन्ध पहले से ही रहता है। रात में रोशनी पर कपड़े की खोलियें पहिनाई जाती हैं।

श्रीमान् की आज्ञा है कि प्राणी-मात्र मेरे राज्य में सुखी रहें। इस राज्य में वर्ष में कई 'अगते' रक्खे जाते हैं जिनमें कसाई, कलाल, कन्दोई, भड़भुज्ये, तली वगैरह अपना व्यापार बन्द रखते हैं।

इस प्रकार मर्य्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी की गद्दी की मर्य्यादा का पालन पूर्णरूप से करते हैं। ऐसे प्रतापी, दयालु नरेश महाराणा साहब के गुणों का वर्णन करना शक्ति से बाहिर है।

॥ श्रीएकलिंगजी ॥ श्रीरामजी ॥

श्रीमान् श्री बैकुण्ठवासी श्री   श्री दरबार हजूर बीकानेर की तरफ से अकाल पीड़ित गायों मेवाड़ में मंगाई जिस विषय की कविता निम्न प्रकार है —

कवित्त

॥ मनहर ॥

विक्रम पै प्रथम उन्नीस सौ छियासी माहि
    जग दुर्भिक्ष भयो भारत विदेश में।
कामदुधा भारत की सरसन माता सुर-
    सुरभी मरन लागी भूख के कलेश में॥
सनातन धर्म के सुरक्षक दयालु कृपा
    गोकुल बनायो धन्य नगर निदेश में।
गोकुल बनाये कृष्ण कहाये गोपाल भये
    मानों अवतार भयो गोपाल के वेश में॥१॥

रचयिता—

कविपाड़िया करनीदान

इरिवहार मजापेशगाह राज्य श्री महकमा खास श्री दरबार राज्य मेवाड़ महकमा कार्तिक सुदी १३ स० १९८३ ता० १७ ११ १९२६ ई

नं० ७३४१

दस्तखत प्राइम मिनिस्टर

छाप

य सिलसिले इन्तजाम फरोख्तगी मवशियान जरिए हाजा हरखास व आम को आगाह किया जाता है कि इलाके मेवाड़ में से गायों की निकासी तो कतई बन्द ही है, और मुल्तानी मकरानी बालदिये, कसाई व सांसी वगैरा बिना जाने लोगों को दीगर मवेशी भी बेचने की मुमानिअत कीगई है। इसलिये मुन्दर्जा सदर कोमों के लोग मेवाड़ इलाके में मवेशी खरीदने के लिए नहीं आवें। उनको मवेशी नहीं बेची जावेगी, और उन्हें नुकसान उठाकर जरबार होना पड़ेगा।

गो-वंश पालक

जन्म से जीवन लीला समाप्त पर्य्यन्त जिन्होंने गो-वंश, गो-भक्त और गो-सेवकों का प्रतिपालन किया, और बीकानेर

कराया उन्होंने जीव रक्षा के निमित्त ली और बाकी गायें रहीं उनको श्रीमान् कोठारीजी साहिब बलवन्तसिंहजी ने गरीब लोगों को प्रदान की। तथा बीमारी से जो गायें मरीं उनकी खालों के १०१) रु० जमा हुये। क्योंकि इस वर्ष पशुओं में बीमारी का प्रकोप होने से कुछ गायें मर गई थीं। अब कोई गायें या बछड़े बाकी नहीं हैं।

सहायता प्रदान करने वाले सज्जनों की शुभ नामावली

४०००) श्रीमान् श्री-बड़े हजूर दाम इकबाल हू (स्वर्गीय महाराणा साहिब) रियासत मेवाड़ मारफत-कोठारीजी साहिब बलवन्त सिंहजी के मार्फत फरमाये सिक्का कलदार

८७२।।।) उदयपुर के सज्जनों ने गायें खरीदने व रक्षा के लिये रुपये दिये जिनकी नामावली

१००) श्रीमान् महाराजा साहिब करजाली श्री लक्ष्मणसिंहजी साहिब

५१) श्रीमान् कोठारीजी साहिब बलवन्तसिंहजी

१५०) श्रीयुत् खेमपुर ठाकुर साहिब करणीदानजी दधवाड़िया

२८) श्रीयुत् कन्हैयालालजी चौधरी (कलदार)

२५) ,, पारसजी किशनलालजी (कलदार)

२५) मुनीमजी कवलचन्दजी

३५) हस्ते लालाजी साहिब केशरीलालजी

२५) बिना नाम ,, ,, (कलदार)

५) श्रीयुत् मोतीलालजी हींगड़
२) सखाराम थापा
१) सूरज बाई पोखरणा
२=) सुहार कृष्णजी
२) कामजी की माता (बीकानेर वाला)
१) रूपचन्दजी सा० चम्पावत क रसोई समाप्त वाली मारवाड़ी
२) श्रीयुत् पन्नालालजी कावरी
१०१) पचास गायें बीमारी से मरगई जिनके भाये
४१०)॥। बची स्रात जमा कलदार ११६) बटाए जिनकी बची के
६॥)॥। मालिटर्ये नीलाम कीगई जिनके भाये सा जमा

८७२॥)

२११६।) शुरू में चन्दा मका सा जमा
२०१) श्रीयुत सेठ साहिब ताराचन्दजी गेलड़ा मद्रास निवासी हस्त खुद के १०१), माताजी के ५०), धर्म पत्नी २५), भाई साहब २५)
५१) श्रीयुत अमरचन्दजी वर्द्धमानजी साहिब रतलाम
४६) ,, अमृतलालजी रायचन्दजी , जौहरी बम्बई
५१) , लालचन्दजी स्वरूपचन्दजी खाचरोद
२५) श्रीमती चम्पाबाई जौहरी बम्बई
११) श्रीयुत् मायकलालजी प्रवासी बम्बई
५) श्रीमती पानबाई बम्बई

१००) श्रीयुत अभयरामजी सभार्थी की बहू
१००) „ इमारीमलजी मगनचंदजी मारू
५०) „ अठमलजी सेठिया की धर्म-पत्नी
२००) „ शिखरचंदजी घेवरचंदजी रामपुरिया
२) फगनलालजी नापड़ा की बहू
७) सुखीलालजी वसाणी की बहू
१) फगमीबाई मालण
६१) एक जैनी गार्या १३ बाबत हस्ते भैरूदानजी साहिब सठिया
२५) श्रीयुत माणकचंदजी सेठिया
६) „ रावतमलजी बाफणा की बहू
३) „ फगनलालजी काठेड़
२१) „ मेमीचंदजी मुराणेचा
५०) „ फकीरचंदजी पेमचंदजी
३॥।=)॥। डुवायम का

१७==)॥।

१००) श्रीयुत श्रीचंदजी सभार्थी नयाशहर
१७६) फुसाणी मे चन्दा होकर आया सो जमा
१७॥।=) कुछ रेलवे में महसूस ब्याज़ः सतिया जिसकी कार्रवाई करने पर उन्होंने जरिये मनीऑर्डर रुपये भेजे सो जमा

१२२६=)॥।

४६४८॥॥)॥। रेल महसूल गायें डिब्बे में भराई नौकरों को तनख्वाह वगैरा में खर्च

२७॥-) गायें शुरू स स्टेशन शुरू लेजाकर शुरू के आदमी रख सो डिब्बों में भराई का महनताना व स्टेशन वालों को इनाम

५८॥॥)॥। उदयपुर से गायें लाने के लिये जाने का आने जाने का रेल किराया व भोजन खर्च

४४००) स्टेशन पर ५० डिब्बों के महसूल के फी डिब्बा ८८) से

१५२॥॥) गायों के लिए आदमी नौकर रखे थे शुरू से माहाली (मवाड़) स्टेशन तक आये जिनको तनख्वाह व पीछे जाने का रेल महसूल दिया

४६४८॥॥)॥।

५३०१॥॥)

१००॥॥)। रतनलाल महता इनसे खर्च हुए

१८॥॥)॥ गायों के इन्तजाम के लिए चन्दा व दूसरा मदद कामात हासिल करने के लिये बीकानेर, रामगढ़ रतनगढ़, सरदार शहर, जोधपुर और फलोदी में भ्रमण किया जिसमें खर्च के साथ सिर्फ नौकर

क रेक महसूल ११।=)। मोजम खर्च २।॥=)॥, तनख्वाह के लिये १५=)॥।

५६।=)॥। कार्तिक वदी १० गायें आने से बाकी रही जिसको मगसर वदी ४ तक घास मंगाया जिसमें खर्च हुवे

३) गायें चराने व इकट्ठी करने के लिये आदमी नौकर रखे जिसको दिये

१००॥।=)।

४६४८) शुरू स स्वराम माहोसी गायें थाइ जिनके घास दाणा पानी वगैरा के लिये आषाढ़ तक श्रीमान् कोठारीजी साहिब बखतावरसिंहजी ने इन्तजाम किया जिसमें खर्च का लगा

६७६॥।-)। शुरू में गायें इकट्ठी कराई गई जिनके खर्च का इन्तजाम कोठारीजी साहिब महासचंदजी ने किया और उन गायों को नयाशहर के रोमराजजी लगये जिसमें खर्च हुवे

५४६॥।=)॥ घास पानी शुरू में खरीद कर गायों को बचाया

४२।)॥। गायों की सम्भाल पर आदमी रखे जिनको तनख्वाह के दिये

३८८॥=) नयाशहर निवासी रामराजजी सा० गायें जिन्हों में लेगये सा उनको इसमें खर्च हुए

६७६॥।-)।

२४४॥।=) श्रीमान् कोठारीजी साहिब बखतावरसिंहजी की मार्फत धर्मशाला वगैरा आमघरों के रहने के लिये मकान बनवान ताव और दया के लिये खर्च हुए

१४५)॥ गोरक्षा के लिये अमथा कर महसूल मुआफ कराने में व चन्दा वगैरा के लिये गाम गाम में गोरक्षा की पुस्तकें छपाने भेजने में १११)॥ खर्च हुए जिस में १४८) इस शुभ काम में रामलाल न दिये बाद बाकी रहे।

७४५६-)॥

१७७०-) श्री पाते रहे सो गुरु महालचन्दजी साहिब कोठारी की दुकान पर जमा है जिसके लिये सं० [illegible] में मुकाम बीकानेर पूज्य श्री हुकमीचन्दजी महाराज के हितैषु श्रावक मंडल की कमेटी हुई जिसमें यह तजवीज ते पाई कि १०००-) कोठारीजी साहिब महालचन्दजी की दुकान पर जमा रहें और ये रुपये जीव दया के काम में कमेटी की राय से खर्च होवें। जब तक रुपये खर्च न होवें, तब तक ब्याज उपजा कर गुरु कोठारीजी साहिब जमा पावें और रुपये रतनलाल मेहता खाते दुकान पर जमा है सो सामे सां० मंडल कमेटी के जमा करें। ब्याज उपज जिसकी इच्छा मंडल कमेटी में मंजूर की जाय। यदि किसी कारण से ब्याज न उपजे तो मंडल कमेटी रतनलाल लिख देवे ताकि ब्याज उपजाने बाबत कमेटी मुनासिब कार्रवाई करेगी।

१२२६०)॥

नोट — हिसाब की जाँच की भँवरलालजी पारख्या

इसके बाबत कोई सज्जन कभी हिसाब देखना चाहे तो वह श्रीमान् कोठारीजी साहिब की हवेली पर गुरु कोठारीजी साहिब महालचन्दजी की दुकान पर देख सकें।

में सहायता प्रदान करना चाहें वे "वर्द्धमानजी साहिब प्रेसिडेण्ट रतलाम मण्डल" के पास भेज देवें। वे रुपये शुभ काम में खर्च किये जायेंगे और हर साल हिसाब की रिपोर्ट प्रकाशित की जावेगी और वह दानी महानुभावों के पास भेज दी जावेगी। विशेष जानकारी के लिये जैन शिक्षण संस्था उदयपुर मेवाड़ पेरोकार जीवदया के नाम से पत्र व्यवहार करें।

निवेदक—

रत्नलाल महता,

संचालक-जैन शिक्षण संस्था, उदयपुर मेवाड़.

जैन शिक्षण संस्था
का
संक्षिप्त विवरण

श्री जैन श्वेताम्बर साधुमार्गी शिक्षण संस्था उदयपुर में निम्न लिखित विभाग हैं। (१) श्री जैन छात्र पाठशाला (२) सार्वजनिक पाठशाला (३) श्री जैन कन्या पाठशाला, (४) श्री जैन ब्रह्मचर्याश्रम, (५) श्री महावीर पुस्तकालय।

१ श्री जैन छात्र पाठशाला में विद्यार्थियों को विद्वान सदाचारी, धर्म प्रेमी, बलवान समाज की सेवा की जाती है। धार्मिक परीक्षा में श्री हुक्मीचंदजी महाराज के हितेच्छु

गौ-सेवक रतनलाल महता उदयपुर

श्रावक मंडल के कोर्स के अनुसार धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और वहां परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं प्राकृत की खास तौर पर शिक्षा दी जाती है। संस्कृत में व्याकरण की प्रथमा, साहित्य की प्रथमा-मध्यमा तक की पढ़ाई कराई जाती है। अंग्रेजी में मट्रिक तक की योग्यता करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त मुनींमात (हिसाब परीक्षा) का कोर्स भी रक्खा गया है और औद्योगिक शिक्षा भी दी जाती है।

२. सार्वजनिक पाठशाला में उच्च जाति के पाठकों को धार्मिक शिक्षा के साथ २ व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है।

३ श्री जैन कन्या पाठशाला में कन्याओं को धार्मिक शिक्षा के साथ गृहस्थोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा, सीना, पिरोना आदि सिखलाया जाता है।

४ ब्रह्मचर्याश्रम में सशुल्क, अर्द्ध शुल्क नि शुल्क तीनों प्रकार के विद्यार्थी प्रविष्ट किये जाते हैं।

५ महावीर पुस्तकालय—जोकि पाठशाला के कर्मचारियों और अध्यापकों की सहायता से स्थापित किया गया है। इसमें धार्मिक और नैतिक उत्तम २ पुस्तकों का संग्रह है।

पूर्ण विवरण संस्था की रिपोर्ट के पढने से ज्ञात हो सकता है। इस संस्था का सारा काम दानवीर महानुभावों की सहायता से चलता है।

इसके अतिरिक्त मेरी ओर से निम्न लिखित संस्थाएं हैं। जिनकी आय-व्यय आदि का सम्बन्ध मेरा निजी है। (१) जैन

रत्न हुनरशाला (२) उत्तम साहित्य प्रकाशक भण्डार, (३) जैन धर्म पुस्तकालय।

१ श्री जैन-रत्न हुनरशाला में स्वदेशी हर किस्म के कपड़े बुनने का पटन बनाने वगैरा का काम सिखलाया जाता है। जो मातायें व बहिनें सूत कात २ कर देती हैं उनको पूरा मिहनताना दिया जाता है। बेकार व्यक्तियों को थोड़े समय में ही काम सिखला कर उद्यमी बना दिया जाता है। हर किस्म के हाथ कते सूत से बिना चर्बी लगे हुए सुन्दर व मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। इनकी बिक्री बम्बई मद्रास मारवाड़, भूपाल, रतलाम सैलाना, सरदारशहर, चुरू आदि स्थानों में अच्छी भांति होती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में उदयपुर में "भूपाल प्रदर्शिनी हुई जिसमें इस हुनरशाला के सामान को हिज हाइनेस महाराणा साहिब बहादुर तथा अन्य बड़े २ सज्जनों ने ५५५ तरह का कपड़ा निरीक्षण कर प्रसन्नता प्रकट की और इसके फलस्वरूप पहिली श्रेणी का प्रमाण-पत्र व सनातन धर्म महामण्डल काशी से" शिल्प विशारद उपाधि आदि का मान-पत्र मिला है। हरएक महानुभाव को मेवाड़ में बने हुए स्वदेशी वस्त्र का प्रचार करना चाहिए। इसमें बना हुआ कपड़ा इतना मजबूत व सस्ता है कि एक साधारण मनुष्य (१२) रुपया सालाना में अपना काम चला सकता है। जो कोई सज्जन एक साल भर पहिनने का कपड़ा मंगवाना चाहें वह २) रुपये पेशगी के साथ पूरे पते सहित ऑर्डर भेजें, ताकि उसके पास बाकी रुपयों की वी० पी० से माल भेज दिया जावेगा। साल भर पहिनने का कपड़ा इस प्रकार होगा। कमीज २ का

। कपड़ा ६ यार, कोट २ का कपड़ा ७ यार धोती जोड़ा १, टोपा १, थैला १ रूमाल १, पछेवड़ी १, तालिया १, आसन १, पगड़ी १

नोट—धोती जोड़े का अर्ज ४२ से ४८ इंच तक और कोट और कमीज के कपड़े का अर्ज २७ से ३२ इंच तक है।

२. जैन उत्तम साहित्य प्रकाशक मंडल—इसमें बहुत उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त निम्न लिखित पुस्तकें यहां मिल सकती हैं—

(क) गच्छाधिपति पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज साहिब के व्याख्यान संग्रह से पुस्तकें अहिंसा मत।), सकडाल पुत्र की कथा =), धर्म व्याख्या सत्यमत ॥), सत्य-मूर्ति हरिश्चन्द्र तारा ।)

(ख) उत्तम प्रकाशक मंडल से प्रकाशित पुस्तकें—

जैन धर्म प्रवेशिका =), जैन-धर्म शिक्षावली पहिला भाग)॥, जैन धर्म शिक्षावली दूसरा भाग = चार दान)॥, आत्म रत्न अनुपूर्वी –)॥ नित्य स्मरण –), जैन उत्तम स्मरण)॥। उत्तम विचार)॥। सुख शांति का उपाय =), कल्पसूत्र –), शरीर सुधार)॥, उत्तम कार्य के लिये चेतावनी (भेंट) मारवाड़ पंजाब भ्रमण (भेंट), सभा की रिपोर्ट (भेंट) जैन-ज्ञान प्रकाश पहिला भाग =), दूसरा भाग =), मेरी भावना)॥, जैन रत्न भजन संग्रह)॥ और भी पुस्तकें निकल रही हैं।

नोट—जो भाई अपने शहर व ग्रामों में धर्म पुस्तक स्थापित करना चाहें वे हमसे पुस्तकें मंगवायें, कारण हमारे यहां अन्य पुस्तकालयों से प्रकाशित हुई पुस्तकें मौजूद रहती हैं। इसलिये पुस्तकें मंगवा कर अवश्य उठावें। पुस्तकों की पूरी सूची जैन ज्ञान प्रकाश द्वितीय में है।

श्री जैन धर्म पुस्तकालय—इसमें जैन-अजैन साहित्य पुस्तकों का अच्छी संख्या में संग्रह है।

निवेदक—

रतनलाल महता,

संचालक—

श्री जैन श्वे० साधुमार्गी शिक्षण संस्था

उदयपुर, (मेवाड़)

आत्म-जागृति ग्रन्थ-माला पुष्प २६

सुखी कैसे बनें ?

राय बहादुर श्री० सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दजी कोठारी आनरेरी मजिस्ट्रेट, ब्यावर की ओर से तरुण-राजस्थान, जैन पथ-प्रदर्शक, जैन मित्र और श्वेताम्बर जैन के ग्राहकों को सादर भेंट।

प्रकाशक—

आत्म-जागृति कार्यालय, जैन गुरुकुल; ब्यावर

मुद्रक—

दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर

संवत् १९८६ वि० } प्रति ५००० { सन् १९२९ ई०

सुखी कैसे बनें ?

जो देश विदेश से पक्का माल नहीं मँगाकर अपने घर में ही उसे तैयार करता है, वह सुखी तथा समृद्धिवान् हो सकता है। हर साल भारत में विदेश से इस प्रकार पक्का माल आता है —

[१] कपड़ा व सूत-१,१५,५२,२१,०१८), [२] शक्कर-१६,१६,५० ५३०), [३] दवाइयें-६,५०,६५,०००), [४] बिस्कुट-८,५०,५८,६११), [५] भोजन का मसाला-१,६०,६१,१७०), [६] फल तथा तरकारी-१,५३,५२,३३१) [७] शराब-३,५२,८६,८३८), [८] तम्बाकू व सिगरेट-२,५६,१०,६६६), [९] स्टेशनरी, कागज़ व पेन्सिल आदि-४,५८,१२,६७०), [१०] तैल सेन्ट आदि-७,७५,१०,६७०), [११] खिलौने-४२,११,१७८), [१२] बटन-३७,६०,२६०) [१३] फरनीचर-२६ ६८,२७५), [१४] चमड़ा-६०,७८,३५०), [१५] चमड़ा कमाने व रंगने का सामान-२,१३,२२,७७२) [१६] साबुन-६,६२,४१,२७८), [१७] मोमबत्तियाँ-२,२०,६०६), [१८] काँच का सामान-२,५२,८८,२३६), [१९] रेलवे का सामान-४४,७२,८२,२२०), [२०] मोटर और साइकल-६,१६,४६,३५५), [२१] मशीनरी २४,०८,५५,७२५), [२२] लोहे का सामान और औज़ार-११,२४,०७,१६८), [२३] रंग-५,७०,४१,६००)। *

इस प्रकार की अंधाधुंध विदेशी माल की आमद जब तक बन्द न होगी, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते।

---

* स्वदेश तथा प्रेम प्रकाश से साभार उद्धृत

॥ उन्नति ॥

उन्नति शब्द सबको परमप्रिय है, कारण ऊर्ध्व-गमन, ऊंचे जाना जीव का मूल स्वभाव है जैसे तुम्बी मिट्टी के लेप से समुद्र के तल में पड़ी रहती है और बन्धन टूटते ही ऊंची आती है, इसी प्रकार जितने अंश में दोष घटते हैं, उतने अंश में यह आत्मा उच्च श्रेणी में प्राप्त होता है।

अपना जीव अनन्त निगोद, असंख्य एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरेन्द्रिय, नरक, तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय के भव की स्थिति को उल्लंघन करके अभी मनुष्य पंचेन्द्रिय होगया है, (बहुत पवित्र होगया है) यदि इस समय थोड़ासा सु-पुरुषार्थ किया जाय, तो निश्चय ही सकल संसार के अपार दुःख से छूट सकते हैं।

हमारा धर्म 'जैन' है और विजय पाना ही हमारा स्वभाव है। सबसे प्रथम हमको नीति, न्याय, सत्य और परोपकार के गुण प्राप्त करके धर्म की नींव नैतिक शुद्धि से मजबूत करनी चाहिये। आम उन्नति की इच्छा रखते हुए हम यदि उन्नति के घातक कार्य करें और जानते हुए भी

उसको न छोड़ें, तो ऐसी कायरता (डरपोकपन) कितनी निन्द्य है ? यह बुद्धिमान स्वयं विचार करें।

झूठ, कपट और अनीति का दोष आज भारत की प्रजा पर ज्यादा है, परन्तु सविशेष व्यापारी समाज पर है, इस दोष का बुरा तो सब कोई कहते हैं, परन्तु इस दोष को नष्ट करने वाले हजारों में से दो-चार भी दिखलाई नहीं पड़ते, इन दोषों के मूल कारण अविद्या, दरिद्रता, परतन्त्रता और फिजूल-खर्ची है। अपन जैनी लोग प्रायः व्यौपारी हैं, अपने भाई, सज्जन, मित्र व पुत्रादि झूठ, कपट व ठगाई से बचें, ऐसे उपाय करेंगे तो यह भाव अनुकम्पा है। पापों से बचाना यह भावदया है और शरीरादि के दुःख दूर करना यह द्रव्य दया है। द्रव्य-दया में भाव-दया हो, या न भी हो, परन्तु भाव-दया में द्रव्य दया निश्चय से होती है।

झूठ-कपट करने का मूल कारण सामाजिक फिजूल खर्ची है। यदि करियावर मौसर और लग्न प्रसंग का सांसारिक खर्च बन्द करके यही द्रव्य समाज के बालक व कन्याओं के उत्तम शरीर, बुद्धि, सदाचार और आजीविका के साधन की शिक्षा में लगाया जाय, तो अनीति अन्याय घट सकते हैं।

कई मनुष्य कहते हैं कि हमें पेट के लिये झूठ, कपट, ठगाई आदि की जरूरत नहीं है, परन्तु सामाजिक खर्च के अर्थ, ये पाप करने पड़ते हैं। हजारों ऐसे-ऐसे प्रसङ्ग बन चुके हैं, जहां सामाजिक खर्च के कारण १३-१४ वर्ष की बाल कन्याएँ ४०-४५ वर्ष के वय के दादाजी के तुल्य वृद्ध पति से ब्याही गई दृष्टि-गोचर होती हैं। इससे विधवा वृद्धि, व्यभिचार प्रचार, गर्भपात और भयंकर पाप दिनों दिन बढ़ते जारहे हैं। जिससे समाज पापों से भारी होकर नष्ट होरहा है। कई मनुष्य लग्न कारियावर आदि के खर्च से कर्जदार होगये हैं और चिन्ता से शरीर, बुद्धि व आयु का नाश कर रहे हैं।

सामाजिक खर्च से प्रजा निर्धन होगई है और ऐसे हजारों गृहस्थ हैं, जिनकी सम्पत्ति ऐसे खर्च से चली गई है। आज वे अपनी सन्तान को विद्या-कला भी नहीं पढ़ा सकते।

सामाजिक खर्च करने की ताकत सौ में से दो के पास भी पूरी नहीं है और उसका पालन सबको करना पड़ता है, इससे अनीति का अवलम्बन स्वभाविक ही लेना पड़ता है। कहा है कि "आवश्यकता से पीड़ित मनुष्य क्या पाप न करे ?"

जितने धनवान हैं, वे खर्चा कर सकते हैं, परन्तु धन का संग्रह कितने पापों से हुआ है और पुनः कितने पाप बढ़ते हैं, इसका विचार करना उन्हें जरूरी है। तथा उनको दस हजारों गरीब कुटुम्बों को भी खर्च करना पड़ता है, इस दुःख के निमित्त भी धनी बनते हैं और पाप सचय करते हैं।

सम्मति का इच्छा हो तो जो शक्ति फिजूल खर्च होती है, उस रोक कर अच्छे कामों में लगाना चाहिये।

कोई प्रश्न करे कि हमारे बाप दादे क्या समझदार नहीं थे जिन्होंने इन रिवाजों को चलाया है। उसका संक्षेप यही उत्तर है कि महावीर प्रभु या उनके प्रधान श्रावक आनन्दजी व कामदेवजी ने कहां करियावर किये हैं। इनके भी माता पिता थे और स्वर्गवासी हुए थे।

करियावर की उत्पत्ति—किसी सेठ के पुत्र ने पिता की मृत्यु के रंज से भोजन छोड़ दिया तो चार कुटुम्बियों ने उसके घर पर भोजन की थाली ले सत्याग्रह किया कि आप खाओ तो हम भी खायेंगे। इससे सादा भोजन तो शुरू हुआ परन्तु मीठा भोजन वह सेठ का पुत्र खाता नहीं था उसे शुरू कराने के लिये पुनः लापसी आदि बनवा कर थाली आदि पुरुसा कर बैठ गये और मीठा खाना शुरू

कराया। इससे कई लोग पिता भक्ति की प्रशंसा करने लगे, यह देख दूसरों ने भी नकल करना चाहा और चार की जगह दस कुटुम्बी आवें तो ज्यादा अच्छा दिख और विशेष पितृ भक्ति मालूम पड़े, अत उसने वैसा किया। तीसरे ने २५ का बुलाया फिर सैकड़ों और अब तो हजारों को बुलाकर रूढ़ि बना डाली। बुद्धिमानों को इस रिवाज का त्याग करना परम धर्म है। कारण मरे के पीछे वैराग्य आवे, त्याग बढ़े कि हलवा, लाड़ू, घेवर और मालपुए आरोग जावें ? यह विवेकी पुरुषों की दृष्टि से अनुचित है, निराधारों को भोजन दे पुण्य सम्पादन कराना था उस जगह बराबरी के मालदार पुण्य के पात्र कैसे बन सकते हैं ?

प्रिय पाठक ! समाज की दशा नीचे के अङ्कों से देख कर कुम्भकर्ण की निद्रा को त्याग करिये।

शिक्षा सम्बन्धी संख्या सौ में से पढ़े हुए—

देश	शिक्षित पुरुष	स्त्री	बालक बालिकायें जो अभी पढ़ रहे हैं
इंगलैंड	६३॥	६१॥	२६।
संयुक्त अमरिका	६५॥	६२	३७॥
डेनमार्क	१००	१००	२५॥

जर्मनी	१००	१००	३६॥
जापान	६८	६६	३८॥
फिलिपाइन	७०॥	६१	
फ्रान्स	६६॥	६४	२८॥
भारत	५।	१॥	३।
बंगाल	६॥	१॥।	

(त्यागभूमि माघ १९८४ से उद्धृत)

आयु व वार्षिक आमदनी प्रति मनुष्य के पीछे—

देश	सन १९२१	सन् १९२९	आयु
अमेरिका	१११६	३३२८	५५॥
इंगलैंड	६८६	१४५६	५१॥
जर्मनी	६४८	१	४६॥
फ्रान्स	५४६	१२६२	४८॥
इटली	३३३	५४०	४६
भारत	३०	३०	२३॥

(जनवरी १९२८ के कोमपास सचपुत्र से उद्धृत)

नोट—भारत के हरएक मनुष्य की वार्षिक कमाई का औसत ३०) रुपया ही पड़ता है। उसमें से भी ५॥=) गवर्नमेण्ट टैक्सादि के लेलेती है। बाकी वार्षिक आमदनी एक मनुष्य के पीछे २४।≈) आती है।

भारत में विधवाएँ—

एक वर्ष की ४९७, दो वर्ष की ४९४, तीन वर्ष की १२५७, चार वर्ष की १२५७, पाच वर्ष की ६७०७, छः से दश की ८५०३७, ग्यारह से पद्रह वर्ष की २३२१४७, सोलह से वीस वर्ष की ३९६१७९=कुल दो करोड मे ज्यादा विधवाए भारत में हैं।

ऊपर वताई हुई अपनी हालत का खुब ठढे मगज मे विचार करें और अतरात्मा से पूछें कि, क्या इतनी दु ख-मय निर्धन और परतंत्र दशा में अपने को करियावर, विवाह व अन्य खर्च करने चाहियें ?

अब सब खर्च वद करके, सब शक्तियाँ समाज-सुधार में लगाना ही सच्चे जैन गृहस्थ का धर्म है।

धन का दुरुपयोग।

(लेखक—श्री० प भगामिगद्गरमी दीक्षित)

भारतवर्ष एक गरीब देश है, यहाँ के आदमियों की औसत आमदनी सिर्फ छ पैसे प्रति दिन है। इन्हीं छ पैसों में वे धनवान भी शामिल हैं, जिनकी हर महीने लाखों

रुपयों की आमदनी है। अगर-धनवानों को छोड़कर आमदनी का औसत लगाया जावे, तो एक आदमी की एक दिन की आमदनी केवल तीन पैसे रह जाती है। दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा देश बिल्कुल कंगाल ठहरता है। यह हालत होते हुए भी हमारे बहुत से भाई इससे बिलकुल अनजान हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहां शिक्षा की बड़ी कमी है। जिस देश में सौ में से ५ आदमी पढ़े लिखे हों, और उनमें भी बहुत से विलायती रङ्ग में रँगे हुए तथा देश की हालत से अनजान हों, वहां यह दशा होनी एक साधारण-सी बात है। अगर हमें अच्छी तरह शिक्षा मिले और हम अपनी हालत देख कर काम करना सीखें, तो हमें यह दिन न देखना पड़े। अब सवाल यह है, कि हमें ठीक ठीक शिक्षा मिले तो कैसे मिले। सरकारी पाठशालाओं में अक्षर-ज्ञान के पश्चात् मार्डन की हिस्ट्री किंवा शेक्सपियर के नाटक पढ़ाये जाते हैं। देश, जाति, किंवा समाज की ओर ध्यान दिलाने वाली शिक्षा का वहां कोसों तक पता नहीं। यदि उसी शिक्षा के सहारे हम अपनी उन्नति करना चाहें, तो यह बात ठीक उसी ढङ्ग की होगी, जैसे बालू से तेल निकालने की बात।

अब हमें अपने सुधार का केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है, और वह यह है कि हम स्वावलम्बी बनें। दूसरों के भरोसे न रहकर जिस दिन हम खुद अपनी सन्तान की शिक्षा का प्रबन्ध कर लेंगे, उसी दिन उन्नति हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी।

अब शिक्षा के लिए धन का सवाल पेश होता है। समाज को उचित है कि वह अपने धन का इस मार्ग में सदुपयोग करे। किन्तु आज हम बिलकुल उल्टा देख रहे हैं। आज हमारे धन का ज्यादा उपयोग मृतक के बाद उसके नाम पर लोगों को खिलाने में होरहा है। इस क्रिया का नाम कहीं तुकता और कहीं कारियावर है। किसी आदमी की मौत के बाद धन की यह होली, समाज का यह भयङ्कर-नाटक, मिथ्या नामवरी की यह पैशाचिक-लालसा आज हम लोगों में बड़े जोर शोर से फैल रही है। घर में धन हो या न हो, चाहे वह ऋणी ही हो, विधवा हो या अनाथ हो बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे इसके लिये रहने का घर और भोजन बनाने के बर्तन भी बेच देने पड़ें, किन्तु करियावर करना आवश्यक है। रूढ़ि के अन्धकार से घिरे हुए अधिकांश भाइयों ने, इसे कर्त्तव्य का एक अंग किंवा समाज की एक आवश्यक रीति मानली

है। किन्तु वे यह नहीं मानते कि कर्त्तव्य और समाज से विरुद्ध किये जाने वाले इस काम का, कोई शास्त्र, कोई ग्रन्थ या कोई विद्वान् समर्थन नहीं करता। इसकी उत्पत्ति इससे पहले वाले निबन्ध में बतलाई गई है। हमारी अधिकांश रूढ़ियों की उत्पत्ति ठीक इसी प्रकार हुई है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, त्यों-त्यों यह विधि और जोर पकड़ती गई। साधारण-सी बात रूढ़ि का रूप धारण कर इतनी विकराल होगई है कि आज हमारे भाई हजार दो-हजार ही नहीं, पचास हजार तक रुपये खर्च करके इसे पूरा करते हैं। यदि देखा जाय, तो इस व्यय से देश, समाज या राष्ट्र का कोई लाभ नहीं होता। केवल मिथ्या नामवरी के कारण आज हम अपने धन की होली खेल रहे हैं और जाति देश व धर्म को नष्ट कर रहे हैं।

मृत्यु के पश्चात् नुक्ता करनेवालों की धारणा है कि हमारे इस अंधाधुन्ध व्यय करने से परलोक में मृतात्मा को शान्ति मिलेगी। किन्तु ध्यान रहे कि परलोक में कु-गति या सु-गति अपने अपने कामों से मिलती है किसी पद्धिया प्रकार का भोजन पचों को कराने से नहीं। यही धन यदि हम विद्या-प्रचार की ओर लगावें तो हमारे देश, जाति और समाज का कितना अधिक कल्याण हो।

वणिक्-समाज आज भारत का सब से अधिक धनी समाज है। किन्तु शिक्षा में कई समाजों के पश्चात् इसका नम्बर आता है। इसका कारण यही है कि हम लोग मिथ्या नामवरी के इतने भूखे हैं कि अधिक से अधिक द्रव्य नष्ट करके अपनी इस लालसा की तृप्ति करते हैं। अच्छा हो, यदि यह समाज इस रूढ़ि को छोड़कर विद्या-प्रचार की ओर क़दम बढ़ावे। खर्च सदा ऐसा होना चाहिये, जो अधिक से अधिक उपयोगी हो। गाढ़े परिश्रम से पैदा किया हुआ धन एक दिन में फूंक देने से उसका कोई उपयोग हुआ नहीं समझा जावेगा। जो लोग खा जायँगे, उनकी गरीबी एक दिन के खाने से दूर नहीं होगी। इधर खिलाने वाले की तो बहुतसी पूँजी उसी दिन बैठ जावेगी।

१ - यदि आपको यह पसन्द है कि आपके पिता का नाम अमर रहे, तो अच्छे से अच्छे काम करो, आध्यात्मिक उन्नति करो, जीवमात्र पर दया करो और अपने में अधिक-से-अधिक दृढ़ता उत्पन्न करो। धन का इस प्रकार खर्च करो कि समाज का अज्ञान और गरीबी दूर हो। सैकड़ों व्यक्ति ऐसे होचुके हैं, जिनने लाखों रुपये खर्च करके कारियावर किये हैं। किन्तु आज उनका नाम कौन जानता है? कोई नहीं। केवल कुछ देर प्रशंसा पान के लिये, थोड़ी

देर के दिखावे के लिये, अपनी गाढ़ी कमाई के धन को इस प्रकार फूंकदेना कदापि उचित नहीं है। इससे आपका या आपके पूर्वजों का नाम नहीं चलसकता। नाम चलना या डूबना आप पर निर्भर है। यदि भगवान् महावीर अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अपने पवित्र व्यक्तित्व का परिचय न देते, तो क्या आज आप लोगों को उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ या भगवान् की जन्मदात्री श्री त्रिशला देवीजी का नाम मालुम होता? कदापि नहीं। रुपयों की होली ताप लेने से नामवरी कभी नहीं हो सकती।

सम्पत्ति और राज्य जनता के हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नहीं। कुछ आदमी भूखों मरें और कुछ आदमी धन संग्रह कर तिजोरियाँ भरें यही अन्याय है। इस अन्याय के पश्चात् अब हम उस इकट्ठे किए हुए धन को इस प्रकार नाश करदें, जिससे देश या समाज का कोई लाभ न हो, तो यह महा अपराध है। यदि उसी धन का हम सदुपयोग करें, तो हमारी जाति, हमारे देश और समाज का बहुत लाभ हो।

अब कुछ बातें करियावर खाने वाले भाइयों से भी। आप लोग लोटा लेकर करियावर खाने तो शहर चले आते हैं, किन्तु आपने कभी यह भी सोचने की कृपा की है

कि हम जो लड्डू खाने जा रहे हैं, वे मृतक के पिण्ड-संस्कार के उपलक्ष्य में कराये हुए भोजन के हैं। यदि हमारे खालेने से ही मृतात्मा को शान्ति मिलेगी, तो कहना चाहिये कि यह एक प्रकार का प्रेत-भोज है। यदि हम इसी प्रेत-भोज को खालेते हैं, तो फिर हमारी पवित्रता कहां बाकी रहती है? फिर हम बड़ी-बड़ी डींगें किस बात पर मारते हैं?

भाइयो! मृतक के नाम पर भोजन करना, मृतक के स्त्री-पुत्र तथा घरवालों को दुःख के सागर में डुबोना तो है ही, साथ ही अनेकों विधवाओं और अनाथों के सर्वनाश का कारण भी बनता है। इस प्रथा को निर्मूल कर, यदि हम इसमें खर्च होने वाला करोड़ों रुपया शिक्षा में खर्च करने लगें, तो हमारा समाज बहुत शीघ्र उन्नत-समाजों की श्रेणी में गिने जाने योग्य हो जाय।

सामाजिक नियम वही है, जो समाज के लिये कल्याणकर हो। जिस नियम से समाज का नाश हो रहा हो, वह नियम, नियम नहीं—अन्ध-विश्वास का जाल है। इसे जितना शीघ्र तोड़ा जाय, उतना ही अधिक लाभ है।

इस कु-रूढ़ि को तोड़ने से यदि कोई हमारी हँसी करे, तो हमें उसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं।

प्रत्येक सुधार बड़े त्याग और आत्म-बलिदान के पश्चात् हुआ करता है। जब रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रोटेस्टेएट लोगों ने सुधार की आवाज़ उठाई, तो लाखों व्यक्ति केवल सुधार का नाम लेने के अपराध में जीवित ही अग्नि में झोंक दिये गये। लाखों की सम्पत्ति लूट ली गई। किन्तु इतने आत्म-त्याग के पश्चात् सुधारकों की विजय हो ही गई। यहां आप लोगों के सामने ऐसी भयकारी कोई परिस्थिति नहीं है। केवल हँसी होने या सामाजिक नियम टूटने का डर है। किन्तु जिस बात से हमारे समाज का परम-कल्याण हो, उसके लिये यदि थोड़ा त्याग भी करना पड़े, तो सहर्ष करना चाहिये।

सामाजिक नियम वही है, जो समाज के लिये लाभप्रद हो। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। ऐसी दशा में यह प्रथा सामाजिक-नियम की सीमा से बिलकुल बाहर है।

इस गन्दी-रूढ़ि को जब तक हमारा समाज पकड़े रहेगा, तब तक हमारी वास्तविक उन्नति बिलकुल असंभव है। क्या हम आशा करें कि सुधार-प्रेमी सज्जन इस समाज-नाशक पैशाचिक-रूढ़ि का अन्त कर, देश और जाति का कल्याण करेंगे?

जीवन और उसका उपयोग।

(लेखक श्री० प० दयाकृष्णजी दीक्षित शास्त्री, साहित्याचार्य व काव्यतीर्थ)

संसार महीरुह एक वृक्ष है, उसकी शाखा प्रशाखायें अखिल प्राणी समूह है और फल उन प्राणियों के कर्तव्य-कर्म हैं। आत्मा, सुख, दुःख, कर्मविपाक को उपभोग करता है और तदनुसार सतत आचरण करता हुआ जीवन ढाँचे को उसी रूप में बना लेता है। उसको अन्य किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती और न वह किसी के आधार पर ही कार्य प्रारम्भ करता है। "स्ववीर्य गुप्ता हि मनो प्रसूति" आत्मा का अर्थ ही है सतत गमन करना। एकाकी स्वत कर्म करना और भोगना "आत्मा स्वकर्म विपाकेन फलमश्नुते" आत्मा स्वकृत कर्म ही भोगता है। जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, अन्य कृत कार्य्यों का नहीं, तब उसके लिये यह कहना कि अमुक व्यक्ति की स्मृति के लिये हम अमुक धन खर्च करेंगे, सर्वथा-अनावश्यक और अयोग्य है। यह मृत व्यक्ति स्व-पुण्य-पाप से ही देवलोक तथा नारकीय कृत्यों को भोगता है। उसकी स्मृति के लिये कई हजार रुपयों का फिजूल खर्च करके सहस्त्रों

प्राणियों को, केवल एक दिन बैठा कर जिमादेने से ही उसकी स्मृति कायम मुकाम नहीं रहती, तथा मृत व्यक्ति के पापों का क्षय होकर पुण्यों का उदय नहीं होता। उल्टा जो तत्त्व-दृष्टि से देखें, तो वह सारा खर्च उस मृत आत्मा को पापों की ओर अग्रसर करता है और अपने जाल-युक्त (कर्मदल) से उस मृत आत्मा को इतना कसकर बांध लेता है कि जिससे कई एक दुःख-पूर्ण जन्म जन्मान्तर उस बेचारे को धारण करने पड़ते हैं। उस जीवन से केवल मृतात्मा को ही भयकर दुःखों का अनुभव नहीं करना पड़ता, परन्तु साथ ही उसके कुटुम्बी स्वजन और मित्रों को भी पापों का भार व इस जीवन में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

श्राद्ध की उत्पत्ति और उसका प्रभाव।

हमारी समझ में मृतात्मा का श्राद्ध केवल इसी उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ है कि अमुक तिथि पर भाई व पुत्रों के साथ मिल कर स्वर्गवासी के गुणों का कीर्तन किया जावे उसके गुणों का स्मरण होजाये और दोषों से घृणा पैदा होवे। किन्तु समय के प्रभाव से यही श्राद्ध स्वरूप ही पलट गया; और उसने इतना उग्र रूप धारण किया कि जिससे सारा समाज आज उस सर्व-नाशक नियम से

काँप उठा है। यदि देखा जावे, तो इस उग्रता को समाज में पैदा करने वाले हमारे धनी-मानी सेठ साहूकार ही हैं।

धनाढ्य लोग जिस नियम को चलादें, बेचारे गरीब भी तदनुसार उसी रूढ़ि का पालन चुपचाप करते जाते हैं; गरीबी से घबड़ाकर हृदय-ज्वाला से सतप्त होकर मुख से आह निकालना उन बेचारों के लिये समाज में पाप समझा जाता है। घर में बच्चों के लिये अन्न वस्त्रादि मलेही न हों, पर मृतात्मा के लिये कर्ज लेकर श्राद्ध या करियावर अवश्य ही होना चाहिये। चाहे स्त्री के आभूषणों को गिरवी रक्खो, चाहे घर बेंचो और चाहे अनीति अन्याय से धन कमाकर लाओ। लेकिन सैकड़ों हजारों रुपये खर्च करके उन धनाढ्यों की चलाई हुई कुरीति का अवश्य पालन करो। इस प्रकार गरीब मनुष्य प्राणाधार आजीविका के साधनों को भी बेंचकर अथवा कर्ज लेकर रूढ़ियों को पालते हैं और बाद में पेट काट-काट कर उस कर्ज को अदा करते हैं। दिन रात परिश्रम से कमाना और भर पेट भोजन न करके शोकाग्नि से सतप्त होना क्या मृतात्माओं को गरीबों की आहों से नारकीय दु:ख देना नहीं है? ज्ञानियों का फरमान है कि मृत्यु समय अथवा मृत्यु के बाद यदि उसका कोई कुटुम्बी रोता है या श्लेष्म गिराता है तो मरने वाला

मनुष्य मोह से व्याकुल हो अशुभ ध्यान मे अनन्त दुःख-पूर्ण कु-गति में चला जाता है।

इसी बात की पुष्टि करते हुए अंग्रेजी में भी एक विद्वान् ने मृत्यु समय कहा है Don't disturb me please let me die peacefully अर्थात् कृपा करके मुझे तंग मत करो शान्ति से मरने दो। एव इस बात से सिद्ध होगया कि मृतात्मा अपने कुटुम्बी जनों के दुःखों को देख कर स्वर्ग में भी दुःखी होता है और उन्हीं दुःखों से उसका धुव अधः पतन होता है। यदि हम इस कुरीति को समूल नष्ट करना चाहें, तो हमें चाहिये कि हम धनी-मानी ही अगुआ बन कर समाज के आगे ऊँची आवाज उठावें, " महाजनो येनगतः स पन्था " जिस मार्ग से बड़े आदमी अग्रसर होते हैं, उसी पथ से अन्य साधारण स्थिति के मानव भी अनुगामी होजाते हैं। यदि देश, समाज तथा बन्धु बान्धवों को ऊंचा उठाना हो, गरीबों को दुःखी देख कर दिल में दया लाना हो और जैन सिद्धान्त के मूल मंत्र का हृदय में जाप करना हो और धनियों को अपने सिर से यदि इस कलंक का धोना हो, तो धनी-मानी व्यक्तियों को चाहिये कि कटिबद्ध होकर इन कुरीतियों को दूर करने के लिये भगीरथ प्रयत्न करें। यदि वे चाहते हैं कि हम

पितृ पितामह के नाम को चिरस्मरणीय रखने के लिये करियावर करते हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे बुद्धि से सोचें कि अमर नाम पाने वाले जगत् के उद्धारक अनेक महा-पुरुषों ने कैसे उत्तम कार्य किये हैं।

अमर नाम और कार्य

संसार में बहु सख्यक व्यक्तियाँ अमर नाम को पागई और आज दिन भी प्रातःकाल में श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया जाता है। उनके विषय में इतिहास साक्षी है, कि उनकी चिरस्थायिनी कीर्ति खिलाने पिलाने (करियावर) से हुई या उनके कार्य से ? फिजूल खर्च से क्षणिक कीर्ति होती है, साथ-साथ कई अपवाद भी बोलते हैं। जो लोग कीर्ति को जितनी अधिक रखना चाहते हैं, वे उतना ही त्याग तथा तप करते हैं। कोई-कोई लोग चिरस्मरणीय यशोराशि के लिये बाग, बगीचे, कुआँ, तालाब बनवाते हैं और कोई धर्मशाला तथा मन्दिर बनवाते हैं, किन्तु कुछ दिनों बाद जब यही स्थान हमारे कुकर्म की जगह बन जाते हैं, तो पुण्य की जगह पाप अधिक होता है और लोग टीका करके उल्टा बदनाम करने लग जाते हैं। अतः तत्वदर्शियों ने भविष्य की समस्त बातों को दृष्टि में रख कर कहा है "सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दान विशिष्यते"

अर्थात् संसार में जो लोग अपने नाम को सृष्टि में दीर्घकाल तक रखना चाहते हैं, वो सब दानों से बढ़कर विद्या का दान करें॥ जिस रुपये से करियाकर करते हैं, उसी रुपये से स्कूल, कालेज और पाठशालायें स्थापित कर दें अथवा गरीब सन्तान को छात्रवृत्ति देकर विद्या पढ़ावें अथवा प्राचीन पुस्तकों तथा ज्ञानवर्द्धक अर्वाचीन पुस्तकों को प्रकाशित करें, तो उनका नाम तथा कीर्ति जगत में कायम मुकाम रह सकती है। ऐसे इतिहास में अगणित उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने विद्या का सर्वोत्तम दान देकर संसार में अमर नाम किया है। अनेक ग्रन्थों के अध्ययन करने पर भी हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि द्रव्य के बल पर किसी की कीर्ति फैली हो। क्या हम आशा करें कि धन के बल पर नामवरी पाने के इच्छुक भाई कर्त्तव्यों के बल पर नामवरी प्राप्त करेंगे ?

॥ अहिंसा परमोधर्मः ॥

रेशम व चर्बी के वस्त्र

(छ० श्री० प० सभामिर्शकरजी पुष्पित)

अन्य जीवों की रक्षा करना अपनी रक्षा करना है।

क्या आप यह जानते हैं कि रेशम के वस्त्र रेशम के नहीं—बल्कि जीवों की आँतों के हैं ?

कुछ भाइयों का कहना है कि "शास्त्रों में रेशमी वस्त्रों का उल्लेख है, धर्मस्थान, मन्दिरजी और मरण क्रिया में इनका उपयोग करना श्रेष्ठ है, ऐसा बड़े लोग कहते आये हैं", सज्जनो ! विचारो कि वह जमाना कौनसा था? जब रेशम काम में लाना पाप न था। उस समय रेशम वनस्पतियों से उत्पन्न होता था, आज की तरह कीड़ों की आँतों से नहीं तैयार किया जाता था। यदि उस समय इसी भाँति कीड़ों की आँतों से रेशम तैयार किया जाता, तो हमारे धर्म धाया पूर्वज इसे पहनने की आज्ञा कदापि न देते। जहा एक कपासिये, बाजरी या गेहूं के दाने का सघट्टा स्पर्श करना भी व्रत नियम में प्रतिज्ञा भङ्ग माना है,

लावे। यदि यह बात तुम्हारी शक्ति के बाहर है, तो कम-से कम तुम खुद ही इस बात की प्रतिज्ञा करो कि जीवन भर कभी रेशमी-वस्त्रों का उपयोग न करूंगा। इस भाँति लाखों कीड़ों की जान तो बचेगी ही, साथ ही तुम अपनी आत्मा की रक्षा भी कर लोगे। "रेशमी-वस्त्र करोड़ों जीवों की आँतें हैं" ऐसे बोर्ड दुकान और घर में लगादो। धन की बचत के साथ ही साथ पाप से भी बच जाओगे।

धर्म क्रिया में रेशमी वस्त्र पहनने की बात पर भी जरा विचार करो। भला जीवों की आँतें भी पवित्र हो सकती हैं? करोड़ों जीवों के रक्त से रँगा हुआ रेशम पहन कर धार्मिक क्रिया करने से पुण्य कैसे हो सकता है? अत आज तक की भूल का पश्चात्ताप करो और भविष्य में करोड़ों जीवों की हिंसा से बनने वाले रेशम का स्पर्श करना भी पाप समझो। तुम अपने हृदय का रेशम के समान नरम बनाओ, कपट, झूठ, कठोरता को छोड़ो, जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र हो।

घोर-पाप से बचो—हमारे प्राण भी बचाओ।

हे दया सागरो! जरा ध्यान तो दो, धन के साथ धर्म का नाश तो होता ही है, साथ ही हम लाखों जीवों के प्राण तुम्हारे शौक की पूर्ति के लिये चले जाते हैं।

एक तुम्हारे पूर्वज मेघरथ राजा थे, जिन्होंने एक जीव की हिंसा करने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना श्रेष्ठ समझा था; एक तुम हो, जो केवल बाह्याडम्बर के लिये धर्म और धन नाश करके लाखों प्राणियों के बध का कारण बनते हो।

मैं बहुत कोमल कीड़ा हूं, गर्मी सर्दी से अपने सुकुमार शरीर की रक्षा करने के लिये अपनी आंतें अपने शरीर पर लपेट लेता हूं, किन्तु स्वार्थी मनुष्य उबलते हुए गर्म पानी में हमें जीवित डालकर मार डालते हैं और हमारे शरीर पर से हमारी आंतें जिसे लोग रेशम कहते हैं उतार लेते हैं। स्वार्थपरता का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है? यदि आप यह जानते हुए भी रेशम पहनते हैं, तो पहनते रहिये, करोड़ों जीवों की हत्या के कारण बनते रहिये, रुई की मौजूदगी में गरीब कीड़ों की आंतें अपने शरीर में लपेटे फिरिये, किन्तु ध्यान रखिये कि इन सब कर्मों का प्रतिफल भोगना पड़ेगा। क्या हम आशा करें कि आप लोग करोड़ों जीवों के रक्त से रँगा हुआ आंतों का कपड़ा पहनना छोड़ कर, शुद्ध देशी वस्त्र धारण करेंगे?

शरणागत,

दुःखी-कीड़ा

चर्बी का उपयोग नहीं करतीं (जैसे ब्यावर में रायबहादुर सेठ कुन्दनमलजी की महालक्ष्मी मिल मोचना हुआ करता इस दोष से सर्वथा रहित होता है।) किन्तु विलायत की तो सभी मिलें चर्बी का ही उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त हमसे ही रुई खरीद कर ५० गुनी कीमत में फिर हमारे सिर मढ़ देना इन विलायती मिलों का नित्य का धन्धा हो रहा है। इनके ही कारण, भारत का सब व्यवसाय नष्ट हो रहा है। आज, ढाके की मलमल का कहीं पता नहीं, उसका स्थान मैन्चेस्टर और लंकाशायर के बने हुए चर्बी से ओत प्रोत वस्त्रों ने लेलिया है। इसका कारण हमारी मुर्दादिली है। एक यूरोपियन, केवल देशाभिमान के कारण यथा-सम्भव यूरोप की ही बनी चीज का इस्तेमाल करता है, इसके लिये चाहे उसे दाम अधिक ही देने पड़ें। किन्तु वह समझता है कि यदि हम लोग इन चीजों को बाहर रहते हुए इस्तेमाल न करेंगे और इनका हमारे द्वारा प्रचार न होगा, तो हमारे देश का व्यापार चमकेगा कैसे ? इसके विपरीत, एक भारतीय, अधिक दाम देकर यूरोप की बनी हुई ऐसी निकम्मी किन्तु भड़कदार चीजें खरीदेगा, जिनसे भारत को तो कुछ लाभ निश्चित ही नहीं होता, साथ ही हमें आदर्श मानने वाले

सभी भी उन्हीं चीजों को खरीदें और देश का व्यापार नष्ट होकर यूरोप अमेरिका का चमके। इन्हीं सब कारणों से भारतीय-व्यवसाय नष्ट-प्रायः होगया है। हमने अपना धर्म नष्ट किया, धन विदेशियों के हवाले कर दिया, साथ ही अपने देशाभिमान को भी विदेशियों ही के पैरों तले रौंदवा डाला। आज एक भारतीय, मैञ्चेस्टर का श्वेत धोती-जोड़ा पहन कर, लकाशायर के बने कपड़े का कोट पैंट डाटकर या चमड़े से बनी हुई फैल्ट-कैप लगाकर गर्व करता है। अन्य लोगों से अपने आपको बड़ा समझता है। किन्तु यह नहीं जानता कि मुझे इसके लिये लज्जा आनी चाहिये। हमारे धर्म, धन, सम्पत्ता और आत्माभिमान के ऊपर आज गायों का रक्त और चर्बी पोती हुई है। हम अहिंसावादी होकर, पाप करने में सहायता पहुँचाते हैं, यह कितनी लज्जा-जनक बात है।

धर्म-शास्त्रों में लिखा है—पाप करो मत, करने वाले को सहायता मत दो—और जो पाप करे, उसकी प्रशंसा भी मत करो। यदि इस दृष्टि से देखा जावे, तो विलायती वस्त्र धारण करने वालों को गायों के वध का पाप जरूर लगेगा। क्योंकि चर्बी से पालिश किये हुए कपड़े की तारीफ करना, मानों पाप करने वाले की तारीफ करना

है। यहीं तक नहीं, जब हम उस चर्बी को अपने शरीर में लगाते हैं, अर्थात् विलायती-वस्त्र धारण करते हैं, तो फिर तो पाप का अधिकांश हमें ही लगना चाहिये। क्या किसी दिन आपने यह बात सोची भी है?

भाइयो! रेशम के पश्चात् विलायती वस्त्र और तद्रुपरान्त चर्बी लगाने वाली मिलों के कपड़े सर्वथा त्याज्य हैं। ये सब अ-पवित्र साधनों से तैयार किये जाते हैं। अतः अब भी समझलो और रेशम तथा विलायती-वस्त्रों को धारण करना छोड़ो। ये हमारे धर्म को तो नाश करते ही हैं, धन का भी पाप-मार्ग में उपयोग होता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोग उपर्युक्त बातों पर शान्ति-पूर्वक विचार करके, अपने धन और धर्म तथा करोड़ों कीड़ों और लाखों गायों के नाश का कारण न बनेंगे।

❀ ताजा समाचार ❀

पीपलिया निवासी श्रीयुत् प्रेमराजजी बोहरा ने अपने घर होनेवाले लग्नादि व्यय का १० प्रतिशत ज्ञान-दान में देना तथा रेशम, हाथीदाँत, विदेशी शक्कर और केशर का त्याग स्वीकार किया है। —सम्पादक.

श्री जैन-गुरुकुल, ब्यावर।

बलवान्, विद्वान् और सदाचारी नर-रत्न तय्यार करने के लिये इस संस्था की स्थापना हुई है। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का सरल शैली से ज्ञान कराया जाता है। व्यापारी लाइन की योग्यता के साथ उचित हुनर व कला की शिक्षा भी दीजाती है। शिक्षा व संरक्षण सबके लिये निःशुल्क (फ्री) है। भोजन खर्च पात्र, साल भर मुफ्त सबसे मासिक योग्यतानुसार लिये जाते हैं। विशेष योग्यता वाले पचीस विद्यार्थी सर्वथा निःशुल्क (फ्री) रखने का भी प्रबन्ध है।

प्रविष्ट होनेवाले विद्यार्थी का नीरोग, सदाचारी व बुद्धिमान् होना आवश्यक है। आयु ८ से ११ वर्ष तक हो और कम से कम हिन्दी पुस्तक पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये।

मन्त्री—जैन-गुरुकुल, ब्यावर

१ आत्मजागृति भावना ।)
२ समकित स्वरूप भावना -)॥
३ विद्यार्थी व युवक की भावना -)॥
४ मोक्ष की कुंजी भाग १ =)
५ धर्मशील -)
६ मान चतुर्दशी =)
७ मोक्ष की कुञ्जी भाग २ =)
८ आत्मबोध भाग १ २ ३ ।=)
९ आत्मबोध भाग ४ ५ =
१० काव्य विभाग भाग १ २ -
११ जैन शिक्षा भाग १ -)
१२ विद्यार्थी व युवकों से =
१३ जैन शिक्षा भाग २ =
१४ „ भाग ३ =)
१५ „ भाग ४ (सचित्र) =)

शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तकें—

१ परमात्म प्रकाश भाषा =)
२ जैन शिक्षा भाग ५ ।-)
३ आदर्श साधु ।)
४ मनुष्य कैसे बने =)॥
५ आदर्श जैन
६ जन का दुरुपयोग

व्यवस्थापक—आत्म जागृति कार्यालय,
जैन गुरुकुल, ब्यावर.